राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का छियासठवां दिवस [संख्या : 17

शनिवार,

9 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की ¨.ठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, ज.पुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

कई माननीय सदस्य : नव वर्ष की बधाई हो, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप सबको भी मेरी ओर से बधाई के लिये धन्यवाद ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगत प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सिथेंटिक दूध कारोबार की गहरी होती जड़ें तथा आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा एवं 19 अन्य सदस्यों की ओर से भीलवाड़ा जिले के करजीवाल गांव में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बंद कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे में पुलिस फायरिंग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतने गंभीर प्रकृति के तो नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय। अत: इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. चन्द्रशेखर बैद

(श्री अध्यक्ष)

और श्री संयम लोढ़ा को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर बोलने की अनुमति होगी। मैं चाहूंगी कि श्री जुबेर खान के स्थगन प्रस्ताव पर मंत्रीजी यदि व्यक्तव्य देने के लिये तैयार हैं तो पहले वक्तव्य दे दें और फिर माननीय सदस्य को जो कुछ पूछना है वह सदस्य पूछ लें।

श्री जुबेर खान : पहले हम अपनी बात रख देंगे, बाद में मंत्रीजी कह देंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि इसमें कोई तनाव हो या विवाद की स्थिति हो। हम अपनी बात कह देंगे और मंत्रीजी खड़े होकर अपनी बात कह दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको वक्तव्य के लिये इसलिए कहा है कि यदि वक्तव्य देने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो फिर शायद आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इसलिए मैंने कहा है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

295 के बारे में मुझे निवेदन करना है कि आज पढ़े हुए मान लिये जाये इसलिए कि आज वन पर चर्चा है, खानों पर भी चर्चा है। इसलिए बहुत से माननीय सदस्य उस पर अपनी बात कहना चाहेंगे इसलिए उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये। लेकिन मैं बता देती हूं किन-किनके किस सम्बन्ध में है।

(1) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से गर्ल चाइल्ड मोटीवेटर, डी.पी.ई.पी. परियोजना को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत केशरपुरा में पानी की टंकी बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में गरीबी उन्मूलन योजना में घोर अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ रेलवे फाटक संख्या-28 के ऊपर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पुष्कर सरोवर को बीसलपुर से पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव संगीता में सेम की समस्या के सम्बन्ध में।

(8) डा. ओ. पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये उद्योगों को बिक्री कर का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका पिलानी में असाणा जोहड़ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा में डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के फूगडी गांव में 14 मार्च, 2005 को मेघाराम प्रजापत नाम के व्यक्ति की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में।

(12) श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पनलावा, जिला सीकर के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में सिंथेटिक दूध वितरण की गहरी होती जड़े

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से जयपुर शहर में और दूसरे शहरों में सरकार की तरफ से डेयरी का काफी विज्ञापन आ रहा है और इसका काफी प्रचार-प्रसार हो रहा है। यह देखकर बडी खुशी हुई कि अपने प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी ब्रैंड एम्बेसेडर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बनकर सरस डेयरी के दूध का प्रचार और प्रसार करना चाहती हैं जिससे राजस्थान के बच्चों को अच्छा सस्ता दूध मिल सके। सबसे पहली निराशा की बात तो यह हुई जब यह जानकारी मिली कि राजस्थान में 60 हजार ऐसे बच्चे हैं जो सिवियरली कुपोषित हैं और उनको दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट समाचार पत्रों के माध्यम से व अन्य माध्यम से प्राप्त हुई कि राजस्थान में सिंथेटिक दूध भी मिलने लगा है। मैं यह जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि यह चीज इतनी गंभीर है और एक आम आदमी और आम बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर इसका इस हद दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसकी आंतें हमेशा के लिये खराब हो सकती हैं। राजस्थान सरकार की ओर इस तरफ न तो कोई कदम उठाया गया, न उन्होंने कोई इस तरह का सिंथेटिक मिल्क जो कि ज्यादातर अलवर और भरतपुर जिले में पकड़ा गया और यह भी रिपोर्ट आई कि यह दो जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले काफी अर्से से इस तरह के दूध का प्रोडक्शन भी हो रहा है और बिक भी रहा है। अब आप देखिए, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इन्ग्रेडियन्ट है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर सबसे घातक प्रभाव डाल सकता है उसमें एक तो डिटर्जेंट डालते हैं और दूसरा उसमें यूरिया खाद का भी इस्तेमाल होता है और यूरिया खाद के इस्तेमाल के बाद लगातार बच्चा उसका इस्तेमाल करता रहे तो कुछ समय बाद उसकी किडनी पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि दूध बंद करने के बावजूद अगर उसको दवाइयां दी जाये तो भी उसकी किडनी वापस दुरुस्त नहीं हो सकती। इसमें जो इकानामिक्स इन्वाल्वड है वह यह है कि एक लीटर सिंथेटिक दूध बनाने की कीमत आती है 3 से 4 रुपये प्रति लीटर और जबकि यह बाजार में बिकता है 12 से 13 रुपये प्रति लीटर। मेरा यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने पोलेटिकल बेरियर से ऊपर उठते हुए कोई ऐसा निर्णय ले क्योंकि यह यहां पर ही नहीं, दिल्ली में भी वर्ष 2005 में स्टेंडिंग कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है और जो इण्डियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने यह कहा है कि ऐसी किटें वह उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे 12 प्रकार के विभिन्न प्रकार के घातक तत्व जो कि सिंथेटिक मिल्क में पाये जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट किया जा सके। मैं यह चार लाइनें जो स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वह पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

"The Committee has also felt that Indian Council of Agriculture Research can also produce self-help smaller and economic version of diagnostic kits. They have already produced for indentifying 12 common adulterants in milk and make all the efforts to popularise their low price smaller version of diagnostic kits. It can be gainfully used for common."

और इसमें जिन 12 घातक तत्वों का पता लगाया जा सकता है उसमें स्टार्च, शुगर, हाइड्रोजन, पैराऑक्साइड, पोंडवाटर, यूरिया और ऐसे पदार्थ हैं जिनका आंतों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मुझे दुःख यह सोचकर हुआ एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी यह चाहती हैं कि दूध का प्रचार-प्रसार हो, हर बच्चे को दूध मिले और दूसरी तरफ उसमें यह भी स्पेसिफाई करना चाहिये कि किस तरह के दूध का इस्तेमाल होना चाहिये। हम सिंथेटिक दूध चाहते हैं या असली दूध चाहते हैं, किस तरह का दूध चाहते हैं। पहली बात दूध में जो घातक तत्व हैं उनको डिटेक्ट करने की डाइग्नोस्टिक किट सुलभ तरीके से उपलब्ध करायी जानी चाहिये जिससे किसी व्यक्ति का अगर शक हो कि इसमें घातक तत्व मिले हुए हैं जो प्रोडयूस कर रहा है या जो खरीद रहा है उसके सामने ही उस किट के द्वारा यह डिटेक्ट कर लिया जाये कि यह सिंथेटिक मिल्क है या असली मिल्क है। दूसरी बात, इस तरह के मामले जो पकड़े जाते हैं उनको छोटी-मोटी कार्यवाही कर के इतिश्री कर ली जाती है। उसके एवज में होना यह चाहिए कि इस तरह की गम्भीरता को समझते हुए जो मामले पकड़े जाए वह जल्दी उजागर हो और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह कोई खिलवाड़ नहीं हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

करजीवाल गांव (भीलवाड़ा) में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिये जाने बाबत

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को और राजस्थान की जनता को इस नववर्ष की शुभकामना देता हूं। आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस पिछले महीने भर में जिस प्रकार का साम्प्रदायिक विद्वेष प्रदेश के विभिन्न....

श्री अध्यक्ष : आपने इनको पहले बोलने दिया होता ना, संयम लोढ़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी प्रार्थना अगर सदन मान ले तो मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चर्चा करके इसको बहुत अधिक किसी रूप में खड़ा करने से प्रदेश का भला नहीं होगा। अगर सदन के सभी माननीय सदस्य समझे तो आप अपने स्तर पर एक कमेटी बना दें, जहां-जहां इस प्रकार का विद्वेष है हम जाकर दोनों को बिठाकर किसी प्रकार से शांति समझाइश के आधार पर उनके बीच में आई हुई दूरी है उस दूरी को कम करने में सफल हो जाएं तो प्रदेश का भी भला होगा और हम इस प्रदेश को ठीक दिशा में आगे ले जाने में... मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि राज्य की दृष्टि से कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। 100 प्रतिशत जो सच होगा वही करने का प्रयास करूंगा।

माण्डलगढ़ में भी जिसकी मृत्यु गोली से हुई उसको भी एक लाख रुपये देने की घोषणा कर दी है। जांच के लिए सम्भागीय आयुक्त को अधिकृत कर रहे हैं ताकि उसकी सारी जो भी कमियां हो, मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चर्चा करके अगर इसको न उलझाये तो मैं आपका आभारी रहूंगा, फिर भी आप चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय पर तो कोई बात नहीं...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही उससे हम भी सिद्धान्त: सहमत हैं क्योकि राजस्थान की एक परम्परा रही है कि सामुदायिक सौहार्द बना रहा है और बना रहना चाहिए। इससे हमारे प्रदेश का नाम आगे बढ़ता है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। जैसा गृह मंत्रीजी ने कहा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक सर्वदलीय समिति का गठन कर दें। स्थानों में जाकर लोगों में कांफीडेंस, क्योंकि लोगों में विश्वास पैदा करना ज्यादा जरूरी है। यह काम यदि हम विधान सभा के माध्यम से कर सकें तो मैं समझता हूं कि अपना उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निवर्हन कर सकेंगे।

जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा उसको हम सिद्धान्त: स्वीकार करते हैं और सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं, अधिकृत करते हैं, आप उनका प्रतिनिधि मण्डल बनाकर तुरंत लोगों को भेजें जिससे लोगों में कांफीडेंस पैदा हो सके।

(डा. सी. पी. जोशी)

अभी तो विधान सभा चलेगी और यह काम अभी हम कर सकें तो हम सबका विधान सभा में आने का उत्तरदायित्व है उसको हम ठीक ढंग से कर पाएंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा उससे हम सहमत है और आपको अधिकृत करते हैं कि आप इस सम्बन्ध में इनिशियट करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों का मकसद एक ही है। चूंकि आज नव वर्ष प्रारम्भ हो रहा है, शुभकामना, पूरे राजस्थान में अमन चैन रहे और एक ऐसा सारगर्भित प्रस्ताव दोनों तरफ से आया है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए धन्यवाद तो दीजिए उनको। उनको धन्यवाद दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद भी दें और इस तरह की बहस की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद तो दीजिए कि पहले साल के दिन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक निवेदन कर रहा था, आपने पहले आसन से व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्रीजी इस पर वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं कि अब वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है जब आपकी अध्यक्षता में हम लोग मिलकर इस पूरी समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। वक्तव्य देंगे तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा। मेरी प्रार्थना मात्र इतनी है कि अब दूसरा बिजनस ले लिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है समिति भेजने का आपके माध्यम से, अच्छी बात है। आपको यहां बैठे-बैठे लेकिन यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि करजालिया गांव के अन्दर 19 अल्पसंख्यक परिवार है उसमें से 12 परिवार पलायन कर गए थे और 6 परिवार जो वहां रह रहे हैं उनको वहां कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

दूध नहीं दे रहा है। उनका कोई आटा नहीं पीस रहा है। उनसे सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया है और कोई भी आदमी बहुसंख्यक समुदाय का अगर उनके साथ व्यवहार करें तो इस पर 11,000 दण्ड गांव में लगा रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सारी बात उस कमेटी में बैठकर डिसकस हो जाएगा। समिति में बैठकर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : इसमें इमिजिएट एक्शन की जरूरत हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वातावरण दूषित होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, क्या हो जाता है आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वातावरण दूषित होगा इससे, जब सरकार में इतना बड़ा (व्यवधान) सरकार में आप भी बिराजे होंगे।

श्री संयम लोढ़ा : ओनरेवल पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तक आपने प्रस्ताव दिया क्या, आप भी सरकार में बैठे थे। कल इतना बड़ा प्रस्ताव आ गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मुद्दा ही तो है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक मिनिट, बैठिए ओनरेबल चीफ व्हिप (व्यवधान) आप बीच में खड़े हो जाते हैं, मैं आसन की परमीशन से खड़ा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कमेटी यही तो करेगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह अपनी बात ही तो कह रहे हैं कोई उत्तेजना तो पैदा कर नहीं रहे। उनके मन में कोई बात है वह गृह मंत्रीजी के सामने रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाम नहीं लें... (व्यवधान) दूसरा बोलेगा आप रोक नहीं सकते। आप अगर सौहार्द कायम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित रहेगा, वैसे आप बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो रामनारायणजी को बधाई देता हूं, आज आपका नाम अखबार में पढ़ा कि आप यहां आगे आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको शर्म आनी चाहिए, बधाई देने की बात कर रहे हैं। लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या हो रहा है, क्यों खड़े हो रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो सौहार्द का वातावरण बनाने की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ है सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : समिति बनाई जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी अध्यक्षता में हमने कहा कि आप जो विचार करें, यह सारी कमेटी के सामने की बातें... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसके लिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सहजता के साथ बात को स्वीकार किया था...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : संयम लोढा ने कोई अनहितकारी बात नहीं कही है। सदभावना आप भी बनाए रखें।

श्री बंशीलाल खटीक : सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और यह... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : बात वहीं खतम हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : बात वहीं खतम हो जाती।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों उठे थे ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ सरकार से, कमेटी वहां पर दूध की व्यवस्था करेगी, कमेटी वहां पर गेंहू पिसवाएगी, अगर सरकार से यह फरियाद कर रहे हैं कोई पाप कर रहे हैं हम ? (व्यवधान) आपका यह क्या तरीका है, हम नियमों के माध्यम से आए हैं आसन की इजाजत से बोल रहे हैं। आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करें। आपने जब कहा कि उनका हर कदर बहिष्कार कर दिया कि उनको दूध की, सब्जी की, आटे की परेशानी हो रही है, तो माननीय गृह मंत्रीजी यह समिति कुछ फैसला करें, दोनों को बिठाए उससे पहले ऐसी व्यवस्था कर दें वहां पर, चाहे सरकार की तरफ से कोई जाए चाहे कोई और हो, कि उनको यह सब चीजें, जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं वह उपलब्ध हो जाए। वो कर दीजिए। ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं अभी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिए तो सही। आप सुनते नहीं है, बीच में खड़े हो जाते हैं। बीच में बोलने लग जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हम नहीं (व्यवधान) सारे वातावरण को सत्ता पक्ष बिगाड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूं। इधर भी कह रही हूं, उधर भी कह रही हूं (व्यवधान) अब आप क्यों खड़े हो गए ? माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं, व्यवस्था करना चाह रहे हैं। आप यूं ही खड़े हो रहे है। क्या कहेंगे (व्यवधान) उनको कह लेने दीजिए वह क्या कह रहे हैं, व्यवस्था की बात ही तो कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स (व्यवधान) बिगाड़ना चाहते हैं। यह बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने प्रस्ताव रखा, सी.पी. जोशी ने समर्थन कर दिया, यहां तालिया बज गई उसके बाद... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको आगे की कुर्सी पर बिठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आपको आगे की कुर्सी पर बिठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आपको आगे की कुर्सी पर बिठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बिगाड़ना चाहते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके हाथ में क्या है बिगाड़ना, आप तो खुद की सुरक्षा बनाए रखो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उत्तरदायित्व इनका है कि उसको सुधारे।

श्री अध्यक्ष : हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य, आप किसी की सुनना नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्रीजी (व्यवधान) अब आप बीच में, अब आप गृह मंत्रीजी को सुनें, आप गृह मंत्रीजी को सुनें। आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और आपका जो इशारा है मैं यहां सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद व्यक्तिगत कजरालिया और दोनों जगह जाकर जो समस्या वहां आ रही है मैं बैठकर उसको आज ही सुलझा करके, अभी जाऊंगा। मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में शांति, अमन चैन, कायम हो। कहीं किसी की अगर गलती रही है उसके अनुसार जो भी हमको करना होगा वह भी हम करेंगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे उसमें आपका सहयोग भी मैं चाहूंगा।

मैं आपको पूर्णत: इस नये वर्ष के शुभ दिन अन्तरात्मा से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में शांति, अमन-चैन कायम रहे उसमें आप जहां भी, मेरा जो भी उपयोग चाहें, आप अगर व्यक्तिगत भी कहेंगे तो मैं उसके लिए हर समय तैयार हूं। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में शांति, अमन-चैन को कायम करने में और आगे भी उसको बढ़ाने में हम सफल हो सके। मैं आज यहां से बिजनिस शुरू होने के बाद, व्यक्तिगत उस गांव में भी जाऊंगा। दोनों जगह जा करके जो कुछ मैं आज कर सकता हूं वह मैं करूंगा। जो कमेटी आप गठित करेंगे वह कमेटी गठित करने के बाद हम कहेंगे हम लोग जाकर वहां और भी प्रयास कर लेंगे, कमेटी के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान) सब कुछ कह तो दिया, अब क्या कहेंगे। सारी बात तो कह दी उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामलाल जाट (बनेडा) : वहां अभी दाह संस्कार नहीं हुआ है। बॉडी को लोग नहीं ले रहे। वहां यह पुलिस को तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट अलाउड, कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : हमको काम करना चाहिए प्रदेश में शांति बहाली के लिए जो माननीय गृह मंत्रीजी ने प्रस्ताव दिया और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं, हो गई बात।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि पूरे सदन को एकजुट होकर, इसमें समर्थन लेकर शांति व्यवस्था बहाली.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात हो गई थी। आसन पैरों पर है। आप ध्यान नहीं रखते हैं, कल ही आपको कहा था। परसों आपको कहा, आसन जब पांवों पर हो तो आपको अपने स्थान पर ही बैठे रहना चाहिए। (व्यवधान) फिर खड़े हो गये, यह क्या बात हुई।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। पहले भी मेरे को चेतावनी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : अब भी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो आप। अवहेलना अब भी कर रहे हो।

अब पर्ची के ऊपर, वैसे तो पर्चियों पर भी जो-जो पर्चियां आयी हैं कोई इस तरह के विषय नहीं हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रिसेण्ट इवेंट के ऊपर पर्ची दी जाती है लेकिन अब 2-2 मिनट का समय मैं आपको पर्ची पर बोलने के लिये दे रही हूं।

श्री तगाराम चौधरी। तगारामजी, आप हमेशा इस तरह का मामला उठा देते हैं यहां पर जिसका ताल्लुक ही नहीं होता है। खैर, बोलिये दो मिनट के लिये, हां बोलें आप।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ताल्लुक तो...

श्री अध्यक्ष : अब आप ताल्लुक पर नहीं, अपनी पर्ची पर आएं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रेतीले टीबों के स्थान परिवर्तन से रेगिस्तान का विस्तार

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपकी आज्ञा से, मेरे वहां पर ऐसी रेतीले टीबों ने हरकत कर रखी है विधान सभा क्षेत्र में, जो किसानों के तो खेत दब रहे हैं, ढाणियां दब रही हैं और सरकार की रोडें और टेलीफोन के तार भी दब गये हैं। हवा चल रही है और रेत बहुत बढ़ गयी है, टीबे बहुत बढ़ गये हैं। उनके लिये मैं निवेदन करूं कि....

श्री अध्यक्ष : अब महिला उद्योग संस्थान की स्वीकृति के बारे में बोलो आप। आपकी पर्ची तो इस सम्बन्ध में है।

श्री तगाराम चौधरी : मैं आपके माध्यम से पर्ची पर निवेदन करूंगा कि महिलाओं के उत्थान के लिये, महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाएं कुछ सीखें इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वह, कल मेरे को बोलने का अवसर नहीं मिला इसलिये... (व्यवधान) आपने फरमाया पर्ची थोड़ी लाइन से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी आज हैं नहीं यहां। उद्योग संस्थान तो उद्योग मंत्री के जिम्मे हैं, उनके जिम्मे थोड़े ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तगारामजी की बात हम सब लोग नोट करते हैं।

श्री तगाराम चौधरी : यह उच्च शिक्षा पर नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष : हां, उच्च शिक्षा पर नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी : पोलीटेक्निक कालेज और आई.टी.आई., वह देवनानीजी तो कह रह थे, मेरे अण्डर में है।

श्री अध्यक्ष : हां, है। महिला उद्योग संस्था से आपका तात्पर्य महिलाओं के पोलीटेक्निक से है क्या ?

श्री तगाराम चौधरी : आई.टी.आई. से है।

श्री अध्यक्ष : आई.टी.आई. से है तो ठीक है, बोलें।

श्री तगाराम चौधरी : तो मेरा निवेदन यह है कि बायतू के इर्द-गिर्द बालिकाएं ज्यादा पढ़ रही हैं और मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को, शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बार बालिकाओं, सीनियर विद्यालय, बरसों से दसवीं था, उसको आपने सीनियर किया है। उसमें इतनी बालिकाएं पढ़ रही है और आस-पास के जितने मेरे क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें भी, साधारण विद्यालयों में भी आधी बालिकाएं और आधे बालक हैं इसलिये उस क्षेत्र में महिलाओं को उद्योग का प्रशिक्षण मिले, आई.टी.आई. के माध्यम से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से तो महिलाओं के आगे बढ़ने में बहुत ही बल मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, कल मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, आज भी देर से ही सही, लेकिन एक महिला आई.टी.आई. बायतू में आप स्थापित करवा करके महिलाओं के उत्थान के लिये सहयोग दिलावें, यही मेरी प्रार्थना है। पर्ची पर थोड़ा-सा बोला हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : तगारामजी के बारे में यह सोचा जा सकता है कि वह ऐसा करेंगे। 20.2.2004 को निकली हुई जो अधिसूचना है उस पर आपने अपनी पर्ची दी है, यह रिसेण्ट इवेंट है क्या ? 14 महीने पहले का मामला है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां. 20 फरवरी, 2004 को।

श्री अध्यक्ष : हां, 20 फरवरी, 2004।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां तो ताजा ही है साहब यह तो।

श्री अध्यक्ष : ताजा है, क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो गलती हो गयी। अध्यक्ष महोदय, सही है, लेट मामला नहीं उठाना चाहिए था। फिर भी मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान।

श्री अध्यक्ष : फिर आप इतने दिनों बाद क्या दिलाओगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब बोलना तो पड़ेगा ना।

श्री अध्यक्ष : 15 महीने बाद क्या ध्यान दिलाओगे आप। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय सदस्य, छोड़ो, आप बैठ जाओ। (व्यवधान) सीनियर सदस्य हो आप तो। सीनियर सदस्य क्या बोलेंगे इस पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो आप वन पर और खनिज पर बोलना। अब तो आप वन पर और खनिज पर बोलना। (व्यवधान) इस पर क्या बोलेंगे आप। स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसमें जो रिसेण्ट इवेंट हुआ है, वह एक सैकिण्ड सुनें आप। (व्यवधान) तसल्ली रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्षजी की इतनी प्रताड़ना के बाद भी खड़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको तो रोज ही पड़ती है तो ही असर नहीं है। आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं।

इसमें जो संशोधन निकला है वह 18.2.2005 को निकला है।

श्री अध्यक्ष : तो आपने तो इसमें 2004 लिख रखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अधिसूचना 2004 में जारी हुई है लेकिन जो संशोधन हुआ है वह 18.2.2005 को किया है इसलिये यह ताजा घटना इस प्रकार बनती है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी घटना दो महीने पुरानी हो गयी। (व्यवधान) फिर भी घटना दो महीने पुरानी हो गयी।

ट्यूरिस्ट परमिट के नाम पर पथ कर में छूट

श्री हरिमोहन शर्मा : जब आप सभी को साल-साल पुराने पर इजाजत दे रहे हैं तो 2 महीने तो बहुत छोटा सा मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिसूचना जो परिवहन विभाग ने निकाली है वह इसलिये निकाली, इस आधार पर निकाली है कि वह राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर उनको सुविधा देने का दृष्टिकोण इन्होंने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह जो अधिसूचना निकाली है और इस अधिसूचना के माध्यम से टूरिस्ट परमिट के नाम से 30 से अधिक संख्या वाली बसों को 50 प्रतिशत इन्होंने पथकर में छूट देने का निर्णय लिया है। अब 50 प्रतिशत छूट देने का मतलब यह है कि जो 30 से अधिक यात्री आयेंगे उनमें जो बसें चलने वाली हैं जो राजस्थान रोडवेज के मुकाबले में रोज टूरिस्ट परमिट के नाम से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खड़े होकर बात नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो रोज टूरिस्ट परमिट के नाम से जो कांट्रेक्ट कैरिज बसें चल रही हैं, जिसमें एयर कंडीशनर और हीटर फिट हों, उनको इन्होंने 50 प्रतिशत की छूट दी है। मेरा अनुरोध है कि अगर टूरिस्ट परमिट के आधार पर टूरिस्ट को जोडने का, टूरिस्ट को यहां पर ज्यादा लाने का, टूरिस्ट को सुविधाएं देने का सवाल है तो एक और तो कांट्रेक्ट कैरिज परमिट के आधार पर इतनी संख्या में जो सवारियां हैं उनको तो आपने यह लाभ पहुंचाया है, बड़े-बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया है। लेकिन जो टूरिस्ट परमिट के लिये जो एयर कंडीशनर टाटा सूमो, छोटी-छोटी जो गाडियां हैं, इण्डिका, दूसरी जो क्वालिस गाडियां हैं इनमें एयर कंडीशनर जब लगे हुए हैं तो आपने बड़े परमिटों को अगर कोई 5 लोग आयें यात्रा करने के लिये, कोई चार लोग आयें, कोई टूरिस्ट जो आते हैं इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आना जरूरी नहीं है। 5 आयें, 7 आयें लेकिन आपने जान-बूझकर के इस रोडवेज को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से यह कांट्रेक्ट कैरिज परमिट उस टूरिस्ट परमिट के नाम पर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चले, अगर आपकी नीयत यह है तो वह चाहे नाथद्वारा हो, चाहे वह कांकरोली हो, चाहे वह कोटा हो, चाहे वह बूंदी हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, चाहे जयपुर हो और चाहे रणथम्भौर हो, चाहे सरिस्का हो, इन स्थानों पर जो छोटे वाहन हैं और एयर-कंडीशनर वाहन में है तो आपने इनको छूट क्यों नहीं दी। इनको तो प्रतिमाह लगभग 11 हजार रुपये का पथकर में लाभ होता है। बड़ी बस वालों को और वह रोज-रोज, आप देखना, टूरिस्ट परमिट के नाम से इस राजस्थान रोडवेज को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से रोज धड़ल्ले से चल रही हैं और आपने एक अधिकार दे दिया चैक करने का कि रास्ते में आदमी उसको चैक करे कि इसमें एयर कंडीशनर कितने वोल्यूम का लग रही है, कितने वोल्यूम का हीटर लग रहा है। अगर उस वोल्यूम का नहीं निकला तो आप कहोगे कि चालान उसका कर देने का अधिकार जिन अधिकारियों को दिया है वह इस नाम से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। इनके पास कोई वोल्यूम नहीं है नापने का कि एयर कंडीशनर का कितना वोल्यूम क्या होगा, हीटर का क्या होगा। एक और भ्रष्टाचार के बढ़ावा और एक और अगर आप टूरिस्ट को बढ़ावा देना ही चाहते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कांट्रेक्ट केरिज परमिट को भले ही आप इन बड़ी बसों को भी दो लेकिन जो छोटे-छोटे लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं और जो टूरिस्ट का 4-4, 3-3 का ग्रुप है, इनको भी इस प्रकार की छूट सरकार दे तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिये आपका एक अच्छा कदम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू, वेरी मच। श्री जयराम जाटव।

अलवर और भरतपुर में गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने की मांग

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर दो जिलों में जिसको गैर खातेदारी भूमि कहते हैं, कस्टोडियन, यह मुद्दा लगभग आजादी के बाद में जो खातेदार मौके पर नहीं है, रिकार्ड में लेकिन काबिज आज तक भी उस जमीन पर बैठे हैं। इस जमीन का बीच-बीच में राज्य सरकारों ने संशोधन कानून बनाकर कई बार निस्तारण करने की चर्चा की। कल माननीय धर्मपालजी ने भी इस विषय को 295 पढ़कर सुनाया था।

(श्री जयराम जाटव)

दिनांक 26.5.2004 को माननीय सार्वजनिक मंत्री की अध्यक्षता में यह जो बैठक हुई, यह जमीन पाकिस्तान से जो पलायन करके आजादी के बाद जो लोग हिन्दुस्तान में आये उनके गैर खातेदारी भूमि, कस्टोडियन भूमि अलाट की थी। उनके साथ-साथ 1975 से 77 के बीच में अलवर और भरतपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी तीन-तीन, चार-चार बीघा भूमि उन लोगों को अलाट की गयी जो भूमिहीन थे। बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आज तक उनको खातेदारी का हकूक नहीं मिला। अब तक राज्य सरकार ने 625 रुपये प्रति बीघा उसकी कीमत और 625 रुपये प्रति बीघा उनका ब्याज, यह कीमत जमा करके सनद दे दी गयी। मात्र इसमें जो कमजोरी है, खातेदारी राइट देने के लिए उनको सनद देने के लिए व्यवस्था की बात की गयी। अलवर और भरतपुर जिलों के साथ इस तरह की भूमि में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बाकी इस तरह की भूमि कई जिलों में और थी लेकिन उन जिलों का निस्तारण कर दिया गया और इसमें आज भी जो सबसे मोटी परेशानी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को है। आजादी के बाद में अब तक जो भी इस प्रदेश में सरकारें राज़ करती रही, उनके कैम्प रखे गये, "प्रशासन गांव के संग", "समस्या समाधान शिविर", अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात जरूर कही गयी लेकिन आज तक उनको खातेदारी का राइट नहीं मिला। जो व्यक्ति, एक सबसे बडी तकलीफ जो हुई, अभी मैं बता रहा था जो 26.5.2004 को जो नियम बनाया उसमें डी.एल.सी. की रेट रखकर उसका 25 परसेंट वे कीमत जमा कराये। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, राजस्व मंत्रीजी से करो, राजस्व मंत्रीजी से करो आप यह निवेदन।

श्री जयराम जाटव : कोई भी गैर-खातेदार जो जमीन का मालिक है वह इतनी कीमत जमीन की जमा कराने में सक्षम नहीं है। यह आब्जैक्शन पहले भी आया था और तीन-तीन, चार-चार बीघा जमीन जिसको अलाट हुई है, कितना पैसा होता है, जो 625 रुपये प्रति बीघा जमीन की कीमत और 625 रुपये प्रति बीघा ब्याज था उसी के आधार पर अगर इस तरह का कानून बना दिया जाए तो जो गैर-खातेदारी भूमिहीन जमीन के जो लोग हैं उनको खातेदारी

(श्री जयराम जाटव)

का राइट मिल जाए। मेरा यह आब्जैक्शन भी है कि जो कस्टोडियन भूमि की जमीन के लिए डी.एल.सी. की रेट की जो 25 परसेंट कीमत जमा कराने या कानून बनाया है, उसको निरस्त किया जाए और दुबारा से उनको उसी कीमत से पैसा जमा करके जो गांव में "प्रशासन गांव के संग" या "समस्या समाधान शिविर" के द्वारा तहसीलदार, एस.डी.एम. साहब वहां पर मौके पर पटवारी कब्जे की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के माध्यम से, वहीं उनकी कीमत जमा कर उनको खातेदारी के राइट दे दिये जाए। यह समस्या बहुत लम्बे समय से चल रही है। इस अलवर और भरतपुर के अलावा कई जगह पर मामला और भी था उसमें बीकानेर भी था, आपके गंगानगर भी था लेकिन उनका मामला सुलट गया 2002 में और हमारे अलवर और भरतपुर जिले के लिए इसमें खास परेशानी कई तरह की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा से इसका मंत्रिमण्डल में प्रस्ताव लेकर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री जयराम जाटव : इसकी कमेटी दुबारा गठित की जाए और अलवर और भतरपुर जिले के गैर खातेदारी भूमिहीन जमीनों को, उनके खातेदारी के राइट मिलने के लिए कानून बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन इसी पर है। खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य ने, सहायता मंत्रीजी, बात रखी है। यह बात सही है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आये थे उनको यह जमीन अलाट हुई थी। बगैर कीमत के भी दी थी। 600 रुपये लिये बगैर गैर खातेदारी के अधिकार दे दिये थे और वे लोग इस जमीन को लोकल काश्तकारों को बेचकर आज से चालीस-पैंतालीस साल पहले बेचकर रजिस्ट्री के थ्रू, चले गये लेकिन क्योंकि गैर खातेदारी दर्ज था तो इनको खातेदारी नहीं मिली। अब इन लोगों से वापस पैसा लिया जाना और आप एक बात बताइये सहायता मंत्रीजी, आप खुद किसान हैं, जो लोग पचास साल से इस जमीन पर काश्त कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज वे आपको पैसे देंगे?, बिलकुल नहीं देंगे। यह गैर-व्यावहारिक कदम आपने उठाये हैं। जो लोग 40-50 साल से, जो किसान उस खेत को बो रहे हैं, जोत रहे हैं आज उनसे आप पैसे ले रहे हैं। इस आधार पर क्योंकि रिकार्ड में गैर-खातेदारी है। खातेदारी नहीं चढ़ी, यह बिलकुल सरासर गलत है। अध्यक्ष महोदय, किसानों

(श्री जुबेर खान)

के साथ ज्यादती है इस पर आप पुनर्विचार करिये और आपने सदन में कहा था, हमने यह मामला उठाया था, माननीय सदस्यों को इसमें सलाह देने के लिए बुलाया जाएगा। आपने हमको बुलाया नहीं और अधिकारियों के माध्यम से और यह संसदीय मंत्रीजी तो खुद ही काम बिगाड़ने में माहिर रहते हैं।... (व्यवधान)...

श्री जयराम जाटव : हमने राय दी थी वह सलाह नहीं मानी हमारी।

श्री जुबेर खान : इनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग करवायी है, उसने सरासर गलत किया है। जन-प्रतिनिधियों के सुझाव लेकर इस पर पुनर्विचार करिये।

डा. **किरोड़ी लाल मीणा** : जवाब दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण मामला है इसमें इसलिए आप कभी इस बारे में बैठकर क्या निष्कर्ष आपका निकलेगा, वह करियेगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मंदिर की जमीन पर आप देखो कितने लोग वर्षों से काश्त कर रहे हैं और हमारे किठाणा गांव में 9000 बीघा जमीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह श्री सुरेश मीणा की भी एक पर्ची है। सरिस्का अभ्यारण्य में वन जीव की समस्या के बारे में। चूंकि आज वन और पर्यावरण की ही मांग है और उस पर विशद रूप से आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का इसलिए दुबारा आप क्यों कहेंगे, उसी समय कह दीजिए, आप उस समय कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह को मैं निवेदन करूंगी कि यदि वे कुछ कल के बारे में कन्फयूजन हो गया था एस.सी. के कनेक्शन के बारे में, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना वक्तव्य दें तो दे दीजिए।

स्पष्टीकरण

श्री गजेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री ऊर्जा, का स्पष्टीकरण

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जीरो ऑवर में हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जो इश्यू

(श्री गजेन्द्र सिंह)

रेज किया था, वह कोई इश्यू नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं कि कल जब यह प्रश्न उन्होंने उठाया था सदन में उस टाइम मेरे पास पूरे दस्तावेज नहीं थे। हमारा जो टार्गेट है 60000 डिमांड नोटिसेट प्रतिवर्ष। वह हम अचीव कर चुके हैं और अगले दो साल में भी 60000-60000, यानि 180000 हम ऑन टार्गेट चल रहे हैं। जब यह विषय उठाया गया, हमारी सरकार एस.सी., एस.टी. के बिलकुल जो भी हमारी नीतियां हैं उनके फेवर में है और हमारी सरकार ऐसा कोई विचार नहीं करती है, जिनसे उनको हानि पहुंचे। जब इन्होंने यह विषय उठाया तो मेरा इमीजिएट, प्राइमाफेसी जो मेरा रीएक्शन था, हमने कहा था कि जो भी कोई नोटिसेज जो इश्यू नहीं किये हैं, वे इश्यू कर दिये जायेंगे और यदि ऐसा कोई नोटिस आया है तो उसको विद-ड्रा किया जाता है। यह इन्होंने हमारी सरकार के अगेंस्ट यूज किया और जब मेरे पास दस्तावेज आये तो मैं आपके सामने यह लाना चाहता हूं कि हमारा जो पहला नोटिस है, 17.11.2004 का, मेन सीजन चालू था और हमारे जो आन टार्गेट थे, हम हमारे डिमांड नोटिसेज जो हम फुलफिल कर रहे थे, बिलकुल ऑन टार्गेट थे इसलिए हमने सोचा कि मैटीरियल मैनेजमेंट के लिए हम, एक बार किसान जब डिमांड नोटिस भर देता है, उसके पैसे दे देता है तो उसकी आशा बंध जाती है कि उसको कनेक्शन तुरन्त रिलीज कर दिया जाएगा इसलिए हमने डिमांड नोटिसेज इश्यू करना बंद कर दिया। हमारा एक 17.11.2004 का एक जो नोटिस है, उसमें यह है- "On review of the petition regarding the deposition of demand notice, it is observed that sufficient number of applicants have deposited their demand notices. In review of this it is hereby instructed that at present issuance of demand notes to the agriculture category consumers including shifting except...."

अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप यह नोट करियेगा-

"...except for Scheduled Castes consumers be stopped till further instructions."

मतलब, हमारा यह जो 17.11 का नोटिस है, इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि सब जितने भी डिमांड नोटिसेज हैं, सबके रोके जाए। except for Scheduled Castes.

इसके पश्चात हमारा जो प्रेसर है वह कम नहीं हुआ तो एक दूसरा जो नोटिस है 23.11.2004, जो हमने इश्यू किया, उसके अन्दर जो लिखा था-

(श्री गजेन्द्र सिंह)

"Hence in continuance to this office letter No. 338 dated. 17.11.2004 it is hereby instructed that issuance of demand notices to the Scheduled Castes agriculture applicants be also stopped till further instructions." मतलब यह जो नोटिस है, यह नहीं कहता है कि उनके लिये डिमांड नोटिसेज एकदम खाली उनके लिये रोक दिये जायें, मतलब इन-कन्टीनुअस जो है यह हमारा है दूसरा। तीसरा इसके बाद जो फाइनल हमने निकाला है। 26.2.2005 के अन्दर

"The decision has been taken in the 80th Coordination Committee's meeting held on 31.1.2005 and appears at point No. 80.30 of the minutes of the meeting that the further demand notices for agriculture connections as per the cut off date may be issued as per the need. A such further demand notices for agriculture connections may be issued as per the need."

यह है अध्यक्ष महोदय, 26.2.2005, इन्होंने जो इश्यू रेज किया, कल एक्चुअली यह इश्यू था ही नहीं, क्योंकि डिमांग नोटिसेज खोल दिये हैं। किसी के लिये बेन नहीं है। तो मैं क्लियरिफिकेशन आपकी अनुमति से देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके साथ-साथ आप यह भी बता दें कि वह प्रतिवेदन इतने लेट आते हैं। मैंने कहा था कारण बताइये, तो कारण बता दीजिये, (व्यवधान) आपके पास अभी नहीं है क्या जवाब ? (व्यवधान) अभी यदि आपके पास कारण नहीं है तो कल बता दीजियेगा, लेकिन बता दीजियेगा। (व्यवधान) सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 एवं 2003-04

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : भूजल मंत्री का भी रखें।

राजस्थान जल विकास निगम लि. का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लि. का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा, याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में महिला विद्यालय की स्थापना

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शहरी भाग में महिला महाविद्यालय खोलने के बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी, याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

डा. किरोड़ी लाल, आप ओलावृष्टि के बारे में अपना वक्तव्य दीजिये।

सूचना का प्रश्न

अजमेर पेयजल की किल्लत

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : पाइंट आफ इन्फार्मेशन। पूरे शहर में पानी की एक बूंद नहीं। बीसलपुर पाइप लाइन चार बार टूट चुकी है और सरकार इसको लेकर बिलकुल चिन्तित नहीं है और वहां एक आदमी को 10 रुपये में एक बाल्टी परचेज करनी पड़ रही है तो कृपा करके सरकार को निर्देश दें कि अजमेर की गहराती पेयजल व्यवस्था को, और आज जो अखबार वालों ने समाचार दिया है, वहां के जलदाय विभाग के बारे में, इससे लगता है कि अगले चार दिन पानी नहीं आयेगा और इसके लेकर अजमेर शहर की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार कोई व्यवस्था करे और उचित होगा कि वह यह बताये कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह जलदाय मंत्री महोदय आज उसी काम में लगे हुए हैं वहां मुख्य अभियन्ता, जलदाय विभाग पहुंच चुके हैं और युद्धस्तर पर पाइप लाइन को ठीक करने के लिये यह परसों से योजना बनाकर और योजना को मूर्त रूप दिये जाने की सारी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा सरकार इस पर चिन्तित है और सारे आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री अध्यक्ष : ओलावृष्टि पर वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

डा. किरोड़ी लाल (सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपका आदेश हुआ कि राजस्थान भर में जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण जो नुकसान हुआ, उसकी जानकारी

(डा. किरोड़ी लाल)

सदन को दी जाये तथा क्या कदम सरकार ने उठाये, उसकी जानकारी भी सदन को दी जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब की बार आपने देखा कि राजस्थान प्राकृतिक आपदाओं से घिरा प्रदेश रहा है। 16 अगस्त से 25 अगस्त तक अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई जिसमें भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, पाली, बांसवाड़ा, झालावाड़ में भारी नुकसान हुआ। उससे सरकार ने तत्परता से उसमें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओलावृष्टि की बात से आप तो बाढ़ पर आ गये।

डा. किरोड़ी लाल : आ रहा हूं, आ रहा हूं। कार्य किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है अकाल की छाया आ गयी और 32 में से 25 जिलों में अकाल पड़ा जिससे 18,613 गांव प्रभावित हुए और उनमें अकाल के काम चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से 19 जिलों में काफी नुकसान हुआ है और आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब झुन्झुनूं में ओलावृष्टि हुई थी तो मैं मौके पर पहुंचा था और मैंने आपको फोन से निवेदन किया था। वहां की जानकारी भी मैंने आपको फोन द्वारा दी थी। मैं ही नहीं गया, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री छह जिलों में ओलावृष्टि का जायजा लेकर आई हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके रूबरू पीडित किसान पक्ष से मिलकर आई हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा जिलों में मैंने घूमा है और किसानों के बीच जाकर उनका दु:ख दर्द सुनने के बाद में हमने कुछ राहत राजस्थान के किसानों को दी है। राज्य में माह फरवरी में और मार्च में 19 जिलों में व्यापक ओलावृष्टि से 2231 गांव प्रभावित हुए जिसमें से 1329 गांवों में रबी की फसल में 50 प्रतिशत से अधकि खराब हुआ जिससे राज्य की 2 लाख 14 हजार 485.85 हैक्टेयर भूमि फसल खराबे से प्रभावित हुई जिसकी क्षति की अनुमानित कीमत 432.52 करोड़ रुपये संभावित है तथा राज्य के 2 लाख 252 किसान इससे प्रभावित हुए। विभिन्न जिलों में जो ओलावृष्टि के स्पैल्स आये, अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी ओर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 5 फरवरी, 2005 को चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं सीकर, 6 फरवरी, 2005 को बीकानेर, चूरू एवं झुन्झुनूं, 7 फरवरी, 2005 को हनुमानगढ़ और झुन्झुनूं, 9-10 फरवरी, 2005 को अजमेर, बीकानेर एवं गंगानगर 15 फरवरी, 2005 को बीकानेर, 3 से 10 मार्च, 2005 तक अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चुरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर,

(डा. किरोड़ी लाल)

झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं टोंक, 20 मार्च, 2005 को गंगानगर, बीकानेर एवं सीकर और 22 मार्च, 2005 को गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि हुई और उसके कारण भारी नुकसान हुआ और इस नुकसान को हमने आंखों से देखा है। बिलखते हुए किसानों को, गांव के गरीब मजदूरों को और उसके आधार पर हमने कदम उठाये। अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा हुआ है जैसे परोसी हुई थाली को किसी भूखे व्यक्ति के सामने से खींच ले, उस ढंग की स्थिति इन जिलों में हुई है। इन जिलों में बहुत अच्छी फसल थी और फसल में जो नुकसान हुआ है उसके कारण किसानों का दुःखी होना वाजिब था। तो आज हमारे विभाग ने कार्यवाही की है। उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माह फरवरी प्रथम पखवाड़े में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान एवं गिरदावर आदि की रिपोर्ट भिजवाने हेतु 7.5.2005 को सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये। जिला कलक्टर्स से सूचना उपलब्ध होने पर जिला कलक्टर अजमेर, सीकर, झुन्झूनं, चूरू, गंगानगर, को दिनांक 19.2.2005 को 20 लाख 72 हजार रुपये आबंटित किये गये। ओलावृष्टि से जहां पर भी 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है उन किसानों को वर्षा पर आधारित फसलों हेतु एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर एवं सिंचित फसलों हेतु ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा जिन क्षेत्रों में दो वर्ष से लगातार अकाल पड़ रहा है वहां बड़े कृषकों को एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और अधिकतम दो हैक्टेयर तक शीघ्र अनुदान राशि वितरित करने के निर्देश 9.3.2005 को विभाग द्वारा जारी किये गये। जिस काश्तकार द्वारा अपनी स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि कुल रकबा आदि सीमांत कृषक तथा लघु कृषकों के लिए धारित रकबा अनुसार हो उसे लघु एवं सीमांत कृषकों अनुसार कृषि अनुदान स्वीकृत किये जाने के आदेश भी हमने जारी किये।

जिला कलक्टर को यह भी अधिकृत किया गया है कि उनके पास सहायता विभाग में किसी मद में जो भी राशि उपलब्ध है उससे सहायता का वितरण तुरन्त कर दिया जाए तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सूचना तुरन्त भिजवायी जाए।

दिनांक 5.3.2005 को आकाशीय बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि से मृतक के आश्रितों को सहायता राशि दिये जाने बाबत निर्देश दिये गये। दिनांक

(डा. किरोड़ी लाल)

14.3.2005 को विभाग ने 18 जिलों को 40 करोड़ रुपये सहायता राशि वितरण करने हेतु आबंटित किया। दिनांक 14.3.2005 को ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के लिए फेमिन कोड के पैरा सात डी के अनुसार सभी जिला कलक्टर्स से सूचना चाही गयी। 116 जिलों के 988 गांवों को दिनांक 24.3.2005, दो जिले गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के 175 गांवों को दिनांक 2.4.2005 एवं सीकर जिले के 48 गांवों को अर्थात् कुल 16 जिलों के 1201 गांवों को पैरा सात डी की रिपोर्ट के आधार पर हमने अभावग्रस्त घोषित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में 16.3.2005 को एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा है उन गांवों में राहत कार्य खोले जाएं। इसके लिए जिला कलक्टर से गिरदावरी रिपोर्ट मंगवायी जाकर उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाए तथा सहायता कार्य चालू किये जाएं। इन जिलों में सीमांत एवं लघु किसान, जिनके अपने निजी कुएं हैं उनके चालू दो माह के बिल माफ किये जाएं। इस हेतु विद्युत कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जायेगा। केन्द्र सरकार को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि की मांग के लिए ज्ञापन भिजवाया जाए।

(समय : 11.53 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार ओलावृष्टि के सम्बन्ध में भारत सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन...

श्री श्रवण कुमार : जंचते हैं न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो आगे बिठाना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : प्रतिपक्ष के नेता के रुप में आओ, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : चालू रखो चालू प्लीज, माननीय मंत्रीजी ।

डा. एन.एस. गुर्जर : अनुभवी आदमी हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं तो आप लोगों को आपत्ति क्या है ? बहुत अनुभवी हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं तो आप लोगों को आपत्ति क्या है ? इनसे बढिया व्यक्ति, व्यक्तित्व और योग्य आदमी कौन है आपके पास इस समय ?

श्री श्रवण कुमार : आपके मंत्री बनने से भी हमें तो कोई पीड़ा नहीं थी पर करें क्या ... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको तो विशेष कष्ट हो जायेगा अगर यह बन जायेंगे प्रतिपक्ष के नेता तो।

श्री श्रवण कुमार : यह बन जायेंगे तो मेरे को इससे बड़ी खुशी उस दिन कोई होगी नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अच्छी बात है अगर ऐसा है तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आप नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को पूछ लेना, बहिर्गमन कर के गये हैं आपकी उस बात का, अभी-अभी बहिर्गमन कर के गये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, हम को तो इस बात पर भी आपत्ति नहीं है कि आप सत्ता पक्ष का नेता इनको बनाओ तो भी।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो यहां बोल रहे हो, मन कुछ और है। मन में किसी और को बनाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इनसे योग्य कोई आदमी ही नहीं है, किसको बनाना चाहते हैं, बता देना।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैं लोढ़ाजी के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। वह किस को बनाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं।

श्री सभापति : प्लीज। मंत्री महोदय, प्लीज कन्टीन्यू।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बैठक में निर्णय लिये गये उसमें ओलावृष्टि के सम्बन्ध में भारत सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन 22.3.2005 को तैयार करके भेजा जिसके अनुसार राज्य के 19

(डा. किरोड़ी लाल)

जिलों में 2231 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए जिनमें से 1329 गांव में रबी की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक फसल का खराबा हुआ है। इन गांवों के कुल प्रभावित दो लाख 252 किसानों में से 75,452 सीमांत किसान तथा 58741 लघु किसान एवं 68059 अन्य किसान प्रभावित हुए हैं जिससे राज्य की 214485.85 हैक्टेयर की भूमि का जो मैंने पहले खराब बताया है और 432.52 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान है। ज्ञापन में 210.85 करोड़ रुपये तथा 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं की मांग की गयी है जो निम्न प्रकार है इनपुट सब्सिडी के नाम पर 99.14 करोड़, सहकारी बैंक के कर्जों के पुनर्भरण हेतु भुगतान की राशि 35.50 करोड़, बिजली बिलों के भुगतान माफ हेतु देय राशि 28.15 करोड़, असहाय सहायता राशि रुपये 48.6 करोड़। केन्द्र सरकार से यह भी मांग की गयी है कि किसानों के ओलावृष्टि के नुकसान को देखते हुए वर्तमान सी.आर.एफ. नोर्म्स में छूट दी जाए।

सभापति महोदय, वर्तमान में वर्षा पर आधारित फसलों के लिए एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा सिंचित फसलों के लिए ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर सहायता प्रावधान है जो बहुत कम है अत: केन्द्र सरकार से निवेदन किया गया है कि वर्तमान जो नार्म्स हैं उन्हें दोगुना किया जाए तथा अभी तक बड़े किसानों को कोई सहायता देय नहीं है अत: बड़े किसानों को भी उक्त प्रस्तावित राशि के आधार पर सहायता दी जाए। क्योंकि रबी के फसल के लिए खाद, बीज, पानी और सिंचाई में काफी लागत आती है अत: केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया है कि लघु एवं सीमांत किसानों को दो माह के बिजली के बिलों को माफ करने हेतु सी.आर.एफ. नोर्म्स से विद्युत कम्पनियों को राशि देने के लिए प्रावधान किया जाए।

किसान अपनी फसलों के लिए सहकारी विभाग से अल्पकालीन ऋण लेते हैं, क्योंकि किसान की फसल चौपट हो गयी है अत: वह ऋण चुकाने में असमर्थ है। अत: अल्पकालीन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए उन्हें 15 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी तथा सात माह का ब्याज जमा कराना आवश्यक है। उक्त राशि को सहकारी संस्थाओं को जमा कराने के लिए 35.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी अत: इस राशि को भी सी.आर.एफ. नोर्म्स में प्रावधान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया है।

(डा. किरोड़ी लाल)

क्योंकि किसान की सारी फसलें चौपट हो गयी ऐसी स्थिति में उन्हें रबी की फसल को खाने के लिए भी अन्न उपलब्ध नहीं हो सकेगा अत: ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन किया गया है कि ऐसे सभी परिवारों को माह जुलाई, 2005 तक 50 किलो ग्राम गेहूं तथा 600 रुपये नकद प्रतिमाह असहाय सहायता के रूप में देने के लिए भी सी.आर.एफ. नोर्म्स में प्रभावित परिवारों को छूट देने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो स्टैप्स लिये हैं उसमें राज्य सरकार ने दिनांक 24.3.2005 को राज्य के 16 जिलों के 928 गांव तथा दिनांक 2.4.2005 को 175 गांव तथा 6.4.2005 को 48 गांवों को, इस प्रकार कुल 1201 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि जिन किसानों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उन किसानों के प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को राहत कार्य के तहत दिनांक एक अप्रैल, 2005 से नियोजित किया जाए तथा जो जिले पूर्व से अभावग्रस्त घोषित हैं उन जिलों के किसानों को सिंचित खेती में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उन किसानों को भी प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 19 जिलों में 40 करोड़ की राशि का आबंटन किया है जिसमें से लघु और सीमांत कृषकों को कुल वितरण योग्य राशि 16.93 करोड़ रुपये देय होती है उसके विरूद्ध 13.14 करोड़ रुपये की राशि का वितरण ओलावृष्टि सें प्रभावित किसानों को किया जा चुका है तथा शेष वितरण योग्य राशि 3.79 करोड़ है जो कि झुन्झुनूं में 42.36 लाख रुपए, दौसा में 50.78 लाख रुपए, गंगानगर में 119.89 लाख रुपए, बारां में 72.02 लाख रुपए, चूरू में 11 लाख रुपए, धौलपुर में 12.19 लाख रुपए, कोटा में 14.02 लाख रुपए, सवाईमाधोपुर में 20.66 लाख रुपये, सीकर में 10.37 लाख रुपए एवं टोंक में 20.50 लाख रुपए है। अधिकांश राशि कृषकों को उपलब्ध नहीं होने का कारण किसान उपलब्ध नहीं हुए इसलिए नहीं दे पाए ताकि मैंने जो आपको आंकड़ा बताया उतनी राशि हमने वितारेत कर दी है। इन जिलों में सीमान्त लघु किसान जिनके अपने निजी कुएं हैं उनके चालू दो माह के बिल माफ किये जायेंगे। इस हेतु विद्युत कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा 28.15 करोड़ रुपए का पुनर्भरण किया जाएगा।

(डा. किरोड़ी लाल)

इस तरह की सहायता राज्य सरकार के इतिहास में, सभापति महोदय, पहली बार दी गयी है। किसान की बिजली के बिल माफ करने का निर्णय, राजस्थान में ही नहीं, आपदा में पुर्नभरण सरकार करेगी, यह हिन्दुस्तान में पहला निर्णय है राजस्थान की सरकार का।

सभापति महोदय, एक और निर्णय मैं आपको बता देना चाहता हूं, गंगानगर जिले में ओलावृष्टि जिले के खेतों में पानी और फसल के मलबे की वजह से दुर्गन्ध पैदा हो गयी तथा किसी प्रकार की महामारी नहीं फैले एवं वहां कि किसानों द्वारा कपास की फसल को समय पर बोया जा सके इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन किसानों को अपने खेतों की सफाई हेतु अकाल राहत के कार्यों के तहत मजदूर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। मजदूर किसान खुद लगाएगा, खुद खेत को साफ करेगा और प्रत्येक किसान को 584 रुपये प्रति बीघा दिया जाएगा। इस प्रकार से घड़साना और अनूपगढ़ के कुल 77,436 बीघा की सफाई कराने के लिए 339.16 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है। यह भी पहली बार है। बहुत ओलावृष्टियां हुई हैं, अतिवृष्टियां हुई हैं, फसल कभी किसान की नष्ट हो गयी तो पूर्व की सरकारों ने कभी चिन्ता नहीं की कि उसके मलबे को हटाने के लिए पैसा दिया जाए या किसानों को कुछ सहायता दी जाए। हमने किसानों को पहली बार सहायता दी है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपके स्टेटमेंट में जो आपने अंकित कर रखा है ना वही स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप और उसके ऊपर जो विश्लेषण है जब इधर के विचार सुन लें उसके बाद में कह देना सब बातें।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बता रहा हूं सारी जानकारी।

श्री सभापति : You are required to read this statement. उसके बाद यह सारी, फिर आप बहस शुरू कर देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप राजनीतिक भाषण नहीं दें, लिखा है जो पढ़ें।

श्री सभापति : आप अपना और जो दे रहे हैं रिएक्शन वह बाद में देना, आपका स्टेटमेंट सुना नहीं जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : जो मैं बोल रहा हूं इसको भी रख देता हूं वैसे बोल जाता हूं।

श्री सभापति : ऐसे नहीं, स्टेटमैंट को पढ़ो आप।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा कोई आप से एप्रूव नहीं है।

श्री सभापति : स्टेटमैंट पढ़ा जाता है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा स्टेटमैंट कोई एप्रूव नहीं है। मैं तो सदन में जानकारी दे रहा हूं तो सदन में यह जानकारी तो दूंगा की हमने पहली बार यह काम किया है जो पहले की सरकारों ने नहीं किया है। यह तो जानकारी दूंगा ताकि सदस्यों को पता लगे कि क्या-क्या काम हमने नये किये हैं।

श्री सभापति : इसको स्टेटेमैंट के रूप में ही दे रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप लिखित स्टेटमैंट में दे देते यह बात भी, कौन रोक रहा था आपको (व्यवधान) पढ़ो ना फिर आप। जो कुछ दे रहे हैं स्टेटमैंट में तो लिखा नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह लिखित में भी दे सकते हैं और जबानी भी दे सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार : कालीचरणजी आपको मालूम नहीं है किसानों की पीड़ा क्या है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपको बताएंगे, चिन्ता मत करो, चौथी बार आया हूं।

श्री श्रवण कुमार : आपको पता ही नहीं है आप जौहरी बाजार में रहते हो वहां घड़ाई होती है। मैं कहना चाहता था कि आपको मालूम है कि दो महीने में ही तो ओलावृष्टि हुई उसमें किसान ने मोटर चलाई ही नहीं तो बिल कहां से आएगा। आप छह महीने का बिल माफ करो तब मानेंगे हम आपको (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : किसानों की पीड़ा यह है कि क्षतिपूर्ति नहीं हुई है (व्यवधान) सभापति महोदय, केन्द्र से भी करवाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारी सरकार ने इस ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है (व्यवधान) आपकी सरकार ने कभी नहीं (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ऐसा है यह सूखे भाषण मत दो वर्ना तो मामला (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सूखे भाषण नहीं है (व्यवधान) आपकी सरकार जब चली और अकाल पड़ा, एक बार भी आपने कभी किसान का बिल माफ किया हो तो बता दो, कभी भी किसान का बिल माफ किया हो (व्यवधान) आज अगर आप किसान के हितैषी थे तो पिछली बार जब आप राज में बैठे थे तो आपने किसान के बिल बिजली के कितने माफ किये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अमेरिका के किसान मत बनो, भारत के किसान बनो। आप अमेरिका टाइप बात कर रहे हो ना।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप यह बता दो ना पिछली बार ओलावृष्टि में आज तक किसी सरकार ने कोई भी पैसा दिया हो तो वह बता दो आप।

श्री श्रवण कुमार : भारत सरकार दे रही है (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आज तक भी दिया हो तो बता दो (व्यवधान)

श्री सभापति : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, श्रवण जी, श्रवण जी...

श्री धर्मपाल चौधरी : आज तक भी किसी ने दिया हो तो...

श्री श्रवण कुमार : भारत सरकार दे रही है (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आज तक किसी ने नहीं दिया उसका पैसा, राजस्थान की सरकार ने पहली बार दिया है (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप देते तो छह महीने के बिल माफ करते (व्यवधान) आप छह महीने का बिल माफ करो, आपको हम जब मानेंगे छह महीने का बिल माफ करो (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किसान के बारे में राजस्थान में पहली बार इस सरकार ने सोचा है। आप कहां किसान की दुहाई देने वाले हो।

श्री श्रवण कुमार : भारत सरकार क्यूं दे रही है (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इस सत्ता पक्ष में पिछली बार जब थे (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : कोई पुण्य का काम कर रही है सरकार, देना पड़ता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने किसान के दुगुने दाम किये बिजली के (व्यवधान) बिल माफ करने की तो बात ही अलग है (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यहां उठाकर किसान को बांट रहे हो ना, ये ही तो कर रहे हो आप। यह भारत सरकार ...

श्री धर्मपाल चौधरी : किसानों के साथ जो दुर्गति की उसी का नतीजा है कि उधर बैठे हो आप (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, आपस में विवाद हो रहा है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने ओलावृष्टि के लिए जो कुछ किया है उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद पर अभी तक काश्तकारों की क्षति...

श्री सभापति : पहले मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट सुन लो उसके बाद धन्यवाद देना। मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य काफी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं झुन्झुनूं में भी गया था, डी.एल.ओज की मीटिंग ली थी, आप भी उसमें उपस्थित थे। आपने यह कहा था कि जल्दी से जल्दी जितनी सहायता हो उतनी दिलाओ और बिजली के बिल माफ करो। आपने कभी सत्ता में रहते हुए किसानों की चिन्ता की थी क्या बिजली के बिल माफ करने की ?

श्री श्रवण कुमार : आज भी यही कह रहा हूं। मैंने उस दिन आपको एक निवेदन किया था। आपने कहा कि मैं भाषण में आज कह नहीं सकता हूं।

(श्री श्रवण कुमार)

मैंने कहा अगर आप कुछ करना चाहते हो छह महीने के बिल माफ कर दो, हम सन्तुष्ट हैं। आपने कहा मैं आज इस बात की पुष्टि नहीं दूंगा, मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा उसके बाद कहूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी बात की मैंने पालना कर दी उसके बाद भी नाराज हो।

श्री श्रवण कुमार : कहां कर दी, दो महीने की करी, दो महीने का बिल माफ किया। वह तो ऊंट के मुंह में जीरा है।

डा. किरोड़ी लाल : उसका उपाय भी बता देता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने तो जीरा भी नहीं दिया। जीरे की बात करने लग गए अब आपको छह महीने याद आने लग गये और जब एक महीने का भी नहीं दिया। अब किसान बन गये आप।

श्री श्रवण कुमार : किसानों की गरीबी भूल गये क्या (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किसानों की दुर्गति की उसी से 156 में से 56 बैठे हो। हम किसान की बात उस समय भी बैठकर करते थे और आज की सरकार में हमने बिजली का दाम नहीं बढ़ाया (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह पांच करोड़ (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक अकाल पड़ा...

श्री श्रवण कुमार : हमने बुरा किया ना हम बैठे हैं (व्यवधान) अब आप कर रहे हो बुरा।

श्री धर्मपाल चौधरी : कभी एक भी बिजली का बिल माफ नहीं किया और आज किसानों की बात करने लग रहे हैं। आज किसान याद आ गया आपको, छह महीने की बात करने लगे।

श्री श्रवण कुमार : हमने बुरा किया ना इधर आ गये ना, अब आप कर रहे हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : आ गये तो हम अच्छा करने लग रहे हैं। हम अगर बुरा करेंगे तो (व्यवधान) वापस यहां की जनता जब चुनाव होंगे तब हमारे को बता देगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह कोई लिखा नहीं है (व्यवधान) राजा का राज नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजा का राज नहीं है। अगर हम गलती करने लग रहे हैं तो जनता समय पर बता देगी हमारे को।

श्री श्रवण कुमार : हां, बताएगी ना।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम आज यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहली बार ओलावृष्टि में पैसा दिया, दो महीने के बिजली के बिल माफ किये (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : छह महीने के बिल माफ करो।

श्री कालीचरण सर्राफ : बिजली का बिल कितना माफ किया था ?

श्री श्रवण कुमार : आप जौहरी बाजार से आते हो आपको मालूम नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, जौहरी बाजार से आते हैं (व्यवधान) इन्होंने कहां माफ किया, आपने कितना माफ किया था अपने समय में यह बताओ (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : स्टेटमेंट पूरा करा दो आप ताकि पूछ लें।

श्री सभापति : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, स्टेटमेंट आपकी तरफ से ही आ रहा है। कृपा करके आप तो सुनिए मेहरबानी करके (व्यवधान) सत्ता पक्ष का स्टेटमेंट है, मन्त्री महोदय बोल रहे हैं और आप ही उनको हस्तक्षेप कर रहे हैं बीच में। वह उधर मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य तो आपे से बाहर हो रहे हैं। फिर जौहरी बाजार से यह भी उछल पड़े आपके। यहां कहां ओले पड़े हैं, आपके यहां तो कोई ओले पड़े ही नहीं हैं। मन्त्री महोदय, कृपा करके अपनी बात कहें।

श्री सांगसिंह भाटी : एक सैकिण्ड, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यकाल में पुरानी सरकार ने किसानों के हित में जो कार्य किये, मैं उन काश्तकारों के हित की बात कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है कि आप परम्पराओं को बनाए रखिए। मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, वन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर चर्चा होनी है। आपका स्टेटमैंट पूरा करिए।

श्री सांगसिंह भाटी : काश्तकारों के लिए पूर्व की सरकार ने (व्यवधान) बहुत अच्छे काम किये...

श्री जुबेर खान : आपकी विद्वानता की जरूरत नहीं है उनको।

श्री सांगसिंह भाटी : मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं, आपकी सरकार का ही तो गुणगान करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय साफे वाले सदस्य...

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, नहरों में तीन साल तक पानी नहीं चला और काश्तकारों के सिर पर मुआवजा पानी का मंढ़ते रहे, क्या आप न्यायसंगत थे और आज काश्तकारों की आप वकालत कर रहे हो। उस समय कहां चले गये थे।

श्री जुबेर खान : कृपया बिराज जाइये, सदन को चलने दीजिए ठीक से, आप मेहरबानी करके बिराजिए और मन्त्रीजी का वक्तव्य होने दीजिए।

श्री सभापति : वक्तव्य दीजिए आप। अपने-अपने वक्तव्य, इस स्टेटमैंट की शालीनता....

श्री सांगसिंह भाटी : आप जरा उस कुर्सी पर बिराज जाएं तो पता चलेगा।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, आपके वक्तव्य की शालीनता इसी में है कि शांतिपूर्वक पक्ष और विपक्ष दोनों सुन लें और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया माननीय सदस्यगण दे देंगे। आप अपनी शालीनता बनाए रखें। स्टेटमैंट के अन्दर कोई ऐसी बात न कहें ताकि उस पर विवाद बढ़े।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं। मैं झुन्झुनूं में डी.एल.ओज. की मीटिंग लेने गया था तो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था।

श्री सभापति : यह तो भड़क गये।

डा. किरोड़ी लाल : कि बिजली के बिल माफ करवाओ...

श्री सभापति : आपको सुनकर ही ये भड़के हैं।

डा. किरोड़ी लाल : हां, वह तो गलत भिड़ गये उसका मैं इलाज क्या करूं, सभापति महोदय, वह जर्बदस्ती भिड़ रहे हैं तो मेरे बस की बात नहीं है झुन्झूनूं के चौधरी से लड़ने की तो इनके आते ही इस बात की चिन्ता की। मुख्य मंत्रीजी को मैंने जानकारी दी और उन्होने 28.15 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये। वह हमने किया।

सभापति महोदय, एक दिन मैं जयपुर से सवाईमाधोपुर जा रहा था। मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। मुझे रास्ते में गांव का एक आदमी मिला। उसने कहा बिजली पड़ गयी एक आदमी पर और उसके कारण वह मर गया। बिजली भी कैसे पड़ी ? छतरी थी हाथ में, एक बकरी को चरा रहा था, पूरा परिवार का पालन पोषण बकरी से होता था। उस बकरी को जैसे ही छतरी के नीचे लाया और ऊपर से बिजली गिरी, वह आदमी मर गया। उसके आगे-पीछे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं मिला तो हमने सोचा आपदा प्रबंधन विभाग से ऐसे असहाय व्यक्ति को सहायता दी जानी चाहिये। मैं जब लौटा तो मैंने विभाग के अधिकारियों को बुलाया कि यह आपदा है और इसमें हमको मदद करनी चाहिये। अडंगेबाजी भी बहुत हुई, पर मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात की और यह गर्व का विषय है कि राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में कोई बिजली गिरने से मरने की यह पहली सहायता राजस्थान सरकार की है जो 27 लोगों को दी है। पचास हजार रुपये एक मृतक के परिवार को सहायता देने का पहला नमूना है। राजस्थान की सरकार का। आपने तो संभाला ही नहीं किसी को। ओला से मर जाए, बिजली से मर जाए, बाढ़ में बहकर मर जाए, अकाल से मर जाए, किसी को आपने नहीं संभाला। हमने पचास हजार रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिये हैं। मेरे

(डा. किरोड़ी लाल)

पास रिकार्ड है कहां-कहां, कितना-कितना बांटा है। 27 लोग मरे हैं, हमने 13.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

सभापति महोदय, ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त कच्चे-पक्के मकान। कच्चे-पक्के मकानों के लिये आपने कभी राशि दी है यह हमने ही निधि प्रावधान रखा है। मुख्य मंत्रीजी दौसा के ट्यूर पर गयी थीं तो एक नहीं, छह लोगों को जिनके मकान ध्वस्त हो गये थे ओलावृष्टि के कारण, उनको प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये मकान बनाने के लिये पैसा दिया था। यह भी पहली बार दिया। आपने तो कभी भी नहीं दिया... (व्यवधान) आपको मैं सावधान कर रहा हूं।

ऐसे नि:शक्तजन जिनके पास काम करने की शक्ति नहीं है तथा खाने-पीने का सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को चिंहित किया जाकर अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्ति को पचास किलो गेंहू और तीस रुपये नकद प्रति माह राशि दी जा रही है। यह हम स्पेशल कम्पोनेंट के गेहूं से दे रहे हैं।

विभाग ने कृषि फसलों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में कन्वर्ट करने के निर्देश सहकारी विभाग को दे दिये। अच्छा किया ना सभापति महोदय? विभाग ने अभावग्रस्त घोषित गांव की राजस्व लगान स्थगित कर दी है। कोई वसूली नहीं करोगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सहित, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि हमारे यहां ओलावृष्टि से इतना जबरदस्त नुकसान हो गया, आप जल्दी से जल्दी एक टीम भेजो। एक टीम भारत सरकार की हमारे यहां आयी हुई है जो प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही है। 6.4.2005 को यह टीम आयी जिन्होंने 7.4.2005 को दौसा, अलवर, भरतपुर, 8.4.2005 को गंगानगर जिले का जायजा लिया है तथा आज 9.4.2005 को झुन्झुनूं जिले के दौरे पर है। हमने आग्रह किया, हमने टीम को बुलाया और टीम को बुलाकर हम प्रभावित क्षेत्रों को दिखा रहे हैं। हमने भारत सरकार से मांग की कि हमको 210 करोड़ रुपये और चालीस हजार मैट्रिक टन गेहूं दे दे, तो यह जो कह रहे हैं ना बिजली के बिल माफ करो, बड़े किसानों को भी दो और जो रहे गये हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको भी दे दो। हमने तो हमारे लेवल पर इतना कर दिया। मैं पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा, बाकी के प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी

(डा. किरोड़ी लाल)

कहूंगा की टीम से हम तो मिले ही हैं, टीम से आप भी मिलो और कहो। भारत सरकार को प्रार्थना करो ताकि जो हमने सी.आर.एफ. के नार्म्स में रिलेक्सेशन की बात कही है, जो बहुत कम है ढाई हजार रुपये सिंचित और एक हजार रुपये असिंचित के, उसको दुगुना करने की बात हमने कही है। बाकी की चीज जो हमने मांगी है किसान के नुकसान की, भारत सरकार हमको देगी तो किसानों तक हम उसको भी पहुंचायेंगे और आज तक हमने जो किया है आज तक के इतिहास में राजस्थान की किसी सरकार ने किया है। आज तक के इतिहास में हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने नहीं किया। यह भले ही आप पता करवा सकते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : मैं ओलावृष्टि पर माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया, यह सही है, कि ओलावृष्टि राजस्थान में इतने इस बड़े रूप में हुई और आपने यह मुआवजा देने का यह कार्यक्रम आरम्भ किया, यह निर्विवाद है। यह निर्विवाद बात है...

डा. किरोड़ी लाल : मुआवजा नहीं, सहायता।

श्री सभापति : आपका ही तो समर्थन कर रहे हैं वह। आप और क्या जुड़वाओगे। यह आपका समर्थन कर रहे हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने मुआवजा कहा, इन्होंने कहा सहायता। मुआवजा तो दे नहीं सकते ना बी.जे.पी. वाले।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, सहायता। सहायता दी। कोई बात नहीं। आप सहायता कह दो, मुआवजा दे दो, सहायता राशि मान लो, वह विवाद की बात नहीं है।

आपने एक नयी सुविधा और नयी सहायता देने का जो कार्यक्रम आरम्भ किया, यह अच्छा काम किया। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। आपसे 3-4 बात निवेदन करनी है।

मेरा निवेदन करना यह है कि आपने स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को देने की जो शुरूआत की है उसमें निवेदन है कि किसान छोटा हो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बड़ा हो, ओलावृष्टि किसान के किसी खेत को उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से या उसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं देखती है। किसान, किसान है। आपने जब इस योजना को आरम्भ किया ही है, भले ही हमने इस योजना को आरम्भ न किया हो, मेहरबानी करके हर किसान के लिये जिसकी फसल ओलावृष्टि से बरबाद हुई है इस योजना का विस्तार आप वहां तक कीजिये। इसमें संशोधन करने की जरूरत है। होता क्या है कि कितने ही ऐसे गरीब लोग है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु और सीमान्त कृषक हैं, उनके पिता मरने के बाद खाता तब्दील नहीं हुआ, इन्द्राज दुरूस्ती नहीं हुई, उनको इस नीति के अंतर्गत आप सहायता नहीं दे पा रहे हैं। आज भी वह ओलावृष्टि की मार से पीडित हैं। वह आपकी सरकार और आपकी तरफ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि उसकी बगल वाले स्माल फार्मर्स को तो सहायता मिल रही है और उस गरीब ने क्या अपराध किया था...

श्री धर्मपाल चौधरी : भाषण नहीं, सवाल पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे कोई ठेके थोड़े ही चलाना है, मुझे तो बात करनी है...

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो छोड़ो, हरिमोहनजी, आप क्या चलाते हो। फिर हम बोलेंगे तो कहोगे क्या-क्या चलाते हो। छोड़ो इन बातों को तो।

श्री सभापति : बोलिये आप। उलझें नहीं। आप दबते क्यों हैं, बैठ गये, उनके बोलते ही आप बैठ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : किसान के क्रेडिट कार्ड बने हैं और फसलों का बीमा अपन ने करवाया। बैंक ने उनसे बीमे की राशि ले ली। किसान के खेत का बीमा हो गया। अब इस नीति में इस स्थान पर संशोधन की आवश्यकता है। जिस किसान का खेत ओलावृष्टि से बरबाद हो चुका लेकिन बीमा कम्पनी एक पैसा भी उसको देने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि वह एक यूनिट का सवाल फंस जाता है। उस यूनिट के सवाल के कारण उसका क्या दोष है। उसने पैसा दे दिया बीमा कम्पनी को, उसने अपनी किश्त दे दी और उसके बाद उसको बीमा कम्पनी मुआवजा नहीं दे तो ऐसे बीमे से क्या फायदा है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपने घोषणा की थी कि ओला प्रभावित जो गांव हैं, ओलावृष्टि से प्रभावित जो गांव हैं उनमें आप अकाल राहत काम चालू करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कोटा डिवीजन में किसी भी स्थान पर कोई अकाल राहत कार्य, खास तौर से बूंदी के जितने भी गांव है, माननीय मंत्रीजी भी यहां बिराजे हुए हैं, एक में भी, अकाल राहत कार्य इस समय तक कहीं भी जहां ओलावृष्टि हुई है चालू नहीं हुए।

आखिर में, आपने लगभग 1200 गांव बताये जबकि मेरी सूचना के हिसाब से कलक्टर ने जो आपको इन्फोर्मेशन दी है उसमें कल प्रभावित गांवों की संख्या 1565 है। कलक्टर की रिपोर्ट यह है। जो सूचना है आपने उसमें बूंदी में 26 गांव प्रभावित बताये हैं, आपने उसमें बूंदी का नाम ही नहीं लिया। कलक्टर ने जो 1565 गांव की रिपोर्ट भेजी है उसके बजाय आप अपने अभी स्टेटमेंट में 1200 गांव बता रहे हैं। 1500 गांवों में है तो बाकी के गांवों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो आपने छोड़ दिया। इन बातों का जवाब माननीय मंत्रीजी दें।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैंने भी...

श्री सभापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : मेरे दो छोटे प्रश्न है। पहले बात सुनो।

श्री सभापति : पहले यह पूछ लें, उसके बाद में आप बोल लेना, आप सबके एक साथ है... (व्यवधान) पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्रश्न ही पूछेंगे स्पीच नहीं करेंगे, स्टेटमेंट देंगे मंत्री तो उसके बाद उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार : सरकार से मैंने मांग की थी, छ: महीने के बिल माफ करने की क्या सरकार इच्छा रखती है ? स्पीच नहीं कर रहा हूं। सरकार की इच्छा पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछें।

श्री श्रवण कुमार : क्या सरकार छ: महीने के कृषि कनेक्शन के बिल

(श्री श्रवण कुमार)

माफ करने की इच्छा रखते हैं या वहां भाषणों में ही खतम हो जायेगा सारा मैटर... (व्यवधान) नम्बर दो, आज केवल लघु और सीमान्त कृष्कों को आप राशि दे रहे हैं ढाई हजार और एक हजार और इसमें क्या है, इसमें क्या है माननीय मंत्रीजी, इसमें एक दादा जिन्दा है और उसके पोते खेती कर रहे हैं और सौ बीघा जमीन के टुकड़े 20 जगह हो गये। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वह दादा जब तक जिन्दा है उनकी खेती का इन्तकाल चढ़ नहीं सकता, रजिस्ट्री हो नहीं सकती, नहीं तो सारे लघु कृषक ही हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसान की सारी अलग-अलग गिरदावरी लगे। सबसे ज्यादा यह केस मिलेंगे लघु कृषक और सीमांत कृषक के। आज एक दादा के चार बेटे हैं, चारों के 16 पोते हो गये और वह जमीन 20 जगह बंट गयी परन्तु हुआ क्या कि उनका दादा जिन्दा रहता है तब तक जमीन तो बंट नहीं सकती है और उस जमीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक वह एक ही दादा के नाम से बोलती रहेगी। मेरी इच्छा यह है कि उनकी गिरदावरी अलग-अलग करवा करके लघु और सीमान्त कृषक के रूप में उनको मुआवजा दिलाया जाये।

सभापति महोदय, नम्बर तीन जो क्रेडिट कार्ड बनाये हैं उनमें सबमें राशि कटती है बैंक में और अब तक जो पहली ही फसल थी उसका मुआवजा नहीं मिला और दूसरी फसलों की और दिक्कत आ गयी। गंगानगर में आपने जिस तरह किसानों को मलबा इकट्ठा करने के लिए राशि दी है झुंझुनूं जिले में भी स्थिति आप देखकर आये हैं चिड़ावा तहसील में, क्या उन किसानों को भी देने की इच्छा रखते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत हो गया।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव तो ओरिजनली हमारा है।

श्री सभापति : आपकी तरफ से बोल गये हैं, दो हो गये।

श्री जुबेर खान : स्थगन प्रस्ताव तो मेरा है। तरफ से क्या होता है इसमें, हम क्यों नहीं पूछ सकते... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : अब यह संपत्ति विधान सभा की हो गयी, हाउस की हो गयी।

श्री जुबेर खान : बनाई किसने है, मैंने बनाई ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी पूछ सकता है... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ओरिजनल मूवर को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी पूछ सकता है... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका मामला है। ओरिजनली स्थगन किसने दिया है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जुबेर खान जी, दो मिनट बैठें... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा। आपको भी मिलेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, बीच वालों को भी थोड़ा मिलेगा।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, जो सरकारी पक्ष का आदमी बोल रहा है वह इंगित करता है कि मंत्री से वे खुश नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : यह कहां लिखा है... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय जोशी जी, मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है और जुबेर खान जी, मैं टाइम लेकर... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपके जमाने में भी परंपरा यही रही है।

डा. सी.पी. जोशी : हमारी परंपरा को हम मानते हैं कि हम जब मंत्री होते थे तो कुछ विधायक नाराज थे लेकिन इनके मंत्री को भी कि विधायक नाराज हैं यह मालूम होना चाहिए... (व्यवधान) हमको कोई तकलीफ थोड़े ही है।

श्री महावीर प्रसाद : ऐसा है सद्उपदेश उनका माना जाता है जो इस प्रकार का व्यक्ति हो।

डा. सी.पी. जोशी : चीफ व्हिप से सब नाराज होते हैं। चीफ व्हिप से कोई खुश नहीं होता है। खुद ही खुश होता है... (व्यवधान) चीफ व्हिप खुद ही खुश होता है उससे कोई खुश नहीं होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब वह पंडित जी तो बैंगन खायें और कहें कि उसका पच करना, कौन मानेगा।

डा. सी.पी. जोशी : चीफ व्हिप से सब नाराज होते हैं उससे कोई खुश नहीं है। आप बैठे रहें। क्यों डाक्टर साहब के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह प्रथा कांग्रेस में थी मुख बंद करने की, यहां आजादी है सब बोल सकते हैं... (व्यवधान) यह आपका मुख बंद करना तो कांग्रेस में ही लागू किया था... (व्यवधान)

श्री एन.एस. गुर्जर : हमारे चीफ व्हिप से सब खुश हैं हम लोग। हम लोग खुश हैं चीफ व्हिप से... (व्यवधान) आपका कैसे पता है हम नाराज हैं, हम सब खुश हैं।

डा. सी.पी. जोशी : हमें पता है, आपकी शक्ल नजर आ रही है खुश हो... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो सर्वाधिक नाराज है वह अभिनय कर रहे हैं, कि हम खुश हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह बिलकुल गलत बात है। हम सब लोग खुश हैं। एक साथ हैं, एक जुट हैं, आप लोग हममें फूट डालना चाहें तो आप सफल नहीं हो पायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जो खुश हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आज रहने दें, आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : जो खुश हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल ठीक है, वैरी गुड।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इधर प्रतिपक्ष के दो-चार मैम्बर हैं जिनको पीड़ा हो सकती है, बाकी सभी लोग खुश हैं।

श्री सभापति : सत्ता पक्ष के सरदार जी।

श्री देवीसिंह भाटी : सरदार जी, ऐसे क्या बोल रहे हो आप।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ : सभापति महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़... (व्यवधान) ऐसी क्या बात हो गयी भाई साहब।

श्री सभापति : अच्छी बात है, बोलिये। (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ : आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति : सरदार जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं बोलिये... (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ : ऐसा है आपके माध्यम से मैं थोड़े सुझाव देना चाहूंगा मंत्री महोदय को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप माननीय सदस्य कहकर पुकारें, सरदार जी क्या मतलब है, माननीय सदस्य हैं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ : सरदार की पदवी बड़ी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : कुछ लोग सदन के बाहर यह कहते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है, सरदार कहलाते हैं, यहां तो सभी सरदार हैं, सभी माननीय सदस्य हैं और वह तो बाई बर्थ सरदार हैं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : गंगानगर, हनुमानगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि अभी हुआ है और मैं कह सकता हूं कि गंगानगर में और हनुमानगढ़ में हमने आंखों से देखा है जो नुकसान हुआ है और गंगानगर के जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं सब लोगों ने आकर राहत मंत्री जी, सी.एम. साहब से कहा कि इतना नुकसान हुआ है कि किसान उसकी भरपाई नहीं कर सकता है और मैं सदन की नेता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी तुरंत ही प्रोग्राम बनाकर गंगानगर और हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान की जानकारी की और हमारे राहत मंत्री भी साथ पधारे और जो उन्होंने आंखों से देखा कि

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

किसान का पूरा का पूरा नुकसान हो गया और उसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं और मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इसमें जितना बन सकता है जिस तरह से आपने इकाई एक तहसील का माना है कि पूरी तहसील का नुकसान हुआ है तो बीमा मिलेगा। किसान ने अलग-अलग अपने बीमे कराये हैं व्यक्तिगत बीमा उन्होंने भरा है। मेरा पूरे सदन से चाहे वह पक्ष है, चाहे विपक्ष है अगर यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाये कि जिसका नुकसान हुआ है, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो, जब सीलिंग हो गयी हमारे तो बड़ा, छोटा किसान नहीं रहा। उसमें यह जरूर गलती है कि कुछ लोगों ने उसकी दुरूस्ती नहीं कराया। उसको तकसीम नहीं कराये कि हम अलग-अलग जैसे हमारे परदादा के नाम पूरे गांव का खाता पड़ा है। वह दस आदमी थे। हम हजार आदमी हो गये। वह वगैरह से चलता है तो मेरा राहत मंत्री से सुझाव है कि उनको शामिल किया जाये। उसको देखा जायेगा कि तीन पीढियों का खाता इकट्ठा है तो उसको बड़ा किसान ना माना जाये।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा सुझाव है कि जिस तरह नुकसान अनूपगढ़ और गंगानगर के घड़साना में दिया है इसको पूरा का पूरा लिया जाये चाहे हनुमानगढ़ का किसान है, चाहे झुंझुनूं का किसान है। चाहे वह कोटा से आता है। मेरा यह सुझाव है आदरणीय मंत्रीजी से और इस सुझाव को मानकर और जो आपने मौके पर जाकर देखा है गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ, मैं आदरणीय सदन की नेता और राहत मंत्री का बहुत ही आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये, लास्ट।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान : कोई परंपरा तो गयी गढ्ढे में... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, आप माननीय सदस्य या निर्वाचन क्षेत्र के नाम को लेकर कहें, यह हमें थोड़ा जंचता नहीं कि पीछे बैठे हैं वह बोलें साहब, वह सरदार जी बोलें, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं चेयर को पर हमारी परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए अगर चुनाव क्षेत्र से संबोधित किया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : वैसे ही हो रहा है। परम्परा नहीं तोड़ी जा रही है। परम्परा के अनुसार ही हो रहा है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह भी परम्परा रही है कि इस सदन में कि जो लोग स्थगन देते हैं सबसे पहले उनका नाम पुकारा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए, यह पहली बार परम्परा रखी है कि जिन लोगों ने स्थगन पेश किया है उनको कोई ध्यान नहीं देता है और पीछे से खड़े होइये और आगे से खड़े होइये। यह परंपरा नहीं रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप जो पूछना चाहते हैं वही सब पूछ रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : अबकी बार आपको मौका देंगे... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भी किसान का भला चाहते हैं तो दूसरे भी किसान का भला चाहते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, बात पर आयें आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन पाइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपके सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने यह व्यवस्था की है कि सिर्फ सवाल ही पूछ सकते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : आप सत्ता पक्ष से हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे आप। पूछें, पूछें।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम भी गांव से आते हैं तो प्रश्न तो पूछेंगे। ओलावृष्टि से सीमान्त और लघु सीमान्त किसानों को आपने मुआवजा दिया है लेकिन दूसरे जो और किसान हैं उनके लिये क्या कुछ सरकार करना चाहती है, क्या मंशा है आपकी। नम्बर दो, आपने अभी कहा कि मिड टर्म लोन के लिए कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने कर दिया। आज भी हमारे जिले में और कई जिलों में सहकारिता विभाग कर्जे का अभियान चला रहा है। आपने यहां कहा है इसको भी आप दिखायें, इसको मिड टर्म लोन में आपने जिस तरह से कहा है कि हम इसको बदल देंगे तो इसको बदलना चाहिए।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सभापति महोदय, तीसरा, मेरा सवाल है कि ओलावृष्टि जिन जिलों में हुई हैं, जिन क्षेत्रों में हुई है इसमें आपने कितनी लेबर ओर मजदूर लगाये हैं, इसके बारे में बताने का कष्ट करें।

श्री सभापति : बोलिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, आप माननीय सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम से पुकारें। इयां आंग्ल्या करो, म्हाने आच्छयो कोनी लागे।

श्री सभापति : आप बिराजिए। आसन जो आप परम्पराओं का ज्ञान करा रहे हैं। सदन में आसन पर बिराजमान जो है वह किसी को भी इशारे से भी बुला सकता है।

श्री देवीसिंह भाटी : नो नो नो, नो मैं कम से कम यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। सभापति महोदय, इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं, कुछ गरिमा है। यह नहीं होता है कि सरदारजी खडे हो जाओ, पिछले वाले खड़े हों, वह बोल दो, यह अंगुली कर दी खड़े होकर बोला। देखिए साहब, नहीं-नहीं नोट एट आल।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बैठ जाऊंगा पर यहां पर सभापति ऐसा नहीं कर सकते।

श्री सभापति : आपका यहां पर बहुत गरिमापूर्ण व्यवहार रहा है, वह सबको पता है, मैं भी उससे वाकिफ हूं, आप बिराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह ध्यान है कि यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस दिन विधान सभा शुरू हुई थी, हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, तैयारी हम सारी करें, डेटा कलेक्ट करें और जब मंत्री वक्तव्य दें तो आप आगे से, पीछे से, आप यह तो ध्यान रखने की कृपा करें कि जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव दिए हुए हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं यह तो फरमाए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, इनको कुछ नहीं कहना है। आज समाचार पत्रों में जब आप जैसे विद्वान आदमी का नाम आया कि आप प्रतिपक्ष के नेता पद पर बिराजेंगे तब से इनको तकलीफ हो रही है। अब कांग्रेस के अंदर की राजनीति का परिलक्षण यहां सदन में हो तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। यदि आप वहां बिराजते हैं तो पूरे सदन को खुशी होगी, सब लोगों को कई लोग आप में जवाहर लाल नेहरू का रूप देखते हैं इसलिए इनको आपके वहां बिराजने में ठीक नहीं लग रहा है।

श्री सभापति : आप भी मेरे ऊपर कृपा करो, बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी यहां अखबारों के आधार पर बात कह रहे हैं। आप मुख्य सचेतकजी से पूछो कि यह सही है?

श्री धर्मपाल चौधरी : वह आपको बुरा लग रहा है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सही लग रहा है क्या आपको कि अखबारों की खबरों के आधार पर यहां बात की जाए, आप क्या चाहते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी बारी नहीं आएगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो संतुष्ट हूं, असंतुष्ट तो आप हो सकते हो। मैं तो अपने पद की गरिमा को समझता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं-नहीं, आप संतुष्ट तो नहीं हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : मजबूरी में आपको संतोष करना पड़ रहा है, आपको बूझ कौन रहा है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आसन से यह व्यवस्था दी गई है... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : सम्मानीय आसन है, आसन को इस प्रकार से अपमानित करना और इस प्रकार से इंगित करना हम सहन नहीं करेंगे, यह सदन की गरिमा नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप लोग दबाव बना रहे हैं कि किसी अल्पसंख्यक को बनाया जाए, यह नहीं होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मंत्री आज बनो न कल बनो, यह आपका ख्वाब है। आपका नम्बर तो न दूसरा है, न तीसरा और न चौथा।

श्री बंशीलाल खटीक : इस प्रकार से आसन को अपमानित किया जाना हम सहन नही करेंगे, हम युवा विधायक आपके साथ हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह विधान सभा है, अखाड़ा नहीं है, यहां कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, आराम से चर्चा करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं तो आसन से यह व्यवस्था चाहता हूं कि यहां पर माननीय अध्यक्ष ने कई बार व्यवस्था दी है कि समाचार पत्रों में छपी हुई खबर के आधार पर सदन में कोई बात नहीं की जा सकती है। कोई साधारण सदस्य या नया सदस्य यह बात कहता है तो बर्दाश्त हो सकता था लेकिन संसदीय कार्य मंत्रीजी आसन से दी हुई व्यवस्था का उल्लंघन करे और सदन यह बर्दाश्त कर ले, क्यों प्रशिक्षण करवाते हैं? यह चीज आसन की व्यवस्था के खिलाफ है कि अखबार में छपी हुई बात को आप आधार बनाएं कि साहब यह हो रहा है, वह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप बिराजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, आपका नाम लेने से माहिर साहब इतने खफा क्यों है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे क्या सम्बन्ध हैं वह आप क्या जानो ?

श्री कालूलाल गुर्जर : आपका व्यवहार ही आपके सम्बन्ध बता रहा है कि क्या सम्बन्ध है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो पहले अपनी और नाथूसिंहजी की व्यवस्था सुधार लो, हम तो सब एक हैं, हमारा दल एक है। (व्यवधान) माननीय सभापतिजी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं और इस आसन पर भी बरसों बैठ चुके हैं, राजस्थान सरकार में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्री भी रह चुके हैं। यह आपकी सिफारिश के मोहताज नहीं है, इनकी काबलियत अपने आप में है, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी-अभी सूचना आई है कि माहिर आजाद हैं मुकाबले में। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप तो बसपा से डेप्यूटेशन पर कांग्रेस में आए हैं। पहले बसपा में थे, जनता दल में थे, अब कांग्रेस में डेपुटेशन पर आए हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : आपने इनकी काबलियत को चैलेंज किया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये संसदीय कार्य मंत्रीजी भी हमारे साथ थे, इनसे भी पूछो जाकर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : आप कभी इधर मुंह करते हैं कभी उधर, आपका कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं, आप अपने बारे में सोचो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना का आभारी हूं। कृपया आप सहयोग दें और आप माननीय प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतकजी, बार-बार सरेण्डर करते हैं, इस प्रकार आप अपने बोलने के अधिकार को लूज कर रहे हैं। अगर एक माननीय सदस्य बीच में बोलने के लिए खड़ा हो जाता है और आप बैठ जाते हैं तो आपने अपनी अथोरिटी सरेण्डर कर दी। आप पार्टी के चीफ व्हिप हैं आप क्यों सरेण्डर होते हैं दूसरे खड़े होते ही। कोई माननीय सदस्य बीच में बोलने के लिए खड़ा हो गया और आप बैठ गए इसका मतलब है कि अपनी अथोरिटी को सरेण्डर कर दिया, फ्लोर पर उसका पजेशन हो गया, जब फ्लोर पर पजेशन हो गया तो उसको राइट मिल गया बोलने का जितना लम्बा उसका बोलना होगा उतना बोलेगा और आपका टाइम चला जाएगा।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मेरे अंदर कुछ संस्कार हैं मैं उन संस्कारों को नहीं तोड़ सकता। मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा सकता और इस सदन में हा-हुल्लड़ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा अधिकार चला जाएगा इसलिए मैं भी हा-हुल्लड़ करूं। (व्यवधान)

(श्री जुबेर खान)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अलवर और भरतपुर की काफी तहसीलों में काफी बड़ी संख्या में ओलावृष्टि हुई है और वहां के तहसीलदार और एस.डी.ओ. मौके पर गए तो उनके ये शब्द थे कि यह तो तबाही नहीं, कयामत है, इस तरह के शब्द एस.डी.ओ. और तहसीलदार के थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और भतरपुर में क्या किसान नहीं रहते ? क्या सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि अलवर और भरतपुर के उन क्षेत्रों में गया जहां पर भारी तबाही हुई है ओलावृष्टि से।

हमारे यहां एक प्रथा है कि जो बड़े जमींदार होते हैं वह छोटे काश्तकारों को, भूमिहीन और सीमांत काश्तकारों को बंटाई पर खेत देते हैं या फिर ठेके पर देते हैं कि 5 हजार या 10 हजार साल में, जैसी व्यवस्था वहां होती है। अब चूंकि काश्त की जुताई किसी ने की, बुआई किसी ने की, पानी किसी ने दिया, मेहनत किसी ने की, खातेदारी काश्त किसी और के नाम से है, आप उनको वंचित रख रहे हैं, यह बात सही नहीं है। आप यह व्यवस्था कराएं कि अगर किसी गरीब आदमी, भूमिहीन आदमी, ज्यादातर इसमें एस.सी. के लोग हैं, जो बांटे पर जमींदारों के यहां खेती करते हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको मुआवजा दिलाया जाए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा जहां खराबा है, वहां अकाल के काम चालू कर दिए गए हैं लेकिन कोई काम हमारे अलवर जिले में शुरू नहीं किए गए हैं। मेरा आपसे निवदेन है कि केवल वही काम सेंक्शन किए जा रहे हैं जिनमें एम.एल.ए. और एम.पी. डावटेल के लिए पैसा दे रहे हैं। जिन गांवों के लिये एम.एल.ए. और एम.पी. पैसा नहीं देंगे क्या उन गांवों में अकाल राहत के काम चालू नहीं करेंगे? आप यह निर्देश दीजिए कि जो गांव ओलावृष्टि या अकाल से प्रभावित हैं उनके लिए अगर एम.एल.ए. और एम.पी. द्वारा पैसे न देने की परवाह न करते हुए अकाल राहत के काम खोले जाएं, उनकी स्वीकृति दी जाए।

आपने कहा कि बिजली के बिलों में राहत दी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बिजली के बिलों पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। अधिकारी उनको यह कहते हैं कि आप जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के आदेश लाकर हमें दिखाएं तो हम बिलों को माफ

(श्री जुबेर खान)

करेंगे। आप कल अलवर पधार रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन दो-तीन बिन्दुओं पर सही में जिन गरीबों का नुकसान हुआ है, लोगों को मजदूरी देना चाहते हैं या बिलों में राहत देना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था कराने की कृपा करें। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप बोलें उससे पहले आपने फरमाया कि आप सवाईमाधोपुर जा रहे थे तो रास्ते में आपसे कुछ किसान मिले। मैं भी झुन्झुनूं से आ रहा था तो मुझे भी रास्ते में गांवों के किसान मिले और मुझसे पूछा। मंत्री महोदय, आपके पास कौनसा पैमाना है जिसके आधार पर पटवारी 50 प्रतिशत खराबा की रिपोर्ट देंगे। यदि एक भी प्रतिशत कम होता है, 49 होता है तो 50 से नीचे आ जाएंगे और दूसरे 50 से ऊपर। मंत्री महोदय ने पटवारियों के पास कौनसा पैमाना भेजा जिससे उन्होंने मेजरमैंट किया। ऊर्जा मंत्रीजी के पास तो पैमाना है, इनके पास दो पैमाने हैं एक तो इलेक्ट्रोनिक मीटर्स हैं और एक चकरी वाले मीटर्स हैं। आपके पास कौनसा मीटर भेजा है कि उनको संतोष हो सके। 50 परसेंट से 49 परसेंट भी है, 48 भी है उनको तो कुछ देंगे नहीं, या देंगे ? उनको तो मुआवजा आप देंगे नहीं। 50 परसेंट वालों को देंगे तो एक परसेंट से लूजर हो गये। आज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उधर बैठकर आपकी प्रशंसा कर सकता हूं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एक पटवारी ने 50 परसेंट खराबा दिखा दिया बिसाऊ के अंदर मेरे पास टेलीग्राम आये हैं, रजिस्ट्री आई है, कलक्टर के यहां आये हैं और आपके पड़ोस में बैठे हैं बायी तरफ हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनका भी इलाका है, उससे हम भी प्रभावित हैं क्योंकि ये अकाल में रहते हैं हमेशा। तो उसकी लास्ट में झड़प हमारी तरफ भी आती है तो हम इनको भुगत रहे हैं। इन्होंने तो उन सबको जुड़वा दिया, पर बिसाऊ के अंदर जिनके सारा खराबा है उनका तो खराबा नहीं दिखाया और जिनके खराबा ज्यादा नहीं उनको मुआवजा दे दिया। यह मेरे पास लिखित शिकायतें आयीं, मैंने कलक्टर को फैक्स किया। तो आप कृपा करके थोड़ा स्पष्टकीरण दें कि किस पैमाने से पटवारियों ने नापा है या पटवारी ने जो कर दिया वह खुदा ने कर दिया या भगवान ने कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया उस पर रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य,

(डा. किरोड़ी लाल)

पिलानी से, संगरिया, मण्डावर और आप सहित कई सवाल किए हैं। सभापति महोदय, जैसा कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर, भरतपुर में ओलावृष्टि हुई उसमें कोई गया क्या। मैं 6 मार्च को भरतपुर की ओलावृष्टि देखने गया था और कल जैसा मैंने इनको निवेदन किया था कि मैं अलवर भी आ रहा हूं और उस पर अपन मीटिंग करके राहत कार्य चालू नहीं हुए और ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ उसका जायजा लेंगे। इन्होंने बांटे की बात कही, माना किसी एक कृषक के पास खेती है जिसके नाम खातेदारी है और वो लघु सीमान्त की परिभाषा में आता है तो जिसके नाम खातेदारी है उसी को नुकसान का मुआवजा मिलेगा। हमने इसमें और प्रावधान किया कि नोशनल शेयर वाला काश्तकार हो उस नोशनल शेयर वाले काश्तकार को भी इसी परिधि में ले लिया जाए जिससे मुआवजा किसानों का ज्यादा बढ़ जाए और नोशनल शेयर का जबसे हमने प्रोविजन किया है तब से किसानों का कवरेज ज्यादा बढ़ गया और उनको अधिक से अधिक फायदा दिलाया है।

सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा है कि 50 परसेंट ज्यादा खराबा हुआ है। वहां पर आपने रिलीफ के काम खोले हैं। हमने एक अप्रैल से किया। मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कितनी लेबर लगी हुई है। हमने 61 हजार की सैंक्शन की है, लेबर कितनी इंगेज्ड है इसका डेटा मैंने मंगवाया नहीं है, पर एक अप्रैल से हमने रिलीफ के काम के आदेश दे दिये और सीलिंग भी हमने 61 हजार की इन दिनों में दे दी। जिस किसी ने भी इस मामले में लापरवाही की है, हमने तो जिन कलक्टरों ने गेहूं नहीं उठाया उन 11 को भी नोटिस थमा दिया। अब मैं इसको देखूंगा जिस किसी ने रिलीफ के काम चालू नहीं किये हों वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे क्योंकि मानवीय संवेदना का मामला है उसमें लापरवाही बरती हो उसे बख्शेंगे नहीं।

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि बिजली के बिल के लिए हमने जयपुर विद्युत वितरण निगम को यह बात लिखित में दे दी है कि हम पुनर्भरण करेंगे, उनकी तरफ से ऐसे निर्देश जाने वाली बात है तो वो भी हम भिजवा देंगे और कल मैं वहीं हूं अपनी उपस्थिति में उसको तय करा देंगे।

(डा. किरोड़ी लाल)

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि स्माल, मार्जिनल किसान के अलावा जो दूसरे किसान हैं उनका भी नुकसान हुआ है तो मैंने अपने स्टेटमैंट में सभापति महोदय, यह बात कही थी कि स्माल मार्जिनल का सी.आर.एफ. जो केलेमिटी रिलीफ फण्ड है जिसके मापदण्ड भारत सरकार तय करती है उसको हमने 2500 हैक्टेयर सिंचित और एक हजार असिंचित क्षेत्र का हमने ज्ञापन में इसके अंदर करने की प्रार्थना की है और हमने यह भी कहा है कि किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो हरेक के नुकसान हुआ है। आप इसमें रिलेक्सेशन दे दें ताकि हम बड़े किसानों को भी मदद दे सकें। (व्यवधान) बैठ जाओ, मैं पूरा जवाब दे दूं।

श्री हेमराज मीणा : आप केन्द्र सरकार के अनुसार ही देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमैंट भी तो कुछ करे। लघु सीमान्त को तो आप दे रहे हैं, लेकिन बड़े किसानों की भी तो फसल की तबाही हुई है, उनकी भी ओलावृष्टि हुई है आप अपने फण्ड से करें, स्टेट के फण्ड से करें, उनको भी राहत मिलनी चाहिए आप बिजली के बिल भी लघु सीमान्त के माफ कर रहे हैं, बड़े काश्तकार के वो भी नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय को सुनें, माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा : राहत कार्य चालू नहीं हुए। जो आप घोषणा करके आये थे बारां जिले में भी आप पधारे थे, राहत कार्य प्रारंभ नहीं हुए अभी तक।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को सुनें।

डा. किरोड़ी लाल : शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने कह दिया है जिस किसी ने लापरवाही बरती हो, हमने 29 मार्च को जो आदेश दे दिये थे कि एक अप्रेल से रिलीफ के काम चालू कर दिये जाएं। नहीं हुए तो हम कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) बैठ जाओ, अब आप दो मिनट सुन लें।

श्री हेमराज मीणा : मंत्री महोदय, वसूली का अभियान जोरों से चालू है, लोगों के लगातार भूमि विकास बैंक, कोआपरेटिव बैंक की कुर्कियां जारी हैं, काश्तकार बहुत दुखी है। अभी वसूलियां भी बंद नहीं हुई हैं। जो मिड टर्म लोन बदलना चाहिए था वो भी नहीं बदला। यह काम लगातार चल रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : आप लघु और सीमान्त कृषक के पांच नाम मुझे दे दें जिनके किसी रेवेन्यू लगान की रिकवरी हुई हो या भूमि विकास बैंक का सोसाइटी वाला कोई गया हो। मुझे नाम दे दें, मैं उसे बख्शूंगा नहीं।

श्री जीतमल खांट : जो अभावग्रस्त हैं वहां पर भी करेंगे?

श्री हेमराज मीणा : अभावग्रस्त क्षेत्र में आप लघु, सीमान्त किसानों का ही कर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र भी अकाल की चपेट में है। वहां पर भी अभावग्रस्त है। वहां पर वसूलियां चल रही है। कृपा करके जो भी वसूलियां चल रही हैं उन वसूलियों को तो आप बंद करवाएं। अभावग्रस्त क्षेत्र में लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर गये हैं। राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में खाले नहीं गये हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जहां पर भी अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर कम से कम सरकारी वसूलियां चल रही है उनको तो कम से कम बंद करवाएं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिसको किशनगंज-शाहबाद वाले भी उठा रहे हैं किसान तो बराबर है चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो उसको भी राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, सी.आर.एफ. की गाइडलाइंस भारत सरकार तय करती है। हम सी.आर.एफ. की गाइडलाइंस से बाहर नहीं जा सकते और हमने ज्ञापन में यह बात मेंशन की है कि आप इस सी.आर.एफ. के रूल्स को...

श्री सभापति : इसका मतलब यह है कि जो कुछ कर रही है वह भारत सरकार कर रही है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजली के बिल किसने माफ किये? कभी पहले हुए? आपको तो बहुत बड़ा अनुभव है, आप तो मंत्री के रूप में बिराजे हैं, कभी आज आज तक हुए क्या?

श्री सभापति : अकाल राहत आप थोड़े ही हैं, अकाल राहत मंत्री तो दूसरे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सब हो रहा है। आप तो मंत्री महोदय से ही पूछो। मंत्री महोदय का कहना है भारत सरकार कर रही है। फिर आप क्या कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, एक सवाल और है।

श्री सभापति : आपने बहुत पूछ लिया।

श्री हेमराज मीणा : मेरे क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में अकाल है, सरकार ने अकाल घोषित किया है और ओलावृष्टि भी वहां पर हुई है। दोनों काम हुए हैं, दोनों तहसीलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन वहां पर फसल बीमा योजना के आधार पर जो पैसा जमा हुआ है, दोनों तहसीलों में खराबा होने के बाद उनको बीमा कंपनी के द्वारा राहत नहीं दी जा रही है। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, या तो मुझे एक बार जवाब दे देने दो, बीच-बीच में टोकाटाकी कब तक चलेगी?

श्री सभापति : आपके बारे में भी वही व्यवस्था लागू है। यदि माननीय मंत्री महोदय बोलते-बोलते किसी माननीय सदस्य के सामने सरेण्डर होंगे तो इसका मतलब आप उनकी बात को मान रहे हैं। आप सरेण्डर हो रहे हैं, मैं क्या करूं? आप अपनी बात को कंटीन्यू क्यों नहीं रखते, मैं उनको बिठाऊंगा, मैं व्यवस्था कराऊंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय सदस्य आपकी बात को सुनें। आप तो कृपापूर्वक सरेण्डर हो रहे हैं। ऐसा करेंगे तो माननीय सदस्य खड़े होंगे, आपको सुनना पड़ेगा।

डा. किरोड़ीलाल : मैं सरेण्डर केवल आपके आगे हो सकता हूं।

श्री सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरेण्डर न हो। मैं आपकी मदद करूंगा, माननीय सदस्यों को कहूंगा कि वे विघ्न न डालें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बोलिए।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की और

(डा. किरोड़ी लाल)

इन्होंने यह कहा कि किसान बड़ा हो उसका भी नुकसान हुआ है तो उसका भी प्रावधान करना चाहिए। आपने मुझे बीच में टोक दिया इसका मतलब भारत सरकार कर रही है, अकाल में हम पैसा लेते हैं या गेहूं लेते हैं तो अकाल में किसी न किसी के काम होने चाहिए। सारी गाइडलाईंस तो भारत सरकार तय करके देती है। तो भारत सरकार के बिना हम काम कर नहीं सकते।

श्री सभापति : इसका मतलब अपनी तो कोई गाइडलाइन है ही नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : हमारी गाइडलाइन है ना। हमने बिजली के बिल माफ किये, यह हमारी गाइडलाइन है, हमने जो लोग मर गये उनको पैसा दिया।

श्री सभापति : तो आप यही कह दीजिएगा हमारी गाइडलाइन यही है।

डा. किराड़ी लाल : हां, तो बता रहे हैं न और जो लोग मर गये उनको पैसा दिया है, अनुग्रह सहायता दे रहे हैं और गेहूं की सप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, फेमिन कोड में पहली बार 7 डी का पैरा भरा कर हमने सूचना मंगवाई है रिलीफ के काम चालू कर दिये हैं, हमने तो बहुत कुछ कर दिया है आगे बढ़कर इसलिए जो माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि बड़े किसानों को भी इसमें कंसीडरेशन में लिया जाए, हमने जो भारत सरकार की टीम आई हुई है उसको हमने रिप्रेजेंट कर इस पर कंसीडर करेंगे तो हम निश्चित रूप से बड़े किसानों को भी विचार करेंगे। एक आपने बात कही है, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, गुरजंट सिंहजी ने कहा है कि यह खाता दुरूस्ती की, सभापति महोदय अब यह तो एक टेक्निकल वहां का पटवारी और गिरदावर लेवल की गलती है या किसान की गलती है कि वह खाता दुरूस्ती नहीं हो पाई और मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य का मैंने जवाब दे ही दिया कि लेबर सिलिंग 61 हजार है और यह मिड टर्म लोन और यह जो हमने समय बढ़ाया है उसमें किसी प्रकार की कोई रिकवरी कहीं हो रही है तो हम आज और निर्देश जारी कर देंगे, मेरी समझ में तो मेरे नोटिस में कोई आया नहीं कि कोई रिकवरी हो रही है। एक इन्होंने पूछा था अपने रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कि अलवर और भरतपुर में क्या खराबा नहीं हुआ है, खराबा हुआ है और भरतपुर में 56 गांव और 28 गांव...

श्री सभापति : यह गांव सब नोटिफाइड हैं आपके, सब को मालूम है, आपने नोटिफाई कर दिए, सब को मालूम है।

डा. किरोड़ी लाल : और यह नोशनल शेयर वाली बात मैंने बता ही दी और गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरह जो पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था उस ढंग का कोई मामला हमको रिपोर्ट नहीं हुआ कि जहां पानी ज्यादा भर गया हो और फसल नष्ट होकर सडांध मार रहा हो जिससे महामारी फैलने की कहीं स्थिति बन रही हो और उसमें हम निजी काम दे सकें। इस ढंग की कहीं से सूचना आएगी तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। एक बात सभापति महोदय आई है कि फसल बीमा योजना, सभापति महोदय, वैसे तो मैं इसको डील नहीं करता लेकिन भारत सरकार ने ही जो मापदण्ड तय किए हैं। वह उसी मापदण्ड के अनुसार सैम्पलिंग तहसील को यूनिट मानकर की जाती है और उसी हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमने प्रयास यह किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस दु:ख की घड़ी में किसानों को फायदा मिले और हम प्रयास कर रहे हैं और हमने त्वरित कार्यवाही की है कि ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को राहत दिला सकें। ऐसी त्वरित कार्यवाही कभी किसी दूसरी सरकार ने कहीं की।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी बताएं कि आपने डूंगरपुर में सरकारी वसूली बंद कराने का विचार क्या तय कर रखा है?

श्री सभापति : मैंने कोई चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

श्री जीतमल खांट : डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अन्दर सरकार की तरफ से वसूली की जा रही है, अभावग्रस्त क्षेत्र है, अकाल की चपेट में है, बडे पैमाने पर लोगों का पलायन है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी सरकारी वसूली विभिन्न प्रकार की हो रही है उनको बंद कराएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मेरे से क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि अभावग्रस्त इलाका है उसमें वसूली की जा रही है। मैं पता करूंगा किस प्रकार की वसूली है, अगर रेवेन्यू है और कोआपरेटिव सैक्टर की कोई वसूली है अगर कोई ले रहा है जिसको हमने ड्राप किया है।

श्री सभापति : जानकारी कर लेना आप।

डा. किरोड़ी लाल : डेफर किया है तो आप मेरे को बता दें, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री हेमराज मीणा : अफीम की तबाही बहुत जबरदस्त हुई है तो वहां के काश्तकारों को जो अफीम पैदा होनी चाहिए थी वह बिलकुल नहीं हुई और उनके सब के पट्टे और अफीम के पट्टे हैं वह टूटने के कगार पर हैं तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है, काश्तकारों के सारे पट्टे टूट जाएंगे क्योंकि काश्तकारों के अफीम की पूरी तबाही हो चुकी है, सारी फसल नष्ट हो चुकी है, इसमें सरकार क्या करने जा रही है ताकि उन काश्तकारों को अफीम के पट्टों को बचाया जा सके।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके एफिलिएटेड हैं ये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, जालौर जिले में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके सहयोगी सदस्य हैं। हमेशा आपकी तारीफ करते हैं और आप इधर-उधर बोले और आपने कह दिया हमारे सदस्य नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा नहीं है, आपका एफिलिएशन ज्यादा है मेरे से।

श्री हरिमोहन शर्मा : भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की वकालत करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य सदन का समय खराब नहीं करें, बिराजिए, हमको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी वैसे ही आपका जब बूंदी का और आपका कार्यक्रम आता है तो आप हमारे साथ हो जाते हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री लक्ष्मीनारायण जी दवे, वन मंत्री, अनुमान की मांग संख्या-9 को प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, प्रश्न तो मेरा भी था।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जालौर जिले में पाला पड़ा, फसलों का खराब हुआ, ओलावृष्टि का आप सर्वे करवा रहे हैं, केन्द्रीय टीम तक आ गई, जालौर पर वाले के नुकसान पर कोई कार्यवाही सरकार ने अब तक नहीं की है। (व्यवधान) एक मिनिट रामप्रतापजी, दूसरा यह है जालौर में लेबर सिलिंग 26 हजार चल रही थी, हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया मंत्रीजी ने आश्वासन दिया 60 हजार करेंगे, एक अप्रैल से आज 9 अप्रैल हो गई है, 26 से 24 हुई है, 60 नहीं हुई है, मंत्रीजी क्या करने वाले हैं, बताइए।

श्री सभापति : वन मंत्रीजी कहां है, वन मंत्रीजी कहां चले गये? बोलिए अब आप। मांग पेश क्यों नहीं करते आप?

अनुदान की मांग

मांग संख्या-9 वन

श्री. लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 264,55,91000 (दो अरब चौंसठ करोड़ पचपन लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, यह जो पूरे जोधपुर संभाग की बात यह जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है, पाले से जो फसल का नुकसान हुआ गिरदावरी, वापस यह सर्वे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब मंत्रीजी बतायें तो सही कर क्या रहे हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या उठाया, वह बात हो गई। (व्यवधान) वन मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बोल लिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, पाले से नुकसान का जवाब दिलवाएं।

श्री संयम लोढ़ा : सभी जिलों में नुकसान हुआ है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पूरे जोधपुर डिवीजन में हुआ है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जालौर के सौ प्रतिशत खराबे की रिपोर्ट है उसके लिए क्या करना चाहते हैं ?

श्री सभापति : डा. एन.एस. गुर्जर।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, पूरे पश्चिम राजस्थान के किसानों को जब क्षति पहुंची है, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है आप दो मिनट में मंत्रीजी से इसका जवाब दिलवा दें।

मांग संख्या-9 वन पर विचार

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या ऐसा उठाया है उससे आपका क्या सरोकार है ?

श्री संयम लोढ़ा : मेरा इसलिए सम्बन्ध है कि मैं भी पीडित हूं।

श्री सभापति : हां, तो आपने तो बात उठाई नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं उनकी भावना में अपनी भावना शामिल कर रहा हूं। सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : आप उनको क्यों डांट रहे हो, मैं उठा रहा था सभापति महोदय। आप उनको उठा रहे हो, मैं उठा रहा था यह बात तो, दो

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

मिनट की बात है, नुकसान की बात है, आप उनको कह रहे हो, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह कर देंगे अपने आप, वह भी आपके इक्विलेंट हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : फिर हम क्या उठाएंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : डा. एन. एस. गुर्जर।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, पूरे जोधपुर डिवीजन में नुकसान है। (व्यवधान) सरकार जवाब दे।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और यह जो विभाग पर चर्चा हो रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले दिनों यह विभाग चर्चा में रहा है, सेंच्युअरीज को लेकर, बाघों को लेकर, पेड़ों को लेकर, कई टास्क-फोर्स भी बनी और प्रधान मंत्रीजी ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा, राज्य सरकार ने भी इन्क्वायरी स्थापित की, सी.बी.आई. की भी इन्क्वायरी हो रही है और राज्य सरकार ने कुछ कार्यवाही भी की है तो सबसे पहले तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्रीजी और वन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम वर्षों बाद एक इतने बड़े अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की है, इतने बड़े अधिकारी के, मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, किसी भी आई.ए.एस. अधिकारी के विरूद्ध या किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कांग्रेस के शासन काल में कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी लेकिन इस सरकार ने आते ही इतनी बड़ी कार्यवाही की, जांच करवाई, उसकी पूरी मानीटरिंग कर रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं, सभापति महोदय, इसलिए बताना चाहता हूं कि फोरेस्ट है यह कंसेप्ट है, एक जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चर दूसरी एग्रीकल्चर से अलग है उस तरह से हमारे देश में जो फोरेस्ट डवलपमेंट है उसका कल्चर भी दूसरे देशों के फोरेस्ट डवलपमेंट से और उनकी जो सेंच्युरीज का डवलपमेंट है उससे अलग है, यह सेंच्युअरीज का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है, हमारे यहां सेंच्युअरीज का कंसेप्ट नहीं था, हमारे यहां दूसरा कंसेप्ट था। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां पर यह जो कंसेप्ट है वन एक दूसरे के पूरक हैं, आपस में वन्य जीव और वन और

(डा. एन. एस. गुर्जर)

मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं वहां पर पेड़-पौधे, वनस्पति, घास यह जो शाकाहारी जीव जन्तु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वह इनको खाते हैं, मांसाहारी पशु यह जो शाकाहारी पशु हैं इनको खाते हैं। और जब शेर-बाघ, बाघ का महत्व इसलिए है, इसलिए नहीं है कि वो एक रेयर जानवर है, इस फोरेस्ट को बचाने में एक बाघ का बहुत बड़ा योगदान है। जब बाघ का मूवमेंट होता है तो पूरे जितने जानवर हैं वे वहां से आगे करते हैं और जितना भी फोरेस्ट होता है उसको कवर करते हैं, वहां खाद देते हैं, वहां पर नेचुरल प्लांटेशन को उगाने के लिए एक व्यवस्था होती है। यह जितने भी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनमें इस बात का अच्छी तरह से खुलासा किया गया है। सभापति महोदय, ये एक प्रोसेस है और वो हमारे यहां ऑलरेडी प्रोसेस था। वेदों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उस समय पेड़ काटता था तो पहले पेड को नमस्कार करता था और अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ से लेता था कभी हरा भरा पेड़ नहीं काटते थे। जितना भी पशुओं के लिए चारा लेते थे वे भी उनकी डालियों को काटते थे, पेड को नहीं काटते थे और हाथ जोड़कर के प्रणाम करते थे कि आप फलो-फूलो। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं, गांव के व्यक्ति हैं, हमारे यहां पर पेड़ों की पूजा होती थी। हमारे यहां पर पीपल की आज भी पूजा होती है। विदेशों में कभी इस तरह की पेड़ों की पूजा नहीं होती। सभापति महोदय, हमारे यहां वन्य जीवों का इतना ध्यान रखा जाता है कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जोधपुर में एक महिला अपने स्तन से हिरण बच्चे को दूध पिला रही है। ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है ? आज हम लोग कितने प्रकृति के नजदीक हैं, कितनी रक्षा करना जानते हैं लेकिन इसके विपरीत एक जो नया कंसेप्ट आया है अमेरिका से, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

"An ideal model of such a wild life sanctuary was created in the U.S.A. by the name of the Yellowstone Park which fulfils all the above features and conditions."

फीचर्स क्या हैं ? उन्होंने यह कहा है कि माउंटेन से घिरा होना चाहिए, नदियों से घिरा होना चाहिए, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए, वहां पर यह सब होना चाहिए, अन्दर लोग नहीं होने चाहिए, व्यक्ति नहीं होने चाहिए, यह सब होना चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : घरां कोनी बीच लुगाई ने भावे आखा तीज। कहां सेंक्चुअरी की बात करते हो, लोग भूखे मरते हैं, वहां ओले पड़ गये।

डा. एन. एस. गुर्जर : ...आप विराज जाओ जब तक मैं बोलूं, आप बहुत विद्वान आदमी हैं।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कंसेप्ट जबसे हमने वहां का पकड़ा है तब से यह गड़बड़ होने लग गई। आज जितना भी फोरेस्ट है। हमारे यहां पर इतना ही कंसेप्ट नहीं था, हमारे यहां पर जितने देवी-देवता हैं उनकी सवारियां आप देख लें, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शिवजी की सवारी क्या है, गणेशजी की सवारी क्या है, जितनी भी देवियां हैं उनकी सवारी क्या है, विष्णु की सवारी क्या है। मैं महत्व बताना चाहता हूं कि पेड़ और वन्य जीव हमारे समाज का अंग थे। सभापति महोदय, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, यह जो सरिस्का है, मैंने पार्लियामेन्ट के पांच चुनाव लड़े हैं वहां से और इसका बहुत भाग मेरे पार्लियामेंट एरिया में आता है और मैं उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से जानता हूं। कई गांव वहां पहले थे तब वो बाघ थे और जब उन गांवों को वहां से बाहर निकाला तो बाघ गायब हो गये। यह किस तरह से हुआ ? जब वो लोग थे तो वो शिकार नहीं करने देते थे, किसी को पेड़ नहीं काटने देते थे। उनकी आजिविका का साधन पशुपालन था। भैंस और गायों का दूध बेचकर के वे अपना जीवनयापन करते थे और किसी को शिकार नहीं करने देते थे, हरे पेड़ नहीं काटने देते थे और जब से उनको बेदखल किया तब यह हुआ। सभापति महोदय, फोरेस्ट को बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को है, इन वन्य जीवों को बर्बाद करने को श्रेय किसी को है तो सबसे बड़े इसके जिम्मेदार यह जो अफसरों की फौज बिठा रखी है यह है। चाहे शासन किसी का रहा हो, शुरू से लेकर आज तक इन लोगों ने किया है। एक तो ये जिम्मेदार हैं और इन फोरेस्ट आफिसर्स ने जो एन.जी.ओज. बनाये हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं इनके पक्ष में तर्क देना चाहूंगा कि आप तो एक जांच करवा लें कि ये जितने पेड़ लगे हैं, इन्होंने जितनी संख्या बताई है, इनकी सरकार रही तो ये प्रगति रिपोर्ट देते थे, हमारी सरकार है तो ये प्रगति रिपोर्ट देते हैं, हमने इतना फोरेस्ट

(डा. एन. एस. गुर्जर)

एरिया बढ़ा दिया, इतने पेड़ लगा दिये। यह फोरेस्ट एरिया कैसे बढ़ा है? यह केवल जूली फ्लोरा जो विलायती बबूल है, जो अपने आप पैदा हो रहा है उसको दिखाकर के इन्होंने फोरेस्ट का एरिया बढ़ना बता दिया कि यह फोरेस्ट एरिया इतना बढ़ गया। इन्होंने कितना बढ़ाया है, कितने पेड़ लगाना इन्होंने बताया है और उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है? क्या जितने पेड़ इन्होंने लगाना बताया है उतनी जमीन भी वहां है या नहीं है इसकी जांच की जाए। अगर एक चीज की जांच कर ली जाए कि इन्होंने जितने पेड़ बता रखे हैं, उन पेड़ों को लगाने के लिए जितनी जमीन बताई है वह जमीन वहां है या नहीं है, वहां जमीन इतनी उपलब्ध ही नहीं है, उससे 1/3 पेड़ ही उस जमीन में नहीं आ सकते। माउंटआबू में हम एक बार गये थे और हमने उन आंकड़ों की जांच की थी तो वहां हमको पता लगा कि पेड़ कितने लगाये और एक पेड़ कितनी जगह घेरता है तो उन्होंने जो आंकड़े दिये इसका कैल्कुलेशन हमने किया तो पता लगा कि इतने पेड़ों के लिए तो इससे दुगुनी जमीन चाहिए। इसलिए इस एक पाइंट की जांच करा ली जाए। आज जितने भी पेड़ लगाना बता रहे हैं, आज वहां पेड़ हैं क्या? आज उन्होंने उन पेड़ों को समाप्त करा दिया, आज उन्होंने उन जानवरों को समाप्त करा दिया। आज जितने भी एन.जी.ओ. हैं, विदेशियों को एन.जी.ओ. के नाम से सैंक्चुअरी को दिखाने, फोरेस्ट को दिखाने लाते हैं किस नाम पर ? उनकी रक्षा के नाम पर और उसके बाद उन बाघों को, जानवरों को दिखाकर के उनकी खाल की तस्करी बाहर होती है। क्या भारत में खाले बिक रही हैं? यह खालें सब बाहर जा रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इसमें कौन-कौन लोग लिप्त हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जितने भी काम हैं, यह डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहा है। पिछले 7-8 साल से कि एक भी एन.ओ.सी. पर्यावरण विभाग ने खान मालिकों को नहीं दी। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, सदन में मामला आया और इस सरकार ने आदेश दिये कि एक केम्पेन चलाकर के एन.ओ.सी. दो और एन.ओ.सी. दी गई। एन.ओ.सी. नहीं देने के पीछे इन फोरेस्ट आफिसर्स की गलत मन्शा है और वह यह है कि जब फोरेस्ट था, जहां फोरेस्ट नहीं हैं वहां खानें अलॉट करती है गवर्नमेंट, वहां ये एन.ओ.सी. नहीं देते हैं, अडंगा लगा देते हैं, कि जमीन तो हमारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एन.ओ.सी देता है कि यह जमीन हमारी है और ये अड़ंगा डालते हैं कि यह जमीन तो हमारी है। इसलिए सरकार ने

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अभी निर्णय लिया डिमार्केशन का। यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है इसके लिए मैं वन मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। यह डिमार्केशन हो जाएगा तो इनकी धांधली रूक जाएगी। इन्होंने कह दिया कि हमसे एन.ओ.सी. लो हर चीज में। फोरेस्ट में जमीन है नहीं तो फिर इनसे एन.ओ.सी. की जरूरत किस बात की? फोरेस्ट की बाहर की जमीन, जहां फोरेस्ट नहीं है उसमें एन.ओ.सी. ये क्यों नहीं देते। जब उसमें एन.ओ.सी. नहीं देंगे तो फोरेस्ट एरिया के अन्दर जहां फोरस्ट है वहां इल्लिगल माइंस चलवाते हैं और इसका ताजा उदाहरण आप झालाना डूंगरी चले जाइये। यह जवाहर नगर का एरिया है, सभापति महोदय, मैं पढ़ता था, मैं एन.सी.सी. में सीनियर एंड ऑफिसर था, हमने यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते ही यह जो बस्तियां बस गई और यह झालाना का पहाड़ है जहां हम लोग फायरिंग करते थे। डेंस फोरेस्ट था।

श्री श्रवण कुमार : एन.सी.सी. के कैम्प लगते थे, मैं भी वहां आया हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह टाइगर फोर्ट है। आज इन्होंने इस टाइगर फोर्ट की सैंक्चुअरी का एरिया कहां बता रखा है? पूछो इनको। उस एरिया के अन्दर शास्त्री नगर का पूरा इलाका है। मुझे तो किसी ने बताया, सब्जेक्ट टू करेक्शन, कि छोटी चौपड़ का इलाका भी उसमें दिखा रखा है। यह इनकी सैंक्चुअरी की परिभाषा है। यह इनके डिपार्टमेंट के मापदण्ड हैं और आप चले जाइये, यह जो हरमाड़ा है, हरमाड़ा से लेकर के कालवाड़ तक कि जितनी पहाडिया हैं, फोरेस्ट एरिया है, जहां पहाड़ हैं, जहां पेड़ लगे हुए हैं वहां तो एन.ओ.सी. दे देते हैं या इल्लिगल माइनिंग करवा रहे हैं। अब आप चले जाइये राजसमंद से उदयपुर के बीच में, पहाडियां कटी हुई देख रहे हैं। वहां फोरेस्ट है तो ये एन.ओ.सी. दे देते हैं या इल्लिगल माइनिंग कराते हैं। मैं जिस जिले से विधायक बनकर के आया हूं, उस जिले में लीगल माइनिंग करा रहे हैं सरे आम और एन.ओ.सी. कोई मांगेगें तो एन.ओ.सी. देंगे नहीं। अलवर के अन्दर कई स्थानों पर इल्लिगल माइनिंग कराते हैं लेकिन जहां फोरेस्ट नहीं है वहां एन.ओ.सी. मांगते हैं, वर्षो से फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। केन्द्र सरकार ने इनको पावर्स दे दिये कि आप एन.ओ.सी. दे सकते हो लेकिन ये उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये खानें बंद ही नहीं मानते हैं हम लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये खानें बन्द रहेंगी। यह इनको किसने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अधिकार दिया है? इसलिए कि इनकी आमदनी समाप्त हो जायेगी, यदि लीगल माइनिंग चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और अब आप कहते हैं कि माइनिंग से इसका क्या सम्बन्ध है। माइनिंग से बहुत गहरा सम्बन्ध है। सभापति महोदय, आज जमवारामगढ़ का ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जमवारामगढ़ में जहां तक फोरेस्ट है इधर, आज फोरेस्ट एरिया कम हो रहा है। इसलिए कम हो रहा है कि जमवारामगढ़ में माइनिंग चलती थी तो वहां आस-पास के लोगों को उन माइनिंग से रोजगार मिलता था, अपना पेट पालन करते थे। जब से माइनिंग बन्द की है और जब से गांव उजाड़े हैं और जब से पशुओं ने वहां जाना बन्द किया है, वे लोग खायें क्या ? इसलिए सभापति महोदय, लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया, लकड़ी बेचकर अपना गुजारा चला रहे हैं। पहले वे सूखी लकड़ी काटकर अपने काम में लेते थे। हरे पेड़ नहीं काटते थे। अब यह मजबूर हैं जिन्दा रहने के लिए, फोरेस्ट पास में है, लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, उनको बेच करके अपना गुजारा कर रहें हैं। अगर वह माइनिंग चलती, एन.ओ.सी. देते।

अब यह एक नया कंसेप्ट और लेकर आये हैं कि सेंक्चुअरीज को मिलाओ, नई सेंक्चुअरी को मिलाओ, कहां से मिलाओ। सरिस्का कोरीडोर, सरिस्का को रणथम्भौर से मिलाओ। क्या यह प्रेक्टिकल है सभापति महोदय? कितने गांव हैं? शेर सरिस्का में गायब हो गये, रणथम्भौर में गायब हो रहे हैं और बीच के इस एरिया में शेर पैदा होंगे जहां गांव बसे हुए हैं, जहां कोई लेना -देना नहीं है? सैकड़ों किलोमीटर का अन्तर है क्योंकि पैसा उस पर सरकार देगी, ये उससे पैसा बनायेंगे और इसका सबूत क्या है सभापति महोदय, जितने भी आफिसर्स रहे हैं, आज वन्य जीवों की खालें अगर कहीं देखना चाहे तो आप इनके घर की तलाशी लेओ, इनके घर की तलाशी लेओ। ये जितने बड़े-बडे अधिकारी हैं, इनके घरों की तलाशी कराओ, ये वन्य जीवों की खालें कितनी किसके, किस-किस के घर में मिलती है, आपको पता लगा जायेगा सभापति महोदय, इनका शिकार कौन करवाता है? आज यह संसारचन्द्र जिसका नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं न ही मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं लेकिन यह संसारचन्द्र जिसके ऊपर 40,000 से ज्यादा मामले हैं, ये शिकार करवाते रहे हैं, तस्करी करते हैं। ये फोरेस्ट के आफिसर्स क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? और बचने के लिए सभापति महोदय,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इनकी पत्नी दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति सेल की महामंत्री हो गई। मैं क़ांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। ये शेम कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आप लोगों पर, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वनों को समाप्त कर रही है, पर मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनें। बिराजें आप। आप मुझे क्लियर करने दीजिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : आप अचानक नाम कैसे ले रहे हैं ? वह अकेला ही था क्या इन खालों को ले जाने वाला? उसके साथ में अधिकारी शामिल नहीं थे? कर्मचारी शामिल नहीं थे? आप सबको सजा दीजिये। करवाओ ना जांच, कौन मना कर रहा है, करवाओ ना जांच।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप विराजो तो सही। पहले आप बैठिये ना। आपकी दाढी में तिनका क्यों है ? मैं क्लियर कर रहा हूं बात, समझने की कोशिश करिये। पूरी बात मेरी सुनिये, उसके बाद बोलिये। सभापति महोदय, मेरा यह विश्वास है चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ये अधिकारी के लिए कह रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। वह आदमी अपराध करे और बचने के लिए किसी भी दल की सदस्यता ले ले वह उस अपराध से बचने के लिए, यह गलत है। चाहे कांग्रेस की सदस्यता ले ले, चाहे भाजपा की सदस्यता ले ले, चाहे और किसी पार्टी की सदस्यता ले ले, चाहे कोई अधिकारी हो, उसकी पत्नी ले, चाहे कोई व्यक्ति हो उसकी पत्नी ले, चाहे व्यक्ति का रिश्तेदार ले। वह अपराध करे और बचने के लिए दो रुपये का सदस्य बन जाये किसी पार्टी का और उसका पदाधिकारी बन जाये और नेताओं की करके। अब आप उत्तेजित हो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इन्हीं की पत्नी जिसका नाम था, मैं चाहता नहीं था लेकिन आप मुझे छेड़ रहे हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, अब तो मुझे नाम बताना पड़ेगा...

श्री सभापति : आप छेड़ने से उत्तेजित नहीं हों, आप अपनी बात कहिये माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : आप जरूर चाहो, आप दो महीने बाद मंत्री बन रहे हो, फिर आप कब बोलोगे? हां तो बोलते जाओ।

श्री सभापति : आप छेड़ने से उत्तेजित नहीं हो, आप अपनी बात कहिये।

श्री श्रवण कुमार : नाथूसिंह जी, आप दुबारा पंचायती राज मंत्री बन रहे हो।

श्री सभापति : आपका भाषण अच्छा हो रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता था, 40,000 से ज्यादा जिसके मामले हैं, श्रीमती रानी गिहारा, माणक चौक थाने में अरेस्ट हुई और इसने बताया कि मेरी कपिल सिब्बल के साथ बहुत अच्छी जान-पहचान है। चांदनी चौक से एम.एल.ए. हैं उनसे बहुत अच्छी जान-पहचान है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, वह उत्तेजित हो रहे थे, मैं नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं इन चीजों में पड़ना ही नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपराधी है, वह अपराधी है चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे आपकी पार्टी का हो। उसको उसे अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको पार्टी के आधार पर नहीं बचना चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। जो किसी पार्टी की सदस्यता ले ले इसलिए उसको बचा दिया जाये, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता था।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन कर रहा हूं कि अवैध, इल्लीगल माइनिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे टौंक जिले के जहां से मैं आता हूं, वहां पर लोग दबकर मरे थे। पता लगा कि आज चाहे उनियारा क्षेत्र देख लें, चाहे देवली क्षेत्र देख लें, चाहे टोडारायसिंह क्षेत्र देख लें, चाहे मालपुरा देख लें, चाहे टोंक और निवाई देख लें, इल्लीगल, अवैध माइनिंग हो रही है ओपनली और फोरेस्ट एरिया में हो रही है, रेवेन्यू एरिया में हो रही है। क्रेन्स लगी हुई हैं। हमको रोज दिखती है लेकिन इन अधिकारियों की आंखें मिंची हुई हैं और शिकायत होती है तो तुरन्त, जिन-जिन लोगों के यहां जाते हैं दबिश दे ने तो एक दिन बन्द कर आते हैं और उनको कह आते हैं कि आपकी शिकायत फलां आदमी ने की है, जाओ, सिफारिश करो तुरन्त। यह हालत है, बंधी बांधी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक, इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इल्लीगल माइनिंग अगर आप रोकना चाहते हैं तो मैं यहां पर

(डा. एन .एस. गुर्जर)

सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, आप एन.ओ.सी. दिलवाइये ज्यादा से ज्यादा माइनिंग होल्डर्स को। जो फोरेस्ट एरिया नहीं है, उसमें एन.ओ.सी. दिलवाइये। जितनी एन.ओ.सी. आप देंगे उससे ये इल्लीगल माइनिंग रूकेगी, यह भ्रष्टाचार कम होगा और यह आपका फोरेस्ट एरिया बढ़ेगा। मैं कह रहा था, जब से आंधी की खानें बंद हुई हैं, क्या करें वे लोग, कहां जाये, क्या खाये? इसलिए वह पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटना शुरू कर दिया, पेड़ गायब हो गये। मैं आपको उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, आज आप कह रहे थे नियम बन गये। नियम -कायदे सब कुछ हो गया और नियम-कानून-कायदों में हमारी ही शरण लेकर, राजनीतिज्ञों से सिफारिश और कभी किसी को पटाकर, किसी राजनैतिक पार्टी या दल के सदस्य बनकर कोई अधिकारी कहे। आज मैं पूछना चाहता हूं, यह आर्डर दिया गया है। यह वाल्मीकी थापर एन.जी.ओ. बन रखे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी के विरूद्ध साहस किया हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और वन मंत्रीजी ने। जो स्वयं ढाई साल के अन्दर केवल पांच बार गया। एक पैंथर ने प्रतापगढ़ एरिया में, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस एरिया को, वहां पर 11 आदमियों को मार दिया गया पैंथर ने, वह व्यक्ति वहां नहीं गया। उस बड़े अधिकारी पर हाथ डाला तो जो अलवर में बैठे हुए हैं, उस एन.जी.ओ. का स्टेटमेंट आता है कि इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। ये एन.जी.ओ. कौन होते हैं ? पहले तो एन.जी.ओ. कहते थे कि यह एन्वायर्नमेंट को बचाओ। अब एन.जी.ओ. यह कहने वाले कौन हो गये सरकार को किस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे और किस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करे। यह एन.जी.ओ. को अधिकार किसने दिया? सभापति महोदय, मैं मांग कर रहा हूं सदन में कि इन एन.जी.ओ. की भी जांच करवाइये जो इसमें इन्वाल्व हैं, ये जो एन्वायर्नमेंट की बात करते हैं। एन.जी.ओ. चाहे राजेन्द्रसिंह हो, चाहे थापर हो, चाहे और कोई भी लाट साहब हो, इनकी जांच करवाइये, अलवर से जिसने बयान दिया है, उसकी जांच कराइये कि ये लोग कोई तस्करी में तो लिप्त नहीं हैं? जो बाघों की तस्करी हो रही है, उनकी खालों की तस्करी हो रही है, उसमें तो लिप्त नहीं है? ये शिकार कराने में लिप्त है कि नहीं है? यह फोरेस्ट को कटवाने में ये लोग लिप्त है कि नहीं है? और मैं फिर इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि वाल्मीकी थापर, ये किसी के भांजे-भतीजे जो भी हैं....

डा. सी. पी.जोशी : आप तो नियमों के ज्ञाता हो। जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके खिलाफ बोले जा रहे हो।

डा. एन. एस. गुर्जर : स्टेटमैंट आया है ओपनली।

डा. सी. पी. जोशी : आप तो खुद नियमों को कोट करते रहे हो। जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वह अपनी बात कह नहीं सकता, उसका नाम लिये जा रहे हो आप। नहीं इट इज वेरी अनफार्चुनेट।

डा. एन. एस.गुर्जर : मैं क्या कह रहा हूं ? मैं जांच की बात कर रहा हूं। मैं नाम इसलिए लिये जा रहा हूं...नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, स्टेटेमेंट आया है उनका एन.जी.ओ. का।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सिकी का नाम नहीं लें जो इस सदन का सदस्य नहीं है। नहीं, आप मत लीजिये नाम।

डा. एन. एस.गुर्जर : मैं नाम इसलिए ले रहा हूं सभापति महोदय, गवर्नमेंट का आदेश है, यह गवर्नमेंट का आदेश है 26.5.2003 का, सरकार ने रणथम्भौर के अन्दर 500 मीटर के अन्दर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इसमें छूट दी है सरकार ने, यह 26.5.2006 का है और उसमें उसका नाम था इसलिए मैं बोल रहा हूं। होटल शेरबाग, 104 मीटर, श्री जेलसिंह पुत्र श्री.... वाल्मीकी थापर के भांजे, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, और यह बहुत बड़ा एन.जी.ओ. चलाते हैं और कहते हैं और ये एन्वायर्नमेंट और सैंक्चुअरीज को बचाने की बात करते हैं। बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इनके किनसे क्या सम्बन्ध है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य क्यों खड़े हो गये, मुझे मालूम है। अगर मैं इनका बैकग्राउण्ड दूंगा आपको पता चल जायेगा कि वह क्यों खड़े हो रहे हैं। यह बहुत बड़े नेता से इसका सम्बन्ध है दिल्ली में इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इनको उत्तेजित नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर है। ये पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, आप विद्वान हैं। रोज तो रूल को कोट करते हो। कोई भी आदमी है, किसी का सम्बन्ध है। आरोप लगाना है तो लिखकर दें, क्या तकलीफ है। यह छूट थोड़े ही मिल सकती है कि जो आदमी अपने आपको डिफेंड नहीं कर सके इसलिए मनमाने आरोप लगाये जाओ, किसका भाई है, किसी का भतीजा है, आपने क्यों ससपैण्ड किया, बताऊं मैं क्या। मंत्रीजी बैठे हैं, मैं बताऊं क्यों ससपैण्ड किया गया ? आप पालिटिक्स खुद कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सदन में बतायें जवाब दें तब, यदि बाघ ज़ब से गये हैं उस तारीख से कौन-कौन आदमी चीफ वाइल्ड आफिसर थे, उनको ससपैण्ड किया आपने? आपने जिस आदमी को ससपैण्ड किया, वह राजनीति नहीं है? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं आप ? आप खुद राजनीति करें और लोगों को कहें कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको मालूम नहीं है, हमें मालूम है क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए मेहरबानी करके वही बात कहें जो सदन में कहनी चाहिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आरोप लगाना है, लिख कर दें और लिखकर देने के नियम और कानून हैं, उसका पालन किया जाये। बाकी वन साइडेड काम करने से आफिसर डिमोरलाइज होता है। अच्छा काम करने वाला आदमी भी डिमोरलाइज होता है। यह लेटिट्यूड किसी पालिटिशियन को नहीं मिलना चाहिए और जो खास तौर से जिम्मेदार आदमी है और यदि पालिटिक्स करना चाहते हैं सभापति महोदय, तो पालिटिकल जवाब हमारा आयेगा। आपका पालिटिकल, यह सब बातें जब सी.बी.आई. की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सबमिट कर दी गई, जब पता लगा राजस्थान सरकार को कि सी.बी.आई. ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तब मंत्रीजी ने एक्शन लिया है। है जवाब मंत्रीजी के पास ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बिलकुल सही एक्शन लिया है इन्होंने। वन विभाग के अधिकारियों का पता है क्या आपको कि क्या है, किस तरह के लोग हैं यह वन विभाग के अधिकारी।

डा. सी. पी. जोशी : हां, पता है मुझे। सब मालूम है। हां, सब मालूम है मुझे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वन विभाग के अधिकारियों का मालूम है क्या आपको, कैसे लोग हैं यह, इनकी जांच करवाई जाय, मैं मांग करता हूं कि इन बड़े वन अधिकारियों की जांच करवाई जाय। (व्यवधान)

डा. सी. पी.जोशी : मैं चाहता हूं कि यह बात बताएं। सभापति महोदय, नियम और कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी सभापति की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं, आप बिराजिए दौसा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि नियम और कानून की बात करते हैं, आरोप लगाने से पहले लिखकर दें और उसके बाद अपनी बात कहें, कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है, मैंने पहले ही आसन से कह दिया था...

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरे को भी सुनिये। व्यवस्था देने से पहले मुझे अवसर दीजिये, मैंने जब बोला है तो। आप व्यवस्था देने से पहले मुझे अवसर दीजिये।

श्री सभापति : नहीं, अब आप आसन को....

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है..

श्री सभापति : आप रेलेवेंट बोल रहे थे, वहां तक तो ठीक था लेकिन आप उससे आगे बढ़ करके...

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, मैं बोल रहा हूं। व्यवस्था के प्रश्न पर मैं बोलना चाहता हूं। मैं वह जवाब दे रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न इन्होंने उठाया है, यह मैं जानता हूं...

श्री सभापति : जरूरत नहीं है जवाब देने की। जवाब देने की जरूरत नहीं है माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं, मैं मेरा भाषण नहीं दे रहा। आप एक मिनट बिराजें। मैं अच्छी तरह जानता हूं सभापति महोदय और मैं रूल से बंधा हुआ हूं इसलिए रूल के अंतर्गत ही बोल रहा हूं कि किसी पर आरोप लगायें तो पहले नोटिस दो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल छूट दी है सरकार ने होटल को, पांच सौ मीटर की परिधि के अंदर, मैं केवल उनका नाम ले रहा हूं, यह सरकार के रिकार्ड में है। क्या आरोप लगा दिया मैंने इसमें। यह छूट दी है, यह इनके पास रिकार्ड में है, सरकार के रिकार्ड में है, सरकार ने छूट दी है। मैंने केवल वह कोट किया है कि किन-किन को छूट दी है। अब इसमें मैंने कौन सा आरोप लगा दिया सभापति महोदय। यह आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने कुछ भी नहीं किया सदस्य, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आप आगे बढ़ गये। आगे बढ़कर के आपने कह दिया कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है और मैं सदन को बताऊंगा, तो आपको इतना रेफरेंस देने की जरूरत नहीं थी, वह रेफरेंस देना...

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने नाम किसी का नहीं लिया। मैंने नाम नहीं लिया, दिल्ली में कौन नेता है, क्या है..

श्री सभापति : नहीं, आपने उसका रेफरेंस दे दिया।

श्री कैलाश त्रिवेदी : आपने कहा जान पहचान है उनसे। जान पहचान से क्या लेना-देना है इनका। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप सुनना चाहते हैं क्या अभी। (व्यवधान) अभी मैं नोटिस देकर खोलूंगा सारी पोल।

श्री कैलाश त्रिवेदी : खोल दो, फिर क्या होगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप आ जाइये, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद माइन्स ऑनर हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए और आप बात करना चाहते हैं, एन.ओ.सी. क्यों मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, क्यों बोल रहे हैं हम... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : देखिये, मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर मैं बोल रहा हूं, माइनिंग से। आप गलत बात पर मत बोलिये, गलत कोट मत करिये।

श्री श्रवण लाल : वन मंत्रीजी ने फैसला लिया है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माइन्स ऑनर होना कोई पाप है क्या। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : किस-किस की माइन्स है, मेरे पास सारा रिकार्ड है, किन-किन नेताओं की माइन्स है, इसकी सारी सूची मेरे पास है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आइये सदन में। वह तो रिकार्ड में भी है नाथू सिंहजी, किसी और को बोलना, लक्ष्मण सिंहजी, माधव सिंहजी....(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदय, यह तो बोल रहे हैं पर इनके खुद के ही है। खुद के माइन्स हैं इनके। यह कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बैठे रहिये, मेरे से मत उलझिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : आप अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं, यह जमाना नहीं चलेगा। आप नियम और कानून में बात करिये, आपको अधिकार है। पर आप यह अधिकार का दुरूपयोग करें, यह भी अलाऊ नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, देखिये...

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मुझे बोलने नहीं दें, सरकार आदेश को कोट नहीं करने देंगे...

डा. सी. पी. जोशी : क्या बोलें।

डा. एन. एस. गुर्जर : सरकारी आदेश हैं, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : नियम से आ रहे हैं क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : सरकार में नियम और कानून में अपनी बात कहें, विद्वान आदमी हैं, रूल कोट करते, अधिकारी अपनी बात पर अपनी बात करते जा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, एन.एस. गुर्जर साहब..

श्री महिपाल सिंह यादव : आप कहां पीछे रह गये खान लेने में। राठौड़ साहब, इनको भी दिलवाओ एक खान।

श्री सभापति : आप बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, फिर आपकी टयून सी बन रही थी, अपने भाषण के प्रसंग में किसी पर आक्षेप नहीं लगे, आपको ही बाधा पहुंचेगी..

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण दे रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो जायेगी और विघ्न पैदा होगा। आप जो कुछ बोल रहे थे वह अच्छा बोल रहे थे।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैंने केवल इतनी सी बात कही है...

श्री सभापति : मत लगाइये आप, आप नहीं लगायें। अच्छा है, अच्छा है, बढिया है।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने इतनी सी कही है कि जो छूट दी है पांच सौ मीटर में, हम ही हमारे कानून का उल्लंघन करें, हमारी सरकार, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, हम ही कानून का उल्लंघन करें, 26.5.2003 को जिनको होटल शेरबाग एक सौ चार मीटर, इसको छूट दी। अमन-ए-खास, अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी, इनको छूट दी और यह किसकी पार्टनरशिप में थी, मैं कहना नहीं चाहता, जो अधिकारी रहे हुए थे वहां...

एक माननीय सदस्य : बता दें, बता दें।

डा. एन. एस. गुर्जर : उन अधिकारी की पार्टनरशिप में थी। वन्य विलास होटल, ओबेराय ग्रुप, इसको, फिर आप चलिये, शनि विलास, इनको छूट दी। तीन सौ मीटर में ही थी। इस तरह से बहुत सारे, मां फार्म जीरो मीटर पर, और यह अधिकारी थे वहां।

मोहम्मद माहिर आजाद : और 93 से 98 के बीच जिनको छूट दी उनके नाम मैं बताऊं क्या यहां फिर।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, बता देना, बाद में जब आपका नम्बर आये तो बता देना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक पक्ष नहीं रखना चाहिए आपको 1993 से लेकर 98 के बीच जब आप भी उस सरकार में...

डा. एन. एस. गुर्जर : आपका नम्बर आये तो बता देना ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री थे तब यह फतेह सिंह जी की होटल बनी और यह बना, यह किसने छूट दी, तब क्या हो गया था ? आप 93 से 98 के बीच....

डा. एन. एस. गुर्जर : बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया सभापति महोदय...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पूरी बात बतायें, किन-किन को छूट दी और कब-कब कानून का वायोलेशन हुआ और इनमें छूट हुई है। एकतरफा बात रख रहे हैं यहां पर आप.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप एक पक्ष मत रखिये दोनों पक्ष सदन के रिकार्ड पर आने चाहिए। यह इन्टेलेक्चुअल डिसआनेस्टी जो है न, माननीय टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य, यह ठीक नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो, मैं बधाई देना चाहता हूं माहिर आजाद साहब को... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार ने जो छूट दी है.. (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे डील करने दो, बैठो। मदनजी, बैठ जायें एक मिनट। ठहरो न मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं बधाई देना चाहता हूं माहिर आजाद साहब को सभापति महोदय, इन्होंने साहस किया और साहस करके...

श्री महिपाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य एक पक्ष रख रहे हैं और सरकार ने 2004 के बाद नियमों में...

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये आप, बिराजिये आप। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं माननीय सदस्य, बिराजिये आप। आप इनके बीच में नहीं बोलें।

श्री महिपाल सिंह यादव : माननीय सभापतिजी, बिजौलिया में इन्होंने नियमों में छूट देकर खानें आवंटित की हैं।

श्री सभापति : आप इनके बीच में नहीं बोलें, इनके बाद में आपको मौका दे दिया जायेगा बोलने के लिए। आपको मौका मिले तब बोल लेना आप। (व्यवधान) आपको मौका मिलेगा।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, आप तो दमदार मंत्री हैं, आपके ऊपर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा सकता, आप तो वाकई में... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, आज की बिजनस लिस्ट में तो फोरेस्ट ओर एन्वायर्नमेंट पर बहस है।

डा. सी. पी. जोशी : राइट, राइट, बिलकुल।

श्री विष्णु मोदी : फोरेस्ट और एन्वायर्नमेंट के ऊपर डिबेट है, यह माइन्स कहां से बीच में आ गई।

डा. सी. पी. जोशी : यह किसको बोल रहे हैं? विद्वान आदमी को बोलो न आप। किसको बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मोदीजी, आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आप इनको याद दिलाओ। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : वह समस्या इसलिए आ गई माननीय सभापतिजी, सारी खानें तो फोरेस्ट में जा चुकी हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एन.ओ.सी. क्यों नहीं दी जाती जिसके कारण फोरेस्ट बरबाद हो रहा है। मैंने इसलिए रेफरेंस दिया था सिर्फ। (व्यवधान) मैं माइन्स पर नहीं बोल रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माइन्स का रेफरेंस तो आपने दिया कि बिना फोरेस्ट की एन.ओ.सी. के होता नहीं इसलिए एन.ओ.सी. तो फोरेस्ट देता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : माहिर आजाद साहब, मैंने जो यह होटल्स के कोट किये हैं नाम, यह आपने ही एक स्टेटमैंट दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा क्वेश्चन था...

डा. एन. एस. गुर्जर : आपका क्वेश्चन था सेंशन में, उसी क्वेश्चन को मैंने उठाकर के, और मैं आपको इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आपने हिम्मत की और उस समय की सरकार के खिलाफ आपने, जो गहलोत साहब की सरकार थी, उसके खिलाफ आपने बयान दिया। मैं आपके साहस की दाद देता हूं। दाद देता हूं माहिर आजाद साहब, आपको और आप चाहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं। हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 93 से, अब आप पढ़ दीजिये। लेकिन 93 से 98 तक माननीय शेखावत साहब की सरकार के समय भी...

डा. एन. एस. गुर्जर : यह सब छपा है, अगर आप परमिट करें, सभापति महोदय, तो हिंदुस्तान टाइम्स में इनका स्टेटमैंट है.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जिन लोगों को छूट दी गई है वह भी इसके अंदर हैं। ऐसा नहीं, एक तरफा बात नहीं। विधान सभा के जो प्रश्न का उत्तर आया है माननीय सदस्य, मिसलीडिंग नहीं की जानी चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स में स्टेटमैंट है इनका। अगर आप परमिशन दें तो पढ़कर सुना दूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो विधान सभा के प्रश्न का जवाब आया है, इसमें 93 से 98 में जो एन.ओ.सी. दी है वह भी आया है। वह भी बोलें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इसलिए मैंने बधाई दी माननीय सदस्य के साहस की। अगर आप चाहें, अगर मुझे माननीय सदस्य और आप परमिट करें तो मैं इनके हिन्दुस्तान टाइम्स में जो स्टेटमैंट है उसको पढ़कर...

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप यह भी पढ़कर सुनाओ.... (व्यवधान) कौन सा होटल बना है।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह स्टेटमैंट है। उसको पढ़ने की आपकी परमिशन है क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इनकी कही हुई बात को पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी बात कहिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आप अपनी बात कहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे अखबार की बात को क्यों कर रहे हैं, आप तो बड़े विद्वान हो, आप तो अपनी बात कहिये। अखबार की बात क्यों कर रहे हो आप यहां।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इनका स्टेटमैंट है, इनका स्टेटमैंट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरे को इतनी अहमियत दे रहे हैं, वह सही देनी चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बोलता हूं।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री बंशीलाल खटीक : अपने बयानों से मत मुकरना। मुकरने की आपकी आदत बन गई। अपने बयानों से मुकरना।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी बात...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपकी आदत होगी।

श्री बंशीलाल खटीक : अपने बयानों से मुकरना आपकी आदत बन गई। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : I am not yeilding. उनको बैठाइये। I am not yeilding Sir.

श्री बंशीलाल खटीक : एक ही बयान को बार-बार बदलो, दोगलापन मत अपनाइये, दोगलापन। अपने बयानों पर अडिग रहो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : I am not yeilding, I am not yeilding.

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय सदस्य, मुझे आपकी बात को... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : I am not yielding.

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बोलने दीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : एक मिनट मेरी बात सुनिये, मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय।

डा. एन. एस. गुर्जर : I am not yielding. बाद में, बाद में, बैठिये। सभापति महोदय, एक होटल तो उस अधिकारी का फतेहसिंह राठौड़ का जो जीरो लाइन पर बनाया उसने होटल और इनके सवाल के जवाब में और इनका स्टेटमैंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उनको आज भी परमीशन नहीं है, उनको हटाने की इस सरकार की मंशा है क्या ? उस परिधि में है उनको हटाने की मंशा है क्या सरकार की, आप यह बता दें।

डा. एन. एस. गुर्जर : स्टेटमैंट तो यह है-

''Rajasthan PCC Minority Cell Chairman Mahir Azad's condemnation of the Gehlot government for "permitting the indiscriminate construction of hotels in the protected forest area of the Ranthambhore National Sanctuary" has not only brought about a flutter in the State party unit but also caused embarrassment to the Congress led UPA government at the Centre."

मोहम्मद माहिर आजाद : देखिये, कितने विद्वान सदस्य हैं ये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. एन. एस. गुर्जर : ये इनका है और आगे और है बहुत लंबा-चौड़ा लेकिन मैं वो मना कर रहे हैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता हूं। मैं आपका खुद का नुकसान नहीं करना चाहता हूं। मेरे मित्र हो इसलिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें आपको पढ़ना है तो 1993 से 1998 की शेखावत सरकार के टाइम में जो दी वो भी पढ़ें। ये भी है इसमें वो भी पढिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : वो आप पढ़ लेना। आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप पढ़ लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : तीसरा पैरा पढिये न इसका।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, आप पढ़ लेना, आप पर छोड़ रहा हूं। आप पढ़ लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर आप क्या बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इनके नुकसान की चिन्ता मत करो, आप तो अपने फायदे का ध्यान रखो।

श्री बंशीलाल खटीक : जिस प्रकार माहिर आजादजी पार्टी बदलते हैं उसी प्रकार बयान भी बदलते हैं।

श्री सभापति : जारी रखें।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये कोई बाघ, में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाघ कोई हमारी सरकार में कम हो गये, आपकी सरकार में कम हो गये, ऐसा नहीं है। यह कोई सरकार से सम्बन्धित नहीं है बाघों की संख्या कि आपकी सरकार आते ही बाघ कम हो गये या हमारी सरकार आते ही कम हो गये या बाघों की प्रजनन शक्ति आपकी और हमारी किसी की सरकार आते ही बाघ की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गयी, ऐसा भी नहीं है कि उनकी प्रजनन शक्ति को

(डा. एन. एस. गुर्जर)

हमने समाप्त कर दिया। या उनकी प्रजनन शक्ति को आपने समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....होती है, एक समय के बाद समाप्त होती है। अब आप और गंगाराम जी की तुलना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या ? कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो समय पर तो फर्क पड़ता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे मालूम है आपकी प्रजनन शक्ति बहुत तीव्र है, बहुत मजबूत है, यह मुझे मालूम है सभापति महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इस मामले में इनके साथी रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं तो जब तक जवान रहूंगा मेरी प्रजनन शक्ति बहुत प्रचण्ड रहेगी। इसमें क्या बात है, कह रहा हूं न मैं, कोई बूढ़ा थोड़े हो गया अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप लेकिन इसको अनावश्यक बरबाद मत किया करें, इतना ध्यान रखें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह आपको कैसे मालूम है कि मैं अनावश्यक बरबाद करता हूं या आवश्यकता पड़ने पर बरबाद करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बाहर बता दूंगा आपको, यहां मत कहलाइये।

श्री जीतमल खांट : सभापित महोदय, यह क्या हो रहा है ?

डा. एन. एस. गुर्जर : यह इसलिए पता है कि ये और मैं दोनों मिल करके...।

श्री जीतमल खांट : .... हम जैसे सदस्यों को सिखाने वाले, ये क्या है, यह कौनसी डिबेट है ?

डा. एन. एस. गुर्जर : आप विराज जाएं।

श्री सभापति : आप मदद कीजिये, आपस में ऐसा नहीं करे। हां, आप डिबेट में मदद कीजिये।

श्री ओम बिरला : यह राजस्थान की विधान सभा में जो यहां संसदीय भाषा होती है वो बाहर असंसदीय होती है इसलिए यहां ऐसी चर्चा होती है।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह प्रजनन कोई असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, यह क्या है ?

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रजनन असंसदीय भाषा नहीं है। प्रजनन असंसदीय भाषा है क्या ? सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाघ की संख्या कोई आज कम हो गयी हो, 1989 में बाघों की संख्या 16 कम होना बताया 26 के करीब उसके बाद 18 या 16 कम हो गयी यह बता दिया बाद में भी 2004 में तो यह बाघों की संख्या कोई अब कम हुई हो, पहले मुझे याद है कि जब बहुत से वी.आई.पीज एक नहीं अनेक वी.आई.पीज सरिस्का में आते थे तो अखबारों में आता था वो भाग्यशाली उनको नहीं वो दुर्भाग्यशाली रहे कि बाघ के दर्शन नहीं हुए। जो भी आया वो दुर्भाग्यशाली रहा, बाघ के दर्शन ही नहीं हुए तो थे ही नहीं बाघ कागजों में बाघ दिखाते गये। उसके नाम पर बजट उठाते गये और बजट समाप्त होता चला गया उस बजट का दुरूपयोग होता गया और बाघों की संख्या वहां न तो थी, कागजों के अन्दर थी। रणथम्भौर में भी कम हुई। सभापति महोदय, वहां भी इन्होंने बाघ पहले बहुत दिखाये। वहां हमारे प्रधान मंत्रीजी को बाघ दिख गया बहुत सौभाग्यशाली रहे और बाघ नहीं दिखा, एक बार तो मुझे याद है कि उस समय मैं सदन में था या नहीं था मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं है एक को पकड़ कर लाये अलवर में कलक्टर और एस.पी. के घर में घुस गया। किसी वी.आई.पी. को दिखाने के लिए सरिस्का में लाये थे वो कूदते-कूदते अलवर में घुसा और अलवर में कोई जगह अच्छी नहीं मिली उसको जगह अच्छी मिली तो कलक्टर और एस.पी. का घर अच्छा मिला और उसमें जाकर घुस गया और लास्ट में पुलिस को गोली मार कर उसको मारना पड़ा वो मारना पड़ा। इसलिए सभापति महोदय, ये ऐसी हरकतें एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो रहा है, किस तरह से फोरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है और मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सदस्य, आप बहुत शिकायत करते हो। मैं आंकड़ों के आधार पर बोलना चाहता

(डा. एन. एस. गुर्जर)

हूं, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये। मैं नियमों के अनुसार बोलता हूं, आंकड़ों के आधार पर बोलता हूं। मैं आंकड़े देकर, सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस सरकार को। इस सरकार ने वानिकी तथा वन्य जीव पर राजस्व और पूंजीगत व्यय को बढ़ाया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि 1998-99 में जब हमारी सरकार थी उस समय 166 करोड़ रुपये हमने वानिकी तथा वन्य जीवों पर प्रावधान रखा 166.10 करोड़ का और इनकी सरकार आते ही उसके 2000-2003 में आंकड़े देना चाहता हूं केवल 131.19 करोड़ का प्रावधान रखा। यानी इतने करोड़ कम कर दिये। इतना ही नहीं, आगे आप देखिये। हमारी सरकार फिर आयी अभी और इस सरकार ने आते ही 2004-05 में जो अनुमानित बजट है इसमें जो अभी रखा है 235.09 करोड़ का फिर प्रोविजन कर दिया ये आंकड़े बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं कहना चाहूंगा कि ये आंकड़े सारे गलत बता रहे हो आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : ये बजट में से मैंने निकाले हैं। अच्छा आप मुझे सुधार कर देना।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप आपस में क्यों उलझते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : वो बैठ-बैठे बीच में बोलते हैं तो मैं क्या करूं ? आप उनको रोकिये।

श्री सभापति : आप चालू रखिये अपनी बात।

डा. एन. एस. गुर्जर : वो बैठे-बैठे बीच में बोलते हैं तो मैं क्या करूं ? आप उनको रोकिये।

श्री सभापति : आप चालू रखिये अपनी बात।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इसी तरह से यह जो वानिकी तथा वन्य जीव पर जो परसेंटेज के आंकड़े हैं वो देखिये। 1993-98 में 42.81% बजट खर्च हुआ है इसमें पूंजीगत व्यय इसकी तुलना में 2000-03 में केवल, कहां तो 43% के आस-पास और कहां 1.17% यह आपका सैंक्चुरीज को बढ़ाने का बजट था।

श्री सभापति : आप उधर एक्साइट कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपकी तरफ देख कर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप मेरी तरफ बोलिये ना। हां, इधर देख कर।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपकी तरफ देख रहा हूं मैंने केवल हाथ का इशारा उधर किया है, देख आपकी तरफ रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, उधर मत करें आप, इधर करिये, उधर करके आप और एक्साइट कर रहे हैं, आपको विघ्न पैदा हो जाएगा और मुझे कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इसलिए केवल यह नहीं है कहां 43% और इन्होंने घटाते-घटाते 2000-01 में 9.36% 2001-02 में 9 से घटा कर 6% और 2002-03 में 1% पर ले आये फिर मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आते ही 2004-05 के अन्दर हमने 30.99 करोड़ 31% फिर बढ़ा दिया। यह है सरकार की मंशा। इससे सरकार की मंशा का भी पता चलता है।

सभापति महोदय, अब मैं आना चाहता हूं आंकड़ों पर, सरिस्का के बारे में बाघ परियोजना सरिस्का इसके अन्दर ईयर बाई ईयर कहां तो 1997-98 में जब हमारी सरकार थी 8 करोड़ 2 लाख 65 हजार रूपये 1997-98 में आयोजना में प्लानिंग में और इनकी गवर्नमैंट में 2001-02 के अन्दर केवल 1 करोड़ 2 लाख 38 हजार केवल एक करोड़....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इनकी किनकी बोल रहे हैं? इनकी कौन है ?

डा. एन.एस. गुर्जर : कांग्रेस सरकार।

श्री सभापति : तो फिर आप वैसे बोल दें, इनकी और उनकी क्या है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, आपने सही कहा, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुझे आपने करेक्ट कर दिया और सचेत भी कर दिया। 1997-98 में 8 करोड़ 2 लाख 65 हजार और

(डा. एन. एस. गुर्जर)

कहां 2002-03 में केवल 1 करोड़ 2 लाख 38 हजार और फिर 2003-04 में 1 करोड़ 8 लाख यह इन्होंने आयोजना के अन्दर बाघ सरिस्का आयोजना में व्यय किया और हमने आते ही 2005-06 में आते ही फिर प्रोविजन किया तीन करोड़ नौ लाख निन्यानवे हजार यह हो गया करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये। यह फिर हमने वापस बढ़ा दिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद : सारे डिस्टोर्टेड फीगर हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : डिस्टोर्टेड हैं तो आप बता देना। सभापति महोदय, इसी तरह से अगर आप देखें तो जितना प्रोविजन था उसमें से जो खर्च किया बजट अनुमानों में से ये सारे आंकड़े हैं लेकिन उन पर नहीं जाते हुए कुछ सालों का ही बताना चाहूंगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप तो अपने एक साल का बता दो, कितना खर्च किया।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं 2002-03 में ये आंकड़े थे 4 करोड़ 18 लाख इसमें से खर्च इन्होंने किया केवल 1 करोड़ 22 लाख, कहां प्रोविजन था 4 करोड़ 18 लाख और खर्च किया 1 करोड़ 22 लाख...। 2003-04 में प्रोविजन करीब 2 करोड़ 45 लाख और खर्च हुआ 1 करोड़ 38 लाख करीब। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाघ परियोजना रणथम्भौर पर आता हूं, 98-99 में आयोजना में 6 करोड़ 7 लाख और इन्होंने आते-आते 2000-03 में 1 करोड़ 6 लाख। अब कहां 6 करोड़ और कहां 1 करोड़। सभापति महोदय, यह आंकड़े बोल रहे हैं और आते ही 2005-06 में इन्होंने फिर किया 3 करोड़ 10 लाख। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस तरह से इन्होंने इसको बढ़ाया है। मैं आपका ध्यान रणथम्भौर पर ले जाना चाहता हूं। रणथम्भौर में बजट में प्रोविजन 2000-01 का ले लेता हूं 10 करोड़ 47 लाख और उसमें लेखे थे 5 करोड़ 80 लाख और 2001-02 में 13 करोड़ 32 लाख। इसमें से केवल 5 करोड़ 21 लाख । सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने जितना भी प्रोविजन रखा वह खर्च नहीं किया। हमने प्रोविजन भी रखा, खर्च भी किया और अधिकारियों ने गड़बड़ की, पहली बार किसी बड़े अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हुई।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपने घंटी बजा दी मैं समझता हूं मेरी क्या सीमाएं हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि यह जितना भी फोरेस्ट और पर्यावरण है इसमें अब तक जितने भी काम हुए हैं चाहे उनकी सरकार में चाहे हमारी सरकार में, मैं चाहता हूं दूसरे विभाग के मामले हम भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहते हैं। एक साइलेंट घपला जो वर्षों से चला आ रहा था इन विभागों में इस साइलेंट घपले को रोकने के लिये राज्य सरकार एक कोई कमेटी बनाकर, उसका कोई भी स्वरूप हो सकता है। सी.बी.आई. के केवल एक मामले में आर्डर दिये हैं। मैं तो चाहता हूं राजस्थान भर के सारे मामले सी.बी.आई. को रेफर कर दीजिए शुरू से लेकर अब तक के। जो अधिकारी होंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को इस बात की घोषणा कर देनी चाहिये इस बाघ परियोजना के सम्बन्ध में टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य...

डा. एन. एस.गुर्जर : बाघ परियोजना नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सारे फोरेस्ट और पर्यावरण की बात कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन प्रकरणों को सी.बी.आई. को सुपुर्द करने का जो सुझाव दिया है माननीय मंत्रीजी उसे मान लें, उस बात को स्वीकार कर लें और सारे प्रकरणों को वहां भेज दें। हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं लेकिन आपसे कहते हैं कि आपकी सरकार इस प्रस्ताव को कतई नहीं मानेगी क्योंकि खुद दोषी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, इन्होंने जो कहा है वह गलतबयानी की है। मैं पोल नहीं खोलना चाहता हूं, किसी सरकार के पचड़े में मत पडिये, नहीं तो आप घाटे में रहोगे, आप सरकार की बात करोगे तो घाटे में रहोगे। मेरे पास सारे डाक्यूमेंट है। सभापति महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं कि या तो आप शुरू से लेकर आज तक फोरेस्ट, पर्यावरण इन सारे मामलों को राजस्थान भर में जितनी भी सैंक्चुरीज हैं, जितने भी फोरेस्ट हैं वह सब

(डा. एन. एस. गुर्जर)

कागजों में लिखा हुआ है मैं उनमें पड़ना नहीं चाहता यह सब रिकार्ड में है, मैं बात यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हैं, या तो उच्च लेवल की किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से आप कराये, सी.बी.आई. को दें, डिपार्टमैंट की को एर्जेसी बनायें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप हाई कोर्ट में मत जाओ, आप तो सी.बी.आई. वाली बात पर अड़े रहो, उससे मुकरो मत। आपको पता है कि आपकी सरकार सी.बी.आई. को नहीं सौंपेगी इसलिए अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप सुनो, मैं फिर दोहरा रहा हूं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, 1951 से लेकर आज तक पर्यावरण और फोरेस्ट जितनी सैंक्चुरी डवलप की हैं जितने फोरेस्ट एरिया डवलप किये हैं, जितना पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इन सब मामलों की जांच सी.बी.आई. को दीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं 1951 से लेकर आज तक दीजिए आप। आप सहमत होइए।

श्री सभापति : आप बार-बार इंगित कर रहे हैं। यह डिबेट आपके और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य के बीच में नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : वह बीच में खड़े हो जाते हैं। मुझे इन्टरप्शन करते हैं बीच में, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ता है।

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करो।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं। आप विभाग की कोई कमेटी बनाइए ईमानदार अफसरों की, अच्छी कमेटी बनाइए। एक अफसर पर हाथ डालने से हो-हल्ला मच गया। एन.जी.ओ. बोल रहा है, वह अफसर बोल रहा है। जिस अफसर ने उस अफसर की जांच की उसने अपने पिताजी के समय की कोई चीज थी उसको पंजीयन कराने के लिये एप्लीकेशन दी। इसी में पंजीयन कर दिया पहले और ज्योंही इनके खिलाफ जांच आई तो इन्होंने रिओपन करने के लिये चिट्ठी लिख दी। किस तरह से यह पहले काम चल रहे थे इसका आप अंदाज लगाइए। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बाघों के शिकार में किन-किन के

(डा. एन. एस. गुर्जर)

तार जुड़े हुए हैं, इन बाघों की खाल की तस्करी में किन-किन के तार जुड़े हुए हैं, इन फोरेस्ट को बरबाद करने में पर्यावरण विभाग ने एन.ओ.सी. न देकर फोरेस्ट एरिया में इल्लिगल माइनिंग करवाते हैं, पेड़ कटवाते हैं, फोरेस्ट को बरबाद करते हैं इनमें किन-किन के तार हैं, किन-किन की जिम्मेदारी है, विभाग के ओनेस्ट अफसरों की एक कमेटी बनाइए। क्योंकि अगर आप लंबी जांच किसी को देंगे तो वह जांच नहीं कर पायेंगे और जो फोरेस्ट एरिया में इल्लिगल माइनिंग हो रही है इनके मामले में सबको मिलाकर एक कमेटी बनाइए और इनकी जांच करवाइए और बेझिझक सारा सदन आपके साथ है यह जो भ्रष्ट आफिसर बैठे हैं चाहे कितना ही बड़ा आफिसर हो, चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे बहुत बड़ा कोई फोरेस्ट सर्विस का आफिसर हो, आप उनके विरूद्ध कार्यवाही करिए, हम आपके साथ हैं, आपके हाथ मजबूत करेंगे और आपने कार्यवाही की है इसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं और आपने यह जो मांग रखी है इसका मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोले। माननीय श्री भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, वन और पर्यावरण की चर्चा में भाग लेते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापित : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं और आप इनके विघ्न नहीं डालें।

श्री भरत सिंह : माननीय सभापति महोदय, अभी हमने कुछ समय पहले हमारी स्थापना के 56वें साल की वर्षगांठ मनाई। आजादी के बाद हमने लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक तरक्की की है। एक क्षेत्र जहां हम निश्चित दावे से कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश और यह हिन्दुस्तान बहुत पिछड़ रहा है वह हमारे पर्यावरण और हमारे वन क्षेत्र के संरक्षण में। इस सदन में हमेशा अकाल की चर्चा होती है। अभी भी हमारे 18 जिले अकाल से प्रभावित हैं। अकाल के कारण सीधे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं।

(श्री भरत सिंह)

(समय : 13:47 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पिछले 56 वर्षों में प्रति वर्ष हमारे वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या की वृद्धि, पशुओं की बढ़ती संख्या और अनेक कारणों से हमारे राजस्थान में जो वन क्षेत्र पहले ही कम है उसको बचाना कठिन हो गया। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह राजस्थान जो वन्य जीव और अपने वनों के लिये हिन्दुस्तान में इसका महत्वपूर्ण स्थान बना था हमारे अभ्यारण्यों का, पिछले एक साल में और पिछले कुछ महीनों से वनों के सम्बन्ध में जो नुकसान हुआ है, हमारे अभ्यारण्यों में शेरों का शिकार हुआ है उस गलत काम के लिये हम चर्चा में रहे हैं। मेरी मान्यता है कि पिछला एक साल वन संरक्षण की दृष्टि से और वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से इस राजस्थान के इतिहास में सबसे काला वर्ष रहा है। आने वाले समय में इस वर्ष को लेकर तुलना करेंगे कि इस साल में क्या हुआ, किस प्रकार हमारे वन्य जीवों को इतनी क्षति हुई, जो मेरा सोचना है उससे वन विभाग का सोचना बिलकुल अलग है। वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन का अगर अवलोकन करें तो जो चिन्ता मैं जाहिर कर रहा हूं उससे बिलकुल हटकर जिस प्रकार की इनकी जो टिप्पणियां रहती है और सब यह मानते हैं कि सबकी सही प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से इनका उल्लेख रहा है।

माननीय वन सचिव ने आय-व्यय के सम्बन्ध में जो अपना प्रतिवेदन, उसमें लिखा कि जनता एवं विभाग की तमाम विपरीत परिस्थितयों एवम् सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद वन्य जीव सुरक्षा एवं वन विकास में सराहनीय कार्य किया है। यह मानते हैं कि सराहनीय कार्य हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर वन्य जीवों के बारे में जो लिखा है, उन्होंने जो पढ़ा:- हमारा राज्य वन्य जीव क्षेत्र में विविधता के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। हमारे यहां अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थित है।

वन्यजीव प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने के सम्बन्ध में माननीय श्री वी.पी. सिंह, सांसद की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई जो वन्यजीव अभ्यारण्यों के समग्र विकास और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने

(श्री भरत सिंह)

हेतु आवश्यक सुझाव देगी। इन सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि हम केवलादेव सहित सभी 25 अभयारण्यों को, वन्य जीव सम्पदा को सुरक्षित रख सकें।

माननीय अध्यक्षजी, मैं भी इस टास्क फोर्स का एक सदस्य हूं। मैं हमारे अभयारण्यों के बारे में बाद में उल्लेख करूंगा। मगर मुझे पीड़ा हुई कि जो टास्क फोर्स माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गठित की और उस टास्क फोर्स के अन्दर जो प्रदेश के ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वन्य जीव के अन्दर अपना स्थान जिन्होंने बना रखा है उनके बारे में इस सदन के अन्दर इस प्रकार की टिप्पणियां की गई कि इस पूरी कमेटी के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह। मैं चाहूंगा कि वन मंत्रीजी जब जवाब दें तो इसका उल्लेख करें कि जो सदस्य इस टास्क फोर्स में गठित किए गए हैं उनके बारे में इस सदन में ही अगर आस्था नहीं हो, समिति का सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आज इस सदन के अन्दर+++इस्तीफा देता हूं, इसलिए देता हूं कि टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करी।

तीन महीने का समय था। टास्क फोर्स रिपोर्ट पेश करती उसके पहले ही इस सदन को विश्वास में लिए बिना इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने जो विश्वास दिलाया था कि तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट दी जाएगी, एक और कमेटी गठित कर दी गई और उस कमेटी ने सात दिन के अन्दर जो करना था वह सब कर दिया। प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि यह टास्क फोर्स करेगी क्या ? इस कमेटी के अन्दर ऐसे लोग-बाग सदस्य, टास्क फोर्स तो एक तरफ रह गई जो जांच करने के लिए लोग-बाग सरिस्का गए उसमें सदस्य मनोनीत कर दिए, जांच हो रही है शेर की, जांच हो रही है इस बात की कि शेर गए कहां और उस टास्क फोर्स, वह तो धरी रही गई और जो समिति जांच करने गई, जिन्होंने अधिकारियों को, किसी पर एक्शन लिया, मैं यह नहीं कह रहा कि एक्शन सही लिया या गलत लिया। मैं तो यह कह रहा हूं कि जब आपने टास्क फोर्स गठित की... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स के सदस्य है। अपनी यह परम्परा है कि जिस समिति में... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : इस्तीफा दे चुका हूं मैं अभी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस्तीफा तो उस समय देना चाहिए जब आपको यह प्रकट हुआ कि यहां गलत हो रहा है। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य जिस समिति के सदस्य है वह वहां की बात को यहां पर कहें, यह मैं समझता हूं कि नियमों के... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : केवल सदन की प्रवर समिति पर ही लागू होता है। (व्यवधान) आप गलत कोट कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह विधान सभा की समिति नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह विधान सभा की प्रवर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्परा यह है कि सदन की कोई समिति होती है उस सदन की समिति के बारे में यहां पर अपने अन्य विचार प्रकट नहीं किये जा सकते जो समिति तय करें वही होता है। इसलिए, यह बाहर की समिति है, सदन की समिति नहीं है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह समिति बाकायदा मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा करके कि टास्क फोर्स हम बना रहे हैं फलाने की अध्यक्षता में बना रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में केवल घोषणा की थी समिति बनाने की, लेकिन कौन सदस्य होंगे वह घोषणा नहीं की थी, यह घोषणा नहीं थी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन में हो या बाहर हो... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप सही फरमा रही है। कोई सदस्य अगर सदन की प्रवर समिति का सदस्य है या सदन की किसी समिति का सदस्य है और वह फिर उसके बारे में यहां पर कोई बात कहता है तो ठीक नहीं है। लेकिन यह कमेटी सदन की कमेटी नहीं है यह सदन के बाहर के काम-काज की है, इसलिए इन पर वह नियम लागू नहीं होगा। फिर भी माननीय सदस्य उससे त्यागपत्र दे चुके हैं इसलिए इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है नियमों में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह समिति आपकी अनुमति से बनी है। किसी भी सदस्य को किसी भी समिति में मनोनयन तब तक नहीं हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सकता जब तक आपकी कृपा-पूर्वक अनुमति नहीं मिले इसलिए आपने अनुमति दी है। इस तरह सदन की सहमति से बनी है। इस पर नहीं बोल सकते यह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन अभाव अभियोग समिति भरतपुर के सदस्य हैं, रसद विभाग के सदस्य हैं (व्यवधान) हम यहां कोई भी बात, एम.एल.ए. बीसों कमेटी का सदस्य होता है यह उस पर लागू होता नहीं है, आप नियम देख लें, यह केवल उसी पर लागू होता है जो सदन की समिति है, जो विधान सभा अध्यक्ष महोदय बनाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठिए। अब गुर्जर साहब की बात भी सुन लूं मैं जरा।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो टास्क फोर्स बनी जिसके माननीय सदस्य, माननीय ओनरेबल मैम्बर जिसके सदस्य थे और आपने कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, चाहे इस्तीफा दे दिया होगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक टास्क फोर्स जो बनी है, जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट अभी सीक्रेट है। जब तक वह रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस समिति ने क्या जांच की, किनके क्या साक्ष्य लिए हैं, कहां-कहां वह गई, क्या साक्ष्य लिए, क्या जांच की, कौन कितना दोषी है कौन कितना नहीं है, उन सब चीजों को सार्वजनिक रूप से विधान सभा में प्रकट करना यह कानूनसम्मत नहीं है।

मैं इसमें आपत्ति, जो भी आप व्यवस्था दें, लेकिन आप इसमें विचार कर लीजिए कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई माननीय सदस्य उसका सदस्य रहा हो और यहां के जो सीक्रेट बयान लिए जाते हैं जगह-जगह अवलोकन किया जाता है, अभी उसकी प्रोसिडिंग्स सीक्रेट हैं। उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई नहीं है उसकी रिपोर्ट हो सकता है विधान सभा में भी आए या भारत सरकार के पास आए। वह सार्वजनिक कब होगी, कब नहीं होगी। सार्वजनिक रिपोर्ट हो जाती और उसके बाद आप बोलते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी सीक्रेट है। उसकी रिपोर्ट दी नहीं गई इसलिए वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चाहे आप उसके बारे में वर्णन नहीं करें

(डा. एन. एस. गुर्जर)

लेकिन डायरेक्टली और इन्डायरेक्टली वह सब चीजें आपके भाषण में परिलक्षित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य स्वयं ही इस पर नहीं बोलें तो अच्छा होगा, वरना आप इनको अनुमति नहीं दे क्योंकि अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। वह सीक्रेट है। धन्यवाद।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। माननीय सदस्य एक घंटा बोल चुके उसके बाद भी बीच-बीच में यह, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे इस टास्क फोर्स का सदस्य बनाया था और उस टास्क फोर्स के सदस्य की चयन, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने टास्क फोर्स बनाई उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट तो नहीं आई उसके पहले ही यदि सदन के अंदर, जो सदस्य [illegible] इस पर अंगुलियां उठाते [illegible] हैं अगर, तो मैं उनकी गैर मौजूदगी में इस बात को पुनः से बेहतर यह समझता हूं कि टास्क फोर्स से अपने आपका........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपको इस्तीफा सदन में नहीं देना था (व्यवधान) इस्तीफा सदन में नहीं देना चाहिए। वहां देते आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, अपने यहां यह भी प्रोवीजन है समिति जो बनती है, अगर किसी माननीय सदस्य को कोई ओब्जेक्शन है कि कोई भी माननीय सदस्य उस समिति में इस प्रकार का काम कर रहा है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, या वह जो काम कर रहा है वह नहीं कर रहा है, तो उसको समिति से हटाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि उस समिति में इस प्रकार के सदस्यों का, पहले तो इन्होंने स्वीकृति दे दी, उसके साथ काम कर लिया, सारे काम करने के बाद आज यह यहां पर कहे कि मैंने इस्तीफा दे दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ना, वो तो इस्तीफा देता हूं कहा है उन्होंने। यही डिक्लेयर किया कि इस्तीफा देता हूं। दिया नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह तो और भी गलत बात है, यह और भी गलत बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपनी गरिमा रखते हुए नियमों का पालन करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब यह कह रहे हैं कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट नहीं आई और माननीय सदस्य उस पर बोल रहे हैं तो क्या कारण है कि जिस उद्देश्य से टास्क फोर्स बनाई थी उससे पहले ही टास्क फोर्स के सचिव को आपने सस्पैण्ड किया। फिर क्या कारण है? रिपोर्ट आने देते टास्क फोर्स की कि कौन-कौन से लोग दोषी हैं। आप तो बिना रिपोर्ट के सब काम कर लो और यह अगर उस पर कोई व्यवस्था (व्यवधान) करें तो आप हवाला नहीं देने देते (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उनको इसलिए किया, उनके विरूद्ध पहले जांच चल रही थी और उन्होंने जांच के अन्दर अड़ंगा लगाया। मेरे भाषण में भी मैंने स्पष्ट किया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ जाने दो ना फिर।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक अधिकारी जांच कर रहे थे उस मामले में और उस अधिकारी के खिलाफ दूसरे अधिकारी को यह आदेश दिया कि यह मेरी जांच कर रहा है इसमें एक मामला रि-ओपन करके उसको प्रभावित करने की कोशिश की। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये, जो व्यक्ति और जो मैंने उदाहरण दिया कि ढाई साल के अन्दर केवल 5 बार गये और उसके बाद 11 आदमियों की मृत्यु हो गयी, पैंथर ने मार दिया। वहां नहीं गये। यह सब उनके खिलाफ मामले आ गये इसलिये उनको सचिव पद से हटाया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। यह प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ दोष साबित हो गया। (व्यवधान) यह साबित हो गया तो..

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आप अपनी मर्जी से कह रहे हो। (व्यवधान) टास्क फोर्स वाले अगर यह रिपोर्ट करते, टास्क फोर्स कमेटी जो बनी है वह यह कहते हैं कि यह आदमी, यह दोषी है, इसको सस्पेंड करो तो करना चाहिए था, यह करना चाहिए था। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : वे इन्वाल्व थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको तब करना चाहिए था। आपने कैसे कर दिया। आपको तब करना चाहिए था। आपने कैसे कर दिया। (व्यवधान) आपको तब करना चाहिए था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह अभी विचार का विषय नहीं है। (व्यवधान) क्या हुआ, मैं आपको पढ़कर सुनाता चाहता हूं, एक मिनट 180 (क) (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : रणथम्भौर का जो डी.एफ.ओ. है वह घूम रहा है, आज तक उसको एक भी .... (व्यवधान) सेन को किया है, वह नाजायज किया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब किसी सदस्य को किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर .... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट, महावीरजी, महावीरजी एक मिनट। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस आधार पर आपत्ति की जाए जो सदस्य का ऐसा घनिष्ठ प्रकृति का व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है जिससे समिति द्वारा विचारणीय किन्हीं विषयों पर विचार कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी : 5(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की है वह संक्षेप में अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्थापित सदस्य के कथित हित, चाहे वह व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, की प्रकृति बतायेगा। (ख) आपत्ति का उल्लेख कर दिये जाने के पश्चात् अध्यक्ष समिति में प्रस्थापित उस सदस्य को जिसके विरूद्ध आपत्ति की गई है, स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगा।

यह सारा, जिस सामिति का चयन होता है उसके आधार पर यदि कोई आपत्ति है तो उसके बारे में अध्यक्षजी विनिश्चय देंगे और जो भी उसमें गड़बड़ है तो उसमें ठीक की जा सकती है। लेकिन यहां पर आपत्ति का नहीं है। सवाल यह है कि समिति के जो भी सदस्य हैं उनका अपनी बात यहां प्रकट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यानि उसमें यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं। यह यहां पर चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन जो सदस्य किसी समिति का सदस्य है उसमें क्या हुआ, समिति में, यह गोपनीय है, जब तक उसकी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत नहीं कर दी जाए तब तक इस पर नहीं बोलना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें यह कहां आया, कहां आया यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो केवल आपत्ति की बात है और बताता हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, उस कमेटी की रिपोर्ट और उसके बारे में नहीं बतायेंगे। बाकी तो अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां तो कमेटी की नहीं कहेंगे, बाकी कहें।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और ये जो विरोध कर रहे हैं कि उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही की। कार्यवाही की, दोषी पाये गये। केवल इसलिये विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता का वह नजदीकी रिश्तेदार लगता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप आथोराइज नहीं हैं इस बारे में बात करने के लिये। (व्यवधान) ऑनरेबल वन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वे आथोराइज्ड हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का वह रिश्तेदार लगता है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही पर आपको दर्द हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कौन होते हैं जवाब देने वाले। (व्यवधान) क्यों हटाया, यह कोई जवाब दे नहीं सकते हैं। यह जवाब वन मंत्रीजी देंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिये। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। वरना जिस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की है वह आपके बहुत बड़े नेता का बहुत नजदीकी रिश्तेदार है इसलिये आप उसके बारे में आपत्ति कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में आरोप-प्रत्यारोप नहीं करें। माननीय भरत सिंहजी, अपना भाषण प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, रिश्तेदार कोई गुनाह थोड़े ही है। परन्तु मैं कह रहा हूं जो इन्होंने सस्पेंड किया...

श्री अध्यक्ष : माननीय भरत सिंहजी, अपना भाषण प्रारम्भ करें। कन्कलूड करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : रणथम्भौर में और सरिस्का में जो डी.एफ.ओ. घूम रहे हैं, आज तक उनको नोटिस भी दिया क्या आपने। आपको यही तो मालूम नहीं है, गलती करने वाले.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप किसकी अनुमति से बोल रहे हैं। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

सूचना

भीलवाड़ा में साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने हेतु गठित सदन की समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व कि आप अपना भाषण जारी रखें, मैं सदन को एक सूचना देना चाहूंगी। सुबह संयम लोढ़ा और जुबेर खान के जो स्थगन प्रस्ताव थे, उन स्थगन प्रस्तावों के बारे में यह बात हुई थी, गृह मंत्रीजी ने कहा था कि एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी कल शाम को 5 बजे वहां मिलकर के और साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने का प्रयत्न करें।

उस कमेटी के अन्दर श्री रामलाल-विधायक बनेड़ा, श्री कैलाश त्रिवेदी-विधायक सहाड़ा, श्री जुबेर खान-विधायक रामगढ़, श्री कालूलालजी-मंत्री, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया-गृह मंत्री, श्री सुभाष शर्मा-कोटपूतली और श्री सुभाष बहेडिया-विधायक भीलवाड़ा तथा श्री शिवचरणजी माथुर-विधायक माण्डलगढ़। ये सब उस कमेटी में जाएंगे और कल इसलिये मैंने आप लोगों को सूचित करना उचित समझा ताकि कल 5 बजे वहां पर पहुंच जाएं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था। एक नाम इसमें अगर और जोड़ दें, नगर से आने वाले माननीय माहिर आजाद साहब का, क्योंकि ये पहले भी एक बार जाकर आये हैं तो मेरे खयाल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपसे सबमिशन है, इस पर थोड़ा विचार करें।

श्री मदन राठौड़ : बंशीलाल खटीकजी को और जोड़ दें साथ में।

मांग संख्या-9 वन पर विचार

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं कह रहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आयी नहीं उसके पहले माननीय वन मंत्रीजी ने एक और कमेटी को जांच करने के लिये वहां भेजा और उसमें उन्होंने क्या कार्यवाही की, उसका उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब कोई कमेटी का गठन किया जाए या किसी को भेजा जाए तो कम से कम अधिकारी, जिसका खुद का रिकार्ड साफ हो, उसको भेजा जाये। जांच हो रही है बाघों की, बाघों के मरने की जांच हो रही है और जांच करने जा रहा है वह व्यक्ति जिसने खुद 2003 के अन्दर एक बाघ की खाल खुद के नाम रजिस्टर्ड करवायी।

वन विभाग के अधिकारी, जो अधिकारी वन सेवा में 1976 से है और विभिन्न बार रिलेक्सेशन गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने दिया कि जिसके पास कोई खाल है या कोई ट्राफी हो, उन लोगों के पास जिनके पास पुरानी खाल और ट्राफी रखी हुई है, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया उनको विभिन्न चरणों में रिलेक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया। 1988 में दिया, 1999 में दिया और अक्टूबर, 2003 तक दिया। जो अधिकारी जांच करने जा रहा है जिसको आपने भेजा है कि दोषी कौन है, वह अधिकारी 2003 में, सितम्बर में अगर शेर की खाल रजिस्टर करवाये तो पहले जांच वन मंत्रीजी इस बात की करायें कि वह शेर की खाल कहां से आयी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरिस्का में शेर मरे उन्हीं में से किसी की खाल हो। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जब जांच करायें तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को स्पष्ट दिखना चाहिए कि जांच करने वाले खुद तो इससे ऊपर उठकर हैं या वह उसी तरह का है जिसकी जांच की जा रही है।

(श्री भरतसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा। संक्षिप्त में, मैंने जो अपने कटौती प्रस्ताव लगाये उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। थोड़ा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वन भूमि टोटल भू-भाग का 10 प्रतिशत से कम है और 10 प्रतिशत भू-भाग में भी जो एक्चुअल फोरेस्ट एरिया है वह 3 प्रतिशत से कम है। और उस 3 प्रतिशत क्षेत्र के अन्दर जो पूरा आपका 9 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया है उसमें से 28 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया वह है जो हमारे अभयारण्य और सैंक्चुरीज के रूप में हैं, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य के रूप में। सिर्फ 28 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया, जिसको हम वन, जब हम वन नाम लेते हैं तो वन भूमि से मेरा तात्पर्य नहीं है। वन से मतलब, वन की हमारी कल्पना जिस प्रकार रणथम्भौर में जो जंगल या अच्छा घना जंगल है, उसकी कल्पना दिमाग में आती है। बच्चों के सामने आप वन की बात करते हैं तो एक स्वच्छ वन का चित्रण उनके दिमाग में आता है, टेलीफोन पर देखते हैं। हमारे यहां वन भूमि है, वन नहीं है। वन तो 3 प्रतिशत है और हम अगर हमारी सैंक्चुरी जो 28 प्रतिशत भू-भाग जो सैंक्चुरी के रूप में है..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर में जो व्यवस्थाएं हैं, इस बारे में, वह सुनाना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो बात ही खतम हो गयी। (व्यवधान) उन्होंने भी बात कह दी अपनी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, बात खतम नहीं हो गयी। वह प्रोसीडिंग में आयेगी। (व्यवधान) देखो, मैंने आब्जेक्शन किया, सब जानते हैं, संसदीय परम्पराएं हैं।

श्री अध्यक्ष : संसदीय परम्परा है, कौल एण्ड शकधर से उद्धृत करना चाहते हैं तो मैं इजाजत देती हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह 762 पृष्ठ पर है। समिति को दिये गये गुप्त या गोपनीय दस्तावेजों को उद्धृत नहीं किया जाना। जब कभी गुप्त या गोपनीय अंकित कोई पत्र या दस्तावेज किसी समिति के सदस्य को परिचालित किया जाना है तो समिति के किसी भी सदस्य द्वारा उस पत्र या दस्तावेज की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विषय वस्तु अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विमत टिप्पणी में या सभा में या अन्यथा प्रकट नहीं की जा सकती है। जब ऐसी आज्ञा मिल जाए तो उस रीति या उस सीमा के बारे में जिसके अनुसार उस दस्तावेज में आयी हुई जानकारी प्रकट की जा सकती है। यह अध्यक्षजी को पहले बताएं और अध्यक्षजी की यदि यह राय बनती है कि वह जनहित में कोट किया जाना जरूरी है तो वह अलग बात है। यदि आप अनुमति दें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी परम्पराएं और यह है इसमें इन्होंने उद्धृत भी किया है। इस मामले में 167 पर जो निर्देश 55(2) पर है वह संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में उसमें उल्लेख भी है तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कोई सदस्य अपनी बात कहें लेकिन एक मर्यादा है किसी भी माननीय सदस्य को जिस समिति में वह है, वह वहां पर किसी प्रकार की भी आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, अपनी विगत टिप्पणी दे सकते हैं, वह वहां पर इस्तीफा देकर भी आ सकते हैं उसका कारण भी बता सकते हैं, यह सब कुछ तो कर सकते हैं पर जब तक वह उस समिति में है और समिति का यह गुप्त प्रतिवेदन होता है। अब उसमें क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं हुई, उसकी चर्चा हम यहां पर करें, एक ऐसे अधिकारी, आप लिखकर भी देते अध्यक्ष महोदय को और यदि, अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए मुख्य मंत्रीजी ने वह दिया है, जिसमें आपने स्वीकृति दी है समिति के सदस्य बनने की तो उसमें वह अपनी टिप्पणी देते कि कोई भी अधिकारी मान लीजिए गलत है, गलत काम किया है या खुद इन्वॉल्व है तो उसमें उसको वहां से हटाया जाना यह तो बहुत जरूरी है और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको तत्काल हटाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी हटा सकते हैं उसको, यह अपने यहां पर व्यवस्था है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने टिप्पणी की है वह नियमानुकूल नहीं है। आचरण के विपरीत है क्योंकि अभी जैसे बिजली के मामले में कोई एक परिपत्र पढ़ा गया। पर्ची के माध्यम से जीरो ओवर में, अब एक भाग तो प्रगट कर दिया। मंत्रीजी ने भी यह समझा प्राइमाफेसी की बात बिलकुल सही है। उन्होंने कहा कि मैं वापस लेता हूं परन्तु उस परिपत्र में ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इसलिए यह आवश्यक है कि यहां हमको विशेषाधिकार है वहां पर यह भी आवश्यक है कि हम ऐसी बात कहें जिससे उस बात का कहीं पर कोई, यह सारी व्यवस्थाएं इसलिए है कि यह सारी बातें प्रेस में, अखबारों में और सारी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दुनिया में जाती है, जो हम यहां पर कहते हैं। अधिकृत रूप से बात होती है इसलिए कोई बात अधिकृत है या नहीं है जब तक इसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता तब तक यहां कहना ठीक नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल एण्ड शकधर में...

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल एण्ड शकधर जिसको कोट किया माननीय चीफ-व्हिप महोदय ने, उसको आज के कन्टेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है। जब कोल और शकधर को कोट किया, उसमें राइट टू इन्फोरमेशन का अधिकार था? आज एक सामान्य नागरिक को राइट टू इन्फोरमेशन का अधिकार दिया है। आज सारे लोकतंत्र में, दुनिया के लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी, एक वज-वर्ड है। जिस ट्रांसपेरेंसी के वज-वर्ड के आधार पर यह... (व्यवधान) हां, मैं कह दूंगा। ट्रांसपेरेंसी के वज वर्ड्स के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करने की सारी दुनिया में कल्पना की जा रही है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने कोट की है वह आज के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्क्लूजन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमैंट को नोटिस दे रही है, सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार को नोटिस दे रही है, हमारे मंत्रीजी प्रेस में स्टेटमैंट दे रहे हैं। दुनिया में, टी.वी. में सब जगह मालूम है। वहां एक माननीय सदस्य यदि सदस्यों को एप्राइज करें और हम कहें कि आप एप्राइज करने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि कोल एण्ड शकधर यह कह रहा है तो कोल और शकधर सेक्रोसेंट नहीं है कि उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोल एंण्ड शकधर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के उदाहरण के लिए है। कोल एण्ड शकधर जिसको आपने कोट किया है वह आज के कन्टेक्स्ट में और जिस कन्टेक्स्ट में यह राजस्थान में बाघ के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, उस समय यह रेलेवेंट नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होगा कि एक माननीय सदस्य जो उसके मैम्बर हैं वे उन बातों को सदन के सामने रख रहे हैं कि टास्क फोर्स बनाने के पीछे मंशा क्या थी और टास्क फोर्स की कम्पलीट होने के पहले सरकार एक्शन ले ले तो यह कुछ चीजें सदन और जनता के सामने आनी चाहिए, तकलीफ कया है इसमें?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने सी.बी.आई.

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जांच का कर दिया और फिर इसको प्रभावित करने के लिए सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हुई। फिर क्या मतलब है इसका? वह कैस हुई? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, बिलकुल ठीक है। माननीय मंत्रीजी, बहुत अच्छा है। आपको भी यह समझना पड़ेगा कि फैडरल गवर्नमैंट में काम कर रहे हैं। फैडरल गवर्नमेंट में सी.बी.आई. क्या करती है, गवर्नमैंट आफ इण्डिया की क्या-क्या लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट क्या बनी हुई हैं, स्टेट गवर्नमैंट के सब्जैक्ट क्या है, यह सब चीजें वहां पर लिखी हुई है। आज यदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने का अधिकार है तो शिड्यूल, कांस्टीट्यूशन के अन्दर कंकरेंट लिस्ट में है या नहीं है? कंकरेट लिस्ट में नहीं है क्योंकि इसको भारत सरकार लेना चाहती है। हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं आये, आप कर दीजिए न कंकरेंट लिस्ट में। हम कंकरेंट लिस्ट में करना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलना चाहिए, भारत सरकार से पैसा मिलना चाहिए, उस समय तो स्टेट गवर्नमेंट एग्री करती है और जब भारत सरकार कुछ काम करना चाहती है तो तब कहते हैं कि साहब, नहीं यह तो हम भी करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह प्रक्रिया है।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, मैं एग्री हूं। मुझे मालूम है पर आज दिन तक क्यों नहीं हुआ? आज भी स्टेट के सब्जैक्ट में ही है यह। आपने स्वागत किया पर कांस्टीट्यूशन में आप श्रीमान् माननीय मंत्रीजी नहीं है उसमें प्रोविजन जो आपने कहा उसमें इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अच्छी डिबेट हो, एक अच्छी जानकारी हो, मंत्रीजी के पास भी जानकारी है। मंत्रीजी सदन को जानकारी देंगे और एक माननीय सदस्य ने कोई बात कहकर सदन को अवगत कराने की कोशिश की है तो मैं समझता हूं कि जो माननीय चीफ-व्हिप ने बातें कही हैं वह पार्टली राइट है लेकिन आज के कन्टेक्स्ट में यह रेलेवेंट नहीं है और आज के कन्टेक्स्ट में दुनिया में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइये कि टी.वी. पर लाइव डिबेट होगी, यह किसने अलाऊ किया? किस पार्लियामैंट्री स्पीकर ने अलाऊ किया, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए, उस समय टी.वी. नहीं था, अब कोल एण्ड शकधर कोट करें तो टी.वी. को हमें अलाऊ ही नहीं करना चाहिए इसलिए दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन

(डा. सी. पी. जोशी)

परिवर्तनों के आधार पर जनता को ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से चीजें मिले, इस जानकारी मिलने के सम्बन्ध में हमें ओपन माइंड रखना चाहिए। आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वह उस समय रेलेवेंट थी, आज के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। डिबेट लाइव हो, ट्रांसपेरेंट हो, जनता को जानकारी मिले इसलिए ज्यादा आवश्यक है हम इन चीजों के सम्बन्ध में लिबरल होकर वह व्यू लें, जिस लिबरल का एक फायदा, जनता को एक मैसेज देकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हो, यह करना हमारा धर्म है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस कन्टेक्स्ट में यह जो माननीय सदस्य ने बातें कही हैं, उसको अलाउ करना चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ-व्हिप साहब ने जो अभी कौल एण्ड शकधर कोट किया है, मैं उसको दुबारा कोट नहीं करना चाहता, उसमें आगे भी कुछ लिखा है, उसको भी नहीं बताना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कौल और शकधर ने कुछ स्टेण्डर्ड्स तय किये हैं कि डिबेट में या हाउस में यह चीजें कही जाएंगी, इस तरह से कही जाएंगी और इस तरह से नहीं कही जाएंगी। अब आपने एक बात कही कि परिवर्तन समय के अनुसार राइट टू इन्फोरमेशन का आपने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, राइट टू इन्फोरमेशन जो एक्ट बना उसके अन्दर कुछ कंडीशंस हैं कि यह-यह कुछ उन्होंने प्रिवेंटिव कंडीशंस लगायी हैं कि इन-इन चीजों की राइट टू इन्फोरमेशन, इन-इन चीजों में समय की भी और कुछ विषयों की भी उन पर कंडीशंस लगायी हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी समिति, कोई जांच कर रही है, जब तक वह जांच होकर सरकार के सामने या जो भी अथोरिटी है, उसके सामने नहीं रख दी जाती और वह जनता के हित में जब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, उसके पहले कोई भी व्यक्ति उसकी जांच को राइट टू इन्फोरमेशन के तहत मांग लेना चाहेगा तो जांच नहीं दी जा सकती है इसलिए प्रभावित होते हैं वह उसमें कुछ प्रिवेंटिव प्रोविजन्स हैं इस राइट टू इन्फोरमेशन में तो यह प्रिवेंटिव उसमें जांच चल रही है, अब माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं, आज अगर यह उनकी राइट टू इन्फोरमेशन के तहत आपकी कमेटी ने अब तक क्या किया है, इसकी हमें जानकारी दी जाए तो यह यहां राइट टू इन्फोरमेशन के तहत मांगेगे तो आपको नहीं दी जा

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सकती है। दूसरी, अभी माननीय सदस्य ने एक चीज रैफर की। एक खाल के बारे में बोला, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। हो सकता है कि वह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करके क्योंकि वह उस कमेटी के सदस्य हैं, इनको मालूम है कि अन्दर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इन सब चीजों का, अभी अधूरा कन्क्लूजन हाउस के अन्दर रखना, यह डिबेट को प्रभावित करेगा। यह उस जांच को प्रभावित करेगा। डिबेट को भी और जांच को, दोनों को प्रभावित करेगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने जो बोला है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए और माननीय सदस्य को आप, आप स्वयं ही बहुत विद्वान हैं, आप स्वयं की विद-ड्रा कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप रोके कि सदन में उस कमेटी में इन्टर्नल बातें अगर यहां वे करेंगे तो जो उसकी जांच प्रभावित होगी, जो अधिकारी जांच में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, वह सब मामला प्रभावित होगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका निर्णय बहुत आवश्यक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे यह राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम हो, चाहे परम्पराएं और प्रथाएं हों, चाहे कौल और शकधर के दिये हुए अपने वक्तव्य हो, इन सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वह आसन की व्यवस्था है। आसन ने कई बार न्यायालयों में पैंडिंग विचाराधीन मामलों को भी जनहित से जुड़े हुए होने पर यहां उसकी चर्चा की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि इससे जनता का जुड़ाव है इसलिए जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने सारी स्थिति को जानकर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिए अलाउ कर दिया तो उसके बाद फिर इस व्यर्थ की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है। आसन ने व्यवस्था कर दी और माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं उस जांच, जो तथ्य एज ए मैम्बर आफ टास्क फोर्स जो उनके सामने आये हैं, उनको यहां पर उद्धृत नहीं करूंगा। मैं अपनी बात इस सम्बन्ध में वन और पर्यावरण की चर्चा में देना चाहता हूं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें अनावश्यक प्रतिष्ठा का मुद्दा इसको मत बनाइये और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अध्यक्ष की, आसन की व्यवस्था के अनुरूप इनको अपनी बात को कनकलूड करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आसन ने व्यवस्था कहां दी अभी?

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन ने नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : आसन देगा व्यवस्था।

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष : नहीं दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्थाओं को चैलेंज करने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी मैंने दी भी नहीं है व्यवस्था। मैंने केवल इतना ही कहा था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अनुमति तो दी है इनको बोलने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष : केवल आपको बोलने की अनुमति दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आज जब यह हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनिक मीडिया की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने तो बात कह दी अपनी। आपने तो कह दिया न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर एक थानेदार कोई इन्क्वायरी कर रहा है और उसके सामने कोई ऐसा प्रसंग आया उस इन्क्वायरी में, कोई तस्कर है, उसको पकड़ा जाना है और उसके पास में कोई इन्फोर्मेशन मिल गयी और उसको वहां तक पहुंचाना है और वह गोपनीय रखना है कोर्ट में, वह क्या पेश करता है यह जब तक मालूम नहीं होता जब तक कोर्ट नहीं देखता तो क्या यह सब बातें, यह सारा जो हमने नियम, प्रोसीजर और अध्यक्षजी,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आपका अधिकार है कि नियम समिति में अपन ने जो नियम बनाये हैं, उनमें अपन संशोधन कर सकते हैं। यदि हम ऐसा अनुभव करते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं। यदि इनकी प्रासंगिकता खतम हो गयी हो तो इन नियमों में प्रावधान वापस डाले जा सकते हैं, वापस इनको अमेण्ड किया जा सकता है पर किस सीमा तक, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि यह बिजली का मामला आया, हम कोई भी एक मामला उठाकर यहां सनसनी पैदा कर दें, जो रोज होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये इन नियमों की व्यवस्था है। चर्चा करने में किसी को कोई एतराज नहीं है पर यह नियमों की व्यवस्था है कि जब तक उसका कोई कन्कलूजन नहीं आ जाये, उस समिति की रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत नहीं हो जाये, वह तब तक सार्वजनिक नहीं कर सकते। यह है, इसलिये मैं समझता हूं कि हमको कोई ऐसे उदाहरण पेश नहीं करने चाहिये जिसके कारण आपको, सरकार तो आती-जाती है, यह समिति बनेगी, चली जायेगी, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण बन जायेगा कि जिसके कारण फिर आप यहां बैठो और हमको इस प्रकार बोलना पड़े। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो बैठना है हमें खैर वहां। अगली बार बैठना है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री जुबेर खान : मेरा निवेदन है इसी सम्बन्ध में। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने जो कौल एण्ड शकधर का हवाला दिया है, वह समिति के बारे में दिया है जो सदन के माननीय अध्यक्ष द्वारा कमेटी बनाई जाती है और यह समिति राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी है, इसी तरह का मामला अध्यक्ष महोदय, 5.5.1995 को लक्ष्मण सिंह व श्री माधव सिंह दीवान, सदस्य द्वारा उठाया गया था टिबरेवाल कमीशन से जुड़े हुए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट लीक हो गयी थी। चार पेज की उस टाइम की एक व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय की। मैं अन्त का ही सुनाऊंगा। उन्होंने मावलंकरजी का भी इसमें हवाला दिया है। स्पीकर लोक सभा के भी कई हवाले दिये हैं। अन्त में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि यह समिति बनायी थी राज्य सरकार ने और यह सदन राज्य सरकार के मातहत नहीं है। राज्य सरकार इस सदन के लिये उत्तरदायी है। अगर यह समिति, अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा बनाई जाती और उस समिति को

(श्री जुबेर खान)

लीक किया जाता यहां, तो यह वास्तव में गलत था, नहीं होना चाहिये था। लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनायी गयी है। अन्त में...

श्री अध्यक्ष : आप अब वह ओपरेटिव पोर्शन पढ़ दीजिये।

श्री जुबेर खान : उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं नहीं समझता कि इससे सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उपस्थित हुआ है और यह कोई ऐसा मामला है जिसे सदन के समक्ष विचारार्थ लाया जा सके। एतदर्थ मैं उपरोक्त दृष्टान्त व तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं। यह इसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा हवाला दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सरकार के अधीन नहीं है। सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार है। इसलिए सदन से बड़ी सरकार नहीं है। इसलिए जो सरकारी मुख्य सचेतक ने मुद्दा उठाया है यह ईर्रेलेवेन्ट है। यह उसी कमेटी के लिये लागू है जैसे प्रवर समिति बनती है वह विधान सभा के सदस्यों की बनती है और माननीय अध्यक्ष द्वारा बनायी जाती है क्योंकि यह समिति जिसके माननीय सदस्य हैं, वह सदन द्वारा, आपके द्वारा नहीं बनायी गयी। इसलिए यहां उस पर चर्चा की जा सकती है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिन टर्म्स और रेफरेंस को लेकर यह टास्क फोर्स गठित की गयी थी, उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया था कि इन परियोजना में बाघों का संरक्षण क्यों नहीं हुआ? उस पूरी जांच से, यह उस जांच से सम्बन्धित है और आज माननीय सदस्य उसके सदस्य रहे हैं और आज उसी विषय पर बहस है। आपके भाषणों से जो बातें आ रही हैं, वह परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उस समिति में जो विचार-विमर्श हुए हैं, वह बाहर आ रहे हैं। मैं समझता हूं उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आयेगी तब तक वह अति गोपनीय है। इसलिए आपको नियमों में, जो अभी उल्लेख किया है, उसके अनुसार भी नियम और प्रक्रिया भी यही कहती है कि आप इनको बाध्य कीजिये कि उन बातों का उल्लेख यहां नहीं करें।

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्री महोदय, यह स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। जुडिशियल अधिकार नहीं है इस कमेटी को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन टर्म्स एण्ड रेफरेंस पर गठित की गयी थी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण करें। आसन पर आने के बाद मैंने जो कुछ दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं और जो कुछ उन्होंने बोला, जो मैंने सुना उससे पहले वह क्या बोल गये, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह बात सही है कि प्रतिपक्ष ने जो यह आरोप लगाये, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कौल एण्ड शकधर अब बेमानी हो गया है। यह बात नहीं है कौल एण्ड शकधर जब भी रेलेवेंट था और आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि वह गाइड है हमारे लिये। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा कमेटी से, जहां तक मैं समझ पाई, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। इसका मतलब यहां इस्तीफा दे रहे हैं जो कि बिलकुल गलत है, क्योंकि उनका मनोनयन यहां से नहीं हुआ था, सदन ने नहीं किया। अध्यक्ष ने नहीं किया था। बल्कि सरकारी स्तर पर हुआ था। इसलिए देना चाहिये था पहले। आपको यहां घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं था। आपने यह गलत काम किया है। (व्यवधान) सुनिये, नो-नो, आप बीच में नहीं बोलें। लेकिन मैंने जहां तक सुना है उस समिति के बारे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। (व्यवधान) हां, कोई चर्चा नहीं की। आसन पर आने के बाद मैंने जो कुछ सुना, उसमें उन्होंने कोई चर्चा नहीं की केवल इतना ही कहा उन्होंने कि उस टास्क फोर्स से पहले ही, उसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले ही एक और कमेटी बनाकर, एक और जांच दल बनाकर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। वह दे दी उन्होंने।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक बात और कही थी। आपकी इजाजत हो तो कहूं।

श्री अध्यक्ष : हां क्या? कहें।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक खाल से सम्बन्धित बात कही इन्होंने और वह उस कमेटी की गोपनीय चीजें है। खाल से सम्बन्धित बात कही। प्रोसिडिंग देख लीजिये। प्रोसिडिंग देख लें आप। एक अधिकारी से सम्बन्धित खाल का मामला, ऐसा कहा है। प्रोसिडिंग में कहा है.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपको क्या पता, वह रिपोर्ट में है। आप तो मैम्बर नहीं हो उसके। आपको क्या पता? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : यह तो टाइम्स आफ इण्डिया में कल छपा है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप लोग यूं ही खड़े होकर उत्तेजित हो जाते हो। माननीय सदस्य ने जो यह कहा, वह टास्क फोर्स जो थी, उसकी वहां जो कार्यवाही हुई है, जो कोई चर्चा हुई है, उसको उन्हें यहां नहीं कहना चाहिये था और मैं उसे एक्सपंज करती हूं। नहीं कहना चाहिये था।

डा. सी. पी. जोशी : विधान सभा की परमीशन के बिना मैम्बर नहीं बना सकते और टास्क फोर्स सरकार ने बनाई है, आपने परमिशन दी तो और ज्यादा बेईमानी है, इसका उत्तर दीजिये आप। विधान सभा में यह प्रोविजन है कि बिना अध्यक्ष की परमीशन के विधान सभा का कोई भी सदस्य किसी भी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता तो फिर यह सदस्य हैं नहीं। फिर काहे के सदस्य वह, बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुमति दी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : टास्क फोर्स का कोई मतलब नहीं। वह अब एम.एल.ए. की हैसियत से मेम्बर ही नहीं है, बात खतम हुई। आप बताइये अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन ली थी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, दी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नो-नो, नेवर Don't put your words in her mouth. अपनी बातें फीड कर दें, गलत है।

श्री अध्यक्ष : पत्रावली देखने के बाद कह सकती हूं कि मुझसे अनुमति ली गयी है अथवा नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य का मनोनयन.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी से खोटे-खोटे काम करवा रहे हैं, बंद करिये इस काम को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं पत्रावली देखने के बाद बता सकती हूं कि मुझसे अनुमति ली गयी अथवा नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनुमति हुई कि नहीं हुई, वह अलग बात है। आपका फैसला शिरोधार्य है।... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। आप तो 50 साल की चीजें भी नहीं भूलती हो।

श्री अध्यक्ष : मुझे पत्रावली देखने के बाद पता चलेगा कि मुझसे अनुमति ली गयी थी या नहीं ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी से खोटे-खोटे काम, संसदीय मंत्रीजी, मत कराओ। (व्यवधान) बनाये रखो, क्यों मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति लेते तो बुलेटिन जरूर आता। इसका मतलब आपसे अनुमति नहीं ली गयी इनके मनोनयन की।

श्री श्रवण कुमार : आप तो कोई बात भूलते ही नहीं हो। आज याद कैसे नहीं है आपको ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन के किसी भी सदस्य को... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करिये। इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी समिति के अंदर जब नामिनेट किया जाता है चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे राज्य स्तर की हो, तो स्पीकर के पास सूचना आती है और स्पीकर जब उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं उसके बाद ही मनोनयन होता है। तो इतनी जाती हैं कि मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं है। यह मैं पत्रावली देखने के बाद बता सकती हूं, आया कि नहीं आया, मुझे ध्यान नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर आपकी अनुमति के बगैर बना दिया गया तो क्या आप सरकार को प्रताडित करेंगे? (व्यवधान) अगर आपकी परमीशन के बगैर राज्य सरकार ने किसी माननीय सदस्य को किसी समिति में डाला है और माननीय अध्यक्ष महोदय की अवमानना की है, इस सदन की अवमानना की है तो फिर इसके ऊपर आप क्या प्रताडित करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं क्या कह सकती हूं इस बारे में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर अनुमति ली है तो?

श्री अध्यक्ष : तो इनको प्रताडित किया जाये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं ली है। अगर ली होती तो माननीय अध्यक्षजी की याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं बहुत साथ रहा हूं। इन्होंने क्विंटलों बादाम खाये हैं। यह 50 साल की बात नहीं भूलते हैं, ली होती तो यह कह देती कि ली हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तो एक-एक बात याद है अध्यक्ष महोदय को। जब आप विधायक रहे, आपने क्या-क्या किया.... (व्यवधान) भूलते नहीं हैं, मजबूरी है कि बोल नहीं सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब याद है, आपकी भी याद है।

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्रजी, एक बात है अगर ले ली तो आपको जरूरत है लेना ही चाहिए था और यह जो बात है यह ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपनी सीट से नहीं बोल कर वहां से बोल रहे थे। हमारे नियमों में प्रावधान है कि जो ही दर्ज होता है जो अपनी सीट से बोला जाए इसलिए जो इन्होंने वहां से बोला है, अध्यक्ष महोदय, उसको एक्सपंज किया जाए। यह परम्परा गलत है कि सदस्य कहीं भी जाकर खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे। यह स्थिति बिलकुल गलत है, यह प्रोविजन है। वहां जाकर के बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर वह सरकार की तारीफ कर देते तो आप एक्सपंज कराते क्या? अगर वह यह कह देते कि वसुन्धराजी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप एक्सपंज कराते क्या?

डा. एन. एस. गुर्जर : बिलकुल, बिलकुल कोई भी सदस्य दूसरी सीट से नहीं बोल सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कितना ही मक्खन लगा लो, आप तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, कानून के जो ज्ञाता हैं वही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब तरफ से जब शोर होता है तो सारी बातें अंकित होती ही नहीं है।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जब आसन पर नहीं थे, जब सभापति थे उसके पहले जिस विषय पर मैंने सदन में बात कहीं मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था, यह चर्चा मैंने इसलिए करी जब टास्क फोर्स के गठन के बारे में एक सदस्य ने इस प्रकार की टिप्पणी की उस सदस्य के जो इस सदन में नहीं है और मैं क्योंकि उस समिति का सदस्य हूं, जो उस टास्क फोर्स के सदस्य यहां पर नहीं है, जो अपने आप में एक विशेषज्ञ हैं, जिनको मुख्य मंत्रीजी ने इस समिति में रखा उसके बारे में जब आपत्तिजनक टिप्पणियां करी गयीं तो मुझे मेरे मन ने गवाह नहीं दिया कि इस कमेटी का सदस्य बना रहूं और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं उसके लिए अपने शब्द वापस लेता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें कौनसी बात है।

श्री भरत सिंह : मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और ना मैंने उस टास्क फोर्स के कोई गोपनीय दस्तावेजों को यहां उजागर किया। यह जो तथ्य मैंने सामने रखे हैं वह वन मंत्रीजी की जानकारी के लिए इस सदन की जानकारी के लिए वह बातें रखीं। जो मैं यह खाल के बारे में कह रहा हूं। वह कल के राजस्थान प्लस में वह पूरा समाचार विस्तार से इसमें आया है और मुझे इस

(श्री भरत सिंह)

बात की जानकारी है कि वह तथ्य सही है। अगर यह खाल वाली बात गलत निकले तो इस समिति क्या, इस विधान सभा से मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां क्यों दबे रहे आप? यह बात उसमें क्यों नहीं लिखायी? वहां पर आप क्यों चुपचाप रहें? हम कोई उसकी तारीफ करते हैं या... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हम तारीफ नहीं कर रहे हैं उसकी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया यदि ऐसा किया है तो।

श्री भरत सिंह : कर्तव्य का, मुझे सिखा रहे हो आप कर्तव्य का पालन करने वाले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो आप क्या कहना चाहते हो, वह कहना चाहिए आपको।

श्री भरत सिंह : जो आदमी बोलता नहीं है बार बार उसको, डिबेट को डाइल्यूट कर रहे हैं आप। क्या डाइल्यूट कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था के बाद आप बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह : जोर से, आप से जोर बोल सकता हूं। कोई सही बात तो बोलने की, सुनने की क्षमता नहीं आप की।

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था के बाद आप बोल रहे हो इसलिए कर रहे हैं। (व्यवधान) व्यवस्था हो गयी कि इस मामले में आप नहीं बोलेंगे फिर आप बोल रहे हैं। जो बोलना चाहिए वह तो बोलते नहीं हैं।

श्री भरत सिंह : जोर-जोर से बोलना मेरे को भी आता है। जोर से कर के झूठ को दबा नहीं सकते आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी झूठ को दबाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

श्री भरत सिंह : असत्य बात को आप दबा नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आपने झूठ को दबाया है, यदि आप वहां पर नहीं बोले हैं तो झूठ आपने दबायी है, मैंने नहीं दबायी। मैंने आपको कोई मजबूर नहीं किया। आपको यह बात स्पष्ट कहनी चाहिए कि वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इस प्रकार का किया है और आप नहीं बोले तो आप स्वयं अपराधी हैं।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चिन्ता जाहिर कर रहा था। कि राजस्थान में वनों की जो हालत है, पहले से ही वनों पर दबाव है, हमारे पास वन क्षेत्र कम है, हमारे पास जो अभ्यारण्य है उसका जो टोटल एरिया है वह अपने आप में बहुत सीमित है, उसको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे और इस वर्ष वन संरक्षण की दिशा में बिलकुल विपरीत काम हुए हैं और इससे खराब वर्ष वन संरक्षण की दृष्टि से कभी रहा नहीं।

जब पिछले साल सेम इसी विषय पर चर्चा हुई थी मैंने आशंका प्रकट करी थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत विपरीत दिशा में दो विभाग वन और खनिज, इन दोनों को एक मंत्री के नीचे रख कर एक एक्सपैरीमेंट करा है अगर यह वनों की दृष्टि से सफल हो जाता है तो बहुत बड़ा काम होगा और अगर यह फैल हो जाते हैं तो वनों की बहुत जबरदस्त क्षति होगी। और जैसी मुझे आशंका थी वही हुआ, बिल्ली के साथ कबूतर को कर दिया गया, कबूतर की गर्दन और कबूतर को तो खाना ही था। वन मंत्रीजी ने जो इस एक साल में काम करें हैं वह वनों की दृष्टि से बिलकुल....वहीं आ गये।

(समय : 14.35 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, कह रहे हैं कि वो ही आ गये।

श्री भरत सिंह : सभापति महोदय, अब आप कैसी व्यवस्था देंगे, इसका तो मुझे पता नहीं मगर मैं कोशिश करूंगा...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह विक्रमादित्य का आसन है।

श्री सभापति : इस आसन पर आने के बाद जो भी सही होता है, निर्णय वही किया जाता है इसलिए आप निश्चिंत होकर बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसका मतलब आप वहां से जो बोल रहे थे सब सही नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, वहां से जो बोल रहे थे वह गलत था, हमारे दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य सही थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आप वहां से फरमा रहे थे वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : मैं यह कह रहा हूं निष्पक्ष, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आसन निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता से बात हो। आसन पक्ष और विपक्ष नहीं देखता, आसन तो नियमों के अनुकूल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वहां आप किसी पक्ष की पैरोकारी कर रहे थे?

श्री सभापति : देखिये, मेरा रोल वहां में और यहां में परिवर्तन हो जाता है।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बात यह नहीं है, गद्दी पर बैठते ही, आसन पर बैठते ही, सभापति महोदय, दिमाग जो है....

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनको मंत्री बनाओ न, तब पता पड़ेगा कितना दिमाग है। आप जरा पहले मंत्री बनाओ न। (व्यवधान) आपको इनसे कोइ तकलीफ है क्या ? मेरे तो पुराने मित्र हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बड़ी मुश्किल से भूलते हैं आप फिर याद दिला देते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पर बैठने के बाद पार्टी की सीमाओं से आदमी ऊपर उठ जाता है, वह पार्टी के व्हिप से ऊपर उठ जाता है इसलिए इस आसन की एक मर्यादा है और उस मर्यादा के अनुकूल आसन कार्य करता है।

डा. किरोड़ी लाल : माहिर आजादजी, आपको पता है कि जब रामस्वरूपजी को मंत्री बनाया था तो हमने सदन के बाहर नारेबाजी की थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अन्दर भी की थी आपने। आपके कहने से ही बनाया था।

डा. किरोड़ी लाल : अन्दर भी की थी, बार भी की थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो अब हमारे कहने से भी आप महावीरजी को और इनको बना दो तो हमारा काम आसान हो जाए।

डा. किरोड़ी लाल : आप एक दिन पहले वैल में तो आओ इनकी मांग को लेकर।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, ठीक है।

श्री मदन राठौड़ : आप वहां हो वहीं ठीक हो। बखेड़ा और करोगे, उधर ही ठीक हो। आप कहां हो, यह पता ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कान सही करो, कान, वैल में आने की बात हुई। उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनो आप। आप कान का आपरेशन कराओ।

श्री मदन राठौड़ : और आप कहां चले जाते हो, यह भी आपको पता नहीं। कब किस दल में हो, यह भी पता नहीं है। आपके दल का भी पता नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं, विराज जाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह हिम्मत की बात है जो आपके बस की बात नहीं है।

श्री सभापति : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं, प्लीज।

श्री भरत सिंह : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिछले साल जो मुख्य मंत्रीजी ने माननीय वन मंत्रीजी को खनिज मंत्री भी बनाया तो उन्होंने एक एक्सपैरीमैंट किया और वह एक्सपैरीमैंट फैल हो गया। वन विभाग का बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया इनको वन और खनिज मंत्री बनाने के

(श्री भरत सिंह)

लिए। वनों का राजस्व भी कम हुआ है। पिछले साल की तुलना में वनों की जो टोटल आमदनी है वह कम हुई है। वनों की आदमनी देखेंगे कि जब राजस्थान आजाद हुआ था तो वन आय का, प्रदेश आमदनी का मुख्य जरिया था। आज राजस्थान के लिए वनों की आय का महत्व नहीं रहा मगर जिस बात का महत्व है कि वनों से, जिन ट्रायबल एरिया में जो ट्रेडीशनल वनों से इनकम होती थी वह ट्रेडीशनल इनकम खतम हो गयी चाहे वह तेंदू पत्ते से है, उसमें कमी आयी है चाहे दूसरे वन उपज से। इसका मतलब यह है कि जो हमारे वन हैं, जिनको हम सही रूप में वन कहते हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। आज वनों से जो आमदनी हो रही है वह उन क्षेत्रों से हो रही है जहां वन भूमि है नहीं या बहुत कम है। हनुमानगढ़ और गंगानगर इलाके से आपकी लकड़ी की आवक हो रही है। एक जमाना था जो आपके वन क्षेत्र थे, हाड़ौती संभाग के जो जंगल थे, जहां ट्रेडीशनल जंगल थे वहां से वनों की उपज की आमदनी होती थी।

तेंदू पत्ता जो आय का मुख्य स्रोत होता था, आज से दस साल पहले लगभग 6.5 करोड़ रुपये की आमदनी तेंदू पत्ते से होती थी इस साल चार करोड़ रुपये से कुछ अधिक इस साल वनों की तेंदू पत्ते से आमदनी हुई है। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि बीडियां सस्ती हो गयी इसलिए आमदनी कम हो गयी है। बात स्पष्ट है कि जो हमारे तेंदू पत्ते के पेड़ हैं उनकी संख्या वनों के अन्दर कम हो गयी है और अभयारण्य क्षेत्र से अन्दर से तेंदू पत्ते तोड़े जा रहे हैं उसके बाद भी वह पूर्ति नहीं हो पा रही। तो हमारी जो वनों की उपज है, वनों की आय है वह बिलकुल घटती जा रही है और वन नष्ट होने के कगार पर हैं। खास कर के जहां पर ट्रेडीशनल फोरेस्ट थे वन जिलों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो चाहे सहरिया इलाका है जहां जंगल कटने से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। आज अगर वनों के अंदर हमारे जंगल सुरक्षित होते तो सहरियाओं की मृत्यु जो हुई है वहां शाहबाद और किशनगंज एरिया में जिनका जिक्र आया, उल्लेख हुआ, उसके अन्दर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता मगर निश्चित रूप से जब मैं वहां सहरिया इलाके के अन्दर गया तो उस टाइम भी लोग-बाग जड़ी बूंटियां निकालकर अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनकी संख्या बहुत कम है।

(श्री भरतसिंह)

हमारे जो ट्रेडीशनल फोरेस्ट हैं वह नष्ट हो रहे हैं और इसीलिए जो अभयारण्य, हमारे जो रिजर्व फोरेस्ट हैं और कम से कम अभयारण्य क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मैं विशेष जोर दे रहा हूं। इनका अगर हम संरक्षण नहीं कर सकेंगे तो वन्य जीव तो बचेंगे ही नहीं मगर जंगल भी हमारा नहीं बचेगा। इसलिए विशेष आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो फोरेस्ट एरिया, जो सैंक्चुरी के अन्दर है उनको हम संरक्षित करें और इसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जो हमारी वर्ल्ड हैरिटेज साइट है, जो घना वर्ड सैंक्चुरी है जिसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्रीजी करते हैं और हम टूरिस्ट के पम्पलैट्स दुनियां भर में बेचते हैं तो आज उस भरतपुर की हालत क्या हो गयी और उसके बारे में सरकार कितनी गम्भीर है। सरकार जो कह रही है कि हम उसके अन्दर पाइप लाइन से उसको पानी लाकर देंगे पाइप लाइन से तो अजमेर भी प्यासा मर रहा है, वह पाइप लाइन वहीं टूट रही है, कौनसी चिड़ियों के लिए कौनसा पानी आएगा, दस साल की आप कल्पना करके लोगों को गुमराह करने की बात हम कर रहे हैं। अगर भरतपुर को जीवित रखना है तो हमें पानी की व्यवस्था बांध के माध्यम से चाहे पांचना से हो या गम्भीरी से हो, हमको करनी पड़ेगी. नहीं तो यह वर्ल्ड हेरिटेज साइज जिसका हम उल्लेख करते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान में समाप्त हो जाएगी।

पिछले साल चिड़ियों की संख्या कितनी थी, केवल पांच हजार पक्षी वहां आएं हैं और उनको देखने वाले, क्योंकि उन देखने वालों को गुमराह किया गया, उनको यह नहीं बताया गया कि भरतपुर सूखा है ट्रेवल एजेंट्स ने भरतपुर को सैल किया और अस्सी हजार से अधिक पर्यटक भरतपुर को देखने आते हैं। आज हमारे जू में, हम जंगलों में तो दूर, हम हमारे चिडियाघर के अन्दर भी हमारे पक्षियों को संरक्षित नहीं कर सकें। रियासत के जमाने में पांच चिडियाघर थे उसमें एक चिडियाघर वन विभाग को इसलिए बंद करना पड़ा कि हम बीकानेर के चिडियाघर को जो रियासत के जमाने के चिडियाघर थे उनके अन्दर पिंजरों के अन्दर भी हम वन्य जीव को सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे, जंगल में रखने की क्या बात हुई और आज बीकानेर का चिडियाघर बंद है। मगर उसके बाद भी आप देखेंगे कि चाहे जयपुर हो या कोटा के चिडियाघर हों उसके जो देखने वालों की संख्या बढ़ रही है और करोड़ों से ऊपर रुपए जो

(श्री भरत सिंह)

है नेशनल पार्क में जो देखने वाले हैं उनसे लगभग दो करोड़ रुपया आपको इको डवलपमैंट के लिए मिल रहे हैं और जयपुर, कोटा और यह जू जो और बिगड़ी हालत में हैं उसको देखने वाले लोगों की भी रुचि है। करोड़ों रुपये की आय हो रही है।

जहां से जंगलों को आय होनी चाहिए वहां तो आय खतम हो गयी और जहां हमारे चिड़ियाघर अव्यवस्थित पड़े हुए हैं उसके अन्दर भी मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको कम से कम जंगल में नहीं तो एक कम से कम संभागीय स्तर के ऊपर कोटा जैसी जगह या दूसरी जहां पर वन्य भूमि भी है पांच-पच्चीस करोड़ रुपया खर्च करके एक अच्छे सब जगह डिवीजनल लेबल के ऊपर वाइल्ड वाइफ के ओपन जू तो करें ताकि जानवरों को वहां देख सकें। इसके लिए हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम आगे क्या... माननीय सभापतिजी, इस पचास साल के अन्दर नाजुक से नाजुक तितलियां भी खतम हो गयी और सबसे कठोर पक्षी जो हर परिस्थिति में जिसको हम समझते थे कि वह सरवाइव करेगा, गिद्ध लुप्त हो गया। इन सिस्टम से हम अपने आपको कभी क्योंकि हम यह सोचते हैं हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जाति के हैं इसलिए हम यह सोचते हैं कि सब कुछ सही है, पर्यावरण में जिस प्रकार की तब्दीलियां हो रही हैं उसकी हम किस प्रकार से अनदेखी कर रहे हैं। कौन इसके बारे में चिन्तन करेगा। आज पचास साल के बाद आदमी अगर नौकरी से रिटायर होता है उससे लोग-बाग पूछते हैं आप रिटायर हुए आपने अपने बच्चे के लिए क्या किया कि दो मकान बना लिए, धंधा जमा लिया, सब कुछ ठीक है मगर जब हमारी अगली सैंचुरी की नई पीढ़ी जो उसको इस पृथ्वी में हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसके रूप में हम उसको विरासत में क्या देकर जाएंगे। पीने के पानी की व्यवस्था भी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे फोरेस्ट को हम इतना इन्सेन्सिटिव तरीके से अगर हम देखेंगे।

चार कटौती प्रस्ताव लगाए थे मैंने उनके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा कि एक औपचारिकता के रूप में पर्यावरण विभाग फंक्शन कर रहा है, वन विभाग अलग है। दस करोड़ रूपया हम सालाना खर्च करते हैं, दौ सौ से अधिक उसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं, दस जिलों में उनके दफ्तर हैं और करते क्या हैं यह? पर्यावरण

(श्री भरत सिंह)

विभाग या लाइसैंसिंग या बड़ी इण्डस्ट्री के पास जाकर अपना जिस रूप में इनको अपनी अब क्या शब्द प्रयोग करूं, जो उनका लाइसैंसिंग के अन्दर उनकी फीस होती है कुछ सरकार में जमा होती है, कुछ उनके पास जमा होती है उसके अलावा यह पर्यावरण विभाग कुछ नहीं है।

कोटा के अन्दर मैंने एक प्रश्न किया था। मैंने प्रश्न किया था कि कोटा में कोटा स्टोन का जो बेस्ट है कोटा और झालावाड़ में जहां मुख्य मन्त्रीजी हैं, आप झालावाड़ जायेंगे वह तारीफ कर रहे हैं। उल्लेख है झालावाड़ का कि इतना पैसा झालावाड़ में लग रहा है मगर वह सारा पैसा भी उस कोटा स्टोन का जो बेस्ट पूरे झालावाड़ में एंटर करते हैं उसके ऊपर पड़ा हुआ है, कोटा में पड़ा हुआ है उसके बारे में क्या कर रहे हैं।

आज एक हजार के करीब स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज चक्के चलाने की इंडस्ट्रीज हैं उनमें से आधी ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा। यह प्रश्न किया था मैंने पिछले साल आधी से ज्यादा ने तो रजिस्टर ही नहीं कराया। पर्यावरण विभाग उनको रजिस्टर करवाने में भी सक्षम नहीं हुआ। बिना रजिस्टर्ड वह इण्डस्ट्रीज चल रही हैं। पर्यावरण विभाग के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। वह कहते हैं कि यह आवेदन देने आते नहीं हैं और वह वहां जाते नहीं हैं तो न तो वह आते और न वह जाते और पूरा मलबा जो है हम कार्यवाही कैसे करें हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है वह पर्यावरण विभाग चल रहा है। हम विधान बना लेते हैं, विधान सभा से पोलीथीन की हमने बात की, पोलीथीन की थैलियों का उपयोग बंद हो जाएगा, एक के ऊपर भी कार्यवाही हुई क्या? और पर्यावरण का एक ही मुझे मालूम है सुबह रेडियो लगाता हूं उसमें जरूर प्रवचन आता है कोयलें वहां तो जरूर बोलती हैं उस पर्यावरण के नाम के ऊपर यह विभाग फंक्शन वहां कर रहा है।

तो इस प्रकार का जो इन्सेन्सिटिव, कोटा के अन्दर थर्मल की पूरी जो वेस्ट जा रही है उसको कौन मानीटर कर रहा है ? उसके बारे में सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषण हमारे यहां पर है। नदी के अन्दर पानी गिर रहा है जिसके बारे में मैंने अभी दो दिन पहले 295 के तहत उल्लेख किया। पूरी चम्बल नदी नीचे डाउन स्ट्रीम में तो गटर बन ही गयी मगर जहां से पानी पी रहे हैं उसमें भी गंदा पानी जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर दफ्तर कोटा में है, कोटा स्टोन का

(श्री भरत सिंह)

मलबा पड़ा हुआ है, प्रदूषण से नदी में पानी पहुंच जाता है। कोई उसको अटेन्ड ही नहीं कर रहा है। हम अटेंड नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी आगे जब पानी पीएगी वह पानी पीने जैसा भी होगा या नहीं। इस सदन में अगर हम इस बारे में चर्चा करके कुछ चीजें हम नहीं निकाल सकते तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

कोटा के अन्दर बड़ी संख्या में भेड़ें आती हैं, मैंने उसका उल्लेख किया। मैं भेड़ों का उल्लेख इसलिए करता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद के अन्दर फोरेस्ट की वेस्ट लैण्ड है और उस फोरेस्ट की वेस्ट लैण्ड में अगर घास हो तो अकाल के साल में जब आप चारा मंगवाते हो, खरीदते हो, अनुदान मांगते हो तो सैकड़ों ट्रक चारा आपको वहां से मिल सकता है मगर जब बरसात में चारा उगाने की स्थिति पैदा होती है, जब चारा फूटने की कोशिश करता है, जब प्रकृति पौधा अपने आप जीवित रहने की कोशिश करता है उस टाइम इस कोटा संभाग में नौ लाख भेड़ आती हैं और वह भेड़ें सही प्रकार से चर सकें, जंगल बच सकें इसलिए नहीं। अभी रणथम्भौर के अन्दर सौ होमगार्ड की व्यवस्था करने के लिए मुख्य मंत्री से मांग की गयी कि सौ होमगार्ड हमें दीजिए ताकि हम बचा सकें। जब यह भेड़ें आती हैं तो जंगल को विधिवत नष्ट करने के लिए सरकार 250 तो पुलिस के अधिकारी और 450 होमगार्ड इस बात के लिए लगा सकते हैं कि यह व्यवस्थित रूप से चर सकें और जंगल को नष्ट कर सकें क्योंकि जंगल पर...

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, भेड़ें भी पर्यावरण के लिए और राजस्थान के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। क्षमा कीजिएगा आप।

श्री भरत सिंह : आप आपकी बात आए तो बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। उसका खर्चा, जंगल को नष्ट करने के लिए पुलिस विभाग और होमगार्ड जो खर्चा करता है, डेढ़ करोड़ रुपया नष्ट करने के लिए। सरकार ने वन समितियां बना रखी हैं। वहां के जो लोकल गूजर हैं वह चाहते हैं कि हमारी मवेशी हम पालें। पठारी इलाके के जो मवेशी हैं वह कह रहे हैं कि हमारे पास मवेशी हैं उसमें आपस में कान्फलिक्ट होती है। वन समितियां जो बनाई हैं वह भी अपने आप में एक विडम्बना है। इसके अन्दर जो उल्लेख है वन समितियों का जहां जंगल है वहां वन समिति नहीं और जहां जंगल नहीं वहां वन समिति अधिक।

(श्री भरत सिंह)

मैं आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि जहां वन समितियां हैं उनके सदस्यों से चर्चा नहीं की जाती, यह भेड़ें जब आती हैं उनसे कभी पूछा नहीं जाता कि आपकी क्या राय है। प्रशासन मीटिंग करता है, कलक्टर के यहां मीटिंग होती है, एस.पी. आता है, डिस्ट्रिक्ट कलक्टर होता है, वहां के स्थानीय लोगों से चर्चा नहीं होती। वहां के न तो विधायक को विश्वास में लिया जाता है जहां पर मवेशी चरेंगे। न उन वन समिति के लोगों से जो उन वनों से संरक्षण के लिए गठित की गयी हैं उनसे चर्चा होती है। चर्चा प्रशासनिक स्तर पर ही हो जाती है। कम्पाउन्डर लग जाते हैं, डाक्टर लग जाते हैं और पूरा पुलिस का जाप्ता हो जाता है कि हमारे जंवाई आ रहे हैं कोटा के अन्दर इनको जंगल चराने दीजिए और वसूली क्या करते हैं, पचास पैसे। सही कह रहे हैं हमारे एक सज्जन कि पांच रुपये की तो खाद मिलती है तो वह प्रतिदिन खाद ही देती होगी। कम से कम पांच रुपये शुल्क तो करिये कि जंगल को कुछ तो मिले। वन समितियां का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। जहां पर जंगल हैं वहां वन समितियों नहीं और जहां वन समितियां हैं वहां जंगल नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं-

सिरोही में 31.12 परसेंट राजस्थान में यह वह जिला है जहां औसत 33 प्रतिशत फोरेस्ट होना चाहिये इसमें लगभग 31 प्रतिशत जंगल सिरोही में है। वन समितियां हैं वहां पर 62 । नागौर में 1.33 परसेंट भू-भाग पर वन है और वहां वन समितियां हैं 141 । करौली, जहां रिकार्ड के ऊपर सबसे अधिक फोरेस्ट लैंड हैं 35.68, जो नेशनल ऐवरेज से प्रेसक्राइब्ड है, उससे अधिक है, वन समितियां हैं 96 । जैसलमेर में जहां 1.53 फोरेस्ट हैं, वहां समितियां हैं 103 । झालावाड़ में जहां 22.15 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया है, वहां समितियां हैं 89 । चूरू में जहां 0.47 प्रतिशत फोरस्ट हैं, वहां 91 । अलवर में जहां 21 प्रतिशत फोरेस्ट है वहां समितियां हैं 66 और जोधपुर में जहां 1.48 परसेंट जंगल हैं, वहां 76 समितियां।

मेरा कहना यह है कि आपने कह दिया चार हजार समितियां हैं। मगर जहां जंगल हैं, वहां आपने लोगों को विश्वास में लिया क्या? समिति बनवा दी तो यह भेड़ें आ रही है तो उनसे चर्चा क्यों नहीं? कागजों पर समितियां हैं समिति के लोग बाग शिकायत करें, दरख्वास्त दें और उनको कोई सुनने वाला नहीं तो इस व्यवस्था को माननीय मंत्रीजी, वहां दौरा करें बरसात में। जंगल

(श्री भरत सिंह)

को आप बचाएं और आपको इतना चारा मिलेगा कि अकाल में जैसे 18 जिले हैं, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। उस क्षेत्र से वाटर हार्वेस्टिंग होगी, पानी रूकेगा।

माननीय वन मंत्रीजी ने पिछली बार घोषणा की थी और हमने उनको बधाई भी दी थी, बहुत स्वागत किया था कि आपने दरा को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया, नेशनल पार्क बनाया। हमें उम्मीद थी कि साल भर के अन्दर नेशनल पार्क की घोषणा के बाद उसके नोटिफिकेशन का काम होगा। मगर दुर्भाग्य से उस दिशा में कोई प्रगति हुई नहीं और एक कहावत हैं "चौबेजी छब्बेजी बनने जाते हैं तो दुब्बेजी रह गये" हमारे जो दूसरे नेशनल पार्क हैं उनकी दुर्दशा और है। इस पर तो हम आगे सरके नहीं। मैं उम्मीद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा वनों के साथ एक बात चलती है यह... (व्यवधान)

श्री सभापति : रेलेवेंट बोल रहे हैं वह।

श्री भरत सिंह : उन गांवों का क्या होगा जो जंगल में रहेंगे। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है। मगर जो कुर्सी पर बैठा है, जो राज में बैठा है, उसकी नीयत अगर उसको फायदा देने की है तो इन लोगों को जो जिस व्यवस्था में वह बैठा है उससे बेहतर व्यवस्था के अन्दर उनको जमीन दे

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सकते हैं। मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोटा शहर के नजदीक अच्छी जमीन वन विभाग के पास है। आप उनको दीजिये। करोड़पति बन जायेंगे, वह राजी-राजी आपके पीछे-पीछे चलते रहेंगे। आप देने की हिम्मत तो करें। आपका जंगल बचेगा और वह उनको रखेंगे।

दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि वन विभाग जो जमीन लैंड फार लैंड देता है उसमें सिंचाई की योजना के लिये जमीन है, आबादी में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, जो रह रहे हैं उनको तो वन विभाग से कभी जमीन मिलती नहीं है। मगर खनिज विभाग का कोई एरिया अड़ा हुआ है वन विभाग से, जिस प्रकार ग्रेनाइट माइंस है, वह

(श्री भरत सिंह)

आवेदन करेगा तो निश्चित रूप से जितना पैसा कंवर्जन के लिये दिया जाता है..

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज थोड़ा सा जल्दी।

श्री भरत सिंह : धन्यवाद। हो गयी मेरी बात, समझ गये वह।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री भरत सिंह : मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि फोरेस्ट लैंड फार लैंड जब दिया जाता है उसमें अभी वह जमीन ली जाती है जिसको देने वाले थे। तो खनिज क्षेत्र के होंगे या शहरों से नजदीक जिस जमीन की कीमत है उसको कन्वर्ट किया जायेगा। इर्रिगेशन के लिये अगर कोई जमीन है, कोई तालाब गांव के फायदे के लिये वह वन विभाग में आ रहा है तो उसके कन्वर्जन के लिये सरकार को पहल करनी चाहिये। क्योंकि जहां जमीन पैसे देकर जायेगी तो उसका पैसा देने वाला तो मल्टीप्लाई पैसा करेगा नहीं आयेगा। चाहे खनिज विभाग हो, चाहे वन एरिया डवलपमेंट से सम्बन्धित हो और जब जमीन का कन्वर्जन हो तो जिले में एक समिति हो जिसमें पर्यावरण से सम्बन्धित लोग हों। उनसे विचार-विमर्श करके ताकि पर्यावरण के दुष्परिणामों को उस शहर को भुगतना नहीं पड़े। यह चीज हो। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या-9 वन और पर्यावरण के ऊपर चर्चा में मुझे आपने बोलने का मौका दिया।

आजादी के बाद शायद उन बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रदेश का वन कट कर, वन खतम होने के बाद में जो वातावरण है वह दूषित होगा। सरकारें आयीं, गयीं लेकिन अब बार हम यह महसूस कर रहे हैं हमारी जो सरकार है राजस्थान में वन को किस तरह से रोका जाए और जो वायुमण्डल दूषित हुआ है वन कटने, वन खतम होने से, उसकी कोई काय योजना बनायी जाए। इस बजट सत्र में 150 करोड़ का प्रावधान है। वन कहां लगें, किस तरह से वन लगें, ग्रामीणों के बीच मे जाकर कमेटियों को गठित किया जाए, मेला या कई तरह की सेमीनार, मास्टरों के माध्यम से वन को दुबारा कायम रखने के लिय प्रचार प्रसार कैसा हो, ऐसा हमारी सरकार ने अब की बार सोचा है।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय सभापति महोदय, जब यह चर्चा हुई, वन एवं पर्यावरण को छोड़कर सीधा सवाल खनन के ऊपर चालू हो गया, बाघ के ऊपर चालू हुआ। यह स्वाभाविक बात थी। मैं अलवर जिले का हूं। अलवर, भरतपुर में दो ऐसी जगह हैं जिनकी पूरे संसार में ख्याति है, एक स्थान है। तकलीफ भी हुई है कि अलवर के उस सरिस्का अभ्यारण्य में जहां कभी रात को 8 बजे के बाद रास्ते से कोई गुजरता था तो महसूस करता था कहीं मुझे बाघ न खा जाए, मुझे घायल न करे दे लेकिन मैं यह महसूस कर रहा हूं दो-तीन वर्ष से पहले वहां बाघ की कोई चर्चा हमने नहीं सुनी। बाघ को किस तरह से इन वनों में दुबारा पाला जाए यह अलग विषय है लेकिन वन को किसी तरह से सुरक्षित रखा जाए, मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, कि राजस्थान में कई तरह की भूमि है। सिवाय चक है, बंजर है, गोचर है, पहाड़ है, 10 साल पहले कहीं वन या वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किये गये थे, इन दो-तीन साल पहले से आज तक जो हाईवे रोड, स्टेट रोड या ग्रामों की जो रोड थी राजस्थान की उनके दोनों तरफ जो पेड़ लगाये गये थे, एक पेड़ का पता नहीं है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। खनन के द्वारा हम मल्टीस्टोरिज बिल्डिंग्स को बनाकर के और बहुत अच्छे दरवाजे लगाकर के ऐशो-आराम करना चाहते हैं। यह वन खतम हो रहे हैं अगर वृक्षारोपण नहीं किया गया। आज मैं महसूस कर रहा हूं आज तारीख 9 को इतनी गर्मी है बाहर, मार्च में गर्मी आ गयी, बिना मौसम की बरसात हो रही है। सर्दी में कुछ पता नहीं, कई तरह के भूचाल आ रहे हैं।

सभापति महोदय, हम सबकी चिन्ता करने का विषय है, यह बात सत्य है कि वृक्षारोपण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वनों का या जहां पेड़ लगाये गये हैं या लगाने की योज़ना है उनकी तरफ वन अधिकारियों को ध्यान नहीं रहता। उनका ध्यान यह रहता है कि खनन अवैध रूप से कहां हो रहा है, उसको सुरक्षित रखा जाये। वह अधिकारी उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं जो व्यक्ति अवैध रूप से खनन कर रहा है। उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। पेड़ को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक सड़क बन रही है, दो साल पहले मार्केटिंग बोर्ड से 80 लाख रुपये की सड़क स्वीकृत है। हमने वन अधिकारियों को और डी.एफ.ओ. को कई बार लिख दिया कि इसमें मान लो सौ-दौ-सौ

(श्री जयराम जाटव)

मीटर सड़क वन विभाग की है तो उसकी कीमत जमा कर ली जाये। उसका कोई रास्ता निकालो। गांव के लोग रोजाना शिकायत करते हैं कि पहाड़ से हरी लकडियां कट रही हैं उनकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। खनिज की व्यवस्था है जहां वन हैं, जहां आपने फरमाया कि उनको एन.ओ.सी. जरूर मिल जाती है जो नियमों के विपरीत भी है और अगर मान लीजिये कि जहां खनन करने में जैसे अलवर जिला एन.सी.आर. में आ रहा है, कई जगह खनन नहीं होनी चाहिए वहां भी खनन हो रहा है।

सभापति महोदय, वनों से ऐसा नहीं है कि कोई आय नहीं होती। उन वनों में इस तरह की जड़ी-बूटियां मिलती है जो हमारे काम आने वाली हैं। उन जड़ी-बूटियों से मनुष्यों को हजारों सालों से इलाज होता रहा है वह आज भी विद्यमान हैं। जैसा अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बता रहे थे तेंदू पत्ता खतम हो गया है, या कम हो गया है, राजस्व कम हो गया है। यह बात सत्य है, बीड़ी महंगी हुई है। लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खाली हम यहां बैठकर के डिबेट करके शाम को ध्वनिमत से पास करके चले जायेंगे, यह बड़े चिन्ता का विषय है। गांव के लोग एक चारपाई बनाने के लिए जो गांव में खाती बैठा है, आरा मशीन छोटी लगाने के लिए अपनी जीविका के लिए, अपने खुद के लालन-पालन के लिए अगर छोटा काम करता है तो वहां उस पर प्रतिबंध लग जाता है। लगातार कई सालों से जो गांवों में छोटे-मोटे हाथ के काम करने वाले खाती हैं उन्हें आरा मशीन पर प्रतिबंध लगा है। मैं मांग करता हूं कि उन आरा मशीनों पर जो वन विभाग ने प्रतिबंध लगा रखा है उनको खोला जाये।

सभापति महोदय, वृक्षारोपण के लिए मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जो सवाई चक, बंजड़, गांव में जो श्मशान भूमि के रूप में जमीन छोड़ी गयी उसको तोड़ लिया। अगर उस पर वृक्षारोपण हो जायेगा तो वह जमीन बच जायेगी। वहां विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। आज हम सब लोग वृक्षारोपण में महसूस करते हैं कि जुलाई का मौसम आते ही अखबार में नाम आ जाता है कि फलां विधायक ने वहां वृक्षारोपण किया। आज मैं इस डिबेट पर आपसे मांग करना चाहता हूं कि जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया जाये उसमें टी गार्ड

(श्री जयराम जाटव)

या अन्य पुख्ता इंतजाम किये जायें और उसमें वह पेड लगाये जायें जिससे फल भी मिलें। जैसे आम के पेड़ हैं, जामुन के पेड हैं इस तरह के पेड़ लगाये जायें। कई तरह की हमारे यहां कीकर हैं, वह कीकर किसी भी काम की नहीं है। ना तो उसको जानवर खाते हैं और उसके कांटे भी ऐसे हैं जिनको वहां लगाया जाये जहां कोई आदमी 50 साल के बाद भी नहीं पहुंचे। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो आंकड़े देते हैं कि हमारे यहां इतने वन हैं वह कीकरों के आंकड़े हैं हमारे यहां जो असली बबूल है जो इस प्रदेश का बबूल है वह नुकसान नहीं करता। इसलिए विदेशी बबूल को खतम किया जाये। वृक्षारोपण के लिए जब भी वन विभाग के प्रोग्राम हों उसमें फलदार पेड़ों के वृक्षारोपण कराये जायें। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, माननीय सदस्य काफी तैयारी करके आये हैं। लेकिन मुझे जैसे मौका मिला बोलने के लिए उसमें सुरक्षा की दृष्टि से पहले जो वन रक्षक या कर्मचारी जो लगाये जाते थे अब उन कर्मचारियों को कहीं पंचायत समिति या दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और वृक्षारोपण या वनों की सुरक्षा के लिए एक भी वन विभाग में छोटा कर्मचारी नहीं है। यहां जो पर्यावरण दूषित की बात आयी थी यह बात सत्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए हमारे जीवन में जो पांच तत्वों का यह शरीर है, पोटली है। यह तभी शुद्ध वातावरण महसूस करेगा जब इस पूरे देश में वन होंगे। वनों की सुरक्षा के लिए हमारी सबकी मिलकर के जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, अभी जो चर्चाएं आयीं, हमारे सरिस्का और घना सैंक्चुरी भरतपुर की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई सालों से जो बरसात की कमी आयी उसके कारण से यह दोनों जगह उजड़ने के कगार पर हैं। वहां पानी की ऐसी व्यवस्था की जाये, हालांकि जब बरसात अच्छी होती है तो अलवर का पानी भरतपुर जाता है लेकिन सरिस्का में पानी की कमी रहती है, जब तक सरिस्का में पानी की व्यवस्था कहीं से भी की जाये चाहे यमुना का पानी लाया जाये या इधर से कहीं किसी नदी का पानी लाया जाये। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी सरिस्का में तब तक वन सुरक्षा नहीं हो सकती।

श्री सभापति : कनक्लूड करें, प्लीज।

श्री जयराम जाटव : हां, मैं कर रहा हूं। अभी जब हम कह रहे हैं कि बाघ खतम हो गये हैं, शेर खतम हो गये हैं, चिंता कर रहे हैं शेर की, शेरसिंह पैदा हो गये इसलिए शेर खतम हो गये। आज पूरे देश में जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है यह सबसे बड़ा कारण है। यह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। इसकी रोकथाम के लिए, आपको शेर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए हम जो शेरसिंह बैठे हैं, हम.एक नीति तय करें और जितने अभयारण्य हैं, चाहे कहीं भी हों, वनों की सुरक्षा हम सब मिलकर के करें। हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनायी है और वन और पर्यावरण के पक्ष में और सरकार के समर्थन में जो कहा है, इनकी जो नीति-निर्धारण तय हुआ है वह बहुत अच्छी है। इसके आगे रिजल्ट अच्छे आयेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : सभापति महोदय, बहुत छोटा सा कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किया है, सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि इन्दिरा गांधी नहर जिसको मरू गंगा भी कहा गया है, उसकी गडरा उप शाखा हमारे जिले में आने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि वहां पर डेजर्ट नेशनल पार्क स्थापित है और उसकी सीमा से हम नहर नहीं निकालने देंगे, इसलिए मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

सभापति महोदय, जब इन्दिरा गांधी नहर का काम शुरू हुआ था तब हमें वहां पर सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस नहर से हिमालय पहाड़ का पानी आपके बाड़मेर में आएगा और यहां से होकर कच्छ जाएगा, बड़ी नहर बनेगी, नावें चलेगी। यह बात तो, खैर खतम हुई, अब तो नहर में पानी ही नहीं आता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क फोरेस्ट विभाग कहता है कि हमने स्थापित किया है, मेरी निगाह में तो कानूनी तौर पर स्थापित ही नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि जो कानून भारत सरकार ने बनाया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. 1972, उसके सैक्शन 18 और 35 को आप देखें। 18(1) में यह प्रोविजन है कि अगर सैंक्चुरी स्थापित करनी हो तो इस धारा के अंतर्गत आप एक विज्ञप्ति जारी करेंगे और वह गजट में साया होगी।

(श्री गंगाराम चौधरी)

सभापति महोदय, 1980 में इस धारा में ऐसा भी एक प्रावधान था कि नोटिफिकेशन के जरिए सैंक्चुरी स्थापित की जा सकती थी। फिर आगे कलेक्टर कार्यवाही करेगा भूमि एक्वायर करने की, वगैरह सारी। 1981 की यह धारा अमेंण्ड हो गई और उसमें यह कहा कि पहले नोटिफिकेशन इन्टेशन टू डिक्लेयर सैंक्चुरी, इस तरह का प्रावधान आया लेकिन इन्होंने 1980 की धारा के तहत सैंक्चुरी स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन कलेक्टर्स के पास जाने चाहिए धारा 19 से लेकर 25 तक कार्यवाही करने के लिए और फिर 26 में आगे डिक्लेयर होता, वह नोटिफिकेशन कलेक्टर्स को पहुंचा ही नहीं और दूसरा नोटिफिकेशन धारा 35 में जारी किया डेजर्ट नेशनल पार्क स्थापित करने के लिए।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : सभापति महोदय, कोई मंत्री नोट नहीं कर रहा, वन मंत्रीजी भी नहीं है।

श्री सभापति : बैठे हैं मंत्रीजी। यह ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी होती है। प्लीज सिट डाउन, देयर आर टू मिनिस्टर्स आर हियर।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि दूसरा नोटिफिकेशन जो 8 मई, 1981 को जारी हुआ था धारा 35 में नेशनल पार्क स्थापित करने के लिए, वही सीमा दी है जो धारा 18 में उन्होंने सैंक्चुरी स्थापित करने के लिए दी थी। उस नोटिफिकेशन को भेजा जरूर इन्होंने कलेक्टर के पास में लेकिन उस नोटिफिकेशन को सरकार ने गजट में साया नहीं किया, उस स्कीम को कैबिनेट में अप्रूव नहीं किया। वह नोटिफिकेशन भेज दिया इन्होंने कलेक्टर के पास। आगे जो कार्यवाही होती है वह मैं बताऊं, मैं उसको अनियमित कह रहा हूं, अनियमित इसलिए कि जहां 18(1) में उन्होंने सैंक्चुरी स्थापित कर दी वह जाना चाहिए था कलेक्टर को, वह तो गया नहीं और 35 वाला नोटिफिकेशन भेज दिया जो वास्तव में जायज नहीं था, क्योंकि वह नोटिफिकेशन भेज दिया जो वास्तव में जायज नहीं था, क्योंकि वह नोटिफिकेशन कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था और गजट में साया नहीं हुआ था। उस नोटिफिकेशन पर कलेक्टर को आगे कार्यवाही करनी चाहिए वह कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी उन्होंने देखा कि यह जायज नोटिस है और धारा 19 में भूमि का अधिकार तय करने की बात, उसमें मुआवजा देने की बात,

(श्री गंगाराम चौधरी)

एक्वायर करने की बात का उन्होंने प्रोक्लेमेशन जारी किया और वह चीज उसकी चलती रही बरसों तक।

अब आगे बात आई नहर निकालने की तो उन्हें पता लगा कि हमारा पुराना नोटिफिकेशन तो जायज नहीं था 35 वाला, 18 वाला जायज था तो उक्त 18 वाला नोटिफिकेशन उन्होंने पिछले अप्रैल माह में कलेक्टर के पास भेजा था उसके अंतर्गत कार्यवाही भी कुछ नहीं हुई। 35 वाले के अंतर्गत कार्यवाही हुई वह जायज नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सैंक्चुरी या नेशनल पार्क जो है वह मेरी निगाह में स्थापित ही नहीं है। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर उन्होंने डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से खम्भे तो लगा दिए लेकिन कोई भूमि वहां पर एक्वायर नहीं की, कोई भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नहीं हुई, न सरकारी हुई, खातेदार यूं के यूं काश्त करते रहे हैं, 25 साल से, 1980 से लेकर 2005 तक, इन 25 साल में अब तक पत्थर लगने के अलावा और एक-दो स्टाफ के आदमी लगाने के अलावा और किसी तरह के निशान सैंक्चुरी या डेजर्ट नेशनल पार्क के नहीं हैं। अब वह मना कर रहे हैं इस बात के नाम पर कि हम नहर नहीं निकालने देंगे, उसका एक बहाना है।

दो चीजें और कहीं गई हैं, एक तो यह कही गई है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, ऑर्डर दिया है कि सैंक्चुरी में पेड़ नहीं काटे जाएं। एक एप्लीकेशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में इसमें यह मांग की गई थी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पेड़ काटने पर बैन लगा दिया था उसको हटा दिया, लिफ्ट कर दिया इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पाबन्द किया जाए। उसमें उन्होंने जरूर जनरल ऑर्डर दिया है। सब स्टेट्स के लिए कि कहीं पर सैंक्चुरी हो तो उसमें से पेड़ वगैरह न काटे जाएं आज इस बात को लेकर हमारे वहां नहर में उन्होंने मनाही कर दी है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप माननीय सदस्य वहां मौका जाकर देखें तो जिस जगह नहर बंद हुई हैं मिया जालार गांव के पास, वहां से लेकर जहां नहर आगे 70 किलोमीटर और आगे जाने के लिए थी गडरा रोड ब्रांच, वहां पर पेड़ आप देखेंगे तो हैं ही नहीं, यदि है तो पठार है या शिफ्टिंग सैण्ड ड्यून्स है या सेवण घास है। जब वहां वृक्ष ही नहीं है तो काटने की क्या बात हुई? दूसरी अगर किसी तरह काटने

(श्री गंगाराम चौधरी)

की बात भी आई तो हम इसको थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हैं नहर को और उसको गडरा रोड़ तक ले जाया जा सकता है।

सभापति महोदय, हमें इस नहर की जरूरत इसलिए है कि इस नहर से हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिले के 27000 हैक्टेयर में सिंचाई हो सकती है और पेयजल की खास जरूरत है। पानी कम आएगा, मैं मानता हूं, सिंचाई इससे बराबर नहीं होती तो भी हम फव्वारों से सिंचाई कर लेंगे, फव्वारों से सेवण घास की पैदावार वहां बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत थोड़ा पानी हमको चाहिए। खैर, सिंचाई के लिए पानी कम मिले तो भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो चाहिए।

सभापति महोदय, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने वाटर वर्क्स डिपार्टमैंट से सारा हिसाब लगावाया तो 185 गांवों के 1,16,000 जनता को पेयजल मिल सकता है, अगर वह नहर वहां आई तो। ट्यूब वैल्स का पानी तो आप जानते हैं कि नीचे जा रहा है, कई जगह तो खतम हो गयी है। हमको अगले 20 वर्ष में पानी इनसे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे कारणों को देखते हुए इस नहर को आने की छूट दी जाए। यह जो नहर निकल रही है, सो काल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको मैं तथाकथित ही कहूंगा क्योंकि मैं तो इसको कानूनी एस्टेब्लिश होना मान ही नहीं रहा हूं, अगर एस्टेब्लिश भी है तो केवल 20 प्रतिशत का इलाका बोर्डर की तरफ का वह इसमें जाएगा, इस नहर के अंदर आएगा और नहर तो बोर्डर की तरफ सिंचाई करती है, इधर तो करती नहीं है तो 20 प्रतिशत जमीन को तो छोड़ भी सकते हैं और वहां कुछ है ही नहीं, 25 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, लोग यूं के यूं बैठे हैं, जनता को मालूम ही नहीं है कि यहां पर कोई नेशनल पार्क भी है। मैं इसलिए कटौती प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाह रहा हूं कि इस पर सरकार विचार करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-9, वन एवं पर्यावरण पर आपने हमें सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि हम सब बहुत से माननीय सदस्यों की बात सुनते चल आ रहे हैं, यह होना चाहिए, यह होना

(श्री सुरेश मीणा)

चाहिए। सबसे पहले तो मैं सरिस्का के बारे में कहना चाहूंगा, जैसे सुबह मेरी पर्ची भी निकली थी उसमें बताना चाह रहा था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा कि आपको बाद में मौका दिया जाएगा, मुझे मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास सरिस्का में जो हो रहा है उसके कुछ तथ्य, कुछ फोटो, कुछ रील जो आप सदन में दिखा सकते हैं वी.सी.आर. के तहत, इस प्रकार के मेरे पास हैं यदि सदन मुझे आदेश दे कि आप उसको यहां पर सदन में ला सकते हैं तो मैं सदन में ला सकता हूं, ऐसी मेरे पास है।

माननीय सभापति महोदय, इतना पैसा केन्द्र सरकार से, राजस्थान सरकार से करोड़ों, अरबों रुपया इन अभयारण्यों के लिए आता है, लेकिन यह पैसा कहां जाता है इसका पता नहीं चलता। माननीय सभापति महोदय, जिस सरिस्का की अपन सारे लोग बात करते हैं उस सरिस्का में उन जीव-जंतुओं के लिए कहीं पानी पीने को नहीं, उनको चारा नहीं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, एक जगह है सरिस्का में गालिब ऋषि जहां पर तपस्या करते थे वहां 80-85 साल के ऋषि रहते हैं, आप भी वहां जाकर देखें तो वहां हजारों जीव-जंतु उनके उस आश्रम पर देखने को मिलते हैं। वहां पर विशेष बात है कि वहां पर कहीं पानी नहीं है, लेकिन पता नहीं ऋषियों की तपस्या का मामला है कि एक पहाड़ में से पानी आया। दो जगह उन्होंने कुण्ड बना रखे हैं, उन कुण्डों में सारे जीव-जंतु पानी पीते हैं। वो पशु 10-10, 20-20 किलोमीटर से चलकर वहां पानी पीने जाते हैं तो वे इतने घायल हो जाते हैं कि वहां जाकर मर जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे वन्य पशु नहीं मरे, लेकिन मेरे पास ये फोटो हैं इनमें देखा जाए तो इतने पशुओं के कंकाल मिलेंगे, माननीय मंत्रीजी मेरे सामने बैठे हैं मैं उनको देता हूं। मंत्रीजी, लीजिए। सदन की टेबल पर रख दूंगा। सभापतिजी, आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहां की कैसेट ला सकता हूं और उसको सदन में दिखा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रहने वाले अधिकारी हैं उन्होंने आज तक किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उस ऋषि की तरफ से लिखा हुआ पत्र है, इस देश के प्रधान मंत्री, राज्य के मुख्य मंत्री तब सबको उसने चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। मैं आज सदन में आपके माध्यम से निवदेन करना चाहता हूं कि जो हकीकत है उस पर जाइए।

(श्री सुरेश मीणा)

माननीय सभापति महोदय, सरिस्का में आप तो शेर की बात करते हैं, शेर तो राष्ट्रीय पशु है, लेकिन आने वाले समय में आपको नील गाय तक नहीं मिलेंगी, नील गाय खतम हो जाएंगी। जिसको आप नहीं चाहते हैं वह नहीं मिलेगी, खतम हो जाएगी। हकीकत पर जाइए।

श्री विष्णु मोदी : नील गाय तो खतम होनी चाहिए। वे आज नुकसान कर रही हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि नील गाय खतम हो।

श्री सुरेश मीणा : नील गाय खतम क्यों करते हैं उनको भी जैसे गायों के लिए आपने व्यवस्था की है उनके लिए भी चारे, पानी की व्यवस्था करो, उसके भी जीव है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पहले आप करो, फिर हम करेंगे।

श्री सुरेश मीणा : मैं शुरू कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलिए, पीछे मत मुडिए।

श्री सुरेश मीणा : वे बोल रहे थे इसलिए बोला था।

श्री सभापति : आप बोलिए इधर देखकर।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि जो पैसा (व्यवधान) ऐसा है कोई बात जब सदन में रखते हैं मैं राजस्थान के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, अन्दर की बात कर रहा हूं, राजस्थान की किसी चीज पर बोल सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि चलती रही तो न तो वह वन रहेगा, न यह पर्यावरण रहेगा और यह सारी चीजें खतम हो जाएगी। इसके बाद मांननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पर्यावरण, वन और खनन विभाग, अभी बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारियों ने कर रखा है। अधिकारी यों भ्रष्ट हैं, अधिकारी यों भ्रष्ट हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पर्यावरण का जहां तक सवाल है मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आप खनन का कोई काम होता है वो सड़क से कितने दूरी पर होना चाहिए और बस्ती से कितनी दूरी पर होना

(श्री सुरेश मीणा)

चाहिए यह मुझे बता दें। माननीय सभापति महोदय, अधिकारी तो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वो किसकी शह पर करते हैं यह भी मुझे पता है। क्योंकि अभी सारे लोग यह कहेंगे कि आप इस तरह की बात करते हो, लेकिन हमारे राजनेताओं की शह पर यह काम होता है। इसमें बहुत लिप्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जितने भी खनन एरिया हैं, खनन के जो काम चल रहे हैं, अवैध खनन वन विभाग के चल रहे हैं उनमें से बहुत राजनेताओं की खनन में खानें हैं। मैं उदाहरण बता दूं माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे करौली विधान सभा क्षेत्र से जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में आये, वो सारे के सारे अवैध खनन कार्य कर रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए, जांच कर लीजिए उन्होंने अवैध खनन किया, अब भी हो रहा है, सारे काम मिली भगत से हो रहे हैं। किसी आदमी के पास यदि एक किलोमीटर का एरिया है तो वह वन विभाग में 10 किलोमीटर में काम कर रहा है। यदि इस तरह चलता रहा तो न तो यह वन रहेगा और न यह पर्यावरण रहेगा और यहां पर हम जो बोल रहे हैं इसका कोई मतलब रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने इस सदन में बोलने का मौका दिया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां थोड़ी देर पहले यह बात चल रही थी एक कमेटी बना दी जाए तो यह जांच करे अधिकारियों के घरों में खान मिलती है, या फलानी चीज मिलती है, लेकिन एक कमेटी और बना दीजिए जो राजनेताओं के बारे में बात करें। इनकी भी जांच करें क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से ताली बजती है। अधिकारी राजनेता के ऊपर नहीं होता, राजनेताओं के आदेश का पालन करता है। जब तक हम साफ नहीं होंगे, अधिकारी साफ नहीं होंगे। इसलिए यदि आप कमेटी बनाना चाहते हो तो राजस्थान में एक कमेटी और बनाएं और वह सब की जांच करें क्योंकि इस देश का, इस राज्य का गरीब आदमी कभी भी कानून को नहीं तोड़ सकता।

(समय : 15.30 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

अमीर आदमी कानून को तोड़ सकता है, बड़े-बड़े नेता तोड़ सकते हैं लेकिन एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान कोई भी कानून को नहीं तोड़ सकता है इसलिए यदि आप कमेटी बनाएं तो हम सब ऐसी कमेटी बनाएं कि

(श्री सुरेश मीणा)

वह सब की जांच करे और आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत -बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय सभापतिजी, पहले तो आप सब को सदन में नव-वर्ष की शुभकामनाएं और माननीय मंत्रीजी को भी। आज सीकर विधान सभा क्षेत्र से पर्यावरण हेतु अधिक से अधिक पौधों का रोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए मैंने आपसे निवेदन किया।

प्राय: देखा गया है कि जल ग्रहण योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के पौधों को जल ग्रहण समिति के जिसमें सरपंच अध्यक्ष होता है और उनके द्वारा मंगाया जाकर जो आस-पास में रहते हैं उनको वितरण कर दिया जाता है, कहां कितने पौधे लगे हैं इसका मूल्यांकन नहीं होता है और न ही किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह तय किया जाना चाहिए कि जल ग्रहण योजना में जो पौधे वितरण किये जाते हैं उनको जो आवश्यक राशि प्राप्त होती है उनका मूल्यांकन लगभग एक वर्ष पश्चात् वन विभाग द्वारा किया जाए और सम्बन्धित पौधे अमुक मात्रा में विद्यमान हैं इसका मूल्यांकन करने के पश्चात् ही सम्बन्धित कमेटी को भुगतान किया जाना चाहिए। यदि पौधों की रक्षा नहीं कर सकते तो उसको सम्बन्धित पौधों की राशि वसूली की जानी चाहिए, सम्बन्धित राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाई जानी चाहिए और इस राशि को अन्य किसानों के पौधरोपण के हेतु वितरण किया जाना चाहिए। मुख्य तथ्य है कि किसानों को पौधरोपण के पश्चात् किसानों और वन विभाग को जिम्मेदारी डालनी चाहिए। एक तो हमारे यहां ज्यादातर देखा जाता है कि गोचर भूमि है, जो गोचर भूमि उसको विद्यालयों में या हास्पिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो वन विभाग की गोचर भूमि है लेकिन गौशाला के लिए उनको नहीं रखा है। माननीय सभापतिजी, गौ माता की, उनको बोला तो जाता है गौचर भूमि लेकिन गौशाला के लिए उनको नहीं कहा जाता है इसलिए मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि गौ भूमि जो गौचर भूमि है उसको गौशाला के लिए निर्मित करवाया जाए। यह सदन यदि गौ माता के प्रति इतना संवेदनशील है तो इसे आप पारित करवाइए और जहां गायों के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने गौशालाओं के लिए अनुदान भी दिया है

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि हमारी गौ माताएं इधर-उधर जो डंडे खाती फिरती हैं उनको यह गोचर भूमि के नाम से जो भूमि होती है उनको गौशाला में कन्वर्ट किया जाए।

एक पेड़ों की जो कटाई होती है उसमें पेड़ अभी माननीय नाथूसिंहजी गुर्जर साहब बोल रहे थे कि पेड़ों की इसलिए कटाई हो रही है कि वहां से सब को हटा दिया गया है, वहां के जो निवासी थे उन्हें दूर भेज दिया गया है इसलिए पेड़ों की कटाई हो रही है। यह सही है। ग्रामीण व्यक्ति किस पर निर्भर करे, वहां पर इतना तो कुछ रोजगार है नहीं इसलिए वह वन से सूखी लकड़ी लाकर अपना जीवनयापन करते थे, यह सब बातें आजकल गैस जो चल गई हैं और सारी बातें हो रही हैं इसलिए यह तो सब धन्धे बन्द हो गये है इसलिए वहां से उन्होंने पलायन कर लिया और जो हरे पेड़ हैं वह अपने कट गये हैं, विश्नोई समाज ने हरे पेड़ों के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन किया था इसलिए हरे पेड़ों की जो अवैध कटाई है इसको रोका जाए।

माननीय सभापतिजी, एक हमारे पौधरोपण के लिए जो पौधरोपण तो हो जाता है लेकिन उसके लिए ट्री गार्ड नहीं लगाया जाता है और न उसमें पानी की मात्रा होती है जो छोटा पौधा होता है उसे जानवर भी खा जाते हैं, जैसे गांवों में बकरियां घूमती रहती हैं और उसको यदि सीमेंट की जाली लगाकर और उसको ट्री गार्ड महीने, दो महीने या 6 महीने तक सरपंच या ग्राम सेवक को इसको अधिकृत कर दिया जावे और ट्री गार्ड लगाकर उसकी यदि रक्षा की जाए तो वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए एक पौधारोपण के लिए पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा और पौधों की जो हमारी कटाई हो रही है, पर्यावरण में अशुद्धता आ रही है कि हमारे पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, हमारे खनन विभाग का भी इसमें मामला उठा है। खनन विभाग के बारे में तो मैं सभापतिजी, कुछ ज्यादा नहीं जानती हूं लेकिन जो वन विभाग की हमारी भूमि है उस पर जो कर्जा हो रहा है और जिन्होंने घर बना लिए हैं इनको या तो बोलते हैं उनके घरों को खंडित किया जा रहा है जो जनता रह रही है या तो बोलते हैं कि इनको इतना पैसा दो वन विभाग को और या फिर आप यहां से निकल जाओ इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बताना चाह रही हूं कि जो नियमों में हो वह कीजिए, किसी के घर और किसी का बसेरा मत उजाडिये। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीविष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कट-मोशन तो नहीं दिये थे, धन्यवाद है महावीरजी को और आपको कि मुझे मौका दिया। अभी हाल ही में, माननीय सभापति महोदय, मैं लखनऊ गया था और मुझे बाई-चांस वहां के बोटेनिकल गार्डन में जाने का मौका मिला, वहां वृक्षों की महिमा के संदर्भ में यह संदेश लिखा हुआ है कि

"हे वृक्ष राज आप जड़ से ब्रह्मस्वरूप हैं, आप तने से विष्णुस्वरूप, अग्र भाग से शिवस्वरूप हैं, आपको प्रणाम, मनुष्य आपको देखकर रोगों से छुटकारा पाता है, आपको स्पर्श कर पापों से मुक्त हो जाता है और वह आपके आश्रय में आकर दीर्घायु होता है, इस तरह पूजनीय आपको हम प्रणाम करते हैं।"

तो, माननीय सभापति महोदय, पेड़ की जो महिमा है, वन की जो महिमा है वह किसी से छुपी हुई नहीं है और मैं इस मांग के संदर्भ में माननीय जो वन मंत्रीजी हैं उनके बारे में भी मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि वन एवं पर्यावरण दोनों विभाग इनके अधीन हैं, मैं इनकी प्रशंसा तो नहीं कर रहा लेकिन जैसा मैंने आपको व्यक्तिश: देखा और समझा है उसके आधार पर यह दृढ़ता से कह सकता हूं कि आप योग्य होने के कारण साथ-साथ निष्ठावान और संकल्पवान हैं, कुछ करने की दृढ़ इच्छाशक्ति भी इनमें दिखाई देती है और खनन का भी जिक्र आया तो अच्छा होता कि आज की जो डिमांड थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो इस बात को समझा कि खान पर्यावरण और वन का एक विभाग बना दिया और एक मंत्री बनाया और डिमांड के ऊपर अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं लेकिन वह तब डिमांड रख रहे थे तो उसमें खनन की भी डिमांड साथ में होती तो और ज्यादा उपयुक्त बहस हो सकती थी। माननीय सभापति महोदय, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पर्यावरण को बहुत सारी चुनौतियां हैं और पर्यावरण और वन बहुत ही अहम् किसी देश में और प्रदेश में महत्व रखता है लेकिन आज हमें एक लाईन तो ड्रा करनी पड़ेगी। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जब दुबारा चुनकर आए तो उन्होंने कहा कि America needs oil. तो वहां के कुछ एन्वायर्नमैंटलिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि आयल का ज्यादा एक्सट्रेक्शन करने से यहां के एन्वायर्नमैंट में गडबड़ी हो जाएगी तो he said very categorically that the country needs oil.

(श्री विष्णु मोदी)

We will look after the environment in some other way. The country needs a sustainable development. तो आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम वन के महत्व को भी समझें, पर्यावरण के महत्व को भी समझें और साथ में अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा तो अगर एक तरफ पीने का पानी मिलेगा। तो मनुष्य जाति पर संकट आ जाएगा तो इस तरह से मिल-जुल कर बैठकर..

श्री तगाराम चौधरी : पाइंट आफ आर्डर। बाड़मेर से आने वाला तगाराम है, गंगाराम नहीं। कृपया इसे संशोधन कर दें आप।

डा. किरोड़ी लाल : आप प्रोफेसर तगारामजी को नहीं जानते ?

श्री विष्णु मोदी : मैं क्षमा चाहता हूं। तो सस्टेनेबल डवलपमेंट की बात हमें सोचनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यहां की तो स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जाखम पर एक परियोजना लग गई थी, आज बिजली की राजस्थान में कमी है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। राज्य सरकार ने जाखम पर सैंक्चुअरी के डाइवर्शन को पहले भारत सरकार ने मंजूरी दे दी लखनऊ के विभाग ने, उसके बाद में उसके पैसे जमा हो गये, जमीन ट्रांसफर हो गई लेकिन फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के और कुछ फैसले आये तो उसके बाद में वह मैटर वापस पर्यावरण मंत्रालय को गया। राज्य सरकार तो मंजूरी दे रही है और वहीं वन विभाग के एक अधिकारी बगैर राज्य सरकार की एप्रूवल लिये हुए उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया कि इसकी कतई जरूरत नहीं है। तो मैंने जो लाइन ड्रा करने की बात कही वह इसीलिए कही कि हमें वन की भी आवश्यकता है, पर्यावरण की भी आवश्यकता है और हमें राजस्थान की जो जरूरत है उसकी भी आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की कि बहुमूल्य मिनरल, वैल्यूएवल मिनरल्स, जो अगर फोरेस्ट लैण्ड में भी है तो उनका भी हम करेंगे और खनन का दोहन भी करेंगे। यह अच्छी बात है। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि फोरेस्ट तो लगाया जा सकता है, पेड़ तो उगाये जा सकते हैं लेकिन खनिज वहां पैदा नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, दुनिया बदल रही है, जहां अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां फोरेस्ट कम है और जो फोरेस्ट लैण्ड है भी

(श्री विष्णु मोदी)

उसमें भी वन कम है लेकिन मध्य प्रदेश हमारे पड़ौस में ही राज्य है वहां की तो इकोनॉमी ही फोरेस्ट के ऊपर है। तो जो कुछ भी वन है या जो कुछ भी वन भूमि है, जिस किसी में हम वो लगा सकते हैं तो हमें हर्बल प्लांट्स लगाने चाहिए। हमें इस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए जैसे आई.जी.एन.पी. के ऊपर शीशम लगी थी उससे आमदनी हुई तो वन विभाग को भी अपना रवैया बदलना होगा और अब इस तरह के प्लाटेन्शन, इस तरह पैसे का एक्सपेन्डिचर करें जिससे कि राज्य की आय भी बढ़े और वनों का भी संरक्षण हो, वह भी बढ़ सकें।

सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य भरत सिंहजी कह रहे थे कि हमारे जो अभ्यारण्य हैं उनको तो ट्यूरिज्म के साथ अटैच करना ही चाहिए। कुम्भलगढ़ है, रणथम्भौर है, ये तो सब इंटरनेशनल मैप पर आ गये हैं लेकिन ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट और फोरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलकर यह फोरेस्ट की सफारी और इस तरह की भी मार्केटिंग करनी चाहिए और जिस तरह का भी हमारा है उसका ट्यूरिज्म अट्रेक्शन भी बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान) शिकार तो कोई रोक नहीं पायेगा और यह सरकार तो धन्यवाद की पात्र है ही कि टास्क फोर्स लगाई.... (व्यवधान) आपको एतराज? टास्क फोर्स बनाई, अच्छा काम किया और जहां तक कोई सस्पेंशन की बात है तो यह तो कोई बात नहीं है। आये दिन होता रहता है और मैं समझता हूं कि यह तो को-इंसीडेंस रहा है कि माननीय मंत्रीजी ने उस अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन का तो पहले ही रिकमंडेशन किया हुआ है। यह मंजूरी मिलने में को-इंसीडेंस रहा कि उस टास्क फोर्स से या इस कमेटी से उसका कोई लेना-देना नहीं है लेकिन निश्चित रूप से उसी अधिकारी ने जाखम के बारे में राज्य सरकार के विपरीत अपनी चिट्ठी लिखी। जब ये बात जो अभी मुख्य सचिव हैं वो जब सैक्रेटरी थे तो उनके ध्यान में लाया गया तो मेरा ख्याल है उसमें भी कोई कार्यवाही चल रही होगी और इमरजेंसी भी लगाई। मैंने सवाईमाधोपुर के बारे में सुना था कि वहां इमरजेंसी लगी हुई है। बिहार में जब मिनख मर रहे थे, नेशनल हाइवे अथोरिटी के इंजीनियर्स को मार दिया गया था तब भी इमरजेंसी नहीं लगी और यहां तो टाइगर की गिनती में और टाइगर के लुप्त होने पर ही इतनी बड़ी कार्यवाही की गई। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए बजाय इसके कि आपने यह किया और हमने यह किया।

श्री जुबेर खान : प्रशंसा तो करें लेकिन एक बात की प्रशंसा नहीं की जा सकती कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस आसन से व्यवस्था दी थी कि जिसका कटमोशन होगा उसी माननीय सदस्य को बोलने का मौका होगा और कल काफी माननीय सदस्य इस वजह से वंचित रह गये और आसन से मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने, क्योंकि इस सदन में चार ही तो विद्वान हैं, एक टोंक से आने वाले माननीय मुख्य सचेतकजी, एक टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, एक मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य और एक नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। अगर ये विद्वान लोग परम्पराओं को और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को तोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं उनको स्वयं को भी यह देखना चाहिए कि जब कटमोशन नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए और अगर बोलने की कोशिश करे तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि अध्यक्षजी ने कल बहुत से माननीय सदस्यों से कहा था।

श्री रामलाल शर्मा : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य के लिए क्या कहोगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस सदन में कौन विद्वान है, कौन विद्वान नहीं है इसके विशेषज्ञ एक ही हैं सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। पूरे सदन में सारे सदस्यों में विद्वता की श्रेणी का विभाजन, आप तो खुद साक्षी रहे हैं पिछले कई वर्षों से आप ही करते हैं तो इन्हीं से पूछ लिया जाये कि सदन में विद्वान कौन है।

एक माननीय सदस्य : उनमें एक नाम जुबेर खानजी भी जोड़ लेता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इस बात से प्रसन्न होकर के मैं वहां गया था तो सुन्दर काका की प्रतिमा लगाने की हम घोषणा भी कर आये हैं इनकी बुद्धिमता को देखकर के।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड करें।

श्री सुन्दर लाल : विद्वान में एक नम्बर में मोदी तो है ही और पहले विद्वान था जो अभी भीलवाड़ा से एम.पी. बनकर चला गया और दूसरे ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप, राजेन्द्रजी राठौड़, नहीं हैं क्या विद्वान ?

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, नेशनल डेजर्ट पार्क, अभी गंगारामजी बता रहे थे, मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है, मैं खुद भी देखकर के आया हूं और मेरी समझ से तो परे है कि खाली उसमें से नहर निकल जाए, वहां आप कल्टीवेशन के लिए जगह मत दीजिये, वहां काम और काम के लिए भी मत दीजिये लेकिन अगर डेजर्ट के अंदर से दूसरे एरिया में जहां कि आपका डेजर्ट डवलपमेंट पार्क नहीं है और उस बीच में से सिर्फ नहर निकलती है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई एडवर्स परिस्थितियां नहीं बनेगी और मैं तो एक स्टेप फर्दर कहता हूं कि आप, राज्य सरकार यह निर्णय करे क्योंकि अब किसी भी नेशनल पार्क में इजाजत सुप्रीम कोर्ट देगा, इजाजत न राज्य सरकार के पास में है, न वन विभाग के पास में है। राजस्थान सरकार को तो यह मन बनाना चाहिए कि हम इसको रिकमंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत देगी तो बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगी तो नहीं बनेगी। आप अपनी रिकमंडेशन को क्यों रोकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही जब मंत्रीजी जवाब दें तो मैं 3-4 बातें उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि एन्वायर्नमेंट की क्लियरेंस के कारण कितनी माइंस बन्द हैं। 1994 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से राजस्थान के अन्दर कुल कितनी खानें बंद हुई, कितनी खानों के प्रपोजल माइंस डिपार्टमेंट ने फोरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजे और कितने फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने भारत सरकार को भेजे और जो नहीं गये उनका क्या रोड मैप है और जो एन्वायर्नमेंट की क्लियरेंस के लिए बंद हो गई उसका क्या रोड मैप है।

सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने पहले तो सुना था कि फोरेस्ट की एन.ओ.सी. में बहुत समय लगता है, भ्रष्टाचार भी होता है लेकिन मुझे अभी खुद को अनुभव हुआ है अजमेर और भीलवाड़ा में तीन दिन के अन्दर-अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने एन.ओ.सी. जारी कर दी। कहीं भ्रष्टाचार का नामोनिशान नहीं था। एन्वायर्नमेंट विभाग में भी अभी जो वर्तमान में सिस्टम है उसमें काफी तेजी का काम है और वहां पर मैं नहीं समझता कि किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश है लेकिन जहां काम होता है उन लोगों की शिकायत तो अपने आप हो जाती है क्योंकि काम करने

(श्री विष्णु मोदी)

वाले आदमी से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, ठीक तरह से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि थोड़ा दृष्टिकोण बदलने का भी है कि ओवर-ऑल क्लोज कम्पार्टमेंट नहीं रहे गवर्नमेंट कि वन विभाग सिर्फ वन विभाग के बारे में सोचे, पर्यावरण विभाग सिर्फ पर्यावरण विभाग के बारे में सोचे और खनन विभाग के बारे में सोचें, यह नहीं होना चाहिए। हमारा यह सोच होना चाहिए कि राजस्थान का ओवर-आल डवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। राजस्थान को हम पिछड़े हुए राज्य से निकालकर कैसे एक उन्नतिशील प्रदेश बना सकते हैं। धन्यवाद. जय भारत।

श्री सभापति : डाक्टर सी. एस. बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, वन के कारण हो इस सरकार की जितनी इज्जत लूटी है, उतनी आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। मैं इस बात को, सभापति महोदय, मेरे को आप सुनिये, आप लोग बीच में बोल रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : एक बार तो आप सरकार का गुणगान करो। आप बार-बार अपने शब्दों में सरकार को बदनाम करते हो। एक बार तो आप सरकार का गुणगान करो। कम से कम आपको यह तो रखना चाहिए। बार-बार आप यह कह रहे हो।

श्री जीवाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह तो वह वाली बात हो गई कि जो इन्सान सच्चाई पर है इसको बार-बार चोर कहते हैं तो वास्तव में यही होता है। इनकी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि इस सदन में व्यवधान पैदा करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, इस सदन की शुरूआत के अन्दर जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के बाद में जब सदन दुबारा यहां पर जुटा 26 फरवरी को तो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने पहली बार बाघों का मामला पर्ची के माध्यम से सदन के अन्दर उठाया। वह इतना महत्वपूर्ण और ज्वलनशील मुद्दा था कि उस मामले को

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उठाने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी जो उस समय सदन में विराजमान थीं, जीरो आवर के अन्दर अभी माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है कि उसका जवाब देने के लिए कोई भी मंत्री बाध्य नहीं है लेकिन सुओमोटो डिसीजन लेते हुए उन्होंने यह तय किया कि इमिजियटली उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया और इतनी आनन-फानन में उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया और उस टास्क फोर्स की परिणति आज यह हुई कि उसकी सैंक्टिटी ही खतम हो गई है। आप देखिये, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार शासन में आई है, 15 महीनों के अन्दर नेशनल लेवल पर, इन्टरनेशनल लेवल पर और अपने देश में, राज्य में जितनी बदनामी इस सरकार की हुई है, आप कोई भी न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिये, रेडियो पर, टेलीविजन पर, नेशनल मैगजीन्स के अन्दर, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में खबर थी कि गार्जियन पेपर जो कि दुनिया का सबसे मशहूर पेपर है, उसके अन्दर भी इस सरकार की यह कहकर आलोचना हुई कि सरिस्का के अन्दर जो 16 से 18 बाघ थे, वे इन 15 महीनों के अन्दर कहां गायब हो गये। आप देखिये, इसमें सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह हुई कि...

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, क्या जो पिछली सरकार थी, उसके चीफ मिनिस्टर नम्बर वन, वह सरकार बढिया थी? क्या यह 16 महीनों में ही सब कुछ हो गया? और मैं नहीं समझ सकता कि किस इंटरनेशनल न्यूज चैनल, किस मैगजीन में राजस्थान की बुराई आ रही है और कौनसा आप देखते हैं ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक तो कटमोशन आपने दिये नहीं, आप पूरे 15 मिनट बोल लिये। पर्यावरण की और वन की बात की नहीं। आपने बात की माइन्स की। माइन्स कहां खुले, क्यों खुले। पर्यावरण से कहां नुकसान हो, फोरेस्ट की एन.ओ.सी. कैसे मिले और इस बात में पूरी सच्चाई है कि बाघ हो सकता है पहले भी, पूर्ववर्ती सरकार के शासन में भी कम हुए हो लेकिन 16 से 18 बाघ बिलकुल ही जीरो पर आ गये और आप कोई भी इंटरनेशनल मैगजीन, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास सारी कटिंग हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से...

श्री विष्णु मोदी : माननीय सदस्य, संसार चन्द्र का नाम आ रहा है, वह संसार चन्द्रजी के बारे में भी बता दो, वह कौन है ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बिराजें तो बताऊं ना। अभी मैंने तो शुरूआत ही की है, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो?

श्री सभापति : आप बिराजें। आप बीच-बीच में व्यवधान नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, जो देहरादून में स्थित है, उसके जब स्टूडेंट्स...

श्री तगाराम चौधरी : बैद साहब, पहले आप संसार चन्द्रजी का बतायें।

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें आप। आप बीच में टोकाटोकी नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : पहली बार सितम्बर के अन्दर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून के लोग और रिसचर्स जब वहां पर आये रणथम्भौर के अन्दर और सरिस्का के अन्दर, सरिस्का में सितम्बर में उन्होंने पहली बार लिखित रूप से फोरेस्ट विभाग को यह रिपोर्ट किया कि हमें पूरे एरिया के अन्दर घूमने के बाद में एक भी बाघ देखने को नहीं मिला। आप यह देखिये। सितम्बर से लेकर और 26.2.2005 तक राज्य सरकार सोई हुई थी। उसी दिन इन्होंने जब यह मामला उठाया तभी उनको यह होश आया कि हमको एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए और उस टास्क फोर्स की परिणति यह हुई कि आपने जिन सदस्यों को उसके अन्दर लिया था, उन्हीं सदस्यों का सस्पेंशन हुआ और उस टास्क फोर्स की सेंक्टिटी बिलकुल खतम हो गई। आप यह देखिये, अब जब यह कहा सर्वोच्च संस्था, सी.बी.आई. के अन्दर जो केस चला गया तो इस टास्क फोर्स की क्या सेंक्टिटी रह गई और उसने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्रीजी को सुपुर्द भी कर दी है। मैं आपसे आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़ों को इस तरह से तोड़-मरोड़कर पेश किया और मैं सही आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये जो एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ है कांग्रेस राज के अन्दर वर्ष 2003-04 के अन्दर सरिस्का के अन्दर 1.37 करोड़ और रणथम्भौर के अन्दर 5.55 करोड़। आप यह देखिये, टोटल एक्चुअल

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

एक्सपेंडीचर है, यह कोई बजट एस्टीमेट या रिवाइज एस्टीमेट नहीं है। टोटल खर्चा हुआ 6.92 करोड़। उस 6.92 करोड़ के अन्दर अगर आप बाघों की संख्या के अनुसार इसका अनुपात निकालें तो 16 लाख रुपये टाइगर के ऊपर प्रति साल खर्च किया गया सरिस्का के अन्दर और 1.4 लाख खर्च किया गया एक महीने के अन्दर और पांच हजार रुपये प्रति बाघ प्रतिदिन सरिस्का के अन्दर खर्च किया गया। पांच हजार रुपये खर्च करने के बाद भी यह देखें कि 16 बाघ गायब हो गये। सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्रीजी को दे दी और एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ। यह बात तो ऐसी हो गई कि जो विरोध की सेना है, वह आई और सारे सैनिकों को मारकर चली गई और आपकी तरफ से एक भी गोली नहीं चली। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यह वर्तमान सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा करने में, सारे वन्य जीवों की जिसमें बाघ भी शामिल है, टोटली असफल रही है। हमने इनको सौंपे थे 16 से 18 बाघ। वह आफिशियल तौर पर इस सरकार ने मंजूर किया है, जो पुराना सेंसस था, उसमें 16 से 18 बाघ थे सरिस्का के अन्दर आज बाघों की क्या हालत है ? बाघ हो गये जीरो और आपको मैं बता दूं कि बजट के अन्दर किस तरह से 2004-05 के अन्दर, आपके बजट एस्टीमेट रणथम्भौर के अन्दर 3.77 करोड़ और सरिस्का में था 1.59 करोड़, टोटल मिलाकर हुआ 5.36 करोड़ और इसका ही रिवाइज एस्टीमेट अगर आप देखें तो टोटल होता है 2.69 करोड़, यह क्या दर्शाता है? आपने 6.92 करोड़ का जो रिवाइज एस्टीमेट है, उसको कर दिया 2.69 करोड़। आपने बजट के अन्दर काटौती की 50 पर्सेन्ट, 50 पर्सेन्ट की कटौती हो गई। बजट के अन्दर और 16 बाघ से लेकर जीरो बाघ हो गये। यह तो हालत हुई है पिछले 15 महीनों के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, इनके फरवरी तक इन्होंने आउटले रखा था वन विभाग के लिए और उसमें से कितना खर्च किया है ? इन्होंने आउटले रखा था 96.41 करोड़ रुपये, यह इनका आउटले है, जब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था और खर्च किया है सिर्फ 50 पर्सेन्ट तो इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, एक तो आपने बजट में प्रावधान कम रखा, दूसरा आपने रिवाइज एस्टीमेट के अन्दर उसको फिर कम कर दिया, और जो भी किया उसका सिर्फ 50 प्रतिशत आप पिछले बजट से लेकर इस महीने फरवरी तक खर्च कर पाये तो यह सरकार की शिथिलता नहीं है तो और क्या है?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार सुओमोटो इनको पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वे इस मामले को इतना गम्भीर और संवेदनशील मानते हैं और उन्होंने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिये कि इसके बारे में आपको तुरन्त कोई एक्शन लेना चाहिए और यह मैं कुछ चन्द लाइनें, जो माननीय प्रधान मंत्रीजी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखकर भेजी है, वह पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिससे सारे सदस्यों को इसकी ज़ानकारी हो "The recent reported disappearance of tigers from Sariska is a matter of great distress and concern." आप देखिये, यह सितम्बर से लेकर और फरवरी तक सरकार हरकत में नहीं आई और उसके बाद भी, टास्क फोर्स बनाने के बाद भी, जो कि बाद में डिफंक्ट हो गई टास्क फोर्स, तब भी सरकार हरकत में नहीं आई लेकिन यह जो माननीय प्रधान मंत्री ने चिट्ठी लिखी, उसका राजनीतिकरण कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री ने एक अपने बयान में कहा कि इनको बाघ की चिन्ता है, इनको जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी चिंता नहीं है। सरिस्का के अंदर यह बच्चे और लोग मर रहे थे उनकी किस को चिंता थी ? माननीय प्रधान मंत्री ने आगे लिखा है -

"You may appreciate that immediate remedial action needs to be instituted both by the Central and State Government to protect our wild life specially the tigers, their habitats and prevent any further deterioration in the situation."

और उन्होंने कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये उसमें से सिर्फ एक सुझाव मैं पढ़ना चाहूंगा।

"...instituting a high level independent inquiry with outside experts and identify the causes and fix responsibility for disappearance of tigers from Sariska."

यह उन्होंने भी माना है कि सरिस्का से टाइगर गायब हो गये। जो इंटरनेशनल एजेंसी है डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ., उसकी भी रिपोर्ट आई कि सरकार की शिथिलता के कारण यह टाइगर गायब हो गये। अब आप देखिये कि इन्होंने सारी सिचुएशन को एक दूसरी टास्कफोर्स बनाई, फिर दूसरी कमेटी बनाई, माननीय प्रधान मंत्री का पत्र आया और पत्र आने के बाद में उन्होंने जो भारत सरकार की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, सी.बी.आई. की इन्क्वायरी कांस्टीट्यूट कर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दी, सारी सिचुएशन को इंटरमिगल करके इतना केयोटिक कर दिया, मैं तो यह कहता हूं कि हो सकता है वन मंत्रीजी बहुत सक्षम हों, बहुत विद्वान हों, अपने कार्य में कुशल हों, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की दखलंदाजी के कारण वह अपना काम सुचारू रूप से करने में असफल रहे हैं और जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर राजस्थान के मान और सम्मान की गिरावट आई है उसके लिए उनको स्वयं, सुओमोटो यह कहना चाहिए कि मैं इतना अच्छा होते हुए भी अपना काम करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि दखलंदाजी हो रही है और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

श्री सभापति : कन्क्लूड करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत इम्पोंटेन्ट मुद्दा इसके साथ में उठाना चाहता हूं और वह मुद्दा यह है कि खाली वन्य जीवों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई, इसके साथ में दूसरा इम्पोंटेन्ट रीजन है और वह यह है कि वन भूमि के ऊपर व्यवसायीकरण हो रहा है। वन भूमि के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वन की भूमि आप किसी भी कीमत पर किसी दूसरे कार्य के लिए अलाट नहीं कर सकते और उसका इतनी जोर से वह हुआ है कि आप यह देखें कि अजबगढ़ के अंदर, जो थानागाजी तहसील में है अजबगढ़, वहां वन भूमि की जमीन पर जो हेरीटेज रिसोर्ट्स हैं उसने अपनी सात सितारा होटल का निर्माण किया है वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद में। इसकी कार्यवाही तो शुरू हो गई थी कई साल पहले, लेकिन इसकी कार्यवाही शुरू होने के बाद में इसमें तेजी आई जनवरी के अंदर। वन विभाग के अंदर केस दर्ज किया गया, वह खारिज हो गया। खारिज होने के बाद कलक्टर को केस भेजा गया। कलक्टर ने भी गोलमाल जवाब लिख दिया। आरएए के अंदर केस गया, उसके अंदर भी सरकार ढंग से जवाब नहीं दे पाई और आखिर में, एक तरफ तो आप एफिडेबिट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि यह जो भूमि है यह वन भूमि है और दूसरी तरफ आप उसी भूमि पर होटल निर्माण की परमिशन दे रहे हैं। वह सर्वथा अनुचित है। इस तरह की गतिविधि होने के कारण भी वन्य जीवों को नुकसान हुआ है और उनकी संख्या के अंदर गिरावट आई है।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : बहुत अच्छा भाषण हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनिया : पराये धान से तो अपनी छिली हुई ही अच्छी होती है, इनको तो अच्छा लगना ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी तो मजबूरी है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वन मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं है, इन सारे प्रकरणों को देखते हुए, एक सबसे इम्पोर्टेन्ट चीज इसके अंदर यह रही कि वह अपने विभाग के कर्मचारियों को एकजुट रखने में भी असफल हुए हैं। आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट की हालत यह हो गई है कि नेशनल लेवल के अखबारों में एक-दूसरे अधिकारियों के विरोध में जो प्रकाशन हो रहा है उससे वन विभाग की भी साख गिरी है, माननीय वन मंत्रीजी की भी साख गिरी है और अगर यह राजस्थान के मान और सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इन्हें यह कहना चाहिए कि मैं पिछले पन्द्रह महीने के शासन काल के अन्दर वन्य जीवों की...

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बैठो तो मैं मेरा कन्क्लूड तो कर लूं। मैं अपने पन्द्रह महीने के शासनकाल के अन्दर वन्य जीवों की सुरक्षा करने में असफल रहा हूं, गलती होती है आदमी से, किसी भी कारण से हुई हो, यह बड़े विद्वान होंगे, बहुत प्रखर होंगे और अपने काम में कार्यकुशल होंगे लेकिन बार-बार अड़चनों के कारण और यह जो चीजें मैंने बताई है अजबगढ़ वाली, उससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि इसके अन्दर कुछ ऐसे लोगों का इन्वाल्वमेंट है जिसके कारण कि सरकार कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है, हाई कोर्ट के अन्दर एक पी.आई.एल. भी इसके अगेंस्ट में असेप्ट हो गई है और उस पी.आई.एल. के अन्दर आगे जाने वाले समय में नतीजा हो जायेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जायेगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : यह क्या है सभापति महोदय, करंट आ रहा है मेरे माइक में। (व्यवधान) नहीं-नहीं, वास्तव में आ रहा है।

श्री सभापति : आप फटाफट। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : हाथ तो लगाना पड़ता है माईक के। सभापति महोदय, मांग संख्या-9 वन और पर्यावरण पर चर्चा चल रही है। मैं सर्वप्रथम तो माननीय वन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद कोई मुफ्त में नहीं दे रहा हूं, इन्होंने कुछ करके दिखाया है इसलिए दे रहा हूं। सभापति महोदय, मैं बोलना कुछ और चाहता था पर मेरी दाहिनी साइड से मुझे बीच में टोकाटाकी होगी तो मैं सीधा इनके ऊपर आऊंगा। मोटे रूप में इन लोगों को पर्यावरण की चिंता है। बाघों- की चिंता है, हमारे राज में पर बाघ पर पांच हजार रुपये पर डे खर्च होता था, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कम खर्चा हुआ है, यह क्या दर्शाता है। सभापति महोदय, यह अपने आप में स्वयं ही दर्शाता है कि बाघ थे ही नहीं वहां। 14 महीने में सारे बाघ गायब हो गये, यह कतई जचने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, पर्यावरण की रक्षा करने वालों ने, मुख्य मंत्री नम्बर वन ने जो काम किया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सड़क के किनारे, नहरों के किनारे जो पेड़ लगे हुए थे, इनकी सरकार ने पर्यावरण सुधारने के मामले में यह काम किया कि आज सारी की सारी नहरों का सफाया हो गया, एक भी पेड़ उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने शासन में सब नीलाम करवा दिये और रोड के ऊपर जो पेड़ थे वह भी नीलाम कर दिये और सभापति महोदय, इसलिए कर दिया कि खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं था, इनका भेजा खाली था। जिन नहरों और सड़क के ऊपर सुबह-शाम पक्षी अठखेलियां करते थे, दिन में पशु अपना बसेरा नहरों में छाया में करते थे, वह सारी नहरें आज सुनसान, वीरान पड़ी हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पेड़ नीलाम करते वक्त यह नहीं देखा कि पेड़ परिपक्व है या नहीं है। कोई मापदण्ड नहीं रखा, पेड़ चाहे छोटा था, चाहे मोटा था, सब को कटवा दिया। सभापति महोदय, बातें बहुत होती हैं, वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो अपने आप में स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है। खर्चा करने की राजस्थान और केन्द्र सरकार को आवश्यकता ही नहीं है। यह ऐसा विभाग

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है जो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह देकर के भी बचत कर सकता है। वन विभाग के अंदर बहुत सी ऐसी धरती है जहां जैसे कैर है, बैर जो है इन्कम वाला पौधा है। खेजड़ी है उसे सांगरी मिलती है। तूंबा है, सेवण है, गोंद मिलती है हमें जैसे तेंदू पत्ता है तरह-तरह की इन्कम वाले पेड़-पौधे वन विभाग में है पर सभापति महोदय, इनके समय की बात बता रहा हूं मैं ज्यादा लंबा-चौड़ा पूरे राजस्थान की तरफ नहीं जाकर के मैं पीलीबंगा मेरी रेंज है पीलीबंगा रेंजर के नीचे जितना एरिया था उसमें 95% अवैध कटाई हुई है और मैं यह चेलेंच करता हूं वन मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध कटाई के मामले में पीलीबंगा रेंज मेरी इनके जमाने में सबसे अग्रणी रही है। बहुत पेड़ कटे हैं, सफाया हो गया और सभापति महोदय, वो पेड़ ऐसे नहीं कटे हैं पेड़ कटे हैं मिलीभगत से। वहां जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे उनकी मिलीभगत से वो पेड़ कटे हैं। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे अगर काश्तकार कोई अपने खेत से एक पेड़ ले जाए तो फोरेस्ट के कमर्चारी और रेंजर को इतनी सूचना मिलती है कि तुरन्त जाकर काश्तकार के गाड़े को, ट्रेक्टर को रोक लेते हैं कि यह लकड़ी अवैध है, यह आप वन विभाग से लाये हो।

सभापति महोदय, काश्तकार अपने खेत में जरूरत के मुताबिक पेड़ काटता है और एक पेड़ काटता है तो वो तीन पेड़ लगाता है। जैसे गहलोत साहब ने निर्णय लिया पेड़ कटाई करने का यह नहीं सोचा कि पेड़ काटने के बारे में तो सोच लिया पर लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए था। यह सच्चाई है आपको चाहे कितना ही दुख पहुंचे इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरी बात असत्य है तो आप जाकर हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में पता कर लें कि गहलोत सरकार ने खजाना भरने के लिए सबसे पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने पेड़ काट कर खजाना भरने का काम किया है। यह राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री हैं आपको मैं जानकारी दे दूं पेड़ परिपक्व 50-60 वर्ष से पहले नहीं होता चाहे टाली हो, चाहे कीकर हो पर आपने तो 15-15 वर्ष के 5-5 वर्ष के जो पेड़ थे उनको ही काट लिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वन मंत्रीजी, आप तो सिर्फ हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में पेड़ों की कुल कितनी सख्या है, कौन-कौन से पेड़ कितनी संख्या में है, टाली कितने हैं,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कीकर कितने हैं, रिकार्ड में हैं और मौके पर कितने खड़े हैं, इस बात की जांच करवा लें आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि कितनी अवैध कटाई हुई है। मैंने एक प्रश्न भी लगाया था पर उस दिन में, संयोगवश पहला ही नंबर था, आ नहीं पाया था इसलिए सभापति महोदय, मैं वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अवश्य इस बात की जांच करवायें कि रिकार्ड के अन्दर जितने पेड़ हैं क्या मौके पर पेड़ हैं या नहीं हैं। कौन-कौन सी किस्म के कितने-कितने पेड़ थे और कितने मौके पर खड़े हैं इससे ही पता लग जाएगा।

सभापति महोदय, एक मेरी जानकारी में और है मेरे दाहिनी तरफ से पक्ष-विपक्ष की बात हो रही थी यह सच्चाई है, सभापति महोदय, कि पिछले 20-25 वर्ष से तो मैं देखता आ रहा हूं कि ये जो आरा मशीन वाले हैं ये मिलीभगत करके और अवैध कटाई करते हैं। इसमें कहीं भी कोई संदेश नहीं है कि आरा मशीन वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों से बिना मिले कोई अवैध कटाई कर ले ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है कोई एक-दो प्रतिशत कटाई हो जाए पर रेंज की रेंज ही पूरा सफाया कर दे यह कहां का न्याय है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि फोरेस्ट विभाग में डेजर्ट के अन्दर.....।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें, एक मिनट में।

श्री रामप्रताप कासनिया : .... नेचुरल जो पेड़ उगता है आपके डिपार्टमेन्ट में ऐसे-ऐसे महारथी बैठे हैं कि जो नेचुरल पेड़ उगता है उनको भी रिकार्ड में दर्ज कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आंधी चली, मिट्टी कट गयी, पेड़ खतम हो गया, बरसात आयी और पानी बह कर चला और मिट्टी कटाव हो गया। इसके कारण से पौधा नष्ट हो गया। न पौधा लगा न कोई मिट्टी कटी, न कोई पानी चला पर रिकार्ड में सब कुछ हो जाता है तो, सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वन मंत्रीजी बहुत जागरूक

(श्री रामप्रताप कासनिया)

इन्सान हैं, काम करने वाले हैं, इनके मन में कुछ कर गुजरने की है तो इसलिए मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यहां भाषण देने से कुछ नहीं होता। एक बात मैं वन मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहूंगा कि वन मंत्री महोदय आप एक्सपेरीमेंट के तौर पर एक जगह चयनित करें और उसमें एक वर्ष में कितनी इन्कम होती है इन्कम वाली चीज कौन-कौन सी हैं वो भी आप चिन्हित करें। जैसे मैंने कई चीजों के उदाहरण दिये हैं। वन विभाग को कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है वन विभाग अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बाघ वाली जो घटना है यह मैं मानता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरह से बाघ सारे के सारे समाप्त हो जाना पर, सभापति महोदय, यह बाघ कोई एक दिन में समाप्त नहीं हुए हैं। आग तो नीमडी वाला घरऊं लागेड़ी ही बज्जों आणी जार्च लेवा हालो बंदो कमजोर हो। चार्ज लिया उस समय एक-एक लाठी मार कर गिनकर लेता तो बात बन जाती। अब मार आते हैं छक्का और चौका बिना जानकारी के बाघ के पास अपने बाप-दादा ही नहीं जा सकते। ऐसे ही कह देते हैं कि पहले तो पूरे ही थे और बाद में कम हो गये, तो यह कहना आसान है। आरोप-प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। इस देश को आजाद हुए आज 58 वर्ष हो गये। वन विभाग में एक ट्राली 20-25 हजार की होती है सभापति महोदय, एक ट्राली और इस डिपार्टमेंट में एक बीमारी क्या है कि फोरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं कि लकड़ी लाता है कोई काट कर तो कोई शिकायत कर दे तो वन विभाग पकड़ ले तब क्या काम करता है कि उस समय यह काम करता है कि भाई तेरा जुर्माना कर देते हैं। लकड़ी है ट्राली में कितने की 50 हजार की और जुर्माना कितना लगता है, दो सौ रुपये का, यह मिली भगत होती है, यह एक अच्छा कानून है, बचने का रास्ता है। आम का आम गुठली के दाम। रसीद काट दी, दंड लगा दिया दो सौ रुपये में 50 हजार के पेड़ काट कर ले गया अगला, तो इस कानून की तरफ भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि, वन मंत्रीजी, इस कानून में भी कुछ संशोधन करें और एक काश्तकारों को बिना मतलब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी परेशान नहीं करें वो अपने खेत से पेड़ काट कर लाते हैं और वो अपनी जरूरत के मुताबिक लाते हैं। एक पेड़ काटते हैं तो पांच पेड़ लगाते भी हैं। खेजड़ी का पेड काट लिया। खेजड़ी का पेड़ कुदरती गिर जाता है।

श्री सभापति माननीय श्री मदन राठौड़।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो माननीय वन मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पाली जिले में एक स्वयंसेवी संस्थान ने तुलसी के पौधे घर-घर पहुंचाने का जो निर्णय लिया उसमें इन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया उस संस्था का और तुलसी का केवल धार्मिक आधार ही नहीं सांस्कृतिक आधार और वैज्ञानिक आधार भी है। अभी तो एक स्वयंसेवी संस्था ने पाली जिले में निर्णय लिया है और मैं सोचता हूं कि इससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और भी कोई माननीय सदस्य यदि कोई विचार करें और इस प्रकार का निर्णय करें तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में मुझे जवाब मिला कि अप्रैल, 2004 से 15 अगस्त, 2004 तक 18 लाख 66 हजार पौधे वितरित किये गये। इन पौधों को वितरित करवाना, इनको लगवाने में निश्चित रूप से लाखों पौधे लगते हैं तो करोड़ों रुपये भी खर्च होते हैं और इनके रखरखाव के लिए भी करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और जब ये केवल 8 महीने में इतने पौधे लगे तो आज तक कितने पौधे लगे होंगे। उसी प्रश्न के जवाब में दिया गया कि इनका रेट ऑफ सरवाइवल 40 परसेंट है। 40 प्रतिशत पौधे जीवित रहते हैं और इस प्रकार से विचार करें तो राजस्थान सघन वन हो जाना चाहिये था। आज तक पता नहीं क्या होता आया है इसकी जानकारी तो जो आज तक सत्ता में रहे वही दे सकते हैं। अभी नेशनल हाई-वे पर जो पौधों की कटाई हुई मैं ऐसा सोचता हूं कि जब 2 लाइन से 4 लाइन बनाया जाये यदि सड़क के पास में अलग से सड़क बना दी जाये जमीन एक्वायर कर के तो पौधे निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। पेड़ों को उठाकर दूसरी जगह लगाने की भी व्यवस्था है। अभी नेशनल हाई-वे पर यह देखने में आया कि प्रत्येक तीसरा, चौथा पेड़ खतम होता जा रहा है और उसको खतम करने के लिये कोई षड्यन्त्र भी चल रहा है। उनकी जड़ों में कोई केमिकल डालकर उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद शायद उसको काटकर ले जायेंगे, इस प्रकार की भी कुछ षड्यन्त्रकारियों की योजना हो सकती है।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, गोडावन पक्षी की सुरक्षा के लिये जैसलमेर में इस प्रकार के प्रयास हुए लेकिन कई विदेशी वहां गोडावन का शिकार करने के लिये आये और उस समय का जो शासन दल था उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। वह प्रोत्साहित करता रहा, आमन्त्रित करता रहा। बाद में जब पता चला, जब राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला मचा तब जाकर उस पर रोक लगाने का थोड़ा बहुत प्रयास किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क विश्व विख्यात पक्षी संरक्षण स्थल है। सांभर झील और खींचन भी पक्षियों का महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल हैं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा ईको सेंसेटिव जोन में कई होटल बने हुए हैं। इतने होटल बन गये मैं आपको बताना चाहूंगा होटल हमीर, वन्य विलास ओबेराय ग्रुप, झूमर बावडी, विनायक, अरणिया, टाइगर डेन, टाइगर मून, शेर बाघ, नाहरगढ़, देव विलास, अपन रिसोर्ट, शनि विलास, यह इतने होटल जो वन क्षेत्र में बनने दिये, यही नहीं, अजमेर जिले में वन क्षेत्र में कई क्रेशर स्थापित है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा एक आदिनाथ स्टोन क्रेशर जो सर्वोच्च न्यायालय ने 30.10.2002 को आदेश दिया। एक उत्तमचंद गंगवाल, पालरा को 16.12.2002 को बन्द करने का आदेश दिया। एक अशोक स्टोन को बंद नहीं किया गया। यही नहीं, 7.4.2004 को हमारी सरकार ने बंद करने का जो आदेश दिया है इसके लिये मैं वन मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बूंदी जिले में वन क्षेत्र में 15 खानें स्वीकृत हैं और कई अवैध खानें चल रही है, इस प्रकार का कृत्य भी हो रहा है। किशनगंज शाहबाग में वन भूमि में 2933 अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आये। 1980 से पूर्व उदयपुर जिले में 1723 और 1980 के बाद गोगुन्दा और कोटड़ा में 2474 अतिक्रमण के पकरण दर्ज हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 दिसम्बर, 2003 तक 53080 हैक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ और इसमें 122 केस दर्ज हुए। इसके अलावा कोई केस इन्होंने दर्ज नहीं किया, कोई भी कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, अधिकारियों की जहां तक बात है हमारे पाली जिले में मैं सोचता हूं आपके विधान सभा क्षेत्र में भी काल्लाम्बिया में 607 खेजड़ी के पेड़ काटे गये, कुमर 33, देशी बबूल 4, रोंज 10 कैर और हिंगोटा 90, इस प्रकार 744, यह तो प्रश्न के उत्तर में आया है कि 744 पेड़ काट दिये गये जबकि उनको ठेका दिया गया था केवल

(श्री मदन राठौड़)

जुलीफलोरां को काटने के लिये लेकिन यह पेड़ भी काट दिये गये । वन विभाग के अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसमें जो जांच हुई उस जांच में क्या सजा दी मैं यह आपको बताना चाहूंगा। उसने कहा मैं जब से लगा तब से 1685 पेड़ों को जिनको नये और पुराने में विभक्त किया जाये तो 743 पेड़ ही नये थे बाकी पुराने पेड़ थे। यह उन्होंने स्वीकार किया है और स्वीकार ही नहीं किया आश्चर्य तो इस बात पर है, आप सबको भी होगा कि उसमें जो सजा दी गई वह सजा सुनकर पूरे सदन को भी आश्चर्य होगा। सजा दी गई कि राजकोष में चालान के माध्यम से कुछ पैसा भी जमा कर दिया गया लेकिन इनको केवल प्रताड़ना का दण्ड दिया गया। अब आप आश्चर्य करेंगे कि प्रताड़ना का दण्ड देने मात्र से तो काम चलने वाला नहीं है। यह सब मैं कांग्रेस राज की बात कर रहा हूं, यह अपने जमाने की बात नहीं है। लापरवाही बरतने के दोषी को केवल प्रताड़ना का दण्ड, यह 2002-03 की बात बता रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं 2003 की बताऊं, फरवरी, 2003 में 67 मुलजिम गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री श्रवण कुमार : इनकी बातें बता बता कर इनको जाग्रत कर रहे हो आप। आप तो अपनी बात करो।

श्री मदन राठौड़ : बाघों के शिकार की बात कर रहा हूं, शिकार के मामले में 2003 तक 122 केसेज दर्ज हुए और मुलजिम गिरफ्तार हुए 67 और 67 ही केस कम्पाउंड कर दिये गये। यानि उनसे पैसा लेकर 1 लाख 73 हजार 460 रुपया उनसे वसूला गया और केसेज कम्पाउंड कर दिये गये। यह भी आश्चर्यजनक बात है। पता नहीं इन्होंने किस प्रकार पैसा लेकर उन शिकारियों को छोड़ दिया। इस मामले में कई शिकारी जो 1988 से शिकारी चलते आ रहे हैं, 2001 से जुलाई, 2004 तक जो शिकारी गिरफ्तार हुए और उनके जो बयान आये उन बयानों में सबसे बड़ा एक संसार चन्द्र का नाम आया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह संसार चन्द कौन है जिस पर लगभग 16 केस दर्ज है और इनकी पत्नी कांग्रेस की एक नेता है। उसका एक कार्ड भी मेरे पास है यह मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की एस.सी., एस.टी. सेल की यह महामंत्री हैं। यह संसार चन्द्र की पत्नी जिसका नाम रानी गिहारा है।

श्री श्रवण कुमार : कांग्रेस तो समुद्र है इसमें कई लोग नहाते हैं क्या फर्क पड़ता है।

श्री मदन राठौड़ : महामंत्री हैं, यह पदाधिकारी हैं कांग्रेस की।

श्री श्रवण कुमार : इतनी बड़ी संख्या है, बन गई तो क्या हो गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस में सब जीव जन्तु आते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई। डुबकी लगाते ना, कांग्रेस में नहाते तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का नाश हो गया।

श्री श्रवण कुमार : भाई साहब के जाने के बाद बी.जे.पी. शुद्ध हो गई क्या।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, इनको दर्द हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी है और उसका लड़का भी गिरफ्तार हुआ और वह भी गिरफ्तार हुई और संसार चन्द्र अभी एप्सेंट है। वहां कई शेरों की खालें उसको दी गई और जो शिकारी गिरफ्तार हुए उन्होंने भी स्वीकारोक्ति की है। संसार चन्द्र की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया हुआ है। वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हस्तक्षेप कर के इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि एक पहले पर्यटन राज्य मंत्री थी वह रणथम्भौर अभयारण्य गई और वहां पर एक ऐसी जगह पर ठहरी जो प्रतिबंधित थी। सरकार ने वहां मना किया हुआ है। जोगी महल होटल जिसमें कि तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने भी मना किया हुआ था, कांग्रेस जमाने की एक राज्य मंत्री थीं, अखबार में यह छपा है, मैं अखबार के माध्यम से तो ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा अखबार की हैडिंग ही यह है कि महिला मंत्री के साथ अधिकारी की रंगरेलियों पर मुख्य मंत्री चुप।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यहां पर जो चर्चा चल रही है उसमें इस तरह से क्यों, अखबार में तो बहुत कुछ छपता है। क्या अखबार को आधार मानकर यहां बात करी जायेगी।

श्री मदन राठौड़ : मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं अखबार के आधार पर नहीं बोलूंगा, मैं पूरा पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, मैंने तो हैड लाइन बताई है।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ : वह भी मैंने इसलिए बताई है कि वह जोगी महल होटल में ठहरी जो कि प्रतिबंधित था, कोई ठहर नहीं सकता था। सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी जब राजस्थान में आये उनको दिखाने के लिये एक शेर पकड़ कर लाये थे। वह शेर उनके काबू में रहा नहीं और शेर इधर-उधर भाग गया। गोली से शिकार किया गया।

श्री रामचन्द्र सराधना : राठौड़जी, आपने यह बातें गये बजट में भी बोली थीं। वो ही पन्ना फिर ले आए। इस बजट की बात करिए ना। यह बात कई बार बोल चुके उसको बार-बार क्यों रिपीट करते हो। गये साल बोले थे आप वहीं से बैठे-बैठे, इसलिए अब आगे बोलिए।

श्री मदन राठौड़ : माननीय सराधना साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हैं। मैंने यह बजट में नहीं बोला न तो मैंने राजीव गांधी का नाम लिया, न शेर के शिकार की बात की। शेर को दिखाने के लिए लाए, यह बजट का विषय नहीं है, शेर को जब दिखाने लाए, शेर बेकाबू हो गया, तो उसको गोली से मार दिया यह बताना चाहूंगा कि शिकार तब भी हुआ और यह प्रमाण...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : क्या प्रमाण है वैसे ही थोप रहे हो, बिना मतलब की बात कर रहे हो।

श्री मदन राठौड़ : इसका प्रमाण भी है मेरे पास। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हर बात बोलते हो प्रमाण से बोलते हो क्या ? (व्यवधान) प्रमाण से बोलते हो क्या ?

श्री जुबेर खान : सरासर गलत है। राजीव गांधी की ही देन है कि रणथम्भौर, सरिस्का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर है (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस तरह से गलत आरोप मत लगाइये।

श्री मदन राठौड़ : एक बात और बताना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर आप इस तरह का आरोप लगाते हैं यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। (व्यवधान) कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी के आने के बाद रणथम्भौर और सरिस्का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आए।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, यह आरोप नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री कन्हैया लाल मीणा : आरोप नहीं है। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जब उठाया (व्यवधान) आप लोगों ने एक भी नहीं बोला। प्रमाण सहित। अभी आने वाले हैं वह।

श्री सभापति : आप व्यर्थ में क्यों उलझ रहे हैं, फालतू में।

श्री मदन राठौड़ : अच्छा, ठीक है। सभापति महोदय, इनको तो बहुत दर्द होता है। अर्जुनसिंहजी जो केन्द्रीय मंत्री है, उनके यहां पर हिरण वाली बात तो सर्वविदित है, यह कोई नई बात नहीं है। वहां हिरण को बांधकर रखा गया, इस बात से भी आप इन्कार कर सकते हैं ? ऐसा नहीं है, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा लेकिन यह सत्य बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, पहले तो शेर और शेरनियो को बांधकर रखे जाते थे। क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड : अब आप स्वीकार करो।

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री मदन राठौड़ : मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री सभापति : अब आपका हो गया। बिराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : शिकार करते भी थे और शिकार के साथ उनकी सुरक्षा भी करते थे इसलिए आज से 40 साल पहले जानवर मिलते थे और जानवर दिखते नहीं हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 9 वन और पर्यावरण पर मुझे बोलने का जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। वन मंत्रीजी का एक साल का कार्यकाल है इस एक साल के कार्यकाल में मैं इनको बहुत नजदीकी से जानता हूं। कई बार मेरी इनके साथ मुलाकात भी रही।

हमेशा मैंने यह पाया है कि वन को नुकसान पहुंचाने का वन्यजीव को नुकसान पहुंचाने की कोई भी सूचना आज दिन तक उनको मिली है तो तुरन्त आप पहुंचकर, या तो आप मौके पर गए हैं या आपने उसकी पूरी डिटेल मंगवाकर, एक साल से मैं उनके काफी नजदीक हूं और देख रहा हूं कि वास्तव में एक साल से इन्होंने विभाग में जो लगाम कसी है, मैं समझता हूं कि अगर पूववर्ती सरकार ने यह काम कर लिया होता तो यह जो बाघों की घटना है, आज रोज हम अखबार के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि आज बाघ बिलकुल हमारे सरिस्का, रणथम्भौर सैंक्चुरी में नहीं है यह नजारा आज हमको देखने को नहीं मिलता।

यह इनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। दूसरा तो इनको कोई मौका मिलता नहीं है। वन, पर्यावरण और खनिज ऐसे तीन महत्वपूर्ण विभाग है और इन तीनों विभागों को एक ही मंत्री को देना, वह मंत्री एक साल से लगातार, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। किस प्रकार कांग्रेस सरकार इनके ऊपर हावी हो, यह बाघ का नया प्रश्न खड़ा करके, मैं वादे से यह बात कह सकता हूं कि 14 महीने के अंदर अगर बाघ मारे गए हैं तो मैं मेरे विधान सभा सदस्य से इस्तीफा दे सकता हूं।

पर मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्री ने इसकी तुरन्त सूचना पर वी.पी.सिंहजी के साथ एक टास्क फोर्स कायम की। मंत्रीजी ने अपनी कमेटी डाली है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि यह आपको थोड़े दिन बाद में मालूम चलेगा वन में जो हत्या हुई, शेर की जो हत्या हुई यह सब तत्कालीन सरकार के टाइम हुई, न कि एक साल के अन्दर।

यह खाली उनकी छवि, जो एक ईमानदार, नेक और कर्मठ, जिन्होंने एक साल में अच्छा प्रशासन किया उसको धूमिल करने के लिए, इनकी छवि खराब करने के लिए यह बार-बार उठाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : तथ्य होते हैं वहां आरोप लगते हैं।

"हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था
मेरी नाव तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था।"

तथ्य होते हैं वही आरोप लगते हैं। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं।

"हमें तो अपनो ने मारा गैरों में कहां दम था
मेरी नाव तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था।"

आपको मालूम है मंत्रीजी. पर कोई टिप्पणी गलत नहीं कर सकता। आरोप उन्हीं पर लगते हैं जो अच्छे काम करते हैं। जो करते ही नहीं है उन पर आरोप थोड़े ही लगते हैं।

हमारे भगराज जी हमेशा कहते थे कि, आपके सामने कहते थे ना कि हमारा वन विभाग तो चोर है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनका भी यही था कि वन विभाग को ठीक किया जाए। वन विभाग को जो ठीक कर सकेगा, दुनियां में सबसे अच्छा आदमी होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : और उनको किसलिए हटाया गया वह भी आपको मालूम होगा। (व्यवधान) भगराज जी को क्यों हटाया गया, वह भी आपको मालूम होगा।

श्री श्रवण कुमार : मेरे को मालूम नहीं है, आपको ज्यादा मालूम है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : वह भी आपको मालूम है किसलिए हटाया ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : वह भी आपको मालूम है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : इसलिए वह कहते भी थे कि वन, हमारे जो कर्मचारी हैं वह सबसे बड़े चोर हैं पर इन्होंने भी किसी को सहयोग किया किसी को चोरी करने के लिए इसलिए उनको पट से हटाया गया (व्यवधान)

मेरा आपसे, मुख्य मंत्रीजी से और वन मंत्रीजी को मैं धन्य॰ देना चाहता हूं कि इस बजट में आपने 25 हजार हैक्टेयर वृक्षारोपण कराने के लिए

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपने रखा, 35 हजार हैक्टेयर आपने अग्रिम रूप से कार्य कराने के लिए रखा है और लगभग 80 लाख वानिकी पौधों का वितरण आपने वन विभाग के द्वारा रखा है इससे लगभग 120 लाख दिवस, मतलब रोजगार के अवसर हमारे आदिवासी क्षेत्र में, हमारी गरीब जनता को उपलब्ध होंगे।

इसके साथ यह पौधे लग जाए तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अगर इस पर आपकी मानीटरिंग होगी और जिस तरह से आपने एक साल में जो वातावरण अपने डिपार्टमेंट में बनाया है, आपने एक साल में जो मेहनत की है अगर यह मेहनत आपने कायम रखी और आपने खुद फील्ड इंस्पेक्शन किया, मौके की जानकारी की तो निश्चित रूप से, इतना बड़ा प्रोग्राम आपको मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में दिया गया है यह एक सफल प्रोग्राम होगा। हमें खुशी होगी कि वन, हमारे राजस्थान में कई ऐसी सैंक्चुरी हैं उसके पीछे हजारों लोग राजस्थान को देखने के लिए आते हैं, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो वह आपके समय में एक बहुत उपलब्धि होगी।

मैं आपको मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैंने पिछले टाइम इस बजट के दरमियान आपको मैंने कहा था कि कुछ लोग जो हमारे पड़ौसी जिले से हमारे क्षेत्र में वन भूमि में पेड़ काटकर, जंगल की जमीन पर खेती करते हैं, लगातार एक साल से दो साल से खेती कर रहे हैं जो इनकी पुरानी कब्जा जमीन भी नहीं है, उसके ऊपर आपने तुरन्त एक्शन लेते हुए, आपके अधिकारियों को पाबंद किया, उनको बेदखल किया। इससे साफ जाहिर होता है कि आप वन के प्रति कितने आश्वस्त है, किस तरह प्रोटेक्शन के प्रति चिन्तित है।

मैं आपको इस हाउस के माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने लास्ट ईयर वन विभाग के द्वारा जो आपने खाली कराए, उस क्षेत्र को मैं इस समय चाहूंगा कि आप इस बजट के माध्यम से, वहां प्लान्टेशन कार्यक्रम लिए जाए क्योंकि जागीरी टाइम से वहां जंगल आज भी जंगल बोल रहा है। कुछ लोगों ने वहां अतिक्रमण किया उसको आपने हटाया, तो वापस वृक्ष लग जाए तो हमारे क्षेत्र के आदिवासी के लिए, जो बकरी और भेड़ पालन करके मजूरी करते हैं या जंगलों में से जो भी तेंदू पत्ते बेचकर अपना जीवन चलाते हैं उनके लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा मैं आपसे यह निवेदन

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

करना चाहूंगा, कि हमारा जिला भी आपके कुम्भलगढ़ सेंक्चवरी में है, बाली और देसूरी क्षेत्र कुम्भलगढ़ सेंक्चवरी में आता है। मैंने यह देखा है, मेरे क्षेत्र में जो वन समिति जो तत्कालीन सरकार ने बनायी थी वहां के जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने, जो फोरेस्टर थे, जो यह चाहते थे उस तरह की उन्होंने समिति बना दी। वह समिति आज भी कागजों में सीमित बनी हुई है। वह समिति आज भी एक्टिव नहीं है। गांव वालों को यह मालूम नहीं है कि यह कोई वन समिति भी है। और मैं यह चाहूंगा कि आप जो वृक्षारोपण कराते हैं तो इस वन समिति के माध्यम से कराएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण वहां गांव में खड़ा होगा। अन्यथा यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट खुद स्वयं रेंजर या मुंशी खुद काम करेंगे और उनके लोकल आदमियों को वन समिति को साथ लेकर काम नहीं करेंगे तब तक आपके यह पेड़ लगाने का कार्यक्रम है उसमें हम वह सफलता जो अपन चाहेंगे वह नहीं कर पायेंगे। यह रजिस्टर्ड भी है, यह वन समिति जो भी है यह रजिस्टर्ड है। उनके माध्यम से भी आप काम कर सकते हैं। इनके अध्यक्ष भी हैं उनके माध्यम से भी आप करा सकते हैं। इससे उनका उत्तरदायित्व बनता है कि मैं मेरे गांव के लिये यह काम कर रहा हूं ओर सौ लोग इसका जवाब पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। इसके पीछे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यह जो अरावली रीजन है इस अरावली रीजन में आज भी, बरसात के टाइम में अगर आप कुछ, जैसे भरतसिंह जी ने जो फरमाया, बरसात के टाइम में उनके क्षेत्र में 9 लाख भेड़ उस फोरेस्ट में आकर उस फोरेस्ट में चराई करती हैं। मैं आपको निवेदन करता हूं कि अरावली की भूमि में इतनी ताकत है कि जब बरसात के टाइम पर वहां का जो लोकल पौधा है वह बरसात के टाइम में अपने आप फूटता है। उसको आपको नये पौधे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। पर आपको इतना मेन्टेन करना है कि आप अगर पूरे क्षेत्र को अगर बंद नही करे तो एक चौकी के बीच कम से कम 15 प्रतिशत एरिया, अगर आप रिजर्व कर दें 5 साल तक और एक भी भेड़ और कोई भी जानवर उसमें नहीं जाए और 5 साल के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां जंगल मिलेगा। आपको थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा तभी आपका फोरेस्ट बनेगा। नहीं तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं जो बरसात होती है और वह कैटल, बकरी या भेड़ जाती हैं तो वह छोटा सा पौधा जो उगता है उसको पहले खा जाते हैं और वह

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पौधा बड़ा होने से पहले ही नष्ट हो जाता है और वहां किसी तरह से नया आपका वृक्ष पैदा नहीं होता है, सब पुराने हैं और धीरे-धीरे फोरेस्ट की डेन्सिटी है दिनों-दिन कम होती जाएगी और आपको नये पौधे इस फोरेस्ट में नहीं मिलेंगे। आपको कुछ एरिया रिजर्व बनाना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूं, इस बीजापुर वन चौकी के नीचे एक लाख हैक्टेयर जमीन है। अगर आप 15 हजार हैक्टेयर अगर आप रिजर्व कर देंगे तो मैं समझता हूं कि 85 हजार हैक्टेयर जमीन वहां भेड़ पालकों के लिये बहुत ही उपयुक्त रहेगी और बहुत चराई के लिए काफी जगह रहेगी। 15 हजार हैक्टेयर जमीन में अगर आप 5 साल उसको रिजर्व रखकर देखो, आपको खुद महसूस होगा, डवलपमेंट आपको एक अच्छे रूप में दिखाई देगा। दूसरा आपसे मेरा एक निवेदन है कि निचले तौर पर, हमारे इस क्षेत्र में जहां मैं बाली विधान सभा क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूं, जो वन चौकियां हैं जहां 12-12 का स्टाफ था, जहां 15 का स्टाफ था, मुंशी थे, कैटल गार्ड थे, आज वहां खाली एक-एक आदमी है। वह एक आदमी या तो चौकी में रहे या हो सकता है फोरेस्ट में जाए। अगर आपको अपने जंगल को बचाना है तो आपको नये फोरेस्टर्स और कैटल गार्ड्स को लगाना पड़ेगा। एक आदमी से वह चौकी नहीं चल पायेगी। एक लाख हैक्टेयर अगर जमीन किसी चौकी के नीचे है और आप चाहो कि वह एक आदमी इसको सम्भाल पाये तो आपका यह जंगल कभी बच नहीं सकता है। भले ही आप कितने ही करोड़ों रुपये आप उस पर खर्च करो, यह जंगल कभी नहीं बच सकेगा। मैं तो कहता हूं, भले ही आप टेम्प्रेरी किसी को भी अपाइंट करें और लोगों को लगाएं ताकि वह जंगल आपका सुरक्षित रहेगा, बचेगा। नहीं तो आपका यह जंगल कभी नहीं बच सकता है।

दूसरा मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी भी है इस बात से कि आपने ए.सी.एफ. रैंक के अधिकारियों को डी.एफ.ओ. बनाया, डी.एफ.ओ. रैंके अधिकारियों को सी.सी.एफ. बनाया। सी.सी.एफ. अधिकारियों को सी.एफ. पर परमोशन दिया। पर आपको निचले लेबल पर, जो आदमी रात-दिन जो फोरेस्ट की सुरक्षा करता है, रात-दिन जो फोरेस्ट में घूमता है उनकी लगभग 15-20 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। ह एक ही पोस्ट पर बैठे हैं। जो कैटल गार्ड थे आज भी वह कैटल गार्ड हैं। जो मुंशी थे, वे आज भी मुंशी हैं, जो रेंजर थे, वे आज भी रेंजर हैं। मतलब आज ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 25-25

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

साल की, सर्विस करके बैठे हैं और आज भी रेंजर की पोस्ट पर लगे हैं। अगर आप उनको पदौन्नति नहीं देंगे तो वह भले ही आदमी कितनी भी ईमानदारी से काम करता है, कैसा भी काम करता है वह किसी भी हालत में काम करने में हमेशा पीछे रहेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप कैटल गार्ड, मुंशी और रेंजर के पदों की भी पदौन्नति करिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : एक बार मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह अरावली से जुड़ा हुआ एरिया है और उस क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं। मैं वह चाहूंगा कि आप उनके रोजगार के हिसाब से भी और वृक्षारोपण के हिसाब से भी अगर आप वहां ज्यादा से ज्यादा काम देंगे तो वहां उन आदिवासियों को काम भी मिल जाएगा और काम के अलावा वन के ऊपर भी नुकसान नहीं होगा और वन की सुरक्षा भी रहेगी। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 9, वन पर्यावरण सहित, के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेकर 2-3 सुझाव हैं, बातें, वह रखना चाहूंगा। स्वर्गीय राजीवजी का यहां सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। सभापति महोदय, यह सभी जानते हैं कि रणथम्भौर दुनिया के मानचित्र पर तब आया जब राजीव गांधी 1984 में प्रधान मंत्री बनने के बाद वर्ष के अन्त में 29-30-31 दिसम्बर के लिये जब रणथम्भौर आकर रहे और एक नव-नियुक्त प्रधान मंत्री जिन्होंने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी वे आये। उनकी वजह से रणथम्भौर यहां पर्यटन की दृष्टि से, टाइगर सैंक्चुरी की दृष्टि से वास्तव में देश में और विदेश में नक्शे पर आया। इसी तरह से सरिस्का में भी माननीय राजीवजी ने केबिनेट की मीटिंग करके 86-87 में, क्योंकि हम वहां के रहने वाले हैं, उसके बाद जो परिवर्तन वहां टूरिस्ट के आने का हुआ और जो भी वन्य जीवों से लगाव रखते हैं, उन लोगों का आना हुआ तो यह कहना गलत है कि राजीवजी और इन्दिराजी, यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसने बनाया। 1972 में

(श्री जुबेर खान)

स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने बनाया। आज इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान वन्य जीव के लिये, फोरेस्ट के लिये, सेंक्चवरीज के लिये और पर्यावरण के लिये है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिये इस सदन में इस तरह की गलत बात नहीं की जानी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिनों से आ रहा है कि टाइगरों की पोचिंग हो गयी। यह मैं मानता हूं कि कोई एक दिन का एक साल का काम नहीं है। बरसों से यह काम हो रहा होगा क्योंकि सरिस्का के जंगल के पास हम पले हैं, बढ़े हैं, छोटे-छोटे खेले हैं, हमको मालूम है। सभापति महोदय, एक समय वह थी जब जयपुर से रात को देरी से या सुबह 4-5 बजे सड़क से क्रास करते थे अलवर के लिये तो सरिस्का की जो आज सड़क है इसके ऊपर हम टाइगर और लेपर्ड क्रास करते हुए मिल जाते थे। आज वी.आई.पी. भी आते हैं, पूरा महकमा उनको दिखाने घूमता है। दिन भर में कोई टाइगर या लेपर्ड नजर नहीं आता। यह पोचिंग जो की जा रही है आज अखबारों में आ रहा है कि 30-40-50 लाख तक एक टाइगर की वेल्यू होती है। और वहां जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वही कैटल गार्ड है बेचारे, बुढ्ढे हुए पड़े हैं, छरहरे शरीर के, न उनकी तनख्वाह बढ़ाओं, न उनकी सुविधा बढ़ाओ, न उनको इन्क्रीमेंट दो। कितना लम्बा एरिया है। इसलिये अगर आपको वन्य जीवन बचाना है तो आपको इससे सबक लेना चाहिए कि जो कमियां रही हैं, यह बड़ा आसान है इस पर आरोप लगा दो...। यह तो कंटीन्युअस प्रोसेस है और बहुत दिनों से हो रहा है और मैं तो यह चाहूंगा जो भी 10 साल में पिछली गणना आयी हैं, जितनी भी गणनाएं हुई हैं सब वहां के अधिकारियों ने अपने बचाव के लिये, यह जानते हुए कि टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है, वन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। अगर हमने यह दे दिया कि कम हैं तो हमारे ऊपर गाज गिर सकती है। इसलिये अगर आपको सही मायने में कदम उठाने हैं, आप पिछले 10 साल का रिकार्ड दिखवाइये और 10 साल से आपने एक आदमी को सस्पेंड कर दिया और जो 8-10 साल से लगे हुए हैं वहीं बैठे हुए हैं उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की ? आप इसमें गहराई से देखिये और जो भी इसमें बैठे हुए हो, उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। एक आपने कहा था कि हम डिमार्केशन करवाएंगे और आपने तो विधान सभा में घोषणा की थी कि छह महीने के अन्दर आपके

(श्री जुबेर खान)

करवा देंगे। आप डिमार्केशन की कार्यवाही करवाइये। आपके एक्ट के मुताबिक और जी.टी. शीट के मुताबिक जहां पर पिछले तीस-चालीस साल से सरसों होती है, गेहूं होते हैं, गांव बसे हुए हैं उनको भी आपने टाइगर सैंक्चुरी में ले रखा है फोरेस्ट में ले रखा है। वहां पर लोगों की रजिस्ट्री नहीं होती जबकि वहां खेतियां हैं, कुएं हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, लोगों के मकान हैं। आप देखिये जो भी कुछ बच गया है इसका डिमार्केशन करवाकर इसको बचाइये। ऐसा नहीं कि बचे नहीं और दूर तक लोगों को परेशान करें। आप डिमार्केशन करवाइये और यहां पर डिमार्केशन हो जाता है, आप आज मेरे खयाल से 9-10 अरब रुपये की मांग पास करवा रहे हैं। आप इसके फैंसिंग, चारदीवारी का काम शुरू करवाइये और उस क्षेत्र से करवाइये जहां पर ज्यादा वाइल्ड स्कोप खुला हुआ है क्योंकि कहां-कहां रात दिन घूमती रहेगी जिप्सी फोरेस्ट के लोगों की सरिस्का इतना लम्बा-चौड़ा एरिया है, आपको अगर यह वन्य जीव बचाने हैं, फोरेस्ट बचाना है, पर्यावरण बचाना है, आने वाले समय में बहुत महत्व रहेगा। जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। डी-फोरेस्ट हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, आप जो इतने करोड़ो रुपये खर्च करते हैं हर मानूसन में पेड़ लगाने के ऊपर। कोई लग रहे हैं क्या पेड़ ? बरसात में जो हो जाए, आप कटने मत दीजिए तो ही हरा भरा हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि रामगढ़ के पास एक गांव खोयड़ा-करमाली है, वहां के गांव वालों ने समिति बनाकर यह तय कर दिया कि अगर कोई भी औरत या आदमी अगर पेड़ काटने गया तो 11000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पिछले सात साल में इतना घना जंगल हो गया। पहाड़ दूर से हरा दिखता है। आप यह कार्यवाही करिये कि आप कटाई रोकिये। अब जो कुछ बचा है इसी को बचा लीजिए तो भी बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी।

यह सही है कि आप करना चाहते हैं। आपको कोई सुझाव देते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप सुनते हैं, उस पर अमल लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको भी जिन परिस्थितियों में काम लेना पड़ रहा है, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आप लोकल, स्थानीय लोगों को इसमें भागीदारी बनाइये। आज सबसे ज्यादा हम जब अलवर से जयपुर आते हैं सुबह, कम से कम 300-400 औरतें लकडियां लाद कर सड़क पर निकलती रहती हैं। वह तो एक तरफ है, चारों तरफ क्या हालत होगी ? आप यहां तो लोकल गांव है, वहां के सरपंच हैं, जन-प्रतिनिधि है, एन.जी.ओ. से

(श्री जुबेर खान)

जुड़े हुए लोग हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं, आपने वार्डन बना रखे हैं, उनकी सामूहिक मीटिंग करके जन-जागरण चलाये कि यह पेड़ कटाई आज बिलकुल बहुत बड़ा पाप है। पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए और एडजोइनिंग विलेजेज में आप ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था करवाइये। जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको सब्सिडी पर भी अगर दिलानी पड़े यह रसोई गैस की सप्लाई करवायें ताकि यह रुके। आज क्या होता है गांवों में, अब काम आजकल कोई नहीं है, फसल से फ्री हो गये। सुबह-सुबह चार-पांच बजे मेला का मेला जाता है, सौ-सौ औरतें जाती हैं और यहां तक होता है कि वह वहां ही अपने औजार रख आते हैं जंगल में क्योंकि उनको पता है कि कहां है। आज आयी, लकड़ी सूखी ले आयी और काट आयी, हफ्ते-दस दिन में वह सूख जाएगी, यह रोटेशन है, साइकल बना पड़ा है तो इसको आप रोकिये। कभी न कभी तो यह रोकना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सूखी लकड़ी भी जंगल में पड़ी है तो पड़ी रहने दीजिए। उसका खाद बनेगा और खाद बनेगा तो और अच्छे पेड़ हरे होंगे। आप यह परम्परा रखिये अगर वनों को बचाना है तो।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यह पर्यावरण के नाम से यहां जहां वन है वहां पर आप बिलकुल चाहे मत करिये लेकिन जहां वन दूर-दूर तक नहीं है, एक पेड़ नहीं है, कोई आपके फोरेस्ट नहीं है और वहां भी आप जो लोगों की माइन्स को बंद करवा रहे हैं। यह सही है कि सरिस्का के आस-पास करवाइये क्योंकि वहां पर सैंक्चुरी है लेकिन सरिस्का से 100-100 किलोमीटर दूर अलवर जिले में, 80-80 किलोमीटर दूर रामगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में,जहां पर कोई वन नहीं है, यहां तो आपने अरावली प्रोजेक्ट भी नहीं लिखा वहां भी आप नहीं दे रहे हैं इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी की वजह से भी इसमें कुछ तकलीफें आ रही हैं। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जो पेड़ों की कटाई के ऊपर अगर आपने ध्यान दे लिया तो माननीय मंत्री महोदय, आपका यह सफल रहेगा, नहीं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी और यह सरिस्का से अलवर तहसील के और थानागाजी तहसील के कुछ ऐसे गांव हैं जो आपकी सैंक्चूरी से काफी दूर हैं, लोग वहां पर लोन नहीं ले सकते हैं। बैंक से। किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं सकते। वे कहते हैं कि आप सरिस्का में जाकर वहां के जो टाइगर प्रोजेक्ट के जो फील्ड डाइरेक्टर हैं, उनसे एन.ओ.सी. लाइये। वे सुप्रीम कोर्ट की वजह से और अखबारों की वजह से

(श्री जुबेर खान)

एन.ओ.सी. नहीं देते हैं। लोगों को तकलीफ होती है। आप स्वयं जाकर देखिये और आप यह पाते हैं कि लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए तो आप दिलाकर आइये और अगर आप यह समझते हैं कि नहीं अधिकार मिलना चाहिए तो आप इस तरह की व्यवस्था करिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को इसकी वजह से तकलीफ हो रही है और अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि मंत्री महोदय, आप यह जो सरिस्का के ऊपर देखिये। हमारे अलवर में सरिस्का एक बहुत बड़ा पर्यटक सेंटर बन गया है। वहां पर काफी बाहर से लोग आते हैं। बसें भर-भर कर आती हैं। वीक एण्ड में और सीजन में तो बुकिंग ही नहीं मिलती है। आप सरिस्का के अन्दर जैसा कि आपने बयान दिया है कि हम कहीं से भी लाकर टाइगर इनमें छोड़ेंगे, इससे पहले कि यह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के प्रति लोगों का, आने वाले पर्यटकों का मोह भंग हो जाए, वाइल्ड लाइफ को चाहने वाले लोगों का मोह भंग हो जाए, उससे पहले अगर कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो इनमें कोई टाइगर या कोई लियोपर्ड वगैरह कहीं से लाकर छोड़ने की कोशिश करवाएं ताकि यहां जो सिलसिला बाहर के लोगों का आने का है वह बना रहे और इसी तरह से आप पीने के पानी की भी व्यवस्था कीजिए। इस बार बारिश नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं होगा, उसमें टाइगर की ही बात नहीं है, पानी पूरे वाइल्ड लाइफ को उसमें चीतल भी है, हिरण भी है, बारहसिंघा भी है और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं, दुर्लभ जाति के और भी वन्य जीव जो रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था आपको कहीं न कहीं से करानी चाहिए और इसके लिए आपको कोई कदम उठाने पड़े तो आप उठाइये। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मुझे आपने मौका दिया लेकिन अन्त में यह जरूर कहूंगा कि आपने अगर यह पेड़ो की कटाई नहीं रोकी, जो सैकड़ों की संख्या में यहां ग्रामीण औरतें पेड़ काट-काट कर ले जाती हैं, हमने देखा है कि हरे पेड़ भी काटकर ले जाते हैं और आपके वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, लापरवाह रहते हैं। आपके सरिस्का में तो यह हालत है कि सरिस्का जंगल में वाइल्ड लाइफ की कोई खतम करने वाले आदमी हैं तो जो पिछले दस साल में वहां कार्यरत रहे हैं, वे सारे सामूहिक जिम्मेदार हैं। कोई भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। न कोई सरकार बच सकती है और न कोई अधिकारी बच सकता है और न कोई कर्मचारी बच सकता है तो सही मायने में आप वाइल्ड लाइफ को बचा पाएंगे

(श्री जुबेर खान)

और अगर आपने यह राजनीति की कि यह कांग्रेस का किसी का भी रिश्तेदार है, इसको सस्पैण्ड कर दो, यह कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो इसको... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो आपकी सब बातें समझ में आ गयीं।

श्री जुबेर खान : आप समय तो बढ़ाइये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकार मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को आज नव वर्ष है और जाना भी होगा तो एक घंटे और समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान) एक घंटे में करवा देंगे, मेरे खयाल से।

श्री हरिमोहन शर्मा : मांगें पारित होने तक. अन्यथा फिर बढ़ाना पड़ेगा दुबारा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9-वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतकजी ने रखा है, उसको मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-9 वन पर विचार

श्री जुबेर खान : इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : देखिये, यह बहुत गलत परम्परा है कि लोग बोले और चल दिये तो यह जो है, या तो... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हरीसिंह रावत (भीम)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह एक नियम बना दिया जाए कि... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : 150 में से कितने उपस्थित हैं, वह देखिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गिनो 60 में से कितने हैं, वह गिनो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिजल्ट तो दोनों तरफ का एक ही आया।

एक माननीय सदस्य : आप तो हमारे यहां की बात कर रहे हो, आपके मंत्रीजी चार बार बाहर जाकर अन्दर आ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं-नहीं, दोनों तरफ का रेश्यो तो एक ही आ रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। मैं कोई इधर या उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कोई ऐसी परम्परा बनानी चाहिए कि जो बोलकर चल जाते हैं उनको बोलने की दूसरे दिन अनुमति नहीं मिले। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हम सहमत हैं आपकी बात से।

श्री जुबेर खान : आज क्रिकेट का मैच आ रहा था तो ना पक्ष और हां पक्ष की लॉबी में मैच देख रहे हैं, बैठकर।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, विश्व सहित भारत में जनसंख्या, उत्पादन, ऊर्जा शक्ति एवं (व्यवधान) उल्लेखनीय वृद्धि में जलवायु एवं भूमि के प्राकृतिक संतुलन को प्रवृत्त किया है लेकिन यह स्थितियां है कि मनुष्य की अपनी परिस्थितयों में परिवर्तित करने की क्षमता की वजह से प्राकृतिक विकास (व्यवधान) लेकिन आज इस कारण जल-वायु, धरातल एवं संजीवों में बढ़ता प्रदूषण भी हमारे मानव जीवन के लिए एक हानिकारक सिद्ध होगा। सभापति महोदय, प्राकृतिक संसाधनों को प्रदेश के विकास में इस रूप में परिवर्तित किया जाए कि प्रकृति में किसी प्रकार का संतुलन नहीं बिगड़े। प्रकृति से जो लिया जाए उसकी क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से किसी न किसी रूप

(श्री हरीसिंह रावत)

में उसका विकास, निर्माण किया जाए पर्यावरण संरक्षण करना है तो आर्थिक उन्नति को कदाचित सीमित करना होगा अतएव वर्तमान में समस्या यह है कि ऐसी कौनसी तकनीकी प्रणाली है जिससे आर्थिक विकास भी बाधित न हो तथा पर्यावरण को भी नष्ट होने से बचाया जा सके

सभापति महोदय, वर्तमान में मानव विकास को जो करना है, वह अब सीमित प्राकृतिक संसाधन से करना है, क्योंकि विपुल प्राकृतिक संसाधन सीमित रह गये हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, जैव विविधता का लुप्त होना, कलकारखानों से जहरीली धुंआ उगलना और नदियों में गंदा सैलाब जन एवं वाहनों की भरमार के साथ तेज ध्वनि का कर्कश शंखनाद निश्चय ही पर्यावरण पर एक वज्रपात सा प्रतीत हो रहा है जिसस जीवन का सहज निर्वहन हो पाना असंभव सा हो गया है। सभापति महोदय, उपर्युक्त पर्यावरण समस्याओं को जिन त्रासदियों ने जन्म दिया है वह निश्चय ही मानव जीवन के लिये अस्तित्व खतरे में पड़ गया है तथा हरित गृह प्रभाव की निष्क्रियता, ओजोन परत का क्षीण होना तथा उसमें छिद्र होना, रासायनिक हथियारों का परीक्षण एवं संचालन, जनहित प्रदूषण, मानसूनी प्रक्रिया के अवस्थापन से जल न्यूनता आदि समस्याओं से मनुष्य की प्रगति पर वह अशांत और दिशा विहीन कर दिया है।

सभापति महोदय, पर्यावरण को संतुलित करने के लिये हमें कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। जैसे आज हमारे यहां प्लास्टिक का इतना भंयकर चलन हो चुका है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, लेकिन इनकी वजह से जो आज हम कोई चीज लाते हैं घर से, वह जाकर फेंकेगा और उस कचरे को जानवर खाता है और जानवर भी इसकी वजह से मरे जा रहे हैं जो इसके ऊपर भी अपन को रोक लगानी चाहिये और इसके निवारण के लिये मैं चाहूंगा या तो अपने पेपर बैग चालू किये जाये या जूट बैग चालू किये जायें। जूट बैग और पेपर बैग होगा तो पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।

इसके अलावा ज्यादा से जयादा पेड़ लगाने की अपन को कोशिश करनी चाहिये। वैसे तो काफी योजना बन रही है। मैं चाहूंगा कि हर गांव में एक ऐसी संस्था बनाई जाये जिससे कि हर परिवार को ऐसा टार्गेट दे दें कि हमको घर

(श्री हरीसिंह रावत)

में 100 पेड़ लगाने या 50 पेड़ लगाने हैं तो हर आदमी के खेत में जहां भी अपनी पड़त जमीन है, वहां पर पेड़ लगायें तो पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, वैसे तो सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी दिव्या शक्ति स्वरूपा, हमारी मुख्य मंत्रीजी, श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं हमारे विवेकशील मंत्री, श्री लक्ष्मीनारायण दवे काफी सेंसेटिव हैं और उन्होंने काफी ठोस कदम उठायें हैं।

सभापति महोदय, वनों के विकास के लिये भी विशेष वन विकास और सुरक्षा समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण के साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता प्रदान की गयी है। वृक्षारोपण के साथ जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य भी विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं। यह भी एक सराहनीय कदम है। इसके लिये सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि राज्यों में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं विकास कार्य जन भागीदारी से किया जाये एवं ग्रामीण माध्यम से वन औषधि एवं जड़ी-बूटियों को भी इसमें प्रोत्साहित करने के लिये हमारे हर गांव में ढ़ाणी में स्टाफ की ऐसी संस्था बनाकर वनों के अंदर जो लकड़ी है और जो जड़ी-बूटी होती है जैसे अपने खेर हुआ, गोगूल हुई, दोख और सालर, कूमठ, केर, खेजड़ी, बांस इस तरह के पौधों को हमें ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रह सके और इनसे हमें कुछ लाभ भी मिलेगा। क्योंकि यह सब चीजें इनमें काफी जैसे गोंद होता है, इमारती लकड़ी होती है, इनसे हमें काफी रोजगार भी मिलेगा और इससे जनता को आमदनी भी होगी।

सभापति महोदय, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य विकास के लिये "ईको ट्यूरिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दवेर, जो मेवाड़ी क्षेत्र में जोड़ा गया है, उसमें भी दवेर से जो अरावली सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो बनी हुई है, उसके साथ इसको जोड़ा जाये और वहां से टोडगढ़, जो आपने सुना होगा कर्नल टॉड जो ब्रिटिश टाइम में शासक हुआ करते थे, अपने यहां, यह कर्नल टॉड, यह काफी बड़ा इतिहासकार रहा है और जहां पर वह निवास करता था, वह कर्नल टॉड, वह हमारे भीम के पास ही है, जो आज टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। मैं

(श्री हरीसिंह रावत)

आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह क्षेत्र अरावली क्षेत्र भी आपके छंटा हुआ क्षेत्र है और मैं चाहूंगा उसको भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से बलाखंड-रावली और गुढारू से महादेव का जो मंदिर है, वह भी करीब, 400 साल पुराना मंदिर है तो मैं चाहूंगा कि जो मेवाड़ सर्किट, जो जुड़ रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसको भी कहीं जोड़ा जाये तो हमारे लिये यह बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा एक सुझाव है कि उसी क्षेत्र में शेर, चीते, भालू आदि इस टाइप के जानवर हैं तो उनकी वहां रक्षा की जाये। वहां भी हमने देखा है अक्सर रात के समय कई जीपें आती हैं और शिकार करके ले जाते हैं तो मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो फोरेस्ट के कर्मचारी हैं, जो डी.एफ.ओ. है या रेंजर हैं उनको हिदायत दें कि रात को भी वह गश्त लगायें और उन वन्य जीवों का जो शिकार किया जा रहा है, उन पर अंकुश लगाया जा सकें।

सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है माइनिंग के बारे में कि ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन वह क्षेत्र जहां पर एक पेड़ भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां पर अगर माइनिंग लीज दी जाये तो वहां काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके एवज में जैसे मैं भी माइनिंग से रिलेटेड हूं। मैं जब भी यूरोप जाता हूं, देखता हूं यूरोप में आज कितना भी चाहे घना जंगल है, लेकिन उस जंगल के अन्दर कोई खनिज सम्पदा है तो वह सरकार उसको लीज पर दे दी जाती है उस जगह को और उतनी ही जमीन उनको बाध्य करती है या उनके साथ एक कमिटमेंट करती है कि जितनी जमीन हम आपको दे रहे हैं उतना ही आपको वन में परिवर्तित करके देना है और वह एक बहुत अच्छा मैंने देखा है। इस तरह की जमीनें भयंकर जंगल के अंदर माइन्स हुई है, लेकिन उसी के एवज में उतनी जमीनें उनको वापस डवलप करके देते हैं तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि वन मंत्रीजी भी इसके लिये कोई ठोस कदम उठाये। ताकि अपने भी वहां एक अच्छा विकास हो सकता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ ही हमारे क्षेत्र में कामलीगढ़ से मारवाड़ जंक्शन रेल्वे लाइन जाती है और इसके बीच एक गोरम घाट है, जो बहुत ही

(श्री हरीसिंह रावत)

पर्यटन स्थल है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा के वहां पर जो एक ट्रोली होती है रेल्वे की, उसे ट्रोली के ऊपर जो फोरेनर्स आते हैं, जो हैरिटेज होटल है, हमारे देवगढ़ में...

सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री हरीसिंह रावत : उसमें काफी फोरेनर्स आते हैं और वन्य जीवों को दिखाने के लिये अगर उस ट्रोली का यूज किया जाये तो एक आर.टी.डी.सी. में एक अच्छा साधन कमाई का हो सकेगा और साथ ही टूरिज्म को भी एक डवलपमेंट मिलने का एक अच्छा आसार बनता है। सभापति महोदय, इसके अलावा कुछ एक मेरा एरिया बादना पंचायत है, उस पंचायत एरिये में मेरा पी.एच.ई.डी. के माध्यम से एक डेम बनाने की योजना थी, लेकिन जैसे ही मैंने योजना कलक्टर राजसमन्द को भेजी और वहां से उन्हें पता चला कि वन विभाग ने इस पर स्टे लगा रखा है कि वह तो वन में आती है। वहां पर यह जमीन अलॉट नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा के जो जमीन है, उस जमीन में एक पेड़ नहीं है और जब पानी नहीं होगा तो वन किस चीज का होगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस एरिये में फ्री करें और वहां बांध बनाने की अनुमति दी जाये तो उस पर अगर बांध बनेगा तो मैं सोचता हूं कि वहां पर पानी समस्या के साथ-साथ वहां पानी अगर होगा डेम में तो आपका वन भी सुरक्षित रहेगा। वन में काफी अच्छी पौध अपन लगा सकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि उसको भी संरक्षित से निकालकर पी.एच.ई.डी. को दिया जाये ताकि वहां बांध बन जाये तो पानी की समस्या का समाधान होगा और वन में भी काफी प्रोग्रेस होगी। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इसी आशा के साथ जय भारत, धन्यवाद।

सभापति : श्री मोहनलाल जी गुप्ता।

श्री ... कुमार : माननीय मोहनलाल जी, आपको वन के बारे में क्या ज्ञान है? गुप्ता जी, आपके वन कहां है? आपने देखा ही नहीं कभी।

श्री मोहनलाल गुप्ता : बता रहा हूं।

श्री ...वण कुमार : आपको सफाई के बारे में ज्ञान हो सकता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सरिस्का में तो घूमने जाते ही हैं।

श्री सभापति : आप स्टार्ट करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, वन और पर्यावरण की विषय में चर्चा में मैं अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में...

श्री श्रवण कुमार : मोहनलाल जी को मंत्री बना दो और पीछा छूट जाए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : कल भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हो, क्या चक्कर है, मेरे पर कोई मेहरबानी है आपकी?

श्री श्रवण कुमार : इनके आपस की, आपके वणियों की लड़ाई में, मोहनलाल जी की लड़ाई में कालीचरण जी और रह गये। मुझे पीड़ा इस बात की है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह मुख्यमंत्रीजी को बोलो आप, यह यहां का विषय नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बणिये कभी लड़ते नहीं है, लड़ाते हैं और मेरे हाथ में है जो तो मैं अभी बना सकता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, आप बणिया नहीं हैं क्या ?(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बणिये पहले बने गये थे न ये तो... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप बिराजो, बिराजो, मेरे को बोलने दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, उनकी सुनो आप। उदयपुर वाले चपलोत साहब की सुनो।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, हमने कट मोशंस दे रखें हैं, आने हैं कि नहीं ? अंग्रेजी में ले रहे हो कि आप हिन्दी में ? ए बी सी डी से ले रहे हो कि अ आ इ ई से, क ख से ले रहे हो, समझ में तो आये। हरिसिंह जी का आ गया है। "ह" से आता है तो हरिसिंह जी का आ गया।

श्री सभापति : जो आपने पहले सिस्टम बना रखा था उस सिस्टम से ही ले रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : चपलोत साहब ने सोचा मेरा रह गया, कहीं मैं नहीं रह जाऊं। मैं आपके लिए चिंतित हूं लेकिन आप तो अध्यक्ष ही ठीक थे। आप हमारे विधान सभा अध्यक्ष ठीक थे लेकिन आपको बनाया ही नहीं, मैं क ,र सकता हूं। झुन्झुनूं का नम्बर आ गया इस बार।

श्री मोहन लाल गुप्ता : श्रवण कुमार जी, बिराजो।

श्री सभापति : आप शुरू करो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वृक्ष हमारे पुरखें हैं और मानव जाति से पहले वनस्पति उत्पन्न हुई ओर उसके बाद मानव जाति उत्पन्न हुई। मानव और सम्पूर्ण जगत का यदि कोई संचालन करता है तो वनस्पतियां हैं। हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाएं नीम को पूजती हैं, पीपल को, आंवले को, तुलसी को पूजती है और इसके साथ-साथ केले के पेड़ को भी पूजती हैं। इसके साथ-साथ यह सब औषधियों के लिए काम में आते हैं। हमारे वेदों में तो यह कहा गया है :-

"मूले विष्णु स्थितो नित्यम,
स्कन्धे केशव एव चः,
नारायणस्तु शाखासु पत्रेशु भगवाने हरि,
फलेच्युतो न संदेह, सर्व देवा समन्वित:।"

श्री सभापति : आप तो जो सदन में समझ रहे हैं वह बात कह दो फटाफट।

श्री मोहन लाल गुप्ता : पीपल के बारे में कहा गया है, सभापति महोदय, पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फलों मे देवता विराजमान हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतोय संस्कृति में पेड़ लगाने का बहुत महत्व है और यह कहा गया है:-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

"दस कूप समतापि, दशवापि समोह्रदय,

दस ह्रदय समःपुत्रो, दस पुत्रों समः द्रवा"

दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावडियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। यह महत्व है हमारे यहां। (व्यवधान)

मैंने जयपुर में बहुत पेड़ लगाये हैं और जयपुर में 500 से ज्यादा गार्डन विकसित किये हैं इसलिए आप जरा शांत रहिये, जयपुर में मैं बताऊंगा वन कहां कहां हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दस पुत्रों के बराबर का फल और उससे भी ज्यादा फल यदि मिलता है तो पेड़ को लगाने से मिलता है। अब यह आधुनिक जमाने में फोरेस्ट, एनवायर्नमेंट और इसके साथ-साथ बहुत सारी बातें, कानून-कायदे खूब लग गये और मैं कहना चाहता हूं कि अभी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 लागू है, भारतीय दण्ड संहिता के तहत कई अपराध हैं, राजस्थान वन अधिनियम है, भू राजस्व कानूनों के तहत बहुत सारे कानून बने हुए हैं और कई नियम, पत्रावलियां बनी हुई हैं वनों के संरक्षण के लिए, वनों के प्रोत्साहन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए लेकिन उसके बावजूद भी वनों की संख्या कम होती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर यह सोचना पड़ेगा कि यह वन क्यों कम हो रहे हैं और उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए।

लोगों की संस्कृति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, काम-धन्धे से जोड़ना यह ठीक बात है, इसके साथ-साथ इसको वन से भी जोड़ें। धर्म और संस्कृति सिखाती है कि वन और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, उनको कांटे नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि इन पूरे कानून-कायदों के बावजूद भी जंगल घटते गये और अफसर बढ़ते गये, कानून-कायदे बढ़ते गये और जंगल कम होते गये। 50 सालों में 20 प्रतिशत वन कम हो गये और 18 गुना अधिकारी बढ़ गये। अब अधिकारियों के तहत देखें कि राजस्थान राज्य के गठन के साथ ही वन सुरक्षा की जो रूपरेखा बनायी थी उसमें विभाग में एक मुख्य संरक्षक, तीन वन

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

रक्षक, 14 डी.एफ.ओ., 6 एस.डी.एफ.ओ., 88 रेन्जर, 33 डिप्टी रेन्जर, 331 फोरेस्टर, 486 असिस्टेंट फोरेस्ट ओर 5000 वन रक्षक नियुक्त किये गये। इन पर उस समय 37638 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आज अधिकारियों का यह आंकड़ा आगे बढ़ गया लेकिन वन रक्षकों की संख्या घट गयी। प्रारम्भ में 37638 वर्ग किलामीटर का वन क्षेत्र था जो आज 32488 वर्ग किलोमीटर रह गया, कम हुआ जबकि एक मुख्य वन संरक्षक के मुकाबले आज तीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। वन घटा है और वन संरक्षक तीन हो गये। 6 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा दस मुख्य वन संरक्षक हैं। इस प्रकार तीन के मुकाबले आज 27 वन संरक्षक हैं। 14 डी.एफ.ओ. की जगह 94 हैं, 92 ए.सी.एफ. हैं, रेन्जर्स की संख्या भी 88 से 495 हो गयी और फोरेस्टर भी 331 से बढ़ कर 1026 हो गये किन्तु जिन वन संरक्षकों पर सुरक्षा का दायितव होता है उनकी संख्या 5000 से घट कर 3666 हो गयी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि वन सेवा के उच्च अधिकारियों को तो पचास हजार का वेतन मिलता है लेकिन फील्ड में घूमने वाले इन वन संरक्षकों की हमेशा उपेक्षा रहती है।

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट, मोहनलाल जी, आपने अभी यह समझा कि वनों की संख्या कम क्यों हो गयी। आपको आज तक मालूम नहीं हुआ कि क्यों हो गयी?

श्री मोहन लाल गुप्ता : 50 वर्षों की बता रहा हूं मैं।

श्री श्रवण कुमार : मोहनलाल जी, वनों की संख्या क्यों कम हो गयी, यह सुन नहीं रहे, इनको मालूम नहीं है कि वनों की संख्या कम क्यों हो गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इतना विद्वता से समीक्षा किसी ने की है क्या ?

श्री श्रवण कुमार : यह तो किताबी ज्ञान है इनको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किताबी ज्ञान है, खोज कर लायें हैं यह ।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप बैठिये, मैं बता रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार : मैं आपको बताता हूं, यह किताब का रस निकाल कर लेकर आये हैं। मुझे मालूम है ज्ञानी आदमी हैं। इसका कारण यह है, महावीर जी, मैं बताता हूं आपको।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपका समय आये जब बोलिये न आप, मेरे समय से कम क्यों न कर रहे हो ? आपका समय आयं उस समय बोलियेगा।

श्री श्रवण कुमार : जो जंगल है, इन जंगलों के अन्दर जो लोग कब्जा करते हैं उसकी अपील तहसीलदार के होती है, तहसीलदार उसकी सजा करते हैं फिर कलक्टर सुनता है उसकी अपील और कलक्टर की अपील कौन सुनता है, आर.ए.ए. सुनता है और आर.ए.ए. कौन होता है, सीनियर आर.ए.एस. होता है। जो सबसे रिजक्टेड आदमी होता है।

श्री सभापति : आप बिराजें। अंकित नहीं हो। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपका समय आये जब बोलें, मेरे समय से क्यों करते हो। सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि जंगल घटते चले गये और अफसर बढ़ते गये। अफसरों के बढ़ने के बावजूद, करोड़ों, अरबों रुपये लगाने के बावजूद भी हमारे यहां वन नहीं बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे जो कानून-कायदे हैं उसके तहत विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, पशुपालक हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारे जो लोग वन क्षेत्र में रहते हैं या उसके आस-पास रहते हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है।

अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी विचित्र बात है जिसको हमारे वन मंत्रीजी ने भी उठाया है : State at war with the Centre on definition of forest.

डेफिनेशन आफ फोरेस्ट, अब लखनऊ से एक डेफिनेशन और आ गयी। लखनऊ से, चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट ने एक और दे दी और उन्होंने यह कहा कि जंगल की जो डेफिनेशन है...

श्री सभापति : आप तो मुद्दे पर आ जाओ वरना समय हो गया आप का।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उसमें गैर-मुमकिन पहाड़, ऐसे पहाड़ जहां वनस्पति हैं,.... (व्यवधान).... पड़त भूमि में, सिवायचक भूमि, जहां वनस्पति है। गैर मुमकिन बीहड़ और बंजर बीहड़ और रूंध यह चला गया, सबको उसमें ले लिया। फोरेस्ट की यह डेफिनेशन राजस्थान में लागू है कहीं और जगह लागू नहीं हो रही है। माननीय वन मंत्री महोदय ने इस विषय को उठाया है। मैं, हमारे राजस्थान से सांसद हैं और वह आजकल वन मन्त्री भी हैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह फोरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको जो कानून-कायदे यह राजस्थान में लागू कर रहे हैं उसको जरा चैंज करवाएं ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वह ठीक हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा हूं कि यह जो जंगल और जो इसमें इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उसको यदि हमें बचाना है तो मैं दो-तीन-चार सुझाव देना चाहूंगा। हमारे यहां पुराने जमाने में हवन हुआ करता था। हवन करके हम वातावरण को ठीक करते थे, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा गैस के सिलेंडर जो पांच-पांच किलो के हैं उन गैस के सिलेंडरों को वन क्षेत्रों में हमें काफी मात्रा में लोगों को देना चाहिए क्योंकि जो लकड़ी कटती है और वह लकड़ी जलाते हैं उनके कारण वन काफी कट रहे हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि पांच-पांच किलों के सिलेंडर यह गैस की एजेंसियों वन क्षेत्र के आस-पास होनी चाहिए ताकि लोग गैस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें।

श्री जीतमल खांट : जहां तीस-तीस किलोमीटर के एरिए में साबुन और तेल खरीदने क लिए दुकानें नहीं मिलती हैं, कहां ले जाओगे आप गैस के सिलेंडर।

श्री सभापति : आप बिराजें। इनको तो जयपुर से बाहर जाना नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मेरा सुझाव है अगर मंत्री महोदय को ठीक लगे तो ठीक है बाकी मैं यह कहना चाहूंगा कि गैस सस्ती पड़ेगी

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वनों के बारे में जितना ज्ञान इनको है उतना ज्ञान आपको है क्या ? आपको क्या मालूम वन है क्या। यह जिस तरह का साहित्य पढ़कर आए हैं और जिस तरह की तैयारी के साथ आए हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने इनको मंत्री मण्डल में नहीं बनाया इसलिए हमको शंका हुई कि ज्ञान नहीं है।

श्री जौतमल खांट : (व्यवधान) यह प्रतापगढ़ का इलाका...सदस्य को...

श्री मोहन लाल गुप्ता : आज चारों और पोल्यूशन हो रहा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि...

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्र जी, हमें इस बात का अभी ज्ञान हुआ है कि नाथूसिंह जी को और इनको मन्त्री इसलिए नहीं बनाया कि आपके दो आदमी बोलने के लिए बचे हुए थे इसलिए नहीं बनाया था। आज समझ पाया हूं इस बात को। आपके पक्ष के लिए आदमी ही नहीं थे दो यह नहीं होते तो (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : अब आप बीच-बीच में बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कितना ही जोर लगाओ मोहनलाल जी गुप्ता यों ही आने वाले हैं चार साल तक लगातार विधान सभा में बोलते रहेंगे और इसी सीट से बोलते रहेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : धन्यवाद आपको। हमारे मित्र जब तक रहेंगे इसी प्रकार बोलते रहेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : आप चाहते ही यही हो।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार : जो तीन आदमी बचे हैं उनमें भी नम्बर नहीं है क्या इनका, जो तीन बना रहे हैं उनमें भी नम्बर नहीं है क्या।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, इनको जरा चुप कराइये, यह बार-बार श्रवण कुमार जी, आप क्यों बोल रहे हो।

श्री श्रवण कुमार : मुझे पीड़ा है कि तीन आदमियों का नम्बर आ रहा है (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप। रामचन्द्र जी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं अपना विषय जरा पूरा कर लूं दो मिनट मुझे चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो पाल्यूशन हो रहा है हमारे यहां बायो डाइवर्सिटी के कारण एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नाइस पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, न्यूक्लियर पोल्यूशन है, सालिड वेस्ट का पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग का पोल्यूशन है, डिप्लेशन आफ ओजोन लेयर, यह सारे पोल्यूशन हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन मंत्रीजी से यह निवदेन करना चाहता हूं। कि पोल्यूशन पर स्ट्रिक्टिली विजिलेंस रखें और अधिकारियों को कहें कि जो पोल्यूशन के कानून-कायदे बने हुए हैं उनके ऊपर पूरा अमल करते हुए ही पोल्सूशन की क्लियरेंस दें क्योंकि विभिन्न प्रकार उनकी क्लियरेंस में बहुत सारे लोग इसमें गडबड़ करते हैं।

माननीय सभपति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर और जयपुर के आस-पास की जो वन की पहाडिया हैं आमागढ़, झालाना, आमेर, गलता, नाहरगढ़ और उसके आस-पास, आप यहां से विधान सभा से देखिए अब में श्रवणकुमार जी आपको कहता हूं आप विधान सभा के नोर्थ द्वारा से देखिए सीधा-सीधा आपको जनपथ दिखेगा। जनपथ पर अभी राजस्थान की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली थी और यहां से खड़े होकर देखिए सीधी पहाडियां बिल्कुल नंगी दिख रही हैं आपको। कोई पेड़ नहीं है वहां पर, किसी का ध्यान वहां गया नहीं है। मैं माननीय वन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए जयपुर के आस-पास की जो पहाड़ी हैं उन पहाड़ों पर सघन वृक्षारोपण आप करें। जयपुर में ही जब वन नहीं है तो कहां पर वन होंगे।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं कहना चाहता हूं इन प्रभावी क्षेत्रों में, खनन वाले क्षेत्रों में आप वृक्षारोपण करें, खुदाई का काम करें।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री मोहन लाल गुप्ता : कच्ची बस्तियों के आस-पास की भूमि को पक्की करवाएं, दीवार का निर्माण करवाएं और सीकर रोड़ पर स्थित पहाड़ियों पर वृक्षारोपण के प्लान बनाकर क्रियान्वित किये जाएँ। नाहरी का नाका वन क्षेत्रों में एनीकटों का निर्माण करवाएं और वृक्षारोपण की योजना बनाई जाए।

श्री श्रवण कुमार : मोहनलाल जी अब आप महापौर थे, आपको भंवरलालजी ने इतना बढिया मौका दिया था। आप चाहते तो हजारों पेड़ लगवा सकते थे आपने कुछ किया ही नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपको मालूम ही नहीं है प्रभू।

श्री श्रवण कुमार : क्या किया ?

श्री मोहनलाल गुप्ता : जयपुर शहर में पांच सौ से ज्यादा पार्क मैंने डवलप कराए हैं।

श्री श्रवण कुमार : वह तो पहले से ही .... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : जवाहर नगर में जाकर, मानसरोवर में जाकर देखिए, शहर में जाकर देखिए सब जगह (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पिलानी से आने वाले सदस्य, बार-बार आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभी जगह पार्कों का डवलपमेंट मेरे समय में हुआ है।

श्री श्रवण कुमार : अब मौका नहीं मिलेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बिल्कुल सही है आप जाकर देखिए, आप रहते कहां हैं ? आप मुझे बताएं आप कहां रहते हैं अब बता देता हूं आस-पास पार्क मैंने ही डवलप कराए हैं। पेड़ों के प्रति, पार्कों के प्रति, हरियाली के प्रति जो मेरा व्यक्तिगत कमिटमैंट है वह मैं कह सकता हूं कि मैं पेड़ों के प्रति कमिटेड हूं, हरियाली के प्रति कमिटेड हूं और जयपुर शहर के विकास में हरियाली का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि यह पेड़ और पार्क हमने डवलप करा दिए, इन पहाड़ियों को आप डवलप कराएं।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी, आपके षड्यन्त्र से इनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। इस षड्यन्त्र के लिए आप जिम्मेदार हो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति जी, वन और पर्यावरण की मांग पर विस्तार से चर्चा हो रही है। यह बड़ा गम्भीर विषय है। अपनी तरफ से सब अपने विचार दे रहे हैं। यह कोई पार्टी का मसला नहीं है लेकिन इस सदन का जब निर्माण हुआ था तो वास्तुकार ने बनाया इसी तरह से इधर से बैठने वाले को सारा राजस्थान दुखी नजर आ रहा है। सब विभाग कमजोर पड़ रहे हैं, कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है और इधर से उधर जाते ही सारा काम ठीक-ठाक चलता नजर आ रहा है। जो भी बैठता है, सारा राजस्थान ठीक चल रहा है। हम कह रहे हैं कि खराब चल रहा है वह कह रहे हैं बिलकुल ठीक चल रहा है। लेकिन इससे तो काम बनने वाला नहीं है। वन एक ऐसा महकमा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण को संतुलित रखना बहुत जरूरी है और वन से पर्यावरण की उत्पत्ति होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पहले वाली सरकारों ने भी वन और पर्यावरण के बारे में बहुत काम किया है। कोई भी मन्त्री, कोई भी अधिकारी, कोई भी मुख्य मंत्री यह नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में काम खराब हो और जनता दुखी रहे या मेरी बदनामी हो लेकिन कई कारण ऐसे हो जाते हैं, समझ से, ज्ञान से, अज्ञान से जिनके कारण यह बातें हुई हैं। आज जो चल रहा है वन के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की जा रही है।

वन दो तरह से काम करता है। वन के लिए एक तो वन का विस्तार और एक वन की सुरक्षा। दोनों ही सम्बन्ध में काम करता है विभाग लेकिन इस विभाग के काम करने की गतिविधि पर, इसकी प्रक्रिया पर इसका सरा दोष सामने आता है, लोग इसके बारे में उंगली उठाते हैं तो मंत्री पर भी उंगली उठती है। यद्यपि वर्तमान में जो वन है बड़े संजीदा हैं। मैंने तो देखा है मेरे यहां पर चार पांच पेड़ कदम के कट गये थे, वन मंत्रीजी ने पैदल वहां जाकर उसका निरीक्षण किया। भरसक प्रयत्न करते हैं अपना काम करने में। लेकिन फिर भी परेशानी यह है कि आज हम चिन्ता कर रहे हैं आप ठीक-ठाक बता रहे हैं लेकिन बीच में काम करने वाले जो लोग हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वह जानते हैं कि इधर यह आएंगे तो हमारी यह सुरक्षा करेंगे और यह

(श्री रामचन्द्र सराधना)

इधर चले जाएंगे तो यह इधर की बात करने लग जाएंगे। अधिकारियों पर अभी ध्यान दें आप।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वन विस्तार के बारे में। मेरे यहां पर सरजोली सैकिण्ड का एक प्लान था इनके पास। पचास हजार पेड़ लगाने की योजना थी, लगा दिए और सबका भुगतान उठ गया। हमने जब शिकायत की मौके पर वन मंत्री, पहले वाली सरकार के तत्कालीन वन मंत्रीजी गये तो रात को शाम को ले गये, देर हो जाएगी, चार-पांच पेड़ गिनाकर आ गये, कल आएंगे। दूसरे दिन का प्रोग्राम तय कर लिया। रात को पेड़ लगाने के लिए चले गये, खड्डे खोदने के लिए चले गए, सूखी लकड़ी लगाने के लिए चले गये। उसकी जांच हुई नतीजा यह निकला उसके रेंजर को वहां से कम्पलसरी रिटायरमैंट दे दिया और डी.एफ.ओ. को बचा लिया, जो अधिकारी थे उनको बचा लिया और उसका प्रमोशन कर दिया होगा नहीं किया तो अब कर देंगे। मेरा कहने का निवेदन है कि इनको बड़ी चिन्ता रहती है। आप वन मंत्री तक जाइये, मुख्य मंत्री तक जाइयें और किसी पर जाइये यह बात तो आती है और चली जाती है, समय बीत जाता है लेकिन इन अधिकारियों को पूछिए। जमवा रामगढ़ में मार्बल माइन्स बहुत थीं। वहां का मजदूर बड़ा अच्छा कमाकर खा रहा था। अपना भरपेट खाना खा रहा था लेकिन इनको जंची नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया। रातों-रात शुरू कर दी, खान बंद करो और खानें बंद हो गयी। दस हजार मजदूर बेघरबार हो गया। खाना-पीना हराम हो गया लेकिन तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद भी आज जाकर देखो जमवा रामगढ़ के फोरेस्ट को इन्होंने एक नया पैसा नहीं लगाया। क्या किया उस फोरेस्ट का। फोरेस्ट को डवलप करने के लिए इनको कहा गया था कि खदान बन्द करके आप डवलप कराओ। क्या डवलप किया इन्होंने। जो खदान अवैध, वैध जो खड्डे खोदकर गये थे वह वैसे के वैसे पड़े हैं उनमें कोई नये पेड़ नहीं लगाये गये। उन खड्डों को वापस से भरा नहीं गया और दिक्कत यह रहती है कि अन्दर जो लोग रहते हैं वास्तव में पेड़ों की सुरक्षा करते हैं, वनों की सुरक्षा करते हैं, शिकारियों को नहीं आने देते हैं, पेड़ काटने वालों को रोकते हैं उनको तो अन्दर जाने ही नहीं देते और जो इनका सुरक्षा का दायित्व है वह अन्दर नहीं जाते वह बाहर से ही खड़े-खड़े देखते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि फोरेस्ट के बारे में जो आपने सुरक्षा समितियां बना रखी हैं उनमें भी बहुत सारी राजनीति हो

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गयी है। तो मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वनों की सुरक्षा क लिये वन सुरक्षा समितियों को भी देखें जो बनी हुई हैं और काम नहीं कर रही हैं उनके लिये भी दुबारा सोचें।

बड़ी चिन्ता का विषय है आजकल वन्य जीवों के बारे में, बाघों के बारे में बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं अभी चर्चा कर रहा था मेरे साथियों से अब तो आप कर रहे हो बाघ की चिन्ता, यह बाघ की बात हटने के बाद में, बाघ तो समाप्त हो गये करीब-करीब लेकिन अब फिर बाद में आयेगी। बघेरे की चिन्ता। जो बाकी बच गये हैं उनकी भी चिन्ता करो। अभी कह रहे थे. कई माननीय सदस्यों ने कहा है यह कांग्रेस के राज में चले गये, यह बी.जे.पी. के राज में चले गये, वह चले गये आखिर चले तो गये और किस तरह से चले गये, इस बात को भी सब जानते हैं। कोई भी आदमी हो, बाघों को नुकसान पहुंचाने वाला चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी.जे.पी. का हो, बेइमान आदमी की कोई जात-पात नहीं हुआ करती है इसलिये इन बातों में न उलझकर सही मुद्दे पर आना चाहिये कि बाघों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पायी। बाघों की सुरक्षा की बात करते हैं तो एक उच्च अधिकारी को जाकर सस्पेंड करके छोड़ दिया। बाघों की सुरक्षा हो गयी। सच्चाई तो यह है कि नीचे से जाकर बात करनी चाहिये थी। जिस अधिकारी की मौके पर ही ड्यूटी थी, जिनको देखना चाहिये था सेंसस करने के लिये, गणना करने के लिये उच्च अधिकारी नहीं जाता है। केवल मात्र उस टास्क फोर्स में ले लिया उस अधिकारी को और जब आपने यह सोचना चाहा, कि मुझे ज्ञान हुआ है। यह सोचना चाहा, यह बताना चाहा कि आप बताइये यह तो कांग्रेस के कार्यकाल में गायब हो गये थे। अधिकारी ने कहा कि सेंसस बता रहा है, आपके कार्यकाल में सेंसस आयी और 15-16 बाघ जिन्दा थे। उस समय की बात हम कैसे बदलें, उसको सस्पेंड करके छोड़ दिया। यह बात नहीं होनी चाहिये। बात न्याय की होनी चाहिये। जो भी दोषी है उसक खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं पर्यावरण की ओर निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। पर्यावरण महकमा बहुत बड़ा है। राजस्थान में बड़ा शांत, सुशील और सरल तरीके का कोई विभाग है तो पर्यावरण है, पर्यावरण वाले आराम से बैठे रहते हैं। उनके पास कोई जाए सर्टिफिकेट क लिये कि हमें पर्यावरण का सर्टिफिकेट दे दो तो वह एक्शन में आ जाते हैं और उनको बिना पूछे कोई

(श्री रामचन्द्र सराधना)

काम करता रहता है तो बाहर निकलते नहीं है। उनको कोई लेना-देना नहीं है पर्यावरण से। पर्यावरण उनका ठीक है, अंदर बैठे रहते हैं। पर्यावरण की बात करो आज तो जो गाडियां पोलूशन करती हैं और उनके लिये कहते हैं सर्टिफिकेट आपके पास है भले ही गाड़ी कितनी धुंआ दे रही हो लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है तो ये कुछ नहीं कहते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे मौके पर जाकर खड़े हो कि वाकई गाडियों की कैसी स्थिति है? आप देख रहे हो जयपुर से सारा गंदा पानी, सबसे ज्यादा गंदा और कई तरह के रासायनिक मिला हुआ पानी सांगानेर से नाले में बहकर जाता है, वहां से काश्तकार लोग पम्प के द्वारा खेतों में डालते हैं और पालक पैदा करके जयपुर की जनता को खिला रहे हैं। इसकी कौन चिन्ता करेगा ? पर्यावरण वालों का कोई काम नहीं है। पर्यावरण दूषित करना उनका काम है। जिन लोगों का काम है उनको रोकने के लिये कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। तो मेरा वन मंत्री जी आपसे यह निवेदन है कि मैं सुबह से देख रहा हूं वन मंत्रीजी बड़े गंभीर हो रहे हैं। यह गंभीर होने का मसला केवल इतना ही नहीं है कि केवल गंभीर हो जाएं आप, इसमें सारा दोष है जिन लोगों का उनको भी शामिल रखो। आप अकेले की दुखी मत होओ। आपके अकेले के दुखी होने से यह वन विभाग ठीक नहीं होगा। आपको जिन अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, जिन अधिकारियों ने वहां मिसगाइड किया, गलत फीडिंग किया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिये उनकी भी प्रशंसा करें और जो छोटे कर्मचारी हैं, बहुत दिनों से इस बात के लिये तैयारी कर रहे हैं हमारा भी कभी प्रमोशन होगा और आगे जायेंगे तो उन लोगों के प्रमोशन पर भी गौर करें। एक बड़े अधिकारी का प्रमोशन करके जो तनख्वाह बढ़ाते हैं उसमें 5-6 छोटे कर्मचारियों का प्रमोशन होकर तनख्वाह बढ़ सकती है तो ज्यादा ध्यान उन पर भी दिया करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री सभापति : माननीय जीतमलजी खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-9 वन और पर्यावरण पर मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : अभी बुलवा रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : सभी माननीय सदस्यों ने वनों की कटाई पर अपनी चिन्ता जाहिर की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वनों की कटाई का जहां तक सवाल है मैं अपनी भूमिका को ज्यादा नहीं बांधना चाहूंगा, सीधा सा मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में आए दिन लम-सम 57 साल के इतिहास में 42 साल तक अकाल पड़ना, वनों का विनाश होना, महत्वपूर्ण कारण रहा है। आज वनों को सुरक्षित रखने के लिये भारत सरकार और राजस्थान के माध्यम से कई प्रयास किये जाते रहे। मैं इस मौके पर जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी भू-भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जोन, पूरे राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र के इतने विशाल भू-भाग में बसा हुआ है। इसके बावजूद भी हमारे उदयपुर संभाग के अन्दर सदन में बार-बार चिन्ताएं व्यक्त की जा रही हैं कि वनों के पास में रहने वाले लोगों ने सारी वन सम्पदा को नष्ट किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा वनों के पास में रहने वाले हम आदिवासी लोगों ने चाहे शिड्यूल कास्ट हो, शिड्यूल ट्राइब हो, चाहे और किसान वर्ग का हो, इन वनों की जो हिफाजत हम लोगों ने की है शायद और किसी ने नहीं की हैं। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान के विभागीय अधिकारियों ने पिछले पांच साल के दरम्यान जो वन सुरक्षा प्रबंध समितियों का गठन किया है, पूरी पुस्तक उठाकर देख लीजिये। यह प्रोग्राम पूरे राजस्थान अन्दर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन सुरक्षा प्रबंध समितियों का गठन करने का चलाया था सबसे जयादा रूझान अगर किसी ने दिखाया है तो दक्षिणी राजस्थान में रहने वाले चाहे बांसवाड़ा का आप देख लीजिये। वन सुरक्षा प्रबंध-समिति बांसवाड़ा के अन्दर 273, उदयपुर के अन्दर 386, डूंगरपुर में 246, चित्तौड़गढ़ में 326 । माननीय सभापति महोदय, इन समितियों का गठन होने से इस बात का पता चल जाता है कि जो भी डायरेक्शन अधिकारियों को माननीय वन मंत्रीजी ने दिये ओर विभागीय कर्मचारियों ने जो वहां पर क्रियान्विति की, स्थानीय किसान, मजदूर और वहां के रहने वाले लोगों ने आपके विभाग को बराबर सहयोग दिया है। पर मैं यह कहना चाहूंगा और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पूरे सदन के अन्दर सरिस्का का बार-बार यहां उद्धरण किया जा रहा है। बाघ खत्म हो गये, जिंदा मर गये या किसी ने मार दिया, क्या हुआ। न जाने क्या-क्या किवदंतियां सामने लायी जा रही हैं। मैं कहना चाहूंगा आज सीता माता का अभयारण्य जहां छोटी सादड़ी से लगता

(श्री जीतमल खांट)

हुआ पीपलखूंट तक का पूरा का पूरा पहाड़, एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा। आज सीता माता के अभयारण्य में आप जाकर माननीय मंत्रीजी, आप दिन को भी जाओ, रात को भी जाओ, जब बाघ है ही नहीं तो मिलेंगे कहां से, लेकिन सीता माता के अभयारण्य में आप जाकर देखेंगे, आप दिन के 12 बजे चले जाएं. शाम को 6 बजे चले जाएं, प्रातः 8 बजे चले जाएं, आपको एक बाघ नहीं दस बाघ देखने को मिलेंगे। मैं वन मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कभी इसकी हिफाजत करने का कोई प्रयास किया? कभी उस इलाके अन्दर जाने का प्रयास किया। उस अभयारण्य के आस-पास में रहने वाले बाराबरदा से लगाकर, बारबरदा और सीता माता के बीच में 35 किलोमीटर की दूरी है। 35 किलोमीटर की दूर पर जिस अभ्यारण्य के चारों तरफ आदिवासी लोग बसे हुए हैं। वह लोग जो बसे हुए हैं जो माही और बड़ाणा के पुर्नवास होकर आये हैं और उनको सरकार के द्वारा जमीन दी गयी है, कुछ रावतों की ढाणियां वहां पहले से बसी हुई हैं।

सभापति महोदय, आदमी के पेट में जब आग जलती है तो क्या-क्या नहीं करता है। मैं किसी भी सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन आपकी जो राष्ट्रीय वन नीति बनी है 1988 के अंदर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वनों के व्यावसायिक उपयोग के स्थान पर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय ग्रामवासियों की आवश्यकतानुसार पूर्ति की जाये प्राथमिकता के साथ में। उस अभयारण्य के आस-पास रहने वाले कम से कम 60-70 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे कटारिया साहब का कभी क्षेत्र हुआ करता था। उस इलाके में आज भी आदमी दाने-दाने के लिए मोहताज होता रहता है। 35 किलोमीटर बारहवरदा लकड़ी की गांठ जब अपने सिर पर रखकर लाता है शाम को तब जाकर उसका चूल्हा जलता है। हम सबको, इस सदन को और सरकार को सोचना पड़ेगा कि जहां-जहां ऐसी परिस्थितियां हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हम लोग कौनसी योजनाएं बनायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा तेंदू पत्ता का संग्रहण कराना है तो बड़े-बड़े सेठ लोग वहां पहुंच जाते हैं गरीब लोगों को बड़ा शोषण किया जाता है। जब आपने यह वन सुरक्षा समिति और प्रबंधन समिति को जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो क्यों नहीं आप उनसे पत्तों का संग्रहण कराते हैं। क्यों उन बड़े-बड़े ठेकेदारों को यह काम दे दिया जाता

(श्री जीतमल खांट)

है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी जो पालिसी है उसमें हम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरायेंगे, हम जिम्मेदार बनेंगे, कहीं न कहीं हम सबको मिलकर के सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं जैसा बांसवाड़ा का जिक्र कर रहा था, हमारा बांसवाड़ा का हो चाहे डूंगरपुर का इलाका हो, चाहे उदयपुर का इलाका हो वहां पर आज भी जो प्रबंध समितियां बनी हैं, वन सुरक्षा समिति बनी हैं। हमने साल भर के अंदर आप रिकार्ड उठाकर के देख लीजिए लाखों रुपयों की घास वहां से प्राप्त होती है। वन सुरक्षा समिति और वन विभाग के माध्यम से फैसला हो जाता है कि इतनी कटाई हम करेंगे, आधा हिस्सा सरकार का होगा, दूसरा हिस्सा हमारा होगा तो हम लोगों को बांसवाड़ा में घास की जो किल्लत होती है उसकी हमें कहीं न कहीं भरपाई हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं वन मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है उसमें भी आपने लिखा है और हमारे जनजाति टी.ए.डी. मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आये दिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चाहे हमारा उदयपुर जोन हो, वन सुरक्षा समिति के साथ में हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विभागीय अधिकारियों का पूरा सहयोग करते हैं लेकिन जैसा आपने डिमार्केशन लाइन की जो बात कर रहे थे जिन नक्शों के अंदर आपका कहीं कोई पेड़ नहीं हैं पौधा नहीं है। उस जगह पर हमारे आदिवासी लोगों ने 40-40, 50-50 वर्षों से कुए खोदे हैं, लाइटें ले रखी हैं, पक्के भवन बना लिये हैं, मेडें बांधी हुई हैं। उस इलाके के ऊपर भी आप कभी सर्वोच्च न्याय की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात कहकर..।

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय नन्दलाल बंशीवाल।

श्री जीतमल खांट : वहां पर डिमार्केशन का प्रोग्राम लाकर के हमारे बीच में और विभागीय अधिकारियों के बीच में तकरार पैदा होती है। मैं माननीय वन मंत्रीजी कहना चाहूंगा कि 1980 से पहले के जितने भी इलाके आपने चिन्हित कर रखे हैं ऐसे काश्तकारों को आप नियमित करें। उनको खातेदारी हक देने के लिए भारत सरकार को लिखें। बाकी हम चाहते हैं वनों की सुरक्षा हो। हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन हमारी जो मूलभूत

(श्री जीतमल खांट)

आवश्यकता है। ऐसे इलाकों को आप चिन्हित करें और जहां-जहां पर तेंदू पत्ता का संग्रहण करना हो ऐसे इलाकों में वहां की स्थानीय सुरक्षा समितियों को यह काम सौंपे ताकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मंत्रीजी का और हमारे मुख्य मंत्रीजी का और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डेमोक्रेटिक इतिहास में वन विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी के खिलाफ आपने जो कार्यवाही की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। वन विभाग से कोई अपरिचित नहीं है। वन विभाग एक ऐसा विभाग है उससे बड़ा भ्रष्ट विभाग पूरे राजस्थान में और पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है और इससे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी किसी विभाग के नहीं हैं। मैंने पिछली दफा भी आपसे निवेदन किया था, जब पिछला सत्र चला था कि इस विभाग के अधिकारियों की संपत्तियों की जांच करवाइये और इनकी सम्पत्तियों की जांच करवायें और इनकी सम्पत्तियों का जो ब्यौरा है वह इस सदन के अंदर आना चाहिए। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली दफा जब मैं विधायक था, मैं निर्दलीय उधर बैठता था, वन मंत्री उस समय भगराजजी चौधरी थे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं आज भी कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाही, यह इतना बड़ा कॉक्स है कि भगराजजी ने उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाही तो उन्होंने भगराजजी की ही छुट्टी करवा दी और हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री बहुत मजबूत हैं, हमारे वन मंत्रीजी बहुत ईमानदार और मजबूत हैं इनकी छुट्टी नहीं हो सकती।

श्री श्रवण कुमार : यह तो भले आदमी हैं। आप यह कह रहे हो ना कि भगराजजी ईमानदार थे। हमें डाउट हो रहा है कहीं करवा मत देना छुट्टी... (व्यवधान)

श्री सभापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार उठ रहे हैं क्या बात है आज... (व्यवधान) आज नया दिन है लोगों को जाना है... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में 90 नेशनल पार्क हैं, 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 23 टाइगर रिजर्व हैं, हमारे प्रदेश में 21 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, 4 नेशनल पार्क हैं, चिंता है वन एवं वन्य जीवों की, करीबन 25 साल पहले सैंक्चुरी बनायी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या आपने सेंक्चुरी के कार्य-कलापों का विभाग ने मूल्यांकन किया। विभाग के अधिकारियों ने किया। आज हम आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल यह लोग यहां बैठे-बैठे, अभी सराध्नाजी बोले कि उधर आते ही सारा राजस्थान प्रदेश और सरकार और अधिकारी ठीक हो जाते हैं, इधर जाते ही सबको ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम इधर से उधर बदलते रहेंगे। मगर यह अधिकारी जो बैठे हैं यह यहीं की यहीं बैठे रहेंगे। यह हमारे जो आपस के वाद-विवाद हैं यह यहां पर बड़ी गम्भीरता से सुनते हैं। कुछ बोलने के लिए इनको यहां अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य को ही बोलना पड़ेगा। सुन लेंगे ओर बाद में बाहर जाकर चर्चा करते हैं कि यह तो पांच साल में चले जायेंगे, क्या करेंगे, विधान सभा में तो ऐसे ही उठते रहते हैं। हमें कुछ ऐसी पक्की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार रखता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह हम सभी को एक मन से और मत से सुनिश्चित करना पड़ेगा इस सदन के अन्दर। इन्होंने इसका मूल्यांकन नहीं किया। इफेक्टिव सेंक्चुरी क्या होती है। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल से यहां पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी मालूम नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरह से बार-बार आफिसर्स गैलेरी की तरफ हाथ से इशारा कर रहे हैं। यह परम्पराओं के विपरीत है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको क्या दुःख हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य को निर्देश प्रदान करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको क्या पीड़ा हो रही है पेट में। आपको ऐंठन है क्या पेट में।

श्री सभापति : माननीय दौसा से आने वाले सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके पेट में हैडएक हो रहा है क्या?

श्री सभापति : आप आसन को सम्बोधित करें। ना उधर देखें ना इधर देखें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनके पेट में हैडएक हो रहा है, पेट में दर्द होता है लेकिन इनके पेट में हैडएक हो रहा है।

श्री सभापति : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसके पैरामीटर्स क्या हैं ? पैरामीटर्स की चर्चा के बारे में कहना चाहता हूं...।

श्री सभापति : आप आसन की तरफ देखें, न इधर देखें, न उधर देखें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जो हुकूम साहब, न मैं इधर देखूं न उधर देखूं। सैंक्चुरी के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां चारों तरफ से नैचुरल बाउण्ड्री होनी चाहिए। पहाड़ या नदी हो तो उसकी बाउण्ड्री का निर्धारण होना चाहिए। यदि आंशिक रूप से बाउण्ड्री है तो वहां कांटों की फैंसिंग होनी चाहिए। ट्रेण्ड मैन पावर होनी चाहिए, जीप होनी चाहिए, हैलीकॉप्टर होना चाहिए, उससे मानिटरिंग होनी चाहिए, यदि सैंक्चुरी रखनी है।

हम बाघों की चिंता कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वन्य जीव खतम होते जा रहे हैं, बाघ खतम होते जा रहे हैं तो इन सबको बचाना चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था सैंक्चुरी में होनी चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है, यह इण्टरनेशनल मामला हो गया है। हमारे प्रदेश के अंदर इस तरह की बात हो रही है। अखबारों में आ रहा है कि बाघ गायब हो गए। प्रधान मंत्रीजी वहां चिंतित हो रहे हैं उससे ज्यादा हमारी मुख्य मंत्रीजी चिंतित हो रही हैं। आपको पता ही नहीं है क्या ? मैं अपने सरकार को सुझाव दे रहा हूं। आप सुझावों को समझो, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी समझ से बाहर की बात है तो आप बाहर से चले जाओ।

वहां पर वैटनरी का डाक्टर होना चाहिए, जानवर बीमार हो जाते हैं। सभापति महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वन विभाग के

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि उदयपुर में एक रेंजर के यहां ए.सी.डी. का छापा पड़ा तो उसके यहां से 50 लाख रुपए नकद, पांच-पांच सौ रुपए की गड्डियां ए.सी.डी. डिपार्टमेंट ने बरामद की। इनकी हालत खराब है और ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं रिश्वत खाने में। एक गरीब लकड़ी भरकर अपनी ऊंटगांड़ी में ले जा रहा था, वन विभाग के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, उससे बोले कि इसे छोड़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है तो वह कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो एक ऊंटगाड़ी मींगणी की खाद मेरे बगीचे के लिए ला दो। इनका कुछ भी स्तर नहीं है, मींगणी की खाद भी ये रिश्वत में मांगते हैं, इनका स्तर इस तरह का हो गया। मींगणी तो बकरी करती है, गाय तो करती नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : समाप्त कर रहा हूं लेकिन ये मुझे इण्टरप्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य बहुत गम्भीर आरोप लगा रहा है मींगणी की रिश्वत मांगने का, राठौड़ साहब, आपको इसकी जांच कराने की घोषणा करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सदस्य, सरकार इसको पूरी गम्भीरता से लेगी। आप इसको लिखित में दे दें कि कौन से सन् की बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पिछली विधान सभा की बात है जब मैं निर्दलीय विधायक था। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सैंक्चुरी और नेशनल पार्क हैं....।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : इसकी जांच राजेन्द्रजी कराएं तो उसके अध्यक्ष होंगे तगारामजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या ये सैंक्चुरीज और पार्क्स मापदण्ड के अनुसार हैं? क्या आपने इनका मूल्यांकन कराने की जरूरत समझी है ? माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि आप इनका मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन कराएं।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आप एक और मजेदार बात देखिए। आपने नाहरगढ़ अभ्यारण्य बना दिया और उसमें जयपुर शहर का बहुत सारा भाग डाल दिया। माउण्ट आबू में अभ्यारण्य बना दिया और उसमें पूरे माउण्ट आबू कस्बे को डाल दिया। यह कोई अभ्यारण्य बनाने की जगह है ? जमवारामगढ़ सैंक्चुरी को आपने पूरा नोटिफाई ही नहीं किया है। वहां 65 हजार की जनसंख्या और 80 हजार पालतू जानवर रहते हैं, स्कूल हैं, हास्पिटल हैं, जानवर हैं और उसको आप सैंक्चुरी कह रहे हैं। अभी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी आई थी उसने जमवारामगढ़ जाकर देखा और उसका कहना था कि जमवारामगढ़ इज द ग्रेवयार्ड आफ माइन्स, अब आप वहां क्या पेड़ लगाने की सोच सकते हैं ? आपने एक तरफ तो कह दिया कि जमवारामगढ़ सैंक्चुरी ग्रेवियार्ड आफ माइन्स हो गई तो उसको इतना गहरा कर दिया कि वह वहां पेड़ लगा सकते हैं क्या ? पेड़ लगाना वहां सम्भव ही नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अनफिट एरिया है उसको सैंक्चुरी से बाहर निकाला जाए। वहां 10 हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको इससे वहां रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, जब वहां पर खानें चलती थी तो हरियाली रहती थी, वहां पेड़ थे क्योंकि खान वाले वहां पर उन पेड़ों की रक्षा किया करते थे। आज क्या है ? 10 हजार लोग बेरोजगार हो गए, इनमें ज्यादातर एस.सी. और एस.टी. के लोग हैं। वह अपना भरण पोषण करने के लिए पेड़ काट रहे हैं।

सभापति महोदय, वन विभाग के आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने इतने पेड़ लगा दिए हैं कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता पूरे प्रदेश के अंदर। वे पेड़ आपने कहां लगाए हैं ? पेड़ भी आपने लगाए जूली फ्लोरा के यानी अंग्रेजी बबूल। आपको बहुत दुःख हो रहा है, बहुत गम्भीर हो रहे हैं कि बाघ खतम हो गए, जंगली जानवर खतम हो गए, यह भी इसका एक कारण है कि अगर उसका एक कांटा कहीं लग गया तो उसकी जान ही जाएगी। शेर कै पैर का कांटा आपके वन विभाग के अधिकारी तो जाकर निकालने से रहे। वह कांटा लगने के बाद जानवर मरेगा ही, वह बच नहीं सकता। यह बहुत बड़ा कारण है कि वन्य जीव खतम हो रहे हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में रणथम्भौर अभ्यारण्य के पास, एक किलोमीटर की परिधि में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, कोई

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

गैर वन्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए, आपने वहां पर 20-25 होटल बना दिए, वे बहुत प्रभावशाली लोग हैं जिनके होटल वहां हैं, इनके राज में बने हैं, इन्होंने एन.ओ.सी. देकर उनका निर्माण कराया है। मेरी मांग है सदन के अंदर कि इन होटलों की एन.ओ.सी. को कैंसिल करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय, जैसे-जैसे वन विभाग के अधिकारियों और एन.जी.ओ. की संख्या बढ़ रही है, वन्य जीव खतम होते जा रहे हैं। क्योंकि खालें यहां तो बिकेगी नहीं, 25-25, 30-30 हजार रुपए में विदेशों में बिकती हैं। इन एन.जी.ओ. के लोग लाखों रुपए विदेशों से लेकर आते हैं और इनकी आड़ में ये शिकार करवाते हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं कहूंगा ? मेरा अधिकार है कहने का, आप मुझे रोक नहीं सकते।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एन.जी.ओ. ईको ट्यूरिज्म की आड़ में इस तरह का काम करवा रहे हैं, तस्करी का काम करवा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें। सैंक्चुरी के जो मापदण्ड हैं उनको गम्भीरता से लेते हुए, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने यह कहा था वन विभाग के अधिकारियों से कि मुझे बहुत फ्रेश एयर मिल रही है, मुझे यहां लोगों को रोजगार देना है, आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे वन विभाग के अधिकारी लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमसे वादा किया था कि आप बहुत जल्द ही रेशनलाइजेशन करेंगे, सैंक्चुरीज की पुनः नाप करवाएंगे, आपने एक समय सीमा तय की थी, आपके अधिकारियों ने अब तक उस समय में कोई सर्वे नहीं किया है जब कि जोइन्ट सर्वे कराना था डिपार्टमेन्ट के माध्यम से। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा वन मंत्रीजी और सरकार ने निवेदन है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही हो जिससे यहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (अनुपस्थित)। श्री अर्जुनलाल जीनगर (अनुपस्थित)। श्री अशोक कुमार नवलखा (अनुपस्थित)। श्री शांतिलाल चपलोत (अनुपस्थित)। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : सभापति महोदय, राजस्थान का 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 60506 स्क्वायर किलोमीटर यानी 12.7 परसेंट फोरेस्ट एरिया से कवर्ड है। स्टेटिस्टिक्स यह कहती है कि 12 परसेंट का एरिया जो फोरेस्ट से कवर्ड है इसमें कुछ तो नेचुरल फोरेस्ट है और कुछ मैन मेड फोरेस्ट है। नेचुरल फोरेस्ट वो एरिया है जो वाइल्ड लाइफ का एक नेचुरल हेबिटाड है। यह भी सत्यता है कि राजस्थान का दो तिहाई भू-भाग या तो रेगिस्तान है या सेमी एरिड जोन है। 'जितनी संख्या है लिवेबल, लाइवस्टॉक और ह्यूमन लाइफ वो उस एक तिहाई भाग में विचरण करती है और सारा का सारा पोपुलेशन का प्रेशर है वो इस भू-भाग के उस परसेंटेज पर है। नेचुरल फोरेस्ट के इर्द-गिर्द जितने भी हेबिटाइस हैं उनका सीधा सम्बन्ध वहां के पर्यावरण से है और पर्यावरण की रक्षा वन के रूप में और वन्य जीव का संरक्षण का दायित्व वन विभाग का है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि संपूर्ण वन विभाग का अगर विश्लेषण हम करना चाहें तो यह कहना बहुत कठिन होगा कि आखिर कौनसा ऐसा शख्स है जिसे आज के हश्र के लिए हम गुनहगार साबित करें। यह एक साल या एक दशक की कहानी नहीं है। जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रजातांत्रिक इस प्रदेश में रही हों उनका कहीं न कहीं आज के इस वर्तमान में योगदान रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है तो वह उस पर्यावरण के पॉल्यूशन का है जो न तो कोई गवर्नमेंट इसके इंस्टीट्यूशन के रूप में जिम्मेदार है न कोई विभाग इसके इंस्टीट्यूशन के रूप में जिम्मेदार है। अगर कोई जिम्मेदार है तो यह स्वयं व्यक्ति जो कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है यह अपने आपमें जिम्मेदार है जिससे आज के इस नेचुरल हेबिटाड का आज का हश्र हुआ है उसमें स्वयं व्यक्ति एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिम्मेदार है।

बहुत सी बातें वन और वन्य जीव के बारे में कहीं गई, मैं न तो स्टेटिस्टिक्स के अन्दर विश्लेषण करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जो बड़े अचरज से सामने आती है, आप चाहे पिछले 5-6 साल का बजट प्रोविजन उठाकर देख लें, हर बार जो बजट प्रोविजन थे उनका बीच में जाकर रिवीजन होता है और रिवीजन में 25 परसेंट कटौती हो जाती है। रिवीजन के बाद में जो शेष बचता है उसमें भी 25 परसेंट का खर्चा नहीं होता। आखिर यह किस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात को दर्शाती है ? ये जितनी भी सरकारें रही हो, जिनका भी शासन रहा हो या जिनकी व्यवस्था रही हो उनकी सीरियसनेस को दर्शाती है। आपने जो बजट प्रोविजन किया, ज्यादा किया, कम किया उसको बाद में आपने रिवाइज किया, रिवाइज में आपने उसको 25 परसेंट से 30 परसेंट कम कर दिया और आखिर जब एक्चुअल बजट प्रोविजन आते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जितना रिवाइज किया उसका भी 25 से 30 परसेंट बजट गया। That shows the seriousness behind any execution.

अब यह सवाल आता है कि आखिर आज क्या किया जाए। आज से पहले क्या हो गया; इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, मंत्रीजी बैठे हैं, सरकार बैठी हैं, सियासत है, सियासत का सिस्टम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है आप अपने आप विश्लेषण कर लें और इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि यह व्यक्ति या यह इंस्टीट्यूशन गुनाहगार है, लेकिन आज क्या करना है ? पर्यावरण की जो हालत है, पोल्युशन का जो परसेंटेज है, पोल्यूशन जिस तरीके से है, आप हिमालय से लेकर गंगा तक आ जाएं पोल्युशन ही पोल्युशन है। आप जिस वन की बात करते हैं, जिस वन्य जीव की बात करते हैं आखिर इस धरती पर, इस सृष्टि की रचना के अंदर एक जीव को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया है मनुष्य जीव को और यही मनुष्य जीव ही अगर वन, वनस्पति और वन्य जीव के पीछे पड़ जाए तो आखिर इसका संरक्षण कौन करेगा और संरक्षा कौन करेगा ?

सभापति महोदय, मैं दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक उदाहरण तो वो है कि सरकार स्वयं अपने निर्णय से जमीनों को लेती है और उन जमीनों पर वन उगाने का काम करती है। एक ऐसा ही उदाहरण 1980 का है। स्वर्गीय संजय गांधीजी की मृत्यु के उपरांत 100 हेक्टेयर से कुछ कम 80 हैक्टेयर जमीन को अधिगृहीत करके संजय वन बनाने का निर्णय किया गया था। अच्छा निर्णय था जो पूरा का पूरा एक तरीके से आब्जेक्टिव था। उसमें वन के अलावा वन्य जीव और वहां का पूरा विकास था जिसके अंदर जंतुआलय जैसी चीजों का भी विकसित करना था ट्यूरिज्म से सम्बन्धित और मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी पर्यावरण में देखने को मिलता है उसका एक जीता-जागता चित्रण प्रस्तुत करने का था। जब यह जमीन एक्वायर हुई तो इसमें जो काश्तकार थे, जिनकी जमीन भी एक्वायर हुई उनकी एवज में उनको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कहीं और जमीन दी गई क्योंकि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। 1980 से लगातार आज 2005 में हम हैं 80 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई, उस पर वृक्षारोपण किया गया, सघन वृक्षारोपण किया गया। जितने आब्जेक्टिव थे उसके लिए शुरूआत भी हुई, लेकिन बीच में कहीं जाकर अपने आपमें यह संजय नाम अपवाद हो गया। एक समय जब इसको लागू किया गया था उस वक्त यह अपने आपमें एक इनकरेजिंग फोर्स था। उसके बाद से आज तक मंत्री महोदय, यह हश्र है कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर सन् 2000-2001 से 2004 तक 15 से 17 लाख रुपये के वृक्षों को काटकर नीलाम कर दिया गया। जिस डीयर पार्क के नाम से इस संजय वन को विकसित किया जाना था आज टोटल 22 हिरण उस 80 हेक्टेयर जमीन में है। 1.50 लाख का वार्षिक बजट है। जिस दृष्टिकोण से इसका विकास करना चाहिए था, जिन काश्तकारों ने अपनी जमीन यहां दी थी कि कम से कम एक चीज विकसित होगी जिससे कि भावी पीढ़ी, बच्चे जो कि आज की तारीख में विद्यालयों में पढ़ते हैं जिनको जंतुआलय दिखाने के लिए शहरों में लाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र पर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि चाहे सैंक्चुरी में कोई चीज दिखे या न दिखे, लेकिन वहां इनको सारे वन, वनस्पति, वन्य जीवों के बारे में वो विद्यार्थी ठीक रूप से उनको देख पायेंगे। आज हालत यह है कि वन्य जीव तो दूर रहे, वन, वनस्पति जो वहां थी, जो वृक्ष वहां उग रहे थे उनको भी काट दिया गया। यह कहकर काट दिया गया कि इसमें से कुछ सूख गये हैं, कुछ आड़े-टेढ़े हैं, शीशम जैसे वृक्षों को काट दिया गया और विभाग के रिकार्ड पर यह है, एक नीलामी 12 लाख की हुई और दूसरी नीलामी जो 2003-2004 में हुई वो 4 लाख से कम थी इसलिए वो विभाग जयपुर ले आया। 17 लाख के तो वृक्ष इन्होंने बेच दिये। 80 हैक्टेयर जमीन पर कुछ नहीं किया। 1.5 लाख रुपये का बजट है उससे वहां एक ट्यूबवैल भी सही तरीके से नहीं चल सकता। यह सीरियसनेस है। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नेचुरल हेबिटाड हैं उनका संरक्षण करेंगे। हम तो यह कहते हैं इनकी खुद की समझ का यह हेबिटाड था उसका संरक्षण नहीं कर पाये। इन्होंने कंपाउंड वाल बनायी और कंपाउंड वाल की ऊंचाई तीन फुट थी। न तो उस तीन फुट से मनुष्य जाने से रूक सकता है, न उस तीन फुट की कम्पाउण्ड वाल से जानवर जाने से रुक सकता है, आपने बना दी और ऐसी जगह है कि आज जयपुर एन.एच.ए.आई.-8 दिल्ली हाई-वे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पर और अलवर हाइ-वे के बीच का यह एरिया है। हम बात सरिस्का की कर रहे हैं, रणथम्भौर की कर रहे हैं, बाघों की कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन आफ माइंड आप देखिए, सीरियसनैस देखिए, एक छोटी सी चीज इन्होंने अपने हाथों से विकसित की थी उसकी क्या दशा है ? सुबह से शाम तक इनके कैटल गार्ड वहां मनोरंजन का संसाधन बना रखा है, न वहां कोई जा सकता है क्योंकि वहां किसी चीज का विकास ही नहीं हुआ।

मैं एक चीज को और अर्ज करना चाहूंगा दो मिनट में. I am just concluding. ठीक इसी तरीके से सोशल फोरेस्टरी में पंचायतों से सवाईचक गौचर जमीन लेकर वन उगाने के लिए विकसित की गई थी, पांच साल तक उन पर सघन वृक्षारोपण होता है, वृक्षारोपण होने के बाद में पंचायतों को ये लोग वापस दे देते हैं। एक ऐसा ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। रामपुरा करके एक गांव था, 10 साल सघ वृक्षारोपण के बाद में वह वापस सारी की सारी नर्सरी मय पेड़ों के ग्राम पंचायत को दे दी। जब ग्राम पंचायत को दे दी और शिकायत आई कि वहां ग्राम पंचायत वृक्ष काट रही है तो यहां से डी.एफ.ओ. ने आर्डर करके वहां आदमी भेजा और इंस्पेक्शन कराया, इंस्पेक्टर को यह बात मालूम पड़ी और वहां जो अधिकारी गया था उसके सामने जब वृक्ष कट रहे थे तो उसने यह रिपोर्ट की, नहीं रुका, 9 लाख रुपये में वृक्ष बेच दिये गये, नीलाम कर दिये गये। फोरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्कूलर है 82 का उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि ऐसी जितनी भी नर्सरीज का डवलपमेंट होता है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, पंचायत हो, चाहे कोई और हो वगैर वन विभाग की परमीशन के वह न तो नीलाम कर सकते हैं न ही काट सकते हैं उसके बावजूद इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई और एक छोटी से चीज और है, सभापति महोदय।

एक प्रपोजल एक्जीक्यूशन में आया है इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकोल जिसको कहते हैं, इस क्योटा प्रोटोकोल के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि जिस क्षमता से जिस दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान को देखा जा रहा है ग्लोबल कार्बन मार्केटिंग के अन्दर जो हमारा इमिशन फ्री एनवायरनमेंट है, हिन्दुस्तान को उस दृष्टि से देखा जा रहा है और हिन्दुस्तान उस एक्जीक्यूटिव बॉडी का आज मेम्बर है और हम यह चाहते हैं कि वन विभाग कम से कम इस दृष्टिकोण से यह एक जो इमरजिंग फील्ड है उस दृष्टिकोण से देखकर राजस्थान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

को प्रस्तुत करें क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और यहां का पर्यावरण संतुलन इस लायक है कि हम इस प्रोटोकोल को ले सकें और पांच मिलीयन से हंडरेड मिलीयन मार्केटिंग का ट्रेड का यह एक जोन जो विकसित होने जा रहा है। फरवरी में यह चीज लागू हुई है, हम वन मंत्री से यह चाहते हैं कि एनवायरमेंट इसका एक बड़ा पहलू है, इस चीज को भी दृष्टिकोण में रखकर आगामी भविष्य में एक संतुलित वातावरण हमें मिले और बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय अशोकजी बैरवा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को जाना है, अब मंत्रीजी का उत्तर करवाएं साहब, आप लिखकर दे देना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : चलो, शॉर्ट में बोल देता हूं।

सभापति महोदय, आज दिन भर में जो चर्चा हुई है वन विकास के बारे में, वन सुरक्षा के बारे में, शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि वनों का विकास जब तक नहीं होगा जब तक कि सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं किए जाएंगे। एक तो यहां पर इनकी सुरक्षाकर्मियों की संख्या कम है, अधिकारी ज्यादा हैं और दूसरा उनके पास सामान नहीं है सुरक्षा के, 2-2, 3-3 फीट के डंडे लेकर घूमते हैं, न तो हथियार हैं, अपराधी जो घूमते हैं उनके पास में हथियार होते हैं, इनके पास में घूमने के लिए जिप्सी साधन वगैरह नहीं है, जो सुरक्षा कर सकें। दूसरी बात यह है कि उनके पास सूचना तंत्र शानदार होना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कहां पर अवैध शिकार हो रहा है, कहां पर वनों की कटाई हो रही है, सुरक्षा की बात तो मैं, विभाग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। अब वन विभाग में जो विकास के काम पर जो भारी भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में मैं चार पांच बातें कहना चाहता हूं। सवाई माधोपुर में इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत करीबन 20 करोड़ रुपये खर्चा किया गया और 20 करोड़ रुपये खर्चा किया गया उसमें उसकी अवधारणा यह थी कि क्षेत्र के वन विकास के लिए आसपास के सटे हुए गांवों के लिए अभ्यारण्यों के पास में जो गांव है उनके विकास के लिए पैसा खर्च करके और लोगों के मन में जागृति पैदा हो कि सुरक्षा कैसे की जाए और वनों का विकास कैसे हो उसमें 25 प्रतिशत पैसा जन सहभागिता से होना चाहिए था, सभापति महोदय, परन्तु मैं

(श्री अशोक बैरवा)

दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 20 करोड़ रुपये के अन्दर कहीं भी ई.डी.सी. के माध्यम से जो खर्चे किये गये, सभापति महोदय, उनमें कहीं भी किसी ने जनता के सहयोग से कोई पैसा नहीं लगाया गया है और जो पैसा लगाया गया है वह फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से सांठगांठ करके, सैटिंग करके उस पैसे का समायोजन कागजों में किया और 25 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में कमीशन खाया, आधा पैसा वहां पर लगा है और मैं दावे से कहना चाहता हूं और मंत्री अगर जिम्मेदारियों से देखना चाहें तो इस प्रोजेक्ट की जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। इन्होंने इस योजना के अन्तर्गत सुरक्षा की दीवार बनाई गई 40 किलोमीटर की, इसमें इतना घपला हुआ कि करीबन 36 जगह पर यह दीवार टूटी है और सुरक्षा की बात आप करना चाहते हैं। इसके अलावा, इस फोरेस्ट के पास में जितने भी गांवों में काम हुए उसमें जो ई.डी.सी. के अध्यक्ष बनाए गए उनको केवल कर्मचारी की तनख्वाह के रूप में काम में लिया गया न कि उनको विकास में भागीदार बनाया गया ओर जो बाकी 20 प्रतिशत पैसा जमा कराना था वह पैसा आज भी उनके खातों में पड़ा हुआ है उसका कोई उपयोग गांवों के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए नहीं किया गया। इसके अलावा, मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय कि अभ्यारण्य समाप्ति की ओर हैं, जो संख्या 40 बाघों की बताई है मेरे अंदाजे में इनकी संख्या सरिस्का में सामने आ रही है, सवाईमाधोपुर में भी कम से कम 10-15 टाइगर से भी ज्यादा नहीं हैं। उसका एक कारण यह है कि वन विभाग की लापरवाही है, सुरक्षा के इंतजामात ठीक नहीं हैं। इसके अलावा, जो ट्यूरिस्ट का लाडू मिश्रधारा गेट से किया जा रहा है और ओवरलोडिंग ज्यादा ट्यूरिस्टों की होने की वजह से टाइगर वन्य जीव भी भयभीत रहता है तो भागा रहता है। मैं चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर अभ्यारण्य का एक गेट खंडार क्षेत्र से खोला जावे ताकि ट्यूरिस्टों का लोड भी कम होगा और हमारे क्षेत्र को रोजगार मिलेगा और वन्य जीवों को भी राहत मिलेगी।

दूसरा, वन विभाग अपने नियम कायदों पर अडामेंट रहता है कि हमारे क्षेत्र के विकास के कामों में हर जगह नाइंसाफी होती है। मेरे यहां पर एक मानसरोवर डेम है और देवपुरा बंधा है, माननीय सभापति महोदय, वन विभाग की हठधर्मिता के कारण वहां पर एक कुशालीपुरा के नाले के डाइवर्शन के लिए

(श्री अशोक बैरवा)

पैसा आया हुआ है 40 लाख रुपये, एक करोड़ 64 लाख रुपये हमने फोरेस्ट के पास में जो मानसरोवर डेम है उस पर खर्च किया था सिंचाई विभाग के ऊपर, डाइवर्शन नहीं होने की वजह से से कुशालीपुरा के नाले का पानी उसमें डाइवर्ट नहीं हुआ और वह पानी किसानों के भी काम आता, कम से कम 20-25 गांवों को लाभ मिलता, बाकी जो पानी की भराव क्षमता है वह फोरेस्ट एरिया में होती तो टाइगर एरिया में, माननीय सभापति महोदय, मेरी बात चूंकि मैं इस इलाके से आता हूं, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा, वह पानी सैंच्युअरी में भी भरता और निश्चित तौर पर जानवरों को पीने के लिए पानी मिलता। आज सरिस्का में पीने का पानी नहीं है, केवला देवी में पीने का पानी नहीं है जानवरों के लिए और हमारा जो पानी वेस्ट में चम्बल में जा रहा हैं उसको हम मानसरोवर डेम में भरते तो वह पानी काश्तकारों को भी मिलता, इसके अलावा जंगली जानवरों को भी मिलता और इन टाइगरों को भी मिलता।

इसके अलावा में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : नहीं, मेरा निवेदन यह है कि अब जो ज्वाइंट सर्वे की बात आई है पिछले बजट सत्र में मंत्री महोदय ने कहा है कि ज्वाइंट सर्वे करके एरिया का सीमांकन करवा दिया जाएगा। उनकी सीमा के सीमाकंन के अभाव में हमारे एरिया में काफी विवाद काश्तकारों के बीच में हो रहे हैं, माइनिंग वालों को परेशानी हो रही है तो हमारे काश्तकार भाइयों को भी परेशानी हो रही है, सारा सीमाकंन नहीं होने की वजह से सब लोग परेशान हैं और यह भ्रष्टाचार की जांच, सभापति महोदय, अगर मंत्री सरकार के इच्छा रखते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप जांच कराएंगे किससे ? पहले जो पी.सी.सी.एफ. थे उनको फोरेस्ट की जमीन बेचने के ऊपर हस्तांतरण करने के ऊपर आरोपित किया गया और इस सरकार ने उनको माफ कर दिया और शानदार तरीके से सेवानिवृत्ति दे दी। अब जो पी.सी.सी.एफ. हैं, वह क्या जांच करेंगे? उन्होंने जो तेंदू पत्ता प्रकरण में करोड़ रुपये के घोटाले में वह चार्जशीटेड थे जनलेखा समिति में उनको चार्जशीटेड किया गया और उनसे आप जांच कराना चाहेंगे? तो वह कैसे संभव है, मैं समझना नहीं चाहता, यह सरकार क्या चाहती है? सरकार ने पहले वाले पी.सी.सी.एफ. को सम्मानपूर्वक विदाई

(श्री अशोक बैरवा)

दे दी और अब वाले को ऐसे आदमियों को जिम्मेदारी देना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं ? सरकार की मंशा बिलकुल अस्पष्ट है और जब तक वनों का विकास नहीं होगा तब तक आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं लगाओगे नहीं तो यह सरिस्का अभयारण्य, रणथम्भौर बिलकुल खतम हो जाएंगे, बाघ की बात करते हो, जंगल नहीं बचेंगे और जनता परेशान रहेगी। अगर आप मंशा रखते हैं तो जांच बिलकुल जिम्मेदारी से करें और 20 करोड़ रुपये इको डवलपमेंट योजना का जा खर्च हुआ है वह पूरा भ्रष्टाचार में गया है। आप जिम्मेदारी की बात करें, दूध का दूध सामने आ जाएगा। वन मंत्री महोदय और आपके मंशा भी सामने आ जाएगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आप प्लीज पांच मिनट में खतम करें।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, वनों की बात चल रही है और सुबह से इस पर विचार किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन ही जीवन है यह सब जगह लिखा है और सब जगह नारे लिखे होते हैं। वन ही जीवन है, वन है तो जीवन है और वन नहीं है तो जीवन नहीं है। पानी तो जीवन है, पानी के साथ वन है, वन है तो पानी है, वन नहीं हैं तो पानी नहीं है और यही एक कारण हो गया कि आज वर्षा की कमी आ गई। वनों की कटाई हो गई, पेड़ कट गये, सारे वन खतम हो गये और जो कुछ आज से 20-25 साल पहले देखने को मिलता था वह कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, माननीय वन मंत्री महोदय वैसे तो अभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा और इस विभाग के बारे में जैसी टिप्पणी की, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग का मंत्रालय का काम संभालना कांटों का ताज है और इस कांटों के ताज को पहनने के लिए बड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति की जरूरत है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपमें भरोसा करके आपको इस विभाग की जिम्मेदारी दी है। आप योग्य हैं, ईमानदार हैं, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा और मेरे खयाल से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा और मेरे खयाल से प्रतिपक्ष के माननीय

(श्री सुभाषचन्द्र शर्मा)

सदस्यों ने भी आपकी बड़ाई की बातें आपके बारे में कहीं और पक्ष के सदस्य तो आपके बारे में कह ही रहे हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि आपकी योग्यता में कोई कमी हो या आपकी इच्छा शक्ति में कोई कमी हो या आपके काम करने के तरीके में कोई कमी हो लेकिन जैसा देखने में आया और जैसा अब तक के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये। वन विभाग नीचे से लेकर के ऊपर तक किस तरीके से अपने रंग में रंगा हुआ है, किस तरीके से उसके बदला जाना चाहिए था, किस तरह से सरकारों के आवागमन के बाद उसमें सुधार और परिष्कृत होना चाहिए था लेकिन जैसे अब तक के विचार जो माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया वो नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष जब बरसात का समय आता है, पेड़-पौधे लगाये जाने का अभियान चलाया जाता है, लाखों पौधे पूरे राजस्थान प्रदेश में लगाने का टार्गेट दिया जाता है। उस टार्गेट को पूरा करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं और किस प्रकार से वह टार्गेट पूरे किये जाते हैं यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लाखों पौधे और लाखों गड्डे खोदना, लाखों गड्डों में लाखों पेड़ लगाना, कितने आदमी उसमें जुड़े हुए हैं और आप अंदाजा लगायें, एक छोटा सा अधिकारी एक साल में लखपति होता है। एक छोटा सा अधिकारी एक साल में लखपति होता है। अब कितने बड़े लखपति बन सकते हैं यह उनके काम की योग्यता पर निर्भर करता है इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। आज जहां-जहां गड्ढे खुदवाने का ठेका देते हैं, जहां-जहां पेड़ लगाने की बात करते हैं, जहां-जहां पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा सघन वन लगाने की बात करते हैं, नि:सन्देह हर कदम पर आपको देखने को मिलेगा कि उसके अन्दर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है इस मामले में। मैं तो आपसे इस मामले में कहना चाहता हूं कि क्या किसी भी सरकार ने, किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश की? क्या आपने उनसे इस बारे में उनकी अकांउटेबिलिटी तय की? क्या आपने उनसे इस बात का जवाब मांगा कि आपके शासन में, आपके समय में या आपके इस पद पर रहते हुए जितने पौधे लगाये गये उनमें से कितने पौधे आज जीवित हैं ? कितने पौधों की जानकारी है? कितने पौधे पनप रहे हैं, कितने पौधे खतम हो

(श्री सुभाषचन्द्र शर्मा)

गये हैं या पौधे लगे ही नहीं है। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब पौधे लगे ही नहीं तो पौधे कटकर के बहकर के कहां से चले गये। माननीय मंत्रीजी, आपको इस बात में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं इस बात के लिए कि आप जैसा योग्य मंत्री इस विभाग में नि:संदेह साफ सफाई की कुछ व्यवस्था कर सकता है। आपने कदम उठाये, आपने एक बहुत बड़े अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की और यह बहुत बड़ा कदम था लेकिन मैं इतना सा और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नीचे के अधिकारियों की भी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी जो 8-8 साल से उस जगह पर विराजमान हैं और उनकी देखरेख में सारे काम हो गये। क्या उनकी जिम्मेदारी नही बनती? नि:संदेह उनकी जिम्मेदारी बनती है। विभाग में चाहे वो किसी भी ग्रुप का आदमी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को तय करके जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनके सबके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और मैं तो यहां तक भी मांग करना चाहता हूं, मुझे यहां तक जानकारी हुई कि जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बजट भाषण पर अपना जवाब दे रही थीं और पूरा शासन यहां विराजमान था इस विधान सभा कैम्पस में और अपने-अपने विभागों के अधिकारी इस बात के लिए विराजमान थे कि कोई भी माननीय सदस्य कोई बात पूछेगा तो शासन के शासनाध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा और आपके वन विभाग के बड़े अधिकारी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से वो योजना बना रहे थे इस बात के लिए कि किस प्रकार से अधिकारियों पर, मंत्रियों पर, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जिस प्रकार से हमारे खिलाफ जांच होने जा रही है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया जाए और किस प्रकार से रोका जाए। मैं तो आपसे इस बात की मांग करना चाहता हूं, आपको इस बात की भी जांच करना चाहिए कि क्या सरकारों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है..

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : क्या मंत्री महोदय आपको भी प्रभावित करने की कोशिश की गई या बड़े अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई या माननीय मुख्यमंत्री तक को भी इस बात में अंधेरे में रखने की कोशिश की ? मैं आपसे इस बात का एक निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं और इस बात का भी आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन आपको इस बात का तय करना पड़ेगा कि कब तक इन विभागों के अन्दर इस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, चरम सीमा पर यह जाता रहेगा ? कौन आदमी आयेगा जो इनके ऊपर निर्णय करेगा और कौन आदमी आयेगा जो इस पर कार्यवाही करेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी विभाग में सभी अधिकारी बेईमान नहीं होते। आपको जांच करनी चाहिए, जो सही और ईमानदार आदमी है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए वरना आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, यह काम में अकर्मण्य हो जाएगी और अगर अच्छे अधिकारियों का आपने संरक्षण नहीं किया और बेईमान और चोर अधिकारियों को आपने सजा नहीं दी तो आपके शासन का कोई मतलब नहीं रहेगा।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : इसलिए मैं आपसे इस बात के लिए आग्रह करते हुए और धन्यवाद करते हुए, बात तो बहुत कहनी थी सभापति महोदय, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया। एक बात और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अजबगढ़ के पास में मैं खुद जाकर के आया हूं, अजबगढ़ के पास वन विभाग की जमीन में, चरागाह की भूमि में रिसोर्ट बनाया जा रहा है। वह सरकार की बिना परमीशन के बन रहा है तो गलत बात है और अगर वन विभाग की जमीन में परमीशन से बन रहा है तो वो भी गलत बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी भी जांच करवायें।

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। चूंकि शाम का समय है और सब जाना चाह रहे है, मैं बहुत कुछ मेरी बात ऐसी कहना चाहता था जो वास्तव में जरूरत की है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : लेकिन आपके आदेश सिर माथे पर। जब भी मौका मिलेगा, मेरी बात कहूंगा। धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने काफी बातों का यहां बखान किया हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो ग्राम पंचायतों में आज भी जगह-जगह पेड़ लगाये जा रहे हैं वे बबूल के लगाये जा रहे हैं जो कांटे वाले हैं। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है और वहां पर वो पेड़ पांच साल के बाद में वापस पंचायत को हैण्डओवर कर देते हैं और पंचायत में पांचवें साल बाद में तो वो कटना चालू हो जाते हैं और अब तक जितने लगाये हैं वो करीब-करीब कट चुके हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप उनको पंचायतों को नहीं देकर के उन पेड़ों को वन विभाग के तहत ही रखा जाए जो वन विभाग के द्वारा लगाए गये हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो एन.जी.ओज. हैं, 20 एन.जी.ओज. ऐसे हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं और अभी पता लगा कि बस्सी में इन्होंने पेड़ लगाये और भुगतान लेने जिला प्रमुखजी के पास गये। 127 लाख रुपये उन्होंने मांगे। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि वो एन.जी.ओ. इकट्ठे हाकर के घर पर गये और जाकर के बोले कि प्रमुख साहब, आप जीतकर के आये हो तो ज्यादा खर्चा हो गया, आप 10 लाख रुपये ले लो। उन्होंने हंसी के साथ में उनको दुत्कारा और जांच करवा रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो आरा मशीनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन आरा मशीनों का आप रजिस्ट्रेशन करें।

श्री श्रवण कुमार : आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं बैठ रहे हैं। महावीरजी कितनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बैठ रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : आरा मशीनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाये।

श्री श्रवण कुमार : हमारी तरफ से कोई नहीं बोलेगा। हमारी पार्टी नियंत्रण में है, कोई नहीं बोलेगा अब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ और बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। बार-बार ये यूं ही उठ जाते हैं। आप विराजें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : दूसरा, मेरा निवेदन है, नई का नाथ...

श्री सभापति : माननीय वन मंत्रजी। (व्यवधान) अब समय बहुत हो गया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : हम भी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं यह तो कोई बात नहीं हुई, साहब।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, क्यों ये कभी बोले नहीं है और वे सिर्फ दो मिनट में अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो दो मिनट का मौका उनको दीजिये। यह सरिस्का का मामला है। कुछ बात है, अपने कुछ सुझाव देंगे सरकार को।

श्री सभापति : माननीय श्री जितेन्द्र सिंह जी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, पूजा हो चुकी है और आप हमें बोलने दें कृपया। (व्यवधान).

श्री कन्हैया लाल मीणा : सभापति महोदय, मुझे इसलिए बैठाया गया था कि मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो मुझे कम से कम दो मिनट का टाइम दो आप। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि जो क्रेशर मशीन हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 30 क्रेशर मशीनें लगी हुई हैं और वे क्रेश्र मशीनें ऐसी हैं जिनमें जो भी लेबर काम कर रही है, वह लेबर एक महीने से ज्यादा वहां पर काम नहीं कर पाती है और टी.बी. की शिकार होकर के टी.बी. अस्पताल में भर्ती हो जाती है और मैं कह रहा हूं कि वहां पर न तो कोई प्रदूषण विभाग द्वारा एन.ओ.सी. दी जाती है। उस समय में उनसे न तो यह वादा किया गया था कि आप वहां पर पानी की मशीन लगायें, पानी का फव्वारा लगायें जिससे कम से कम वह डस्ट उड़कर खेतों में नहीं जाये, आज किसान भी परेशान हैं उनसे तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन क्रेशर मशीनों को आप पाबन्द करें कि पानी का फव्वारा लगायें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आगरा रोड पर लेप्रोसी अस्पताल के पास में मरे

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

हुए जानवरों को लोग यहां पर डाल देते हैं और आने-जाने वालों की स्थिति है वहां पर तो बड़ी खराब हालत है। वहां से निकलते हैं तब एकदम बदबू आती रहती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्योतिनगर विधायक निवास के पास में बहुत प्रदूषण फैल रहा है कि रात के समय में सो भी नहीं सकते हैं तथा मच्छरों की भरमार है तो उसका भी कोई निराकरण किया जाये जिससे वहां विधायक सो सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-9 पर आज चर्चा चल रही है, उसके ऊपर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, दो शब्द मैं रखना चाहूंगा कि वन एवं पर्यावरण का क्या महत्व है। आज सबसे बड़ी कोई समस्या राजस्थान में या हिन्दुस्तान में है तो वह है पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए बेरोजगारी की है और दूसरी समस्या अकाल की है काश्तकारों के लिए और इन दोनों समस्याओं का समाधान वन एवं पर्यावरण के पास में है। आज हमारा वन एवं पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे माननीय सदस्य कोई कमेंटस करें, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कभी अफ्रीका गये हो, कीनिया गये हो, मसाई-मारा गये हो, पेरेनगटी गये हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वे पूरे देश सिर्फ एन्वायर्नमेंट ट्यूरिज्म की वजह से चल रहे हैं। उनके पास कोई माइनिंग नहीं है, उनके पास कोई पेट्रोलियम नहीं है, उनके पास में कोई इण्डस्ट्रीज नहीं है। सिर्फ एन्वायर्नमेंट की वजह से, लायन की वहज से, उनके नेशनल पार्क्स की वजह से वे पूरे देंश चल रहे है। उनकी रोजी-रोटी, खान-पान, उनकी वजह से चल रहे हैं तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरिस्का की बात आई हैं। सरिस्का के बारे में बहुत चर्चा हुई है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सरिस्का 1955 के अन्दर जो क्षेत्र हैं, वह सेंक्चुअरी बना। 1978-79 में प्रोजेक्ट टाइगर के अन्दर आया और 1982 के अन्दर उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। बात आई है कि जो सेंसस रिपोर्ट आई है 1999 के अन्दर, बाघ 25 से 28 थे, 2004 के अन्दर 16 से 18 तक हो गये और 2005 में निल हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि इसके कारण क्या रहे? दो मिनट में मैं वह आपको बताना चाहूंगा। उसी क्षेत्र में, उसी इलाके के अन्दर मैं रहा हूं। मेरे पूर्वज उसी इलाके के एक तरह से वन रक्षक भी थे।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

एक तरह से उन्होंने इस सरिस्का नेशनल पार्क को डवलप किया। आज सरिस्का मेरे पूर्वजों की वजह से रहा है इसलिए मैं बचपन से ही वहां जाता रहा हूं। उसका आपको मैं कारण बताना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी समस्या यह देखी गई है सरिस्का के अन्दर, जो वहां का स्टाफ है लगा हुआ चाहे वह ए.डी.एफ.ओज. हों चाहे वह डी.एफ.ओज. हों और चाहे वह गार्डस हों, कैटल गार्डस हों। वहां उसी क्षेत्र के आसपास के लोग लगे हुए हैं 20-20 साल से लगे हुए हैं और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो ऐसे ए.डी.एफ.ओ. हैं जो कोर एरिया के अन्दर उनका गांव हैं। जिस गांव के लिए पिछले 20 साल सरकार उस गांव को हटाना चाहती है, उसी गांव के निवासी हैं। जो गार्ड नाइट ड्यूटी के लिए उनको डेपुट कर रखा है उस पार्क के अन्दर, वे जाकर अपने घर में सोते हैं। घूम-फिर कर ट्रांसफर कर-कराकर वापस आ जाते हैं। जब विदेशों से पैसा मिलता है, जापान से कई करोड़ रुपये मिले अरावली को हरा करने के लिए ग्रीनरी आफ अरावली के लिए तो तुरंत ट्रांसफर कराकर आ जाते हैं। आपके विभाग की मेरे पास लिस्ट है जिसके अन्दर तुरन्त ट्रांसफर हुए। जहां पैसा आया है अरावली में, टेरीटोरियल फोरेस्ट के अन्दर पहुंच गये, जब वह पैसा खतम हो गया तो वापस वाइल्ड लाइफ के अन्दर आ गये।

एक बहुत बड़ी खामी मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने दो विंग बना रखी है। ऐ तो टेरीटोरियल फोरेस्ट की है और एक वाइल्ड लाइफ है तो यह क्या बात है, हर बार में आपके अधिकारी हैं, डी.एफ.ओ. हैं, आपके जो भी अधिकारी हैं, वह सारे टेरीटोरियल के क्यों लगते हैं ? सरिस्का नेशनल पार्क के अन्दर वाइल्ड लाइफ के क्यों नहीं आदमी हम वहां लगा सके ? जैसे हमारे जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की, हमारे डाक्टर साहब ने बात रखी कि जो पोस्ट है कंजर्वेटर की है, डी.एफ.ओ. की है, ए.डी.एफ.ओ. की पोस्ट है, ये पोस्ट तो बढ़ती जाती है लेकिन जो फोरेस्ट गार्ड हैं, कैटल गार्ड हैं, उनके पोस्टें कम होती जा रही हैं। मेरा यह आपसे निवेदन है कि इन पोस्टों को भी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें और इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो है, वह पोचिंग की है और पोचिंग की ऐसी है क्योंकि दोनों विभाग आपके पास है। माइनिंग की वजह से ही पोचिंग होती है। जो पेराफेरियल इलाका है सरिस्का का, वह सारा माइंस से घिरा हुआ है। बड़े-बड़े

(श्री जितेन्द्र सिंह)

लोग हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं, दिल्ली से, जयपुर से और बाहर से और वह आकर वहां पोचिंग करते हैं, वहां पर माइनिंग के वर्कर हैं वे पोचिंग करवाते हैं।

उसके साथ वहां एक मेडिकल यूनिट होनी चाहिए। आज भी एक पोस्ट क्रिएट की जाये सरिस्का के अन्दर जैसे कार्बोट नेशनल पार्क है या और भी नेशनल पार्क्स हैं, उनके अन्दर एक रिसर्च आफिसर की पोस्ट बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च कर सकें कि टाइगर जो मरा है, उसकी डैथ किन कारणों से हुई है। क्या वह ओल्ड एज से हुई हैं, चाहे वह पोचिंग से हुई है, चाहे आपने उसको जहर खिलाकर मारा है। उसका कोई रिसर्च तो हो। अभी पिछले दिनों से यहां पर मालूम पड़ा है कि एंथ्रेस की जो बीमारी है, वह बीमारी कैटल के अन्दर होती है। जब शेर उस कैटल को खाता है तो वह उस बीमारी का शिकार हो जाता है। 4-5 टाइगर तो उससे भी मर गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपको...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जितेन्द्र सिंह : कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी बनाई वी.पी. सिंह सांसद की अध्यक्षता में, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने एक सी.बी.आई. की टीम बनाकर सरिस्का क्षेत्र के अन्दर भेजी। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने मल्होत्रा कमेटी की एक और टीम बनाई तो इन टीम बनाने का क्या कारण रहे ? ये तीनों टीमें आपस में ओवर-लेपिंग करती रहीं और सी.बी.आई. की टीम से पहले ही उन्होंने आकर रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के ऊपर आपने कार्यवाही कर दी। क्या लीपापोती करने की बात थी ? इसका कारण क्या था ? मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा...

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मुझे तो बार-बार बैठाया जाता है, मैं तो बैठा हूं, अनुशासित सिपाही हूं। समय सबको देना चाहिए।

श्री सभापति : आप तो बिराजें। आपका वनों से क्या लेना-देना है ? पेट्रोल इनका आपके पास में है।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरिस्का के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

पास ही एक होटल है उसका नाम है सरिस्का पैलेस। इस सरकार के बहुत सारे मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्री और बहुत सारे लोग उस होटल के अन्दर गये होंगे, उस होटल के अन्दर खाना भी खाया होगा, रूके होंगे और काम्प्लीमेंट्री बहुत सारी सेवाएं उनको उपलब्ध हुई भी हैं। उस होटल ने 180 बीघा जमीन, जो फोरेस्ट की जमीन है, उनके पास कोई उसका कागज नहीं है, उनके पास कोई उसकी रजिस्ट्री नहीं है, वह उन्होंने हड़प ली। और हड़पी भी कैसे मंत्रीजी, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ उन्होंने केस किया, फोरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी कोई पहुंचा नहीं, ए.पी.पी. से लेकर आपके फोरेस्ट विभाग के सारे अधिकारी उसके अन्दर मिले हुए थे और उसका एक तरफा एक्स पार्टी फैसला करवा लिया। फैसला भी हो गया, बहुत उसके ऊपर हल्ला हुआ। उसके बाद फोरेस्ट डिपार्टमेंट, जो एक तीन महीने की सीमा होती है अपील करने की हाई कोर्ट के अंदर, वह भी भूल गया करना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर आप जांच करवायें और दोषी व्यक्ति के खिलाफ आप कार्यवाही करायें। इसके साथ-साथ अलवर के अन्दर एक स्थान है बाला किला। यह मेरे खयाल से ऐसा एक ही किला होगा पूरे राजस्थान के अन्दर, वैसे अलवर के अन्दर तो 52 किले हैं, लेकिन इन 52 किलों पर मैं सदन का टाइम खराब न करते हुए 52 किलों के लिए मैं बात नहीं करता, मैं एक ही किले की कर लेता हूं। एक ही किला है जो एक हजार मीटर तीन हजार फीट की ऊंचाई पर है, आठ किलोमीटर उसके अन्दर फोरेस्ट है। यह सिर्फ किला ही नहीं है, एक रिजर्व फोरेस्ट है। यहां भी बहुत सारे लेपर्ड, नील गाय, सांभर और अन्य उसके अन्दर जीव हैं। वहां भी एक तरह से एनक्रोचमेंट और मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एनक्रोचमेंट हो रहा है तो वह हो रहा है मंदिरों का। वैसे आपने कापी राइट और ठेका धर्म का खैर ले ही रखा है तो मैं तो उसके लिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक तरह से हर एक मिलोमीटर के अन्दर नया-नया मंदिर, ओवरनाइट मंदिर बन रहा है, रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर, सैंक्चुरी के अन्दर।

श्री बंशीलाल खटीक : यह कोई बीजेपी के मंदिर हैं?

श्री जितेन्द्र सिंह : आपने ठेका ले रखा है, आपके पास कापी राइट है तो आपका ही मंदिर होगा। मैंने यह नहीं कहा, आपका नाम नहीं लिया मैंने।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मैंने कहा कि आपने कापी राइट, जिसने ले रखा है उसका ही नाम है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी, खैर, और बहुत सारी बातें हो गई हैं, और मेरे पास बहुत सारा मैटेरियल है..

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं तो आपको सिर्फ कुछ दो-चार-पांच अब सुझाव पर आ जाता हूं मैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के लिए, मैं सुझाव आपको यह देना चाहूंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : नील गाय की बात आई है, पूर्व में क्या नील गाय को मारने का किया था.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री बंशीलाल खटीक : नील गाय के लिए सभापति महोदय, नील गाय के एक...

श्री सभापति : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें। नो। अंकित नहीं होगा। आप बिराजें।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री सभापति : आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं कुछ सुझाव हमारे सरिस्का इलाके, जो एक बहुत ही ऐसा विषय है सरिस्का जिसके लिए हम सब को, राजस्थान के सारे वासियों को, अलवर वासियों को नीचा देखना पड़ रहा है। देश में, विदेश में फ्रंट पेज के अंदर आज, मेरे ख्याल से कल का भी हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स आफ इण्डिया आप पढ़ें दिल्ली एडीशन तो आप वहां देखेंगे कि फ्रंट पेज के अन्दर आपको दिखेगी टाइगर की फोटो और नीचे लिखा होगा सरिस्का और उसके नीचे लिखा होगा राजस्थान। तो हम सब के लिए, पूरे सदन के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, लेकिन हम सब के लिए एक शर्म का विषय है कि हम सरिस्का के बाघ नहीं बचा पाये। हमें प्रयास करने चाहिए, जैसे रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जुबेर खानजी ने बात रखी कि इसमें कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है कि यह कांग्रेस के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

टाइम पर गये हैं या भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर गये हैं लेकिन चले गये हैं, किसी के भी टाइम पर गये हों। यह एक प्रोसेस बहुत सालों से शुरू था, लेकिन यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़े, इसके लिए मैं आपको दो-तीन समाधान, रेमेडीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक तो जो हमारा कोर एरिया के जो गांव हैं सरिस्का के अन्दर, इनको शीघ्र ही बाहर निकाला जाये, इनको पर्याप्त रूप से जमीन दी जाय, मुआवजा दिया जाय और इनके रिसेटलमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप तेज करें। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण समस्या सरिस्का के अन्दर और मेरे खयाल से आपके और भी नेशनल पार्क रामगढ़ जो बूंदी के इलाके के अन्दर है वहां भी एक समस्या है कि सरिस्का नेशनल या सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट का जो डिमार्केशन है, उसका एरिया ही हमें नहीं मालूम है। आपके फोरेस्ट आफिसर भी इसके अंदर कन्फ्यूज्ड है कि वह सरिस्का के अन्दर है या नहीं है। हर बार यह बात लगी रहती है माननीय मंत्री महोदय, आपके पास दोनों डिपार्टमेंट हैं, माइनिंग वाले कहते हैं कि हमारे पास है, इसके अन्दर हम माइनिंग करेंगे। फोरेस्ट वाले कहते हैं कि यह हमारे पास है इसमें हम आपको माइनिंग नहीं करने देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर आप फैंसिंग करवायें। इसके लिए आप प्रोजेक्ट बनवायें। इस बजट के अन्दर आप इसका प्रोवीजन रखें कि आप इस पूरे इलाके के लिए जो टहला का इलाका है, जो माइनिंग का इलाका है, तो उससे पोचिंग भी रूकेगी और डिमार्क भी होगा कि वहां से टाइगर नहीं निकले।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं दो-तीन समाधान दे रहा हूं, और आगे कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं। इसके बाद जो एक आर-पार रोड़ निकल रही है टहला की, उस टहला के रोड को भी समाप्त किया जाए, उसके लिए जो आर-पार ट्रेफिक निकल रहा है उसके लिए कोई दूसरा डाइवर्जन बनाया जाय, बाईपास बनाया जाय। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, वह मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या है यह मंदिर और इस तरह के धार्मिक स्थान जो बने हुए हैं। यह धार्मिक स्थान हैं, यह धार्मिक स्थान रहेंगे, वहां श्रद्धालु जायेंगे भी, उसके लिए मैंने यह नहीं कहा है कि उनको मना कर दिया जाय, लेकिन उनको रेगुलेट तो आप कर सकते हैं मंत्रीजी। आप मानकर चलें कि सरिस्का के अन्दर पांडुपोल के अन्दर कोई श्रद्धालु जाना चाहता है तो

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उनके दो दिन फिक्स होते हैं शनिवार और मंगलवार। दो दिन के लिए आप कोई अपनी दो बस या तीन बस गेट पर उपलब्ध करवा दें। उन बसों के अन्दर श्रद्धालु जाये, जो पैदल जाते हैं या टैक्सियों में जाते हैं या स्कूटरों पर जाते हैं या टेम्पो में जाते हैं, उनके लिए आप बस उपलब्ध करवा दें, नि:शुल्क बस उपलब्ध करवा दें, वह जाकर अपनी पूजा करें और वापिस आ जाय। आज कोई सवामणी होती है, किसी की बर्थडे होती है, जन्म दिन होता है तो वह जाकर वहां, सवामणी होती है पाण्डुपोल के अन्दर या सवामणी होती है चक्रधारी हनुमानजी के अन्दर वहां। आज कोई गाड़ी नई खरीद लेता है तो उसका भी पूजन होता है सरिस्का के मंदिर में या होता है बाला किले के ऊपर मंदिर के अंदर। आज कोई मोटर साइकिल भी नई खरीद लेता है तो उसका भी बहुत बड़ा पूजन होता है वहां।

श्री सभापति : अब आप माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, प्लीज। माननीय मंत्रीजी। अब नहीं।

श्री जितेन्द्र सिंह : तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं मंत्रीजी...

श्री सभापति : पन्द्रह-सोलह मिनट हो गये। अब आप...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मेरा भी नाम दिया हुआ है, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तैयारी करके आये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह : दो मिनट में कन्क्लूड तो कर लूं मैं, पूरी बात तो सुन लें।

श्री सभापति : हो गया कन्क्लूड। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर आज बोलने का अवसर, सभी लोगों का मूड नहीं है, नहीं देना चाहते तो मेरा जो प्रश्न था उस पर आधे घंटे की चर्चा के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लिए आप, मेरा और भाई खुशवीर सिंहजी का जो प्रश्न था, उस पर आधे घंटे की बाघ पर चर्चा का निर्धारित करवा देना, हम नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट। मेरा सुझाव यह था कि इसके बारे में सरकार को चिंतन यह करना चाहिए कि जो अब टाइगर गये हैं इनका प्रोटेक्शन तो आप कर लेंगे लेकिन यह टाइगर आप इम्पोर्ट करें, दूसरे राज्यों से, चाहे आप रणथम्भौर से लकर आयें, चाहे आप मध्य प्रदेश से लेकर आयें, चाहे आप गुजरात से लेकर आयें, लेकिन वहां इस सरिस्का के अन्दर फिर आप टाइगर छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में भी शुरूआत कर दें।

एक माननीय सदस्य : किरोड़ी जी आने नहीं देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : खंडार से आने वाले माननीय सदस्य, आप चुप क्यों बैठे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : सभापति महोदय, मैं दस मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। अब मंत्रीजी। काफी टाइम हो गया है और आज नया दिन है, सभी माननीय सदस्यों को जाना है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य वन विशेषज्ञ भी हैं और वन्य जीव प्रेमी भी हैं तो आप पांच मिनट का मौका दें, यह वैसे भी कम बोलते हैं और इसी सदन में फोरेस्ट को लेकर तीन-चार इनके सवाल लगे, लिस्टेड भी हुए लेकिन डिस्कशन नहीं हो पाया, तो आपसे निवेदन है कि पांच मिनट का आप मौका दें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : धन्यवाद, सभापति महोदय । आपने...

श्री सभापति : तगारामजी, इनके बाद दो मिनट बुलायेंगे आपको, बैठें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, बहुत सारी बातें सभी पहलुओं पर हो गई वन के। कहने को मेरे पास बहुत कुछ था। बहुत ऐसी चीजें उजागर होती अगर आप मुझे 15-20 मिनट का समय देते।

श्री सभापति : पांच मिनट से ज्यादा नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले तो कि आपने मुझे समय दिया है सभापति महोदय। मंत्रीजी को तो धन्यवाद है ही हैं। सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज बाघ बचाने की और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वनों की रक्षा करने की। आज वन विभाग जो वृक्षारोपण कर रहा है और एक योजना बनायी गयी ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण और मेरे ख्याल से 1980 के आपस पास में योजना लागू हुई और आज दिन तक उस योजना का उद्देश्य यह था कि उसका विदोहन 50% ग्राम पंचायत वहां करेगी और 50% वन विभाग करेगा लेकिन मैंने पिछली बार भी सदन में बात कही थी आज दिन तक एक भी ऐसा वृक्षारोपण जो लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं वन विभाग एक भी ऐसे वृक्षारोपण का विदोहन का 50% वन विभाग ने नहीं लिया क्योंकि उसके अन्दर कई कमियां रहे गयीं पांच साल के बाद में ग्राम पंचायतों को सौंप दी और ग्राम पंचायतों के पास में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको काट कर अपने उपयोग में ले लिया न तो ग्राम पंचायतों में रहे और न वन विभाग के और वन विभाग के अधिकारी आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सके क्योंकि इसका कानून जो बना इन्होंने जो बनाया था उसमें ही त्रुटियां थी काफी सारी। इन्होंने जो एक परिपत्र के जरिये से योजना बनाकर लागू की उसमें काफी त्रुटियां थीं तो उन त्रुटियों को सुधार के लिए आज दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी मुख्य बात यह है कि वृक्षारोपण बिना सोचे-समझे ये कर देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे स्थान जहां काटन साइल जो ये काटन होती है ब्लैक सॉइल में और इतने आम और सीताफल के वृक्ष लग सकते हैं वहां पर इन्होंने जूलीफ्लोरा लगा दिया क्योंकि जूलीफ्लोरा बिना कुछ किये स्वतः ही पनप जाता है और वहां पर इन्होंने आज दिन तक दूसरी जितनी भी वनस्पति थी और कीमती वनस्पति थी पूरी की पूरी वो वनस्पति समाप्त हो चुकी है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा हम सबको कि यह जूलीफ्लोरा को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। एक भी जंगली जानवर उनमें रह नहीं पाएगा। एक भी वन क्षेत्र कुम्भलगढ़ वन क्षेत्र है मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह सैंक्चुअरी उसके अन्दर आज 20% में अन्य वनस्पति और 80% तक ये जूलीफ्लोरा पहुंच चुकी है तो मेरा वन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस जूलीफ्लोरा को

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

जड़-मूल से नष्ट करने के लिए उपाय करें नहीं तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सभापति महोदय कि आज जो वनों का इतना विनाश हो रहा है उसका महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ये जो आई.एफ.एस. अधिकारी जो आज जयपुर के अन्दर बैठे हुए हैं आज 41 आई.एफ.एस. अधिकारी जयपुर के अन्दर विराजमान हैं तो मेरा वन मंत्री महोदय से पिछली बार भी अनुरोध किया था कि जब तक आप इन आई.एफ.एस. अधिकारियों को फील्ड में नहीं भेजेंगे ए.सी. कमरों से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वनों का विकास कभी नहीं हो सकता है। उसमें मेरा सुझाव है कि वन मंत्री महोदय आपके पास 6 अतिरिक्त प्रिंसीपल चीफ अधिकारी बैठे हैं ए.पी.सी.सी.एफ. उनको हर डिवीजन पर आप तुरन्त आदेश करके उनको डिवीजन हैडक्वार्टर पर लगवाया जाए। जयपुर में वो क्या कर रहे हैं आप उनको डिवीजन हैडक्वार्टर पर भेजे ताकि वहां के कार्य को ये देख सकें अपनी डिवीजन के अन्दर क्या गतिविधियां हो रही हैं। आई.एफ.एस. तो बढ़ा दिये उलटा पैरामीटर तो पूरा कर दिया आज छोटे अधिकारी जो ये बेचारे गार्ड थे जहां 8 हजार गार्ड की जरूरत है वहां तीन हजार गार्ड कर दिये। अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं टाइगर घटते जा रहे हैं और नीचे का कर्मचारी कम होता जा रहा है तो वन मंत्री महोदय मेरा अनुरोध है कि आप जैसा निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति और जिसके पास में दो-दो विभाग हैं उसके बावजूद आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी इच्छाशक्ति को और मैं मुख्य मंत्रीजी को भी...।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मेरा महत्वपूर्ण बिन्दु है आप इस पर मुझे पांच मिनट दें। पांच मिनट में मंत्री महोदय कुछ होने वाला नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, 5 के 10 तो हो गये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं मेरी बात रख रहा हूं। आपके पास 27 सी.एफ. हैं मंत्री महोदय। एक-एक जिले में एक-एक सी.एफ. को आप तुरन्त इसी माह में आदेश करके आप एक-एक जिले में बैठा दें इनको। यह घोषणा आज करें मुझे विश्वास है कि आप जैसा निष्ठावान और

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

ईमानदार व्यक्ति और कार्य की जो कुशलता रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी बात मानेगा और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास में 10 सी.सी.एफ. हैं। पर तीन जिलों में एक सी.सी.एफ. को आप बैठाइये यहां जयपुर में क्या कर रहे हैं। वो इन्टरनेट पर न जाने कौन-कौन सी डॉट कॉम देखते हैं और किताबें लिखते हैं। मंत्री महोदय ऐसे अधिकारी हैं जो ये परिपत्र जो जारी होते हैं वन विभाग के उनका संकलन करके और वो किताबें लिखते हैं। उप कम्प्यूटर का उपयोग करते हैं अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग करवा कर और उसके ऑथर वो ही होते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उसी किताब के अन्दर कि फलां अधिकारी ने मेरी मदद की और वो विभाग को बिकवाते हैं। आज तक लाखों रुपयों की ऐसी किताबें जो ड्यूटी पर होते हुए उन्होंने लिखवाकर और विभाग को बिकवा दीं हैं और विभाग खरीदता है वो किताबें तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध मंत्री महोदय आप जांच करें कि कौन ऐसे-ऐसे महाशय हैं जो किताबें लिख कर और अपने अपने विभाग को ही बिकवाते हैं और लिखवाने की और सामग्री होती है और जो भी पैसा शायद मेरे ख्याल से वो वहीं से एडजस्ट करते हैं तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध जांच करें।

एक सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो बाघ बचाने के लिए आपने जो बात कही उसमें एक बिन्दु यह भी दिया कि साहब फैन्सिंग करवाएंगे और दीवार बनवाएंगे तो मंत्री महोदय दीवार ऐसी होगी जो आप देखें मेरे पास में फोटो के प्रूफ हैं। आगे दीवार बन रही है और पीछे दीवार टूटती जा रही है। यह रणथम्भौर के मेरे पास में फोटो के प्रूफ हैं दीवार बन रही हैं और पीछे दीवार टूटती जा रही है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो उसके अन्दर लाखों करोड़ों रुपयों का घपला कर दिया उसकी आप जांच करवाएं और उनको पूछें कि पत्थर कहां से लेकर आये माइनिंग बन्द है पत्थर कहां से लेकर आये वो। आज मंत्री महोदय......।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ......(व्यवधान)..... एक भी माइनिंग एरिया नहीं है सवाईमाधोपुर में फिर ये इतने करोडों रुपये का काम माइनिंग का कैसे हुआ, पत्थर कहां से आये आप इसकी जांच करवायें। माइनिंग तो आपके पास है।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ....(व्यवधान).... हमारे टाइम की क्या बात है आप निर्णय करें फैसला करायें जांच करायें।

श्री सभापति : माननीय बैरवा साहब।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है जो कई सदस्यों ने मांग की है अपने दो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा चाहे किसी की सरकार हो। किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। सरकारें हमेशा अच्छा करने के लिए अपनी सोच होती है किसी भी सरकार की लेकिन बुरा करने वाले वो ही लोग अधिकारी होते हैं जो अपन अगर दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं रखते तो बुरा होता ही रहेगा। आज सैंक्चुरीज के अन्दर नये जो मन्दिर बन रहे हैं और उसकी वजह से आज जंगल नष्ट हो रहे हैं और नेशनल पार्क्स के अन्दर नये मंदिर बन रहे हैं तो उन मदिरों को मंत्री महोदय, मैं भी आस्तिक हूं पर उन मंदिरों को आप तुरन्त रूकवाने का कार्य करे ताकि नये एन्क्रोचमेंट न हों और जंगल नहीं कटे। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं सभापति महोदय....।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : .... कि एक अधिकारी लगा रखा है इन्होंने वन संरक्षण अधिकारी तो मेरी एक गुजारिश है मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज वृक्षों की जानकारी होती है आज पीपल का वृक्ष हम पूजते हैं पूजनीय वृक्ष है क्यों पूजते हैं उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है वो आक्सीजन सबसे ज्यादा देता है तो उसी तरह मंत्री महोदय आपसे मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि कदम्ब के वृक्ष हैं उनका निश्चित रूप से कोई न कोई साइंटिफिक रीजन है इसका शोध करवाया जाए यह आपके सर्वेक्षण अधिकारी बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं तो उनसे आप इसके ऊपर एक शोध करवायें।

श्री सभापति : श्री तगारामजी। अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-9 वन एवं पर्यावरण के ऊपर...।

श्री सभापति : अब आप दो मिनट में।

श्री तगाराम चौधरी : दो मिनट में, वास्तव में दो मिनट में। मैं मांग संख्या-9 वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षिप्त में मेरे क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे को अभी यह नहीं कहना है कि वो यों हुआ वो यों हुआ। ये सारी बातें बहुत चल चुकी हैं और मुझे तो मेरे पैरों को देखना है। पहाड़ के ऊपर आग लगी है मुझे उसको नहीं देखना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वन तो पूजनीय हैं और वनों की तुलना की है सरवर, तरवर संतजन चौथा बरसे मेश, परमारथ के कारणे चारो धारी वेश। "वन तो पूजनीय है, वन जीवनदायी हैं, वन पर्यावरण को रोकते हैं इसमें तो कोई शक है ही नहीं। परन्तु राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति में जिस प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है उसी प्रकार का रेगिस्तानी क्षेत्र है और दुर्भाग्य से इस वर्ष...

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, तगारामजी एक भूल गये "आके कारण.................."

श्री तगाराम चौधरी : मेरा एक मिनट तो आपने ले लिया। मैं निवेदन करना चाहता था कि अकेले बाड़मेर जिले में इस वर्ष 1916 गांव अभाव ग्रस्त हैं। मेरा निवेदन है कि वन तो लगाना ही है। मैं इस बात को मानता हूं बड़े लंबे अनुभव के बाद कि मेरे वहां खेम्बा मां का मन्दिर था। धोरा ऊपर आ रहा था। मैं परेशानी में था, मैंने एक इंजीनियर साहब से पूछा जो वहां एस.ई. है अभी, उस समय जे.ईएन. था, उससे पूछा इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कई भाई लोगों ने तो कहा कि ट्रेक्टरों से रेता आगे फेंको, वो करो, फलाना करो, उन्होंने कहा कि वन लगाने से ही वह रुकेगा और मैंने स्वयं ने, उस समय मैं प्रधान था, मेरे हाथों से उसके ऊपर पेड़ लगाये और वह धोरा रुका। बड़े लंबे धोरे थे, धोरा कस्बे को दबा रहा था। वह भी वन लगाने से ही रूका हुआ है और देखने लायक है कई वर्ष हो गये। बाड़मेर जिले में रेगिस्तानी टीबें इतने बढ़ रहे हैं, खेत रोक रहे हैं, ढाणियां दबा रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के खेतों में भी वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये जाये और

(श्री तगाराम चौधरी)

उनको रोका जाये। इस प्रकार की आप वन मंत्री महोदय नीति बनाकर नीतिगत निर्णय करिए और इस अकाल के समय पेड़ लगाने का कार्य देवें तो उससे अकाल में भी मजदूरी मिलेगी जनता को, किसानों को, गरीबों को, और अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ों को सबको। यही मेरा निवेदन है, मैंने दो मिनट ही लिये हैं, आपको बहुत धन्यवाद। जो सुझाव आये, जो बहस हुई उसको हमारे मुख्य मंत्री महोदय और हमारे वन मंत्री महोदय यह बहुत जागरूक हैं। इनकी माया किसी की समझा में नहीं आती। माया किस प्रकार की, राज करने की और विकास करने की और राजस्थान को आगे बढ़ाने की इनकी बहुत मंशा है, इनकी बहुत लंबी सोच है, इनकी दृढ़ इच्छा है और भगवान की दया से इतनी हिम्मत है जितनी किसी और मंत्री में नहीं है, धन्यवाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कुम्भलगढ़ सैंक्चुरी को पैंथर नेशनल पार्क बनाने के लिए अगर आप विचार करेंगे तो वह सर्वथा उपयुक्त स्थान है।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस पवित्र सदन के उपस्थित तमाम सदस्यों को चैत्र शुक्ला के प्रथम दिवस पर मैं अपनी तरफ से और राजस्थान की जनता को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मांग संख्या-9 वन एवं पर्यावरण पर इस सदन के 23 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। 6 घंटा 5 मिनट तक यह चर्चा चली। माननीय सदस्यों ने आलोचना, समालोचना, सुझाव वन एवं पर्यावरण के प्रति अपनी तरफ से अपने विचार, अपने सुझाव, पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखा जाये, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाये, सुरक्षा कैसे की जाये इसके बारे में वाद-विवाद किया गया, अपने विचार प्रकट किये। माननीय सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में जिन लोगों ने भाग लिया मैं उनका तहे दिल से शुक्र गुजार हूं, उन्हें साधुवाद भी प्रकट करता हूं। इस युग में और इस भौतिक युग में मनुष्य के जीवन के लिये प्रकृति को बैलेंस रखने के लिये किस प्रकार वन सम्पदा को, वन्य जीव जन्तुओं को और

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर्यावरण को संतुलित रखा जाये इसके बारे में उपयोगी सुझाव उन्होंने प्रकट किये। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं राजनीतिक क्षेत्र में सेवा भाग के उद्देश्य से, मात्र सेवा करने के उद्देश्य से आया हूं। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी तरफ से जो भी रचनात्मक, सकारात्मक और उपयोगी सुझाव उन्होंने पेश किये सभी पर विचार कर उनके उपयोगी सुझावों पर मनन किया जायेगा और उनको क्रियान्वित करने की तरफ से मैं अपनी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। डेढ सौ घर की आबादी थी। मैं जब छोटा था उस वक्त उस गांव में 200 बीघा का ओरण हुआ करता था। वह ओरण बायोसां के ओरण के नाम से विख्यात था। गांव के मुखिया लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोगों की इस प्रकार की धारणा गांव में प्रकट की गई, इस प्रकार की आस्था प्रकट की गई, इस प्रकार का गांव में विश्वास कायम किया गया अगर उस ओरण में से एक छोटी सी ढंठल भी तोड़ेंगे तो बायोसां नाराज हो जायेंगे, कोपायमान हो जायेंगे। उनके पीछे ऐसी भावना पर्यावरण के प्रति, वन के प्रति की वन सम्पदा को कैसे सुरक्षित रखा जाये, कैसे उनकी रक्षा की जाये, कैसी उनकी सोच और उनका विचार। सभापति महोदय, ईश्वर ने सृष्टि में प्रकृति एवं पुरूष दोनों की रचना की है। पुरूष भोक्ता और प्रकृति भोग्या है। गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि

"कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरूच्यते,

पुरूषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते।"

अर्थात् प्रकृति ही कार्य एवं कारण की उत्पत्ति है और पुरूष इससे सुख और दुख का अनुभव करता है। सभापति महोदय, प्रकृति एवं पुरूष एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि इस भौतिकवादी युग में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, भौतिक सुख की लालसा एवं झूंठी राजनीतिक प्रतिष्ठा की होड़ में पुरूष प्रकृति के साथ अंधाधुंध दोहन करना प्रारम्भ कर दिया है। उसके भयानक परिणाम आने लग गये हैं। यह हमारे लिये विचारणीय प्रश्न है, यह हमारे लिये एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सभापति महोदय, आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। समुद्र में सुनामी लहरें उठ रही हैं। ओजोन

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

परत का क्षय हो रहा है। पौधों एवं जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। भू-जल के स्तर पर गिरावट तथा नदियों का जल सूख रहा है, उसके अंदर मनुष्य के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रकार की परिस्थितियां आने के पश्चात् भी मनुष्य अगर इसके बारे में चिंता नहीं करेगा इस संकट के बारे में, जो संकट खड़ा हो रहा है, इसके बारे में चिंता नहीं करेगा तो मनुष्य के लिए जिन्दा रहना भी मुश्किल हो जाएगा।

इस प्रकार सुनामी की लहरें, पोपुलेशन को बढ़ना, वन्यजीव के ऊपर जिस हिसाब से दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से वन्यजीव जन्तु की हत्या हो रही है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। जब-जब प्रकृति के साथ में मनुष्य ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, प्रकृति ने साथ देना छोड़ दिया। यह इंगित हो रहा है कि प्रकृति अब साथ देना छोड़ने जा रही है। एक प्रकार की चेतावनी, पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार की चेतावनी है। माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रकट किए। आलोचना और समालोचना, जो आलोचना करेगा, जो सही बात करेगा, सही इस फ्लोर पर आनी चाहिए। राज्य सरकार जो भी सुझाव होगा उस सुझाव के ऊपर अपनी तरफ से पूर्णतया मनन करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक साधन विशेषकर वन एवं पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार वनों के विकास, वन्य जीव संरक्षण एवम् पर्यावरण में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल हिन्दुस्तान में अन्य प्रदेशों से सबसे ज्यादा है, जिसको भौगोलिक क्षेत्रफल 342.24 लाख है। वन क्षेत्र 32.55 लाख है और प्रतिशत के मुकाबले वन क्षेत्र 9.51 प्रतिशत है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले 100 सालों में 26 साल अकाल पड़ा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, राजस्थान का दो-तिहाई भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर आए दिन यहां के किसानों को, यहां रहने वाली जनता को अकाल से जूझना पड़ता है। यहां पर पानी का स्तर भी निरन्तर नीचे गिर रहा है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यहां पर मरूस्थलीय क्षेत्र के अन्दर कई ऐसे गांव हैं जहां क्षारीय जमीन है, वहां पर कई वर्षों के बाद बारिश होती है। बारिश की मात्रा नगण्य के बराबर होती है। इन परिस्थितियों के अन्दर दुर्भाग्य है इस राजस्थान का।

केन्द्र के अन्दर जब पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मेरे को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस मीटिंग में केन्द्र सरकार से मैंने मांग की थी कि राजस्थान की जैसी भौगोलिक परिस्थिति हैं, राजस्थान का जैसा दो-तिहाई भाग मरूस्थलीय है उसके हिसाब से जैसे पूर्वांचल प्रदेश के अन्दर केन्द्र सरकार स्पेशल पैकेज देती है वैसे ही वनों के लिए 33 प्रतिशत की आप आशा करते हैं। वनों के अंदर प्लान्टेशन के बारे में, यहां वन ज्यादा से ज्यादा लगें, उसकी आप अपेक्षा करते हो, उस अपेक्षा के आधार पर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान की बारिश की मात्रा को देखते हुए, राजस्थान को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। यह वहां पर मैंने मांग की थी।

माननीय सभापति महोदय, वृक्षारोपण का जहां तक प्रश्न है 2004-05 में 26 हजार हैक्टेयर में 28840 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य किया गया जो 149 प्रतिशत उपलब्धि का रिकार्ड है। सभापति महोदय, 60 लाख का जो टारगेट था उस टारगेट से एबव। 57.22 लाख पौध का वितरण किया गया यह भी 107 प्रतिशत एक उपलब्धि है। "नहीं चाहते हम कसर छोड़ना मगर चाहते हैं असर छोड़ना।"

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वानिकी एवम् जैव विविधता परियोजना यह भी ऐसी, जापान के द्वार जापान के बैंक द्वारा 442 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी। पांच वर्ष के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था, 1 लाख, 24 हजार हैक्टेयर के अन्दर प्लान्टेशन की कार्यवाही की जाए। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 में 18883 हैक्टेयर के अन्दर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। 2005-06 के अन्दर 23167 हैक्टेयर के अन्दर प्लान्टेशन की योजना है। इस परियोजना में भू एवं जल संरक्षण के कार्यों को भी महत्व दिया गया। 2004-05 के अन्दर कुल 528 कार्य जिसमें एनीकट, टैंक के कार्य, 57 एनीकट के कार्य और 265.46 लाख के कार्य हैं वह कार्य किये गये।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मरुप्रसार योजना के अन्दर जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है, केन्द्र सरकार की योजना है उसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार की और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की लगती है। इसके अन्दर पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, चूरू, सीकर, बीकानेर के अन्दर कार्य कराया जाता है। तकनीकी मार्ग दर्शन वन विभाग का होता है और पंचायत विभाग, पंचायत राज विभाग द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 मे 16 हजार हैक्टेयर के अन्दर वृक्षारोपण का कार्य किया गया 23 लाख पौधों का वितरण किया गया और 2005-06 के लिए 7439... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड सुनिये, आपके जो आंकड़े हैं यह जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2004-05 का है, आप ज़ो बता रहे हैं वह नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : आपको कुछ कहना है (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत करने दीजिए। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : उलझने वाली बात नहीं है। आप सुनिए तो।

श्री सांवर लाल : हम तो सुन रहे हैं। यह प्रतिवेदन सबके पास है। माननीय सदस्य आपको कोई बात रखनी है (व्यवधान) बाद में रख देना।

श्री जोगाराम पटेल : गलत है। (व्यवधान) बाद में पूछ लेना।

श्री हरिमोहन शर्मा : वार्षिक प्रतिवेदन में....

श्री जोगाराम पटेल : बाद में पूछ लेना।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी का जिस प्रकार से भाषण चल रहा है वह पंसद नहीं है आपको बीच-बीच में इंटरवीन क्यों कर रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा : मंत्रीजी भी पसंद हैं और मंत्रीजी का भाषण भी पसंद है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : बाद में पूछ लूंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय 2005-06 में 7439 लाख रुपये, 29 हजार हैक्टेयर में वानिकी कार्य करने प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, बाढ़ प्रभावित बनास नदी, चम्बल घाटी, दांतीवाड़ा, साबरमती में, नदी घाटी योजना के तहत, मैं वहां पर स्वयं गया था टोंक जिला निवाई तहसील के अन्दर ज्वाला पर, माननीय सभापति महोदय वहां पर जो कार्य किया गया है बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इस कार्य के द्वारा न्यूनतम भू-संरक्षण, मिट्टी का जो कटाव होता है कम से कम कटाव और अच्छी उपलब्धि हमें मिलती है। भूमि की मितव्ययिता में भी वृद्धि हुई है। किसानों की आय में वृद्धि हुई है। भूमिगत जल में बढ़ोतरी हुई है।

आस-पास के कुओं का भी मैंने आंकलन किया। किसानों से भी मैंने बातचीत की, उन्होंने यह कहा कि यह जो एनीकट हैं, बनास नदी योजना के तहत जो कार्य चल रहा है इसमें आस-पास के अन्दर एनीकट का निर्माण का जो कम हुआ है इससे वाटर लेवल हमारा ऊपर हुआ है। जो अभी काम हुआ है उसमें जल के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2004-05, 18.33 प्रतिशत व्यय हुआ है। 23 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में इसको उपचारित किया गया। जल संरक्षण संरचना में 8650 रुपये और 2005-06 में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 27 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में उपचार और 22 हजार संरचना का निर्माण योजनाओं के मूल्यांकन के लिए 20 से 40 प्रतिशत खाद में वृद्धि हुई है। 300 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में उत्पादन में वृद्धि हुई है। ऊबड़-खाबड़ ढलान वाली जो भूमि है उस भूमि के उपचार से कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुओं के जल स्तर में 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जलाऊ लकड़ी, पशुओं के चारे की उपलब्धता में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना में जन सहभागिता नहीं होगी, लोगों के अन्दर उसकी जागृति नहीं होगी, जन सहभागिता के आधार पर कार्य नहीं होंगे तब तक कार्य सम्पन्न नहीं किये जा सकते। अच्छा कार्य नहीं हो सकता। जनता की भागीदारी वन विभाग के कार्यों के अन्दर होनी चाहिए। जनसहभागिता के माध्यम से भूमि का, वनों का

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

विकास भूमिगत जल स्तर में वृद्धि और कृषि के उत्पादन एवं वन उपज में वृद्धि, 14 वन विकास अभिकरण गठित किये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय जिनमें 9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया और 4200 ग्राम वन सुरक्षा समितियों का भी गठन किया गया, प्रबन्ध समितियों का भी गठन किया गया। इससे 4 लाख से भी अधिक वन क्षेत्र की रक्षा की जा रही है। यह इस प्रकार की भागीदारी से इस प्रकार की लोगों में जागृति से, यह जागृति हर गांव की चौपाल पर हर व्यक्ति के बीच में जब वनों के प्रति, वन की सुरक्षा के प्रति, वन के संरक्षण के प्रति अगर इस प्रकार की भागीदारी नहीं होगी तब तक इस प्रकार की वनों की कटाई के बारे में कि क्या अनुपयोगिता है, वनों को काटने से क्या नुकसान है, इस बारे में जागृत करना नितान्त आवश्यक है। वन विभाग के मेरे अधिकारियों को भी बार-बार निर्देश देता हूं कि इनकी कार्यशाला वहां पर जयपुर में बैठकर नहीं की जानी चाहिए, गांव की चौपाल में बैठकर अब इस प्रकार के वनों के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, सुरक्षा के बारे में और संरक्षण के बारे में, जब आप बात करेंगे तो लोगों में इस प्रकार की सहभागिता की भावना पैदा होगी।

सभापति महोदय, आज वनों की कटाई के बारे में, वन्य जीव-जन्तुओं की पोचिंग के बारे में यहां पर बहुत चर्चा की गयी। सभापति महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 1863 कैटल गार्ड्स जो वर्क चार्ज थे, पूर्ववर्ती सरकार ने उनको अलग-अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया। 980 कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में भेज दिया। कोई कार्य योजना नहीं थी। इस प्रकार वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को, वन विभाग के 980 लोगों को पंचायती राज विभाग में भेजने से वन विभाग के अन्दर कर्मचारियों में कमी आयी। हम अपनी तरफ से यह प्रयास करते हैं, मैं आज इस सदन के माध्यम से मेरे वन कर्मचारियों को, उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने वन की सुरक्षा के लिये, वन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा के लिये अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जो अच्छा काम करते हैं, सभापति महोदय, उनको एप्रिशिएट किया जाएगा, उनकी पीठ थपथपाई जायेगी। जो किसी प्रकार की नैग्लीजेंसी वनों की प्रति अवेयरनेस नहीं रखेंगे, किसी की शिकायत हो, शिकायत जो भी मुझे प्राप्त होती है, त्वरित गति से उस पर एक्शन लेता हूं। सभापति महोदय, शपथ लेने के 15 रोज के पश्चात जमुवारामगढ़ में कल्प वृक्ष

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के 7 पेड़ों को काट दिया गया। समाचार पत्रों के द्वारा मुझे इत्तला प्राप्त हुई। मैं 12 किलोमीटर, जमुवा रामगढ़ के पास जो नदी हैं वहां पर पैदल गया और वास्तव में वहां के मेरे डिपार्टमेंट के जो रेंजर और कर्मचारियों की नेग्लीजेंसी थी, तत्काल मैंने उनको वहां पर निलम्बित किया।

सभापति महोदय, जयपुर और उदयपुर में जहां खनन कार्य किये गये हैं, वहां पर वृक्षारोपण कार्य, जहां उजाड़ हो गये हैं वहां पर वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है। 2005-06 में 280 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह जयपुर और उदयपुर जिलों में पूर्व खनन प्रस्तावित वन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हो चुका है इसलिये वन विभाग की तरफ से वहां पर पुनः प्लांटेशन कर वन आच्छादित क्षेत्र बनाने की राज्य सरकार की मंशा है। वहां वानिकी कार्य कराये जा रहे हैं। सोजत में सिल्वन पार्क की भी व्यवस्था की जा रही है। औषध उद्यान के लिये झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर की ठण्डी झील में लगभग 15 लाख रुपये की लागत से औषधि उद्यान और प्रचार केन्द्र का विकास कार्य किया जा रहा है।

सभापति महोदय, वानिकी विकास कार्यक्रम के अन्दर यह विश्व खाद्य कार्यक्रम है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के लिये सबसे उपयोगी रहा है। इस कार्यकम के तहत जनजातिय क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम 8 लाख खाद्य इकाइयों के वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख खाद्य इकाइयों को वितरित किया गया। एक लाख मानव दिवस सृजन के स्थान पर 1.21 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। महिलाओं हेतु 318 महिला उप समितियां ग्रामीण स्तर पर बनायी गयीं तथा 58 महिला सहायता समूहों का गठन किया गया। सभापति महोदय, इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मजदूर वहां पर इस कार्यक्रम के समूह के जो सदस्य हैं उनको जो मजदूरी मिलती है उनमें से 10 रुपये का एक कूपन दिया जाता है और कूपन के बाद में ढाई किलो उनको गेहूं, 200 ग्राम दाल और यह 10 दस रुपये उनकी सोसायटी के अन्दर जमा होते हैं और 10 रुपये सरकार की तरफ से होकर जो यह कोष निधि जो इकट्ठी होती है इस कोष निधि के आधार पर वहां पर जो भी सोशल डवलपमेंट के काम, जो ग्राम पंचायत के अन्दर, वहां के गांव वालों के कहने के आधार पर जैसी वह व्यवस्था चाहते हैं, चाहे स्कूल भवन की बात हो, चाहे एनीकट की बात हो, चाहे हैण्ड पम्प की बात हो या कोई भी उनकी इच्छा होती है उसके आधार पर कार्य करवाये जा रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, 6 महीने से लोगों का पेमेण्ट बाकी है बांसवाड़ा जिले में।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य, इस विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन इकाइयों को भुगतान नहीं हुआ उसकी आप सूचना मुझे लिखकर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अविलम्ब उन व्यक्तियों को, मजदूरों को, उस क्षेत्र के लोगों को इसका भुगतान करवा दिया जाएगा।

सभापति महोदय, हर मामले में प्रगति, उन्न्ति, इण्डस्ट्रीज के अन्दर, उसी तरह के वन विभाग के अन्दर भी हाईटेक नर्सरी की स्थापना के लिये 7 स्थानों पर हाईटेक नर्सरियों का निर्णय लिया गया जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर एवं झालावाड़ में विभाग द्वारा स्थापित की गयी हैं। ऐसी नर्सरियों में 2 लाख ऐसी प्रजातियों के पौधे तैयार किये जायेंगे जो सामान्य परिस्थितियों में तैयार नहीं हो सकते हैं। यह इस प्रकार की प्रोग्रेसिव नर्सरी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, हाईटेक नर्सरी के बारे में कुछ जानकारी हमें भी दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में व्यवधान नहीं करें। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं हैं। जैसे कल्प वृक्ष... (व्यवधान) नहीं नहीं मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है, सभापति महोदय, इसलिये पूछ रहा हूं, कोई टोका-टाकी नहीं कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मारवाड़-जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने हाइ-टेक नर्सरी के बारे में जानकारी चाही है। हाईटेक नर्सरी एक ऐसी तकनीक के आधार पर ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा प्लांटेशन का कार्य, जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी ग्रोथ होती है उसका इतना अच्छा प्लांटेशन होता है जो अन्य नर्सरियों के अन्दर तैयार नहीं की जा सकती है। नयी तकनीक के आधार पर, खारची से आने वाले माननीय सदस्य, जिस हाईटेक नर्सरी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय बाद में सोजत के अन्दर भी इस प्रकार की हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएगी और आपको वहां पर बुलाकर मैं

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बता दूंगा कि इसकी क्या विशेषता है, इसके प्लांटेशन के बारे में, इस नर्सरी के बारे में।

श्री शांतिलाल चपलोत : सोजत में विशेष उपजाऊ जमीन है, इसलिये वहां पर हाईटेक जरूरी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : सोजत में ही क्यों की?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नहीं-नहीं 7 स्थानों पर।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, आपने कहा ना सोजत में आना, तो हमने सोचा सोज़त में ही करेंगे। ... (व्यवधान) जहां पानी है वहां तो कर नहीं रहे हैं और जहां पानी ही नहीं है वहां कर रहे हैं सोजत में। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजियें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, आज के इस वाद-विवाद में ज्वलंत जो समस्या, सरिस्का नेशनल पार्क और घना के बारे में है, चर्चा की गयी ओर विशेषकर सरिस्का के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरिस्का के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरिस्का में टाइगर की पोचिंग, यह पोचिंग अभी से नहीं है। यह पोचिंग की कार्यवाही 1988 से, जैसे जो लोग पकड़े गये हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हैं उनके बयानों के आधार पर कह रहा हूं। पर आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं जो समस्या है, न समस्या आपकी दी हुई है, न समस्या इधर की है, आज यह जो विषय है, यह गम्भीर विषय है। इस पर आलोचना और प्रत्यालोचना इस वाद-विवाद का अगर विषय रहेगा तो आप कहेंगे कि 2004 के अन्दर पोचिंग की कार्यवाही हुई और हमारे इधर से बात करेंगे कि यह पोचिंग की कार्यवाही 88 से हुई। मैं यह भी नहीं, इन परिस्थितियों के बारे में आपको पीछे देखने की भी आवश्यकता है। मैं यह भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि पूर्व मंत्रीजी हिरण प्रकरण के अन्दर जो मुलजिम हैं उन मुलजिमों के साथ शूटिंग के मामले में सम्मिलित हैं। वे मंत्रीजी जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, जिन्होंने आदेश दिया था कि जोगी महल मे अन्दर कोई व्यक्ति नहीं ठहरेगा, उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई गयीं। यह भी मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि रानी जहरा.... (व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी कह भी रहे हैं और नहीं भी कहना चाहते हैं। अगर धज्जियां उड़ाई हैं किसी अधिकारी ने तो उनको अलाऊ किया, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करो न (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, रणथम्भौर नेशनल पार्क, जो वहां की परिस्थिति बनी, नेशनल पार्क, जो वहां की परिस्थिति बनी, नेशनल पार्क में कुमठ कमेटी के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर और 92 में कुमठ कमेटी का फारमेशन क्यों हुआ? कुमठ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कुमठ कमेटी का फारमेशन क्यों हुआ? क्यों इस वक्त भी टाइगर की पोचिंग की व्यवस्था, टाइगर के शिकार की व्यवस्था थी। 1988 और 89 के अन्दर 26 बाघों की कमी आयी। यह बाघ, अभी से पोचिंग की कार्यवाही नहीं हो रही है। यह बाघ की पोचिंग 88 से पहले से चली आ रही है तो यह हमारे लिए और आपके लिए और राजस्थान की जनता के लिए चिन्ता का विषय है। आज हम इस बाघ के बारे में टी.बी. पर आरोप-प्रत्यारोप करेंगे। आज जिस हिसाब से टूरिस्ट राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में जिस प्रकार से इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं, बाघ के अस्तित्व के बारे में, परेशानी के बारे में कहेंगे, नेशनल पार्क की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, सरिस्का की कमी के बारे में चर्चा करेंगे, घना की कमियों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का पर्यटन विभाग इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप के पहले प्रदेश हमारा है। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। यहां के हम जन-प्रतिनिधि हैं। हमारा कर्तव्य है कुछ सीमा से ऊपर उठकर इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर यह भी चिन्ता की गयी कि सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स के गठन के पश्चात् यह कमेटी के फोरमेशन की क्या आवश्यकता है? टास्क फोर्स के गठन के बाद सी.बी.आई. की जांच की क्या आवश्यकता थी यह बतायें और टास्क फोर्स, उनके जो पैरामीटर्स थे जांच के और जो एडिशनल पी.सी.सी.एफ. से जो जांच कराने के उनको जो दायरा दिया गया था, इसमें आपस में विरोधाभास है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि टास्क फोर्स में—

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

Terms of references –

(i) Indentification of the causal factors of the problem;

(ii) Recommend steps essential for the amelioration of the problem keeping in mind the available wherewithal with the government;

(iii) Recommend steps regarding skill or gradation empowerment, etc, especially of the field and functionaries ;

(iv) Any of the recommendation pertaining to the cause of the conservation."

अब सभापति महोदय, 15 फरवरी, 19 फरवरी को जिला अलवर स्थित सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों की संख्या ज्ञात करने के लिए 01 फरवरी से 15 फरवरी, 2005 की अवधि में की गयी विशेष चैकिंग में बाघों की उपस्थिति के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। राज्य सरकार ने इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक जांच कराये जाने का निर्णय लिया है। यह था, इसके आधार पर एडिशनल पी.सी.सी.एफ. को सात दिन का समय दिया गया था। 19 तारीख को आदेश हुए, 21 तारीख को एडिशनल पी.सी.सी.एफ. ने जांच के आधार पर 30 तारीख को जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की और उसी के आधार पर सात लोगों को निलम्बित किया गया। निलम्बत का कारण कलिया बाबरी हुआ था जो अरेस्ट हुआ था, उसके एविडेंस के आधार पर उसके द्वारा जो उसने रीकवरी बतायी थी, उस रिकवरी के आधार पर उसने जो बताया था और जिस क्षेत्र के अन्दर रीकवरी हुई थी और उस क्षेत्र के अन्दर जो कर्मचारी और अधिकारी की वहां पर पोस्टिंग थी, उन लोगों को जो दो मुल्जिम के द्वारा इन्फोरमेशन देने के आधार पर, दो एविडेंस के कारण जो रीकवरी के आधार पर जिस क्षेत्र में वे रहते थे कर्मचारी, उनको निलम्बित किया गया और एडिशनल पी.सी.सी.एफ., यह दूसरे, राज्य सरकार की नेग्लीजैंसी, राज्य सरकार के अवेयरनैंस नहीं रखने और बार-बार डाइरेक्शन के बाद के अन्दर और ऐसे और अन्य कारण हैं, उसके कारण मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार संवेदनशील है और राजस्थान इसके बारे में पूर्णतया चिन्तित है। राजस्थान सरकार ने केन्द्र के, भारत के प्रधान मंत्रीजी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को हमने कोग्निजैंस लिया, सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने सी.बी.आई. के लिए केन्द्र सरकार और प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया ने आदेश दिया और

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री ने उनको तत्काल हार्थोहाथ लिया और सी.बी.आई. इन्क्वायरी के लिए अपनी तरफ से रजामंदी की, इससे यह पारदर्शिता साफ झलक होती है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, आप भी कुछ भी कहो, बाघों की संख्या तो कांग्रेस के राज में कम हुई है। बाघों का शिकार भी कांग्रेस के राज में हुआ। आप कितनी भी सदाशयता का परिचय दो, यह इस गुनाह से बच नहीं सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : कांग्रेस के राज में, जिस निर्ममता के साथ बाघों की हत्याएं की गयीं, जो गायब हुए, उसके लिए पूर्ण रूप से यह लोग दोषी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं सरकारी रिकार्ड से यह साबित करूंगा कि आपके समय में गायब हुए। सरकारी रिकार्ड से, आपको जवाबों से साबित करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह कोई कोर्ट नहीं है, वकालात की तरह नहीं है, यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जितने भी बाघों की हत्याएं हुई हैं, गायब हुए हैं, 2004-05 में गायब हुए हैं और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, इस समय में गायब हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : 1999 से 2003 तक सारे बाघ गायब हुए हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आपको बता रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, आपको ज्यादा याद नहीं हैं तो (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह सरकार जान-बूझकर बाघों को मरवा रही है। आपकी सरकार जान-बूझकर उनको खतम करवा रही है। आप कितना ही रिकार्ड में लाने की कहिये। आप से ज्यादा हम रिकार्ड में ले आएंगे।

श्री श्रवण कुमार : यह बात तो मोहनलालजी बता सकते हैं कि कब हुई।

एक माननीय सदस्य : यह रिपोर्ट भी झूठी थी और ऐसे ही गणना करते रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप क्यों व्यर्थ में उलझ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बाघों की पोचिंग के बारे में 2004-05 का हवाला दिया। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह आपसे नहीं कहा है, यह जो जौहरी बाजार के माननीय सदस्य गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उनके जवाब में लगाया है। आप जब जवाब दें रहे हैं तो उनको क्या जरूरत थी बीच में टोकाटाकी करने की? आप दिमाग रखते हैं तो हम भी रखते हैं अगर रिकार्ड पर आप गलत बात लाएंगे तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बार-बार बोलना जरूरी नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : कालीचरणजी ने अगर शेर देखा भी होगा तो पिंजरे में देखा होगा, जंगल में कब देखा होगा ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप चालू रखिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बाघों के प्रति चिन्ता तो प्रकट की, उसके साथ में 2004-5 का हवाला दिया। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी पवित्र सदन में आपने एक कॉल अटेंशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 131 के तहत पेश किया था, उसमें आज के आपके प्रतिपक्ष के नेता, आप, हरिसिंहजी, महुवा और सभी लोगों ने भाग लिया था और उसमें आपने बताया था कि – हरिसिंहजी महुवा ने बताया कि 500 लोमड़ी मरी और 24 टाइगर मरे हैं। आपके प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने 17 बाघ मरने की बात कही, यह बाघ की कार्यवाही... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप यह बता दीजिए जब सरकार किसकी थी?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह आपकी थी।

श्री जुबेर खान : आपको जानकारी होनी चाहिये जब मेरी सरकार आई है तो मैं जीतता ही नहीं हूं। यह माननीय भैरोंसिंह जी थे मुख्य मंत्री, तब की बात है यह।

एक माननीय सदस्य : भाजपा सरकार थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौनसे सन की बात है?

श्री अशोक बैरवा : भाजपा सरकार थी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : रणथम्भौर नेशनल पार्क में 1988 में ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, जिस कागज के आधार पर मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, उसको टेबल कराइये आप। उसको टेबल कराइये पढ़ने के बाद, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौनसे ईयर का है यह बताओ ?..... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस का भी कर रहे हैं उसको बाद में टेबल कराइये आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सदन की कार्यवाही... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं आपसे गाइड थोड़े ही होऊंगा। आई एम नॉट गाइडेड बाई थू। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोटेड है वह तो। सब नोट हो रहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं आप निर्देश दे दें कि इसको बाद में टेबल करें। पढ़ने का उपयोग कर रहे हैं, उस कागज को टेबल करें बाद में।...(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी जो भी बोल रहे हैं, वह सब नोट हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : उस कागज को आप टेबल कराइये ना, दिक्कत कहां है उसमें ? (व्यवधान) उसमें दिक्कत क्या है ? सदन में जिस कागज के आधार पर मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और.... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : नहीं, आप डिक्टेट करने की कोशिश मत करिये। मंत्रीजी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और जिस पुरानी प्रोसिडिंग का उल्लेख कर रहे हैं उसको टेबल कराने में क्या दिक्कत है आपको।...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : अंकित हो रहा है, कौनसा टेबल कराना जरूरी है।

श्री अशोक बैरवा : (व्यवधान) सदस्य जो बोलते हैं, उसके लिये आपने क्या कार्यवाही की ? एक तरफा कार्यवाही क्यों कर रहे हैं आप? अधिकारी तो वहीं हैं। दस साल से अधिकारी वहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, पूरा गिरोह है इनका। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं बीच में।

श्री अशोक बैरवा : पूरी तस्करी का गिरोह है यह और दस साल से वहीं अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही कराओ ना (व्यवधान)

श्री सभापति : भीम से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजियें। मंत्री महोदय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, 1988-89 के अन्दर जो सेंसस हुई थी, उसके अन्दर 1988 में नेशनल पार्क रणथम्भौर में 43 बाघ और सरिस्का टाइगर रिजर्व में 45 और 1989 नेशनल पार्क में 44 और सरिस्का टाइगर में मात्र 19, उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस के वन मंत्री गुर्जर साहब थे। 26 बाघ उस वक्त इतनी चिल्लाहट नहीं हुई थी, इतनी आवाज नहीं उठी थीं और यह उस वक्त हुआ, वह भी दुखदायी है और अभी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

भी पोचिंग की बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को, जब सेन्सस के बारे में 16 और 18 की बात हुई। मैंने आदेश दिये और ट्रेकिंग की 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ट्रेकिंग की कार्यवाही की गयी। उस ट्रेकिंग की कार्यवाही के अन्दर पर्यावरणविद भी थे, फोरेस्ट के अधिकारी वगैरह थे, उसके बाद में मात्र स्केट ही आये थे, मात्र सेन्सस के अन्दर चिन्ह ही प्राप्त हुए थे, साइटिंग नहीं हुई थी। तो मैं स्वयं 15 और 16 फरवरी को वहां पर गया। मैंने ही आदेश दिये थे कि जो मुलजिम है, जो आइडेंटिफाई पहले से, प्रीवियस, जिनका कंडेक्ट रहा है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है, उनके घरों की सर्च की जाये, तो मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया। 15 और 16 फरवरी को मैं गया। मैंने स्वयं इन्टेरोगेशन किया माननीय सभापति महोदय, और उनसे जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति दी। उन्होंने कन्फेशन किया कि हमने टाइगर की पोचिंग की है। तो इस प्रकार की कार्यवाही, यह पोचिंग की कार्यवाही अभी से नहीं, उन्होंने कहा पिछले 5-7 साल तक 12 बाघों की हमने हत्या की है। इसी तरह माणक चौक थाने के अंदर जो संसार का इंटरनेशनल तस्कर है, जो यहां राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में वीरप्पन के नाम से जाना जाता है, उसकी धर्मपत्नी माणक चौक थाने के अंदर अरेस्ट हुई थी, उसने भी अपना कन्फेक्शन किया, उससे भी बरामदगी हुई है। यह तो पोचिंग की कार्यवाही..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं। दो मिनट बता रहे हैं। मंत्रीजी सक्षम है अपने आप, जवाब देने में।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, यह बाघों की घटती समस्या, यह राजस्थान में ही ऐसी नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के अनुसार सरिस्का के अनुसार रणथम्भौर में नहीं, बल्कि देश के 27 अभ्यारण्यों में 1994 से 2005 के बीच 734 बाघ, 2,434 तेंदुओं का शिकार हुआ है। यह मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अन्दर, उड़ीसा के अंदर यह समस्या पूरे भारत वर्ष के अंदर है। अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह और इसके मारने वाले जो तस्कर हैं, जो परचेजर हैं, यह गिरोह सक्रिय है जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर है तो हम सबको जागृति लाने की आवश्यकता है। सबको अवेयरनैस रखने की आवश्यकता है। मेरे वन विभाग के अधिकारियों को भी इसके बारे में ताकीद की है जो कमी और बेशी वहां पर सरिस्का के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अन्दर है, नेशनल पार्क के अन्दर है तो उसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था, उसकी समीक्षा की व्यवस्था की है। केवलादेव के अन्दर जो बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में बताया, मैंने सी.सी.एफ. को परसों ही आदेश दिये वहां पर जाने के। हिरण के प्रकरण की बात आई जोधपुर में, मैंने वहां पर सी.सी.एफ. को आदेश दिया कि महीने-15 दिन तक आप वही कैम्प डालकर बैठें। वहां पर जब तक लोगों में सहभागिता नहीं होगी, लोगों में अवेयरनैस नहीं होगी, आप और हमारे बीच में आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं होकर, किस प्रकार सकारात्मक सुझाव की बात होगी, तभी यह मामला सुधर सकता है। जो भी व्यक्ति मुलजिम होगा, निश्चित रूप से उसे पनिश किया जायेगा और भी कोई मुल्जिम हैं, जैसे इन्फोर्मेशन मिल रही है और भी सर्चिंग की कार्यवाही हो रही है, निश्चित रूप से उसकी तरफ ध्यान देंगे।

श्री अशोक बैरवा : पहले फोरेस्ट में आई.जी. पुलिस/की प्रतिनियुक्ति होती थी। अब पुलिस विभाग के अधिकारियों को आप प्रतिनियुक्ति पर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। कार्यवाही तो तभी होगी। पुलिस विभाग के अधिकारी तो है नहीं आपके पास। अब आप ही थानेदार की तरह घूमते रहते हो।

श्री सभापति : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री अशोक बैरवा : पहले पुलिस विभाग से आई.जी. लगते थे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में वन एवं पर्यावरण के प्रति जितनी अवेयरनैस का जो उदाहरण देखने को मिलता है, दुनिया के किसी देश में और हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में ऐसा उदाहरण नहीं है। एक खेजड़ी की रक्षा के लिये 275 वर्ष पूर्व 363 लोग खेजड़ली गांव के अन्दर अमृता देवी के नेतृत्व में एक खेजड़ी की रक्षा के लिये शहीद हो गये, ऐसा उदाहरण, ऐसी जागृति, ऐसी वनों के प्रति जागृति दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाये, जो दुनिया में कहीं पर भी ऐसी मिसाल नहीं है। ऐसा शहीदों का स्मारक नहीं, जैसा शहीदों का स्मारक खेजड़ली गांव में होना चाहिये। जो शहीद हो चुके हैं उनके पीछे राज्य सरकार

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

ने वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति जैतलिया वन मण्डल, बांसवाड़ा के द्वारा 545 हैक्टेयर प्राकृतिक वन एवं 100 हैक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण किया जा रहा है और अमृता देवी पुरस्कार प्राप्त हिमताराममबाबू के द्वारा 52,395 पौधों का रोपण किया गया और एक लाख 18 हजार पौधों का वितरण किया गया उसे अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अमृता देवी पुरस्कार संस्था को 50 हजार तक और पर्सनली 25 हजार तक दिया जाता है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा हरिसिंह राजपुरोहित ने वन्य जीव चिंकारा की रक्षा के लिये अपनी जान देकर बलिदान हो गया। ऐसा-ऐसा इतिहास, ऐसे-ऐसे महापुरूष हमारे राजस्थान में हैं, जो वनों के प्रति, जीव-जंतुओं के प्रति उसको भी अमृता देवी पुरस्कार से यहां पर कुछ अनुरोधपूर्वक सम्मानित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसौल, बिठूचा और सांगानेर में लघु वस्त्र उद्योग का कार्य होता है। यहां पर उद्योगों के द्वारा प्रदूषित जल का निस्तारण होता है और छोटी से छोटी इकाइयां जिनकी स्थिति नहीं है कि यह स्वयं उपचारित ट्रीटमेंट प्लान्ट लगावें तो ज्वाइंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पाली के अन्दर, तीन ट्रीटमेंट प्लांट हैं, बालोतरा में एक संयुक्त उपचार संयंत्र और भिवाड़ी में एक संयुक्त उपचार संयंत्र है। इस प्रकार बालोतरा में लघु वस्त्र उद्योग कें अतिरिक्त एवं संयंत्र और, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जयपुर में मानपुरा माचड़ी में चर्म शोधन के लिये संयुक्त उपचार संयंत्र कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, 5 जून, 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर सबसे पहले पर्यावरण के बारे में एक गोष्ठी की गयी और एक चिन्ता की गयी उसके पश्चात् आज दुनिया के प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक राज्य के अन्दर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जैब चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला आयोजन में मेडिकल के सी.एम.एच.ओ. के प्रतिनिधि, जिला के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। पशु चिकित्सकों के जैब चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 1998 के प्रावधानों को प्रभावी रुप से लगाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बायो मेडिकल गैस के समुचित निस्तारण हेतु जयपुर में एक सामूहिक उपचार संयंत्र भी लगाया गया। इसके साथ अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़ और

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर, सवाईमाधोपुर में सामूहिक उपचार संयंत्रों का विकास करने हेतु स्थानीय निकायों के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

सभापति महोदय, 16 हजार से अधिक खनन इकाइयों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बायो अधिनियम 1981 के तहत एन.ओ.सी. की प्रक्रिया कैम्प लगा कर दी गयी।

सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन के द्वारा भी अपने विचार प्रकट किये, डिबेट में भाग लेकर भी जिन्होंने अपने विचार प्रकट करे, समय के लिए आप बार-बार ताकीद कर रहे हैं, हर कट मोशन के बारे में मैं एक-एक चर्चा करना चाहता था परन्तु समय....

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप लिखित में जवाब दे देना इनके।

श्री संयम लोढ़ा : सदन आपके जवाब से संतुष्ट है, शेष भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लिखित में भेज देंगे, सब के पास।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, आप यह तो बता दें कि 1980 से जो लोग... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य ने जो वन क्षेत्रों के अन्दर 1980 से पूर्व जो कब्जा काश्त लोग थे, वनवासी क्षेत्र के लोग थे उनको नियमन करने के लिए राज्य सरकार ने 5466 प्रकरणों को भारत सरकार के पास भेजा गया और भारत सरकार उस प्रकरण पर विचार कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थगन प्राप्त हो गया, स्थान निरस्त होते ही, आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर लीनियंट व्यू लेंगे क्योंकि परम्परा से, आदिकाल से जो वनवासी क्षेत्र में लागू रहते थे वह वहां निवास करते हैं, निश्चित रूप से 1988 के पहले जो आइडेंटिफाई किये गये हैं उनका नियमन होना चाहिए यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अंत में, सभापति महोदय, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में सदन के तमाम माननीय सदस्यों को भी आभार प्रकट करता हूं और साथ में निवेदन करता हूं, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-9-वन को मन्जूर किया जाए, पारित किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी, एक जानकारी हासिल करना चाहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : यहां से नहीं, अपनी सीट से बोलो। (व्यवधान)

पास हो जायेगा, एक बात का जवाब दें। ..... (व्यवधान)....नहीं, नहीं जवाब देना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप विद्वान हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब देना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप विद्वान हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : देना पड़ेगा जवाब... (व्यवधान) ...आपने कहा है बाद में देंगे जवाब। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं जंगल की रक्षा के लिए, किस स्तर तक के कर्मचारी या अधिकारी कोई बड़ा भी हुआ है क्या ? यह पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मांग पास कराओ। .... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, आपने कहा था पूछ लेना।

श्री बंशीलाल खटीक : नहीं, कोई पूछने का अधिकार नहीं है।... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं पूछ रहा हूं।....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप लोग क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं ?.... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा : पूछूंगा मैं। पहले हाउस को आर्डर में करें... (व्यवधान)...

सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में करें पहले। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : नियम प्रक्रियाओं से चलो, पुराने लोग हो। पुराने आदमी हो तो नियम प्रक्रियाओं से चलो न।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भरोसा रखो मंत्रीजी पर, जवाब देंगे।

श्री सभापति : आप क्या पूछना चाहते हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : जब तक हाउस आर्डर में नहीं होगा...

श्री बंशीलाल खटीक : आप विराजो।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया चार और पांच में इन्होंने 26 हजार हैक्टेयर में पौध रोपण किया और उनमें पौधे लगाये। यह प्रतिवेदन है आपका, पेज, नम्बर चार... (व्यवधान) मदनजी, ज्यादा समझदारी मत करो।

आपके जो प्रतिवेदन का पेज नम्बर चार है इसमें विभागीय वृक्षारोपण के हैक्टेयर के लिए आपने 17 हजार हैक्टेयर में लगाने का लक्ष्य का निर्धारण किया था और आपने जो इसमें उपलब्धि बतायी 38701 हैक्टेयर मे दिसम्बर तक में ही पौध रोपण आपने कर दिया। लक्ष्य से तिगुना आपने कर दिया। आप अभी 26 हजार बता रहे हैं, एक तो यह आंकड़ा हमारा वाला जो प्रतिवेदन दिया है यह सही है या आप फरमा रहे हैं जो सही है ?

दूसरा, इसी में हैं। आपने 120 लाख पौधे वितरण करने का लक्ष्य बताया और 17 हजार हैक्टेयर का उसमें पौध रोपण करना बताया जबकि 38701 हैक्टेयर में लगाने के बाद भी आपके यहां जो इस प्रतिवेदन में है, 82,17000 पौधे वितरित करना बताया है। हैक्टेयर तो हो गये 38,000 और पौधे हो गये 120 लाख जो 17 हजार हैक्टेयर में लगाना था, वह 38 हजार

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैक्टेयर में भी 82 लाख पौधे आये, तो यह चक्कर क्या है, वह आप हम को समझा दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जवाब तो दिलाओ माननीय सदस्य का।

मांग संख्या-9 वन का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,64,55,91,000/- (दो अरब चौंसठ करोड़ पचपन लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.57 बजे सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गर्ल चाइल्ड मोटीवेटर (जी.एस.एम.) डी.पी.ई.पी. परियोजना को नियमित करने हेतु

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.पी.ई.पी. परियोजना में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल चाईल्ड माटेवेटर की भर्ती राजस्थान प्राथमिक परिषद के आदेश क्रमांक: का.पा.6/जैण्डर/गर्लचाईल्ड प्रेरक/200/1948183 दिनांक 17-3-2001 के द्वारा परियोजना समन्वयक डी.पी.ई.पी. दौसा के आदेशानुसार की गई थी। उक्त जी.एस.एम. पैराटीचरों व शिक्षाकर्मियों से ज्यादा शिक्षित तथा उनसे ज्यादा कार्य कर रही है। गांवों ढाणियों में वंचित बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने तथा महिलाओं में जागृति लाने व संकुल केन्द्र स्थित विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी करती है तथा प्रशिक्षित है।

वर्तमान में उक्त जी.एस.एम. करीब तीन-चार जिलों में कार्यरत है और इनकी संख्या लगभग 150 है जिन्हें 1200/- रुपये मानदेय पर रखा जाता है। आज के हालात में इतने पैसों में गुजारा संभव नहीं है लेकिन फिर भी इनको इससे बहुत सहारा मिल जाता है।

इन गर्ल चाइल्ड माटीवेटरों को उन जिलों के लिए लगाया गया था जहां पर महिला शिक्षा की दर बहुत कम है। इनके कार्य के कारण महिला साक्षरता में बहुत प्रगति हुई तथा इनके निरन्तर कार्य करने से बालिका शिक्षा और महिला जागृति को बहुत बड़ा बल मिला है। केवल गलत आडिट रिपोर्ट के आधार पर इनकी संविदा समाप्त कर आगे कार्य करने से मना कर दिया गया है जो अनुचित है।

आज राज्य में तीन सर्वोच्च पदों पर मातृशक्ति विराजमान है यदि किसी कारण से गर्ल चाइल्ड मोटीवेटर्स स्कीम आगे नहीं बढ़ाई जाती तो उन चयनित महिलाकर्मियों को जिनकी न्यूनतम योग्यता सीनियर सैकण्डरी है को पैराटीचर्स

(श्री रामकिशोर मीणा)

के स्थान पर जिनका कि चयन शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक के पद पर चयन हो जाने के कारण रिक्त हुआ है। के स्थान पर अथवा सर्व शिक्षा अभियान में इन्हें उपयुक्त पदों पर समाहित करने का श्रम करें।

(रामकिशोर मीणा)

सिकराय

केशरपुरा ग्राम पंचायत समिति पीपलखूट जिला बांसवाड़ा में पानी की टंकी बनाई जाकर पावर पम्प नलकूप योजना द्वारा पेयजल समस्या निवारण बाबत्

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा के सम्बन्धित पंचायत समिति पीपलखूंट में ग्राम पंचायत केशरपुरा के हेड क्वाटर पर चार जगह पर हेड पम्प लगाये गये हैं विभाग द्वारा मगर पीने का पानी नहीं मिल पाया है।

यह है कि केसरपुरा पंचायत हेड क्वाटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है व 3 रास्तों व सड़कों का संगम है। व पंचायत के सम्बन्धित गांव केसरपुरा हीम्मातों की हरवर, बारी मोजल, सादडी, मउठी एवं सीदडी, मऊदड, सुरपुर, राणों की हरवर, ठीकरिया, जराती योग 10 गावों की जनता रोज-मर्रा काम आने वाली सामग्री लेने आती है। मगर पानी अभाव में तरस्ती रहती है।

अतः पानी की टंकी निर्माण करा नलकूप योजना द्वारा पानी पीलाने की व्यवस्था करने का सुझाव आपके द्वारा दे रहा हूं।

(नवनीत नीनामा)

घाटोल

जे.पी.आई.पी. योजनान्तर्गत अनियमितताओं के बाबत

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डी.पी.आई.पी. जिला गरीबी उन्मूलन योजना अन्तर्गत निवाई विधान सभा क्षेत्र में एस.आई.सोसायटी, मरुधरा सोसायटी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सबूत बनाकर 10 प्रति. राशि समूहों में खातों में जमाकर 90 प्रतिशत राशि सोसायटी के माध्यम से भैंसें क्रय भेड़ क्रय

(श्री हीरालाल)

बकरिया आदि क्रय कराती है। परन्तु यह कार्य अन्य जिलों से क्रय कराते हैं जिसमें चिकित्सक के माध्यम से घुड़की लगाई जाती है। यह कार्य केवल जिला गरीबी उन्मूलन योजना अन्तर्गत एन.जी.ओ. (नोन गवर्नमेन्ट संगठन) द्वारा भारी अनियमितताओं को जन्म दे रहे हैं। गरीब ग्रामीणों से क्रय कराने के बाद गरीब व्यक्तियों से भारी राशि वसूली की जाती है। इस हेतु कई बार शिकायतें जिला कलक्टर को प्रशासन आपके द्वार के दौरान की गई। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस योजना को उचित तरीके से संचालन करने हेतु टोंक मुख्यालय पर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति है। परन्तु आज तक टोंक जिला मुख्यालय पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी ने इस योजना में जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। जबकि इस योजना के माध्यम से करोड़ों रुपयों का लाभ दिखाने हेतु सरकार का अन्य माध्यमों से उपलब्ध हो जाती है।

इस योजना द्वारा निवाई विधान सभा क्षेत्र में घोर अनियमिताऐं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस का उदाहरण कोनी ग्राम पंचायत के गरीबी से नीचे जीवन-यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के नाम से गरीबी उन्मूलन योजना में 40-45 व्यक्तियों को दुग्ध उत्पादन समिति के माध्यम से को भैंसें दिलाई गई जो चयनित परिवारों से नहीं होकर सम्पन्न परिवारों में व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 2.2 में से लगभग 26000.00 रूपयों का अनुदान उठा लिया है। जिससे चयनित व्यक्तियों को वंचित होना पड़ा। इस अनियमिता का पता लगाने पर अब गरीब व्यक्तियों को प्रलोबन देकर दबाया जा रहा है। पूर्व में सन् 2005 में ग्राम पंचायत द्वारा इन्द्रा आवास एवं अनु. जाति के लोगों को दुकानें एवं अनुदान दिलाया गया। इसमें पूर्व व्यक्तियों के पास टेक्टर जमीन जायदाद एवं परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में इससे गरीब व्यक्तियों को वंचित लोगों को लाभ पहुंचाया गया। अतः जिला गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत विधान सभा के बिवाई के एन.जी.ओ. के उच्चाधिकारियों से निपक्ष जांच कर दोषी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। जिससे योजना का लाभ सही व्यक्ति को मिल सकें।

(हीरालाल)
निवाई

किशनगढ़ में रूपनगढ़ रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 28 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाये जाने बाबत

महोदय, निवेदन है कि किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित गांधी नगर व मदनगंज क्षेत्र की आम जनता और मार्बल एरिया में कार्यरत उद्यमी व श्रमिकों के आवागमन का अन्य कोई आम रास्ता नहीं होने से रूपनगढ़ रोड़ स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या 28 से आना जाना पड़ता है जो कि प्रायः बन्द रहता है जिससे आवाजाही की जटिल समस्या बनी हुई है। जबकि यह रूपनगढ़ रोड़ ही मार्बल नगरी का प्रवेश द्वार है।

गांधी नगर क्षेत्र की लगभग 30 हजार की आबादी एवं मार्बल एरिया क्षेत्र रेलवे लाइन के उत्तर में है जबकि किशनगढ़ (मदनगंज) नगरीय की शेष आबादी (लगभग एक लाख) रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बैंकर्स, बाजार, अस्पताल, स्कूलें, कॉलेज, निजी शिक्षण संस्थान व कार्यालय आदि अन्य सरकारी कार्यालय रेलवे लाइन के दक्षिण में स्थित है।

गांधी नगर क्षेत्र के निवासियों को घरेलू आवश्यक वस्तुओं के लिये गंभीर बीमारी व दुर्घटना व्यक्तियों को अस्पताल में उपचार के लिये, अध्ययनरत छात्र छात्राओं व नागरिकों को रेलवे फाटक संख्या 28 से आगमन में परेशानी रहती है।

यह है कि रेलवे लाइन के उत्तर दिशा में स्थित गांधी नगर क्षेत्र में लगभग दस हजार मुस्लिम आबादी है परन्तु इस समाज का कब्रिस्तान भी दक्षिण क्षेत्र में है। मय्यत, (मुर्दे) को इसी फाटक से ले जाना पड़ता है और 31 ग्राम पंचायत वाली किशनगढ़ पंचायत समिति का मुख्य कार्यालय रेलवे लाईन के उत्तर दिशा में स्थित सिलोरा ग्राम में है जबकि समिति की करीब बीस ग्राम पंचायत दक्षिण दिशा हैं। जिससे ग्रामीणों को भी उक्त रेलवे फाटक की समस्या से जूझना पड़ता है।

रूपनगढ़ रोड़ के रेलवे समपार फाटक संख्या-28 से नेशनल हाइवे व पंजाब राज मार्ग होने से रूपनगढ़, परबतसर, मकराना, कुचामन, डीडवाना, सीकर व गंगानगर आदि क्षेत्रों की बसों एवं बड़े वाहनों की आवाजाही रहने से लगभग बंद रहने वाले इस रेलवे फाटक पर आये दिन जाम की स्थिति बनी

(श्री भागीरथ चौधरी)

रहती है। जिससे स्थानीय नागरिकों व छोटे वाहनों के आवागमन में भी बहुत बाधा आती है।

विश्वविख्यात मार्बल मंडी किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग, अनाज मंडी एवं पेंटिंग आदि अन्य उद्योग एवं व्यापार भी संचालित है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रायः बन्द रहने वाले इस रेलवे फाटक संख्या-28 से आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान करने क लिए केन्द्र सरकार को अवगत कराते हुए प्रावधानुसार राज्य एवं केन्द्र सरकार उक्त फाटक के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की महती आवश्यकता को पूरा कर किशनगढ़ की आम जनता को राहत प्रदान करावें।

(भागीरथ चौधरी)

किशनगढ़

गोगुन्दा में हर गांव एवं बडी ढाणियों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने तथा लेबर सिलिंग, नयी स्वीकृतियां जारी करने बाबत

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी व अकाल राहत मंत्री से अनुरोध है कि गोगुन्दा विधान सभा में अकाल की भयंकर विभिषिका से तथा शीतलहर से रबी की फसल थोड़ी बहुत थी वो भी नष्ट हो गयी है। इससे गांवों में रोजगार की हालात गम्भीर हो गयी है। प्रत्येक राजस्व गांव में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है तथा बड़े-बडे मझरे ढाणियों में भी सर्वे कर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करना अति आवश्यक है। गोगुन्दा एवं कोटड़ा में राजस्व गांव एवं 8 ढाणियों बिखरी आबादी को बस्ती तथा दूरदराज के गांव है अतः लेबर स्टेन्थ बढ़ायी जाकर प्रत्येक गांव एवं ढाणियों में कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करावें। जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न है:-

1. सड़क पानेर से विजावाला (गोगुन्दा)
2. सड़क रावछ से देवरा नमण भूतवड (गोगुन्दा)
3. सड़क हुरावाली वरली से आमलीघाटी कुण्डलावास (गोगुन्दा)

(श्री मांगीलाल गरासिया)

4. सड़क पाटिया से मजावद सड़क (गोगुन्दा)
5. सड़क बरावली से आगनवाड़ी पंचायत विसमा (गोगुन्दा)
6. सड़क भूती बड़ली से मौगियों का थाना पंचायत करडा (गोगुन्दा)
7. सड़क चित्रावास से साकरिया (गोगुन्दा)
8. सड़क क्यारला से रामदेवजी का मंदिर (कोटड़ा)
9. सड़क हंगाला बेडा से आम्बा (कोटड़ा) पं. सामोली
10. सड़क भूतवड से शिवडियों का चोरा (कोटडा)
11. सड़क साबरमल से क्लीम शिबरडी (कोटडा)
12. सड़क राईया से भाडी रोहण (कोटड़ा)
13. सड़क बुझा से काडा स्कूल (कोटड़ा)
14. सड़क माता रुपण से कुआव स्कूल तक गांव लोहरारचा (कोटड़ा)
15. सड़क देवडों का गुड़ा से श्मशान घाट काछवा (गोगुन्दा)
16. सड़क मेन रोड़ से हायला फांबा रोड़ (गोगुन्दा)
17. सड़क केला की सैरी से रावछ (गोगुन्दा)
18. चांपा से नाल से कडेच (कोटड़ा)
19. सम्पर्क सड़क कानाकाबर (कोटड़ा)

उपर्युक्त कार्यों के साथ गोगुन्दा, कोटड़ा पंचायत समिति में सार्वजनिक एवं निजी काश्तकारों के कुओं को गहरा कराया जाना आवश्यक है।

(मांगीलाल गरासिया)

गोगुन्दा

पुष्कर सरोवर की सफाई बाबत।

महोदय, विधानसभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पुष्कर लाखों लाख हिन्दुओं के श्रद्धा का केन्द्र है। प्रतिवर्ष लाखों श्रृद्धालु सरोवर में स्नान के लिए पुष्कर आते हैं, पर जब सरोवर में पानी की जगह दलदल और गंदगी मिले तो इनकी आस्था को ठेस पहुंचती हैं। कोई ज्यादा पुरानी बात

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

नहीं हैं आठ वर्ष पूर्व भी इस सरोवर में जुलाई मे जो जलस्तर था आज उससे करीब 18 फीट कम पानी है। परिणामस्वरूप गन्दगी तो बढ़ी है साथ ही मछलियां बड़ी संख्या में मर रही हैं और अभी सिर्फ 4 से 5 फीट ही जलस्तर हैं। जिससे तीर्थ यात्रियों को नहाने में भी दिक्कत आती हैं। सरोवर का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। अगर समय रहते सरकार नहीं चेती और सरोवर का सही ट्रीटमैन्ट नहीं हुआ तो न सिर्फ श्रृद्धालु दिक्कत में होंगे साथ-साथ सरोवर में गंदगी बढ़ेगी और मछलिया मरेंगी, परिणा स्वरूप कोई भी महामारी फैल सकती हैं। एक ओर तो सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का दावा करती हैं और दूसरी और सरकार को तीर्थराज पुष्कर व दरगाह का ध्यान ही नहीं है। लगता है राजस्थान सरकार के पास जो राजस्थान का मानचित्र है उसमें अजमेर है ही नहीं। तीर्थ पुरोहित एवं पुष्कर के स्थानीय निवासियों को इस बात का पूरा मलाल है कि सृष्टि के रचियता ब्रहमा की तपोस्थली के अस्तित्व को बचाने की कोई कार्य योजना राज्य सरकार के पास नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो सिस्टम सरकार ने सरोवर का जलस्तर बढ़ाने के लिए कर रखा है (ट्यूबवैल आदि खोदकर) वह अपर्याप्त है और सरकार का पैसा पूरी तरह व्यर्थ जा रहा है। जब तक सरकार सरोवर को एक बार पूरा तीस फीट नहीं भरेंगी, सरोवर की सफाई नहीं करायेगी तथा बरसात में आने वाली मिट्टी की स्थाई रोक के साथ ही बरसाती पानी आने वाले रास्तों के अवरोधों को दूर नहीं करेगी तब तक सरोवर का अस्तित्व नहीं बचेगा अतः आपसे निवेदन है कि सभी प्रकार के उपचार किए जाये तथा तब तक सरोवर को बीसलपुर के पानी से भर जाये ताकि श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक स्नान कर सकें और उनकी आस्थ बच सके।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

पुष्कर

सूरतगढ़ के गांव संगीता में आबादी में आयी भयंकर सीम के सम्बन्ध में

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव संगीता की आबादी जो 1000 के लगभग है जिसमें करीब

(श्री अशोक नागपाल

150 मकान सीम के कारण गिर गये हैं व प्रतिदिन 2-3 मकान गिर रहे हैं। इस गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 300 छात्र अध्ययनरत है। इस विद्यालय समेत जितने भी राजकीय भवन हैं वो भी गिरने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। हालात यहां तक है कि पूरे गांव में 4-5 फिट तक पानी भरा रहता है।

मा. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि समय रहते गांव की इस सीम की समस्या के निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि कोई जनहानि न हो सके व गांव को इस समस्या से निजात मिल सके।

(अशोक नागपाल)

सूरतगढ़

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये लघु उद्योगों को बिक्री कर का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि- (1) राजस्थान खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्जन मनी वित्त पोषित इकाईयां लगवाई जाती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जिले में खनिज आधारित कुटीर कुम्हारी उद्योग (ईंट भट्टा), साबुन, जलावन के गुटके, फर्नीचर बढ़ईगीरी, लुहारी, सुथारी, मधुमक्खी पालन, पैकिंग आटा, प्लांट केचुआ खाद, आदि के लघु उद्योग ग्रामीणों द्वारा ही लगाये जाते हैं इन लघु उद्योगों को खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। तथा स्थापित होने पर बिक्री कर की छूट दी जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवकों इस योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को लघु उद्योग लगाने में एवं ग्रामीणों को रोजगार सृजन कराने का इसके अलावा अन्य कोई योजना नहीं हैं। ये लघु उद्योग कम पूंजी में ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इन लघु उद्योगों में श्रमिक ज्यादातर हाथ से कार्य करते हैं। ईंट भट्टा में बिजली, पेट्रोल, डीजल एवं अन्य अनर्जी का उपयोग नहीं किया जाता हैं। इससे राष्ट्रीय की अनर्जी की बचत

(श्री ओ.पी.महेन्द्रा)

होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खादीग्रामोद्योग बोर्ड की योजना के अन्तर्गत बजट का ज्यादा प्रावधान रखा जाकर ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग लगवाये जावे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा लघु उद्योग लगाये जा सके। एवं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके जिससे ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ सके।

(2) वित्त विभाग के नोटिफिकेशन तारीख 22-5-2003 के अन्तर्गत ईंट भट्टा, साबुन आदि लघु उद्योगों पर बिक्री कर की छूट तारीख 22-5-2003 से समाप्त कर दी हैं, परन्तु वित्त विभाग के आदेश तारीख 27-3-1995 के अन्तर्गत तारीख 22-5-2003 से पूर्व स्थापित हो चुके हैं। उन्हें लाभ देय होगा। ईंट भट्टा, साबुन लघु उद्योगों पर छूट माननीय श्री भैरोसिंहजी शेखावत के मुख्य मंत्री काल में दी गई थी, वह श्री गहलोत सरकार ने समाप्त कर दी है। इन वस्तुओं पर बिक्री कर की छूट पूर्ववत चालू करवाई जावे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में ईंट भट्टा एवं साबुन उद्योग ही प्रमुख उद्योग हैं, 22-5-03 से पूर्व ईंट भट्टा एवं साबुन उद्योग स्थापित हो चुके हैं, उन्हें खादी बोर्ड द्वारा लाभ प्राप्त करना न मानते हुए कर मुक्ति अभिशंसा पात्र जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि खादी बोर्ड के जिला अधिकारी ने इनको पत्र मानते हुए अभिशंसा कर प्रार्थना-पत्र कर मुक्ति अभिशंसा जारी करने हेतु खादी बोर्ड जयपुर में प्रस्तुत कर रखे हैं तथा वे उद्योग 27-3-1995 के आदेश से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये उद्योग तारीख 22-5-2003 से पूर्व स्थापित होकर क्रेता से बिक्री कर नहीं ले रहे हैं। और लगातार बिक्री के बिल जारी कर रहे हैं। समय पर बिक्री कर लाभ हेतु प्रार्थना पत्र भी दे रखे हैं। ये प्रार्थना-पत्र खादी बोर्ड में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों में मुक्ति अभिशंसा पत्र शीघ्र जारी करवाने की कृपा करें ताकि लघु उद्योगों को राहत मिल सके तथा ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण इकाइयों का अस्तित्व रह सके इनमें से कुछ इकाइयों को 31-12-2003 तक जारी हो चुके हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के लगभग 20 मामले बकाया हैं। कोई भी नियम जारी करने की तिथि से पूर्व से लागू नहीं किया जा सकता है। अतः इन ग्रामीण उद्योगों को लाभ दिलाने की कृपा करें।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)
केसरीसिंहपुर

नगरपालिका पिलानी में असाणा जोहड पर अतिक्रमण को हटाने के क्रम में

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पिलानी में असाणा जोहड जो नगरपालिका पिलानी की धरोहर है परन्तु मातुराम सैनी व पूर्व चैयरमेन पति ज्ञानप्रकाश सैन व अन्य परिवार के व्यक्तियों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और पूर्व में भी जब नगरपालिका ने खाली करवाने की कोशिश की परन्तु श्रीमान एमजीएम कोर्ट से स्थगन आदेश होने से कार्य वहीं रुक गया। अब एम.जी.एम. कोर्ट से स्टे हट गया और अब नगरपालिका में चेयरमैन बी.जे.पी. का है। उन्होंने जब मीटिंग में यह फैसला लिया कि नगरपालिका की भूमि को खाली करवाया जाये परन्तु अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अतिक्रमियों को हटाने का सरकार एक ध्यय है कि अतिक्रमियों को हटाया जाये। यह एक सराहनीय कदम है। इस कदम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। असाणा जाहड पर जो अतिक्रमी हैं उनको हटाया जाये। उस सरकारी भूमि को खाली करवाया जाये और गरीब जनता के लिये जो कॉलोनी बनाने की स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

(श्रवण कुमार)
पिलानी

इटावा-कोटा में कालेज की स्थापना कराने बाबत

महोदय, निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा विस्तृत दूरस्थ मध्य प्रदेश सीमा से सटा हुआ है इसमें 43 ग्राम पंचायतों के 310 राजस्व ग्राम की आबादी लगभग 4.50 लाख है इस क्षेत्र में लगभग 200 प्राथमिक, 130 उच्च प्राथमिक एवं 60 माध्यमिक, 15 उच्च माध्यमिक सरकारी एवं निजी विद्यालयों में लगभग एक लाख बच्चे अध्ययनरत है। किन्तु आगे उच्च-शिक्षा हेतु क्षेत्र में आवश्यक डिग्री कालेज के अभाव में छात्र/छात्राएं 12वीं कक्षा पास करने के उपरान्त इधर-उधर भटकने को अथवा साधनों के अभाव में पढ़ाई छोड़कर श्रम कार्यों में संलग्न होने अथवा अल्प शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में रहने को मजबूर है।

(श्री प्रभूलाल वर्मा)

मेरा श्रीमान से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में उचित-शिक्षा हेतु अति आवश्यक डिग्री कालेज की स्थापना ग्राम इटावा-कोटा में करवाकर अनुगृहीत करें।

(प्रभूलाल वर्मा)

पीपल्दा

फूंगणी गांव (सिरोही) के मेघराम प्रजापत हत्याकांड के सम्बन्ध में

महोदय, निवेदन है कि सिरोही जिले के फूंगणी गांव में 14 मार्च, 2005 को मेघाराम प्रजापत की कुंए पर नृशंस हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस ने न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न ही हत्या में प्रयोग किये गये हथियार को बरामद किया है। इस घटना को लेकर सम्पूर्ण सिरोही जिले में रोष व्याप्त है।

कालन्द्री थाना हल्के में गत कुछ माह में कई हत्यायें हुई हैं और पुलिस मामलों को खोल नहीं पाई है। आम जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है।

सिरोही जिले के प्रजापत समाज में भी भारी रोष व्याप्त है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि दोषी व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार करवायें। एक पखवाड़े के भीतर इस सम्बन्ध में कार्यवाही न हुई तो सिरोही जिले की आम जनता को आन्दोलन करना पड़ेगा।

(संयम लोढ़ा)

सिरोही

पनलावा ग्राम (लक्ष्मणगढ़) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अधूरा भवन

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत में राज्य सरकार एवं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे

(श्री केसरदेव बाबर)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम पनलावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य वर्ष 1997 में स्वीकृत हुआ था जिसकी कार्यकारी एजेंसी आवास विकास संस्थान, सीकर को बनाया गया था। परंतु उक्त भवन का निर्माण इस एजेंसी द्वारा अधूरा ही छोड़ दिया गया और संस्थान भी बंद हो गया। जिसके कारण आठ वर्ष पश्चात् भी उक्त ग्राम पनलावा के निवासी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लाभ उठाने से वंचित रह रहे हैं। इस अधूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पनलावा लक्ष्मणगढ़ के भवन-निर्माण को पूर्ण कराकर इसे चालू करने हेतु अनेक स्तरों पर ग्रामवासियों ने एवं मैंने अथक प्रयास किये परंतु कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। ग्रामवासी चिकित्सा सुविधा के अभाव में दर-दर भटकने पर मजबूर हैं और उन्हें अपनी बीमारियों के इलाज हेतु अन्यत्र स्थान पर मजबूरी में जाना पड़ रहा है जिससे उनको भारी आर्थिक एवं मानसिक दबाव मना रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से गुहार कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कृपया अतिशीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पनलावा जिला सीकर के अधूरे भवन का निर्माण करवाने की कार्यवाही कर इस स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(केशरदेव बाबर)

लक्ष्मणगढ़

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 9 वन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन (पर्यावरण सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

1. राजस्थान की वन सम्पदा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

2. सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य, बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ की टूटी हुई बाउण्ड्री वाल से वन्य जीवों की सुरक्षा की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

3. वन विभाग की भूमि पर 1980 से पूर्व काबिज लोगों का भौतिक सत्यापन कर नियमन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. वन भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने एवं वन विभाग के आरोपित अधिकारियों को क्रमोन्नत नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

5. इन्दिरा गांधी नहर की गदड़ा रोड उप शाखा के डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा में निर्माण करने से मनाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटौल) :

6. जिला बांसवाड़ा की वनभूमि में खाकरा, सादड़, बीया, बांस पालेदार के पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. वन विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा में लगाये पौधों की समुचित देखभाल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

8. वन विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा में विदेशी बबूल नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

9. दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में विभाग द्वारा लगाये गये पौधों की सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

10. सीकर विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण संवर्धन हेतु अधिकाधिक पौधों का रोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. सीकर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के पौध रोपण के समय ही ट्री-गार्ड एवं नम्बरिंग लगाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

12. सीकर विधान सभा क्षेत्र में जलग्रहण योजना के कार्य वन विभाग को आनुपातिक रूप से देने बाबत चर्चा के लिये।

13. सीकर विधान सभा क्षेत्र में गौचर भूमि में पेड़ों की कटाई रोकने एवं वनक्षेत्र की गौचर भूमि को गौशालाओं हेतु आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

14. राज्य में बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. वन विभाग द्वारा सीकर जिले में अच्छे किस्म के पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

16. पर्यावरण सुधार एवं वन क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

17. सरिस्का, रणथम्भौर तथा घना पक्षी विहार में बाघों एवं वन्यजीवों की घटती संख्या पर चर्चा के लिये।

18. वन क्षेत्र में पुरानी सड़कों, एनीकटों एवं पुराने निर्माण को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

19. वन क्षेत्र में होटल व्यवसाइयों को अवैधानिक स्वीकृतियां देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

20. जिला बीकानेर में वन विभाग की कार्यशैली पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

21. वन क्षेत्र में अतिक्रमण तथा वन्यजीवों की घटती संख्या एवं पर्यावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

22. वन क्षेत्र में घटते वन्य जीवों से उत्पन्न स्थिति एवं पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

23. जनजातियों के वन भूमि के कब्जे नियमित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

24. नावां विधान सभा क्षेत्र में नाडी, गोचर व ओरण की खाली भूमि में खेजड़ी वोल्डी नीम आदि के वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. ग्राम पंचायत घाटवा के पूर्व सरपंच द्वारा वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की अवैध कटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

26. वनों की लगातार हो रही अवैध कटाई से पर्यावरण के असंतुलन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

27. बुहाना तहसील सूरजगढ़ में वन विभाग के कर्मचारियों की मनमानी से घटते वनों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

28. जयपुर शहर में निरन्तर बढ़ रही वाहनों की संख्या के कारण प्रदूषण बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बसे सैकड़ों वर्ष पुराने ग्रामों (अब कालोनियों) का वन क्षेत्र में होने के कारण विकास कार्य न होने एवं वहां के निवासियों को पट्टे न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. जयपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों को वन क्षेत्र में बताया जाकर विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों के गायब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश के वनों में लगातार अवैध कटाई से पर्यावरण के असंतुलित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

33. कुचामन शहर के अन्दर से स्टेट हाईवे होने से उत्पन्न प्रदूषण से होने वाली समस्या पर चर्चा के लिये।

34. वन विभाग द्वारा कुचामन किला, गणेश डूंगरी तथा भैरोतालाब पहाड़ी पर बोल्डी (बैर) पेड़ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

35. वन क्षेत्र में अति प्राचीन समय से बसे जनजाति समुदाय के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) :

36. जसवंतपुरा वन क्षेत्र में घटते वन क्षेत्र से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. वन क्षेत्र जसवंतपुरा में व्यर्थ में बहने वाले पानी को रोक कर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

38. केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के वन्य जीवों हेतु समुचित जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश के वन अभ्यारण्यों में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने हेतु उचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

40. जयपुर जिले में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

41. राज्य में वन सम्पदा एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

42. राज्य में घटते वन एवं घटती बाघों की संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. पर्यावरण सुधार हेतु जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण पर कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

44. वन विभाग की जमीन पर किये जा रहे अवैध खनन को रोकने, अतिक्रमणों को बेदखल करने एवं पर्यावरण को दूषित किये जाने वाले उद्योगों को पाबन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

45. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड़ नहर के निर्माण में आने वाली भूमि को वन भूमि बताये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

46. कोटा सम्भाग के वनों में वर्षा ऋतु में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भेड़ों के प्रवेश करने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

47. प्रदेश में अवैध शिकार की घटनाओं की बढ़ती वारदातों की रोकथाम हेतु समस्त 23 अभ्यारण्यों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. दरा को नेशनल पार्क घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. कोटा व झालावाड़ जिलों में कोटा स्टोन के पोलिश उद्योग द्वारा अव्यवस्थित तरीके से वेस्ट का निस्तारण करने से पर्यावरण दूषित होने पर भी विभाग द्वारा कारगर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की गंभीर समस्या के समाधान हेतु निचले स्तर पर वन रक्षकों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

51. चूरू जिले में वन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. राज्य में खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. नीलगाय से काश्तकारों की फसल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. राजगढ़ (चूरू) तहसील के लील की बीड़ को अभ्यारण्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

55. राज्य के वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी करने हेतु सकारात्मक उपाय किये जाने पर चर्चा के लिये।

56. राज्य में वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु फील्ड स्टाफ में बढ़ोत्तरी करने तथा उद्योग एवं खान मालिकों द्वारा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

57. बांदीकुई क्षेत्र के एचेडी से सांवलाजी, झांझीरामपुरा से छींड की ढाणी, छपावन से भैरूजी के स्थान तक निरीक्षण ट्रेक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के वन क्षेत्र झांझीरामपुरा में एनीकट निर्माण करवाने एवं गुढ़ाकटला से रेहडिया सड़क के विदेशी बबूल द्वारा अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

59. सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में अवैध पेड़ों की कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में वन जीवों की रक्षा हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

61. जिलाधीश राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा नगर की वन भूमि को नगरपालिका क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में वन भूमि पर कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की भूमि को वन क्षेत्र से नहीं निकालने के कारण आधारभूत सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदवई) :

63. नदवई क्षेत्र के पथेना केनाल स्थित शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

64. जोधपुर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव से पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

65. तहसील निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में वन भूमि क्षेत्र में जलस्तर को बनाए रखने के लिए एनीकट एवं स्टाप डेम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. तहसील छोटी सादड़ी में वन भूमि पर कब्जेधारियों का नियमन करने पर चर्चा के लिये।

67. गांव परपडिया ग्रा.प. निम्बाहेड़ा की आराजियात एवं कब्जाकाश्त की भूमि को नियमित करने पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

68. वन विभाग के अभयारण्यों व आरक्षित क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही शिकार व पशुओं की खाल, दांत आदि के अवैध व्यापार को कठोरता से नहीं रोके जाने से बाघों, हिरणों आदि की घटती संख्या से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

69. अन्य राज्यों की भांति राज्य में भी वनों के विकास व पौधरोपण के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को वन विभाग की भूमि लीज पर देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राज्य में आवासीय (रिहायशी) इलाकों में प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना लघु औद्योगिक इकाइयों (बेकरी व प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों) के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

71. जन्तुआलयों में रखे गये जीव-जन्तुओं के भोजन व रख-रखाव की राशि में बढ़ोत्तरी तथा पर्याप्त सुविधायें मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को प्रभावी तरीके से नहीं रोके जाने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

73. बांसवाड़ा जिले में 1980 से पूर्व वन भूमि पर काबिज किसानों को खातेदारी हक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. बांसवाड़ा जिले के वन क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर डामरीकरण, सड़क के निर्माण में आ रही बाधाओं एवं स्थान चिन्हीकरण कर आम रास्ते नहीं निकलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के रेंज बागीदोरा के श्री शंकर लाल पुत्र श्री सोमाजी वन रक्षक के पद पर रहते हुये 31 मार्च, 2001 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद अभी तक भी वेतन निर्धारण कर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

76. पेड़ों की कमी के कारण पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई होने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई रोकथाम नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

78. जयपुर में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को न रोक पाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

79. नाहरगढ़ क्षेत्र, जयपुर की पहाडियों पर पेड़ों की अवैध कटाई को न रोक पाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

80. जयपुर जन्तुआलय को रामनिवास बाग से अन्यत्र बड़े स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. जयपुर की गलता की पहाडियों पर वनकर्मियों की मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. जयपुर में वन विभाग की भूमियों पर हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

83. वनों की कटाई से पर्यावरण के बढ़ते असन्तुलन व दरा अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

84. सिरोही जिले में भ्रष्ट वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. सिरोही जिले में घटते वन्य जीवों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. सिरोही जिले में घटते वन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

87. बाली विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्रों में एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. बाली विधान सभा क्षेत्र को 3000 हैक्टेयर वन भूमि जो रिकार्ड में सर्वाधिक दर्ज है को पुनः रिकार्ड में वन भूमि इन्द्राज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. बाली के वन क्षेत्रों में वृक्ष कटाई पर सख्ती से पाबन्दी एवं पौधारोपण व उनके संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. बाली विधान सभा क्षेत्र की वन चौकियों, सेंचुरी व अन्य वन कार्यालयों में विधान सभा वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) :

91. सिवाना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा एनीकटों के निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. सिवाना एवं सिणधरी रेंजों में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु अधिक साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. ग्रामों में वन मित्र मंडल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

94. उदयपुर जिले में झाडोल, कोटड़ा, धारियावाद, रणकपुर में प्रचुर मात्रा में वन औषधियां उपलब्ध होने के उपरान्त भी उनका संरक्षण एवं औषधीय उपयोग न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

95. घटते वन क्षेत्र व अंग्रेजी बबूल के प्रभाव से लुप्त होती अन्य वनस्पति व औषधीय वनस्पति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

96. जालौर जिले में ग्रेनाइट फैक्ट्रियों के अपशिष्ट से उत्पन्न गंभीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) :

97. रणथम्भौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

98. भीण्डर नगर (उदयपुर) के पास लगे क्रेशर प्लान्ट हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

99. धौलपुर जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर वनविहार सेंचुरी में अवैध कटान एवं अवैध खनन किए जाने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

100. धौलपुर में लोंगपुर पहाड़ के वन क्षेत्र से अवैध रूप से मिट्टी उठाने से लोंगपुर पहाड़ को हो रही क्षति से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

101. धौलपुर में राष्ट्रीय राज्य मार्ग आथोरिटी द्वारा 33 लाख रुपये वन विभाग को पेड़ लगाने हेतु देने के दो वर्ष बाद भी वन विभाग द्वारा सड़क के किनारों पर पेड़ नहीं लगाए जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

102. धौलपुर जिले में ग्राम घेड़ व ग्राम ममरौली में वन विभाग की जमीन में वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों को नष्ट कर उस जमीन पर अतिक्रमण कर फसल उगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. धौलपुर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से वनों की अवैध कटाई तथा वन विहार सेन्चुरी की विभाग की उपेक्षा से वनविहार सेन्चुरी को नष्ट होने से बचाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

104. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में रामपुरा वन क्षेत्र में सूखे पेड़ों के नाम पर की गई अवैध नीलामी में हरे पेड़ों को काटने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में स्थित संजय वन क्षेत्र को विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

106. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में पड़ने वाले ऐतिहासिक, पर्यटक स्थानों तक सड़क व उनके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों कि लिए सड़क निर्माण की अनुमति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्रों में वर्षों से काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में औषधियों, जडी-बूटियों को नामजद चिन्हित किये जाने एवं संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

111. वन विभाग द्वारा किसानों के अपने खेत की सूखी लकड़ी बेचने पर परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. वन विभाग द्वारा खेजड़ी, नीम, देशी बबूल आदि नहीं लगाकर विदेशी बबूल खैरी जैसे अनुपयोगी पेड़ लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. वन विभाग में स्टाफ की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

115. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में नंगी पहाड़ियों पर पेड़ लगाने में लाखों रुपये व्यय करने के बावजूद भी पौधों को जिन्दा नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में वनों की कटाई को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. राज्य सरकार की प्रदेश में वनों को सुरक्षित रखने में असफलता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

118. राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता एवं अलवर जिले में वन क्षेत्र के बाहर भी पर्यावरण विभाग द्वारा एन.ओ.सी. नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. जमवारामगढ़ (जयपुर) में खान मालिकों के द्वारा वन विभाग को खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु धन उपलब्ध कराने के बावजूद भी पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

120. अलवर जिले में 1992 के पश्चात जो खाने बन्द हैं उन स्थानों पर वृक्षारोपण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. अलवर जिले में 1992 में खाने बन्द होने एवं सरिस्का में 22 गांवों को अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर भेजने के बाद भी वन्य जीवों की संख्या घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

122. विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक की स्थिति में अरावली क्षेत्र की समीक्षा एवं अरावली क्षेत्र की सूची घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. अलवर जिले की तहसील तिजारा में स्थित भिवाड़ी, खुशकेड़ा, चौपानकी औद्योगिक क्षेत्रों से प्रदूषण फैलने से स्थानीय ग्रामीणों, पशुओं आदि के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

124. अनुसूचित जन जाति के किसानों द्वारा रतनजोत को अन्य मण्डी में ले जाने से वन विभाग की दखल रोकने पर चर्चा के लिये।

125. उदयपुर जोन में 1980 से पूर्व के कब्जेधारी किसानों को खातेदारी हक दिये जाकर पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

126. प्रदेश में वृक्षों की कटाई से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने हेतु की जा रही वृक्षों की कटाई की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यावरण सन्तुलन हेतु वनों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राज्य में वन्य जीवों के अवैध शिकार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

130. वन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पेड़ों को पंचायतों को सारसंभाल हेतु नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. ग्राम कूथाड़ा, हरड़ी, घाटा आदि स्थानों पर पत्थर क्रेशरों पर पानी के फव्वारे नहीं लगाने से हो रहे प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. बस्सी से नईनाथ रोड़ बनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा सड़क स्वीकृत करने के उपरान्त भी वन क्षेत्र में आने से वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. तहसील बस्सी जयपुर के वन क्षेत्र में निर्मित किये जा रहे एनीकट को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़ आदि क्षेत्रों में वन भूमि पर आदिवासी जनजाति के लोग सैकड़ों वर्षों से बसे होने के बाद भी भूमि आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

135. खैरथल के रीको औद्योगिक क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी नहीं होने से पर्यावरण दूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. किशनगढ़ बास से अलवर के बीच की दूरी के पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विभाग द्वारा किशनगढ़ बास सबडिविजन पर वन सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) :

138. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अधीन बसे सरिस्का बाघ परियोजना के आस-पास गांव इन्द्रोक, कुशलगढ़, माधोगढ़ के काश्तकारों की जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. सरिस्का के आस-पास बसे गांवों को वन विभाग के द्वारा गांव छोड़ने पर मजबूर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कान्तीप्रसाद मीणा)

140. वर्ष 1982 से 2005 तक बाध परियोजना पर सवा तेइस करोड़ रुपये खर्च किये जाने के बावजूद भी विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

141. सरिस्का होकर जाने वाला अलवर-जयपुर मार्ग के रास्ते में परिवर्तन किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री कान्तीप्रसाद मीणा)

140. वर्ष 1982 से 2005 तक बाध परियोजना पर सवा तेइस करोड़ रुपये खर्च किये जाने के बावजूद भी विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

141. सरिस्का होकर जाने वाला अलवर-जयपुर मार्ग के रास्ते में परिवर्तन किये जाने पर चर्चा के लिये।

सदस्य सूची

शनिवार, 9 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
सूचना	
-भीलवाड़ा में साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने हेतु गठित सदन की समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा	101
स्थगन प्रस्ताव	
-श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे में पुलिस फायरिंग के संबंध में	1
श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सूरतगढ़ के गांव संगीता में आबादी में आयी भयंकर सीम के संबंध में	256
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	205
डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
मांगे	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	63
श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये लघु उद्योगों को बिक्री कर का लाभ दिये जाने के संबंध में	257

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	212
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	24
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पनलावा ग्राम (लक्ष्मणगढ़) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अधूरा भवन	260
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	222
श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	132
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
स्पष्टीकरण	
-श्री गजेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, ऊर्जा का स्पष्टीकरण	20
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	46

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-करजीवाल गांव (भीलवाड़ा) में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिये जाने बाबत्	5
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	146
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में सिंथेटिक दूध वितरण की गहरी होती जड़ें	3
श्री जयराम जाटव (खैरथल)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर और भरतपुर में गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने की मांग	17
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	128
श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	214
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	191

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर और भरतपुर में गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने की मांग	19
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	110
-वन-मांग सख्या 9 पर विचार	168
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	52
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-रेतीले टीबों के स्थान परिवर्तन से रेगिस्तान का विस्तार	13
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	226
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	47
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	195

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-केशरपुरा ग्राम पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा में पानी की टंकी बनाई जाकर पावर पम्प नलकूप योजना द्वारा पेयजल समस्या निवारण बाबत्	251
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	162
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-इटावा-कोटा में कालेज की स्थापना कराने बाबत्	259
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
याचिका	
-जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में महिला विद्यालय की स्थापना	23
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	92
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-किशनगढ़ में रुपनगढ़ रोड़ स्थित रेलवे फाटक संख्या 28 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाये जाने बाबत्	253

नाम पृष्ठ संख्या

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

मांगें

अनुदान की मांग

-वन-मांग संख्या 9 पर विचार 157

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

मांगें

अनुदान की मांग

-वन-मांग संख्या 9 पर विचार 103

सदन की कार्यवाही

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 173

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-गोगून्दा में हर गांव एवं बड़ी ढाणियों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने तथा लेबर सिलिंग नयी स्वीकृतियां जारी करने बाबत् 254

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

मांगें

अनुदान की मांग

-वन-मांग संख्या 9 पर विचार 178

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

मांगें

-वन-मांग संख्या 9 पर विचार 108

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

मांगें

अनुदान की मांग

-वन-मांग संख्या 9 पर विचार 139

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 एवं 2003-04	22
-राजस्थान जल विकास निगम लि. का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04	23
सूचना	
-अजमेर में पेयजल की किल्लत	24
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-गर्ल चाइल्ड मोटीवेटर (जी.एस.एम.) डी.पी.ई.पी. परियोजना को नियमित करने हेतु	250
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	188
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	153
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
मांगे	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	201

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर प्रस्तुति	62
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	227
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04	23
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	141
श्री श्रवण कुमार (पिलानी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पिलानी नगरपालिका में असाणा जोहड़ पर अतिक्रमण को हटाने के क्रम में	259
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	42
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पुष्कर सरोवर की सफाई बाबत्	255
सूचना	
-अजमेर में पेयजल की किल्लत	24

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-फूंगणी गांव (सिरोही) के मेघराम प्रजापत हत्याकांड के संबंध में	260
स्थगन प्रस्ताव	
-करजीवाल गांव (भीलवाड़ा) में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिये जाने बाबत्	7
श्री सभापति	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 का पारण	249
डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-करजीवाल गांव (भीलवाड़ा) में अल्पसंख्यक परिवारों से सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिये जाने बाबत्	6
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	208
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	135

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ट्यूरिस्ट परमिट के नाम पर पथ कर में छूट	16
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	40
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-वन-मांग संख्या 9 पर विचार	174
श्री हीरालाल (निवाई)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जे पी आई पी योजनान्तर्गत अनियमितताओं के बाबत्	251
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
शासकीय वक्तव्य	
-प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति	57